

राज्य सतरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़

भारत सरकार

प्रबंधित, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

प्रधानमंत्री भवन, सेक्टर-10, नवा दिल्ली अटल नगर, जिला-दिल्ली (पर.)

E-mail : 888009@gmail.com

मिशन— राज्य सतरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी), छत्तीसगढ़ की दिनांक 10/06/2023 को गणना 480वीं पैठक का कार्यकारी विवरण

— ०० —

राज्य सतरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी), छत्तीसगढ़ की 480वीं पैठक दिनांक 10/06/2023 के बी. बी.पी. मोहनर, अमरा, राज्य सतरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अवधारणा में संपन्न हुई। पैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया—

1. डॉ. गीतेश कुमार खात्र, सदस्य, राज्य सतरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
2. डॉ. एन.के. चन्द्राकर, सदस्य, राज्य सतरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
3. डॉ. फिलान सिंह धूप, सदस्य, राज्य सतरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
4. डॉ. मनोज बुमडा शोषकर, सदस्य, राज्य सतरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
5. डॉ. अनंदियुक्त लिखी, सदस्य सचिव, राज्य सतरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति समिति द्वारा एजेंटों में समितिल विवादी घर विनानुसार विशेषज्ञ लिया गया—

राजीन्वा आपटम क्रमांक-१: 478वीं एवं 479वीं पैठक क्रमांक दिनांक 27/07/2023 एवं 28/07/2023 को कार्यदारी विवरण के अनुसृत रूप से दिया गया है।

राज्य सतरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी), छत्तीसगढ़ की 478वीं एवं 479वीं पैठक क्रमांक दिनांक 27/07/2023 एवं 28/07/2023 को संपन्न हुई थी। समिति को अवनति करना या गोपनीय विवरण दिया जा रहा है, जिसे समिति के सम्मान शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा। यह सिविली समिति द्वारा गठित हुई।

राजीन्वा आपटम क्रमांक-२:

गोपनीय समिति एवं गोपनीय विशेषज्ञ समिति के अनुसृत रूप सम्मान एवं विशेषज्ञ / दीक्षोदार/अन्वयालय निम्नलिखित पाइया।

1. गैरानी दुलना साईन सटीन कवारी (प्रो.— श्रीमती अमिता गैरा), राम-दुलना, राहील-आगन्तुक, जिला-दिल्ली (सार्विकालय का नम्बरी क्रमांक 2407) ऑफलाइन आवेदन – प्रधानमंत्री नम्बर – एसआईए/ श्रीपी/ एसआईए/ 429180/ 2023 दिनांक 01/06/2023 द्वारा दी ओआर आवेदन लिया गया है।
प्रवासी व्यक्ति विवरण – यह क्रमांक विस्तृत जा प्रकल्प है। यह यूवे से संबंधित बुना पत्रक (गोपनीय समिति) लिया गया है। खाद्य राम-दुलना, राहील-आगन्तुक, जिला-दिल्ली

निला यात्रा क्रमांक 432/1, 433/2, 673 एवं 674, कुल कीमत-2,092 हेक्टेयर में है। यादान की अधिकृत उत्थान कीमत-26,500 टन जीतीय है।

तानानुसार परियोजना प्रस्तावक की एसईएसी, छत्तीसगढ़ के जापग दिनांक 02/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सुचित किया गया।

विठ्ठक का विवरण -

(अ) जागिति की 400वीं कैठक दिनांक 10/08/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु की चुपायु जीतीय, अधिकृत जीतीयि उपस्थित तुर। जागिति द्वारा नहीं, प्रस्तुत जानकारी का अन्तर्भूत एवं परीक्षण उसने कर दिया जिसे यह नहीं करता-

i. यूं में जारी परीक्षणीय स्टीक्युटि संकेती विवरण-

i. पूर्व में चूना यात्रा यादान यात्रा क्रमांक 432/3, 433/2, 673 एवं 674, कुल कीमत-2,092 हेक्टेयर, कीमत-10,000 टन जीतीय हेतु परीक्षणीय स्टीक्युटि किला स्थानीय वर्षीयरस समाप्ति निर्धारण प्राधिकरण, विला-लखपुर द्वारा दिनांक 16/02/2017 की जारी की गई। यह स्टीक्युटि जारी दिनांक से दिनांक 18/12/2023 तक की जायगी हेतु की गई।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि यात्रा सकारात्, वर्षीयरस, यन और जातकायु परियोजने मेंबाही, नहीं दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार-

"A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control. However, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार परीक्षणीय स्टीक्युटि की जाया जारी दिनांक से दिनांक 18/12/2023 तक की गई हीमी।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत कीर्तीय कार्यालय, मानव संवर्कन, वर्षीयरस, यन एवं जलवायु परिवर्तन मेंबाही, नहीं राखपुर अंडल भनार से पूर्व में जारी परीक्षणीय स्टीक्युटि का उत्तर प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

iii. निर्धारित जारीनुसार प्रकाशीकरण नहीं किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खण्डित जाता) विला-लखपुर, के जापग क्रमांक 2321/खण्डित/पुष./न.उ.—एकी/12/2023 लखपुर, दिनांक 04/08/2023 द्वारा किया जारी में किये गये उत्थान की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रकल्पित उत्थान (टन)
2018–19	4,000
2019–20	10,000
2020–21	10,000
2021–22	10,000
2022–23	10,000

प्रमाणित का भत है कि दिनांक 01/04/2023 से बिए गए उत्तराखण्ड की प्रास्तरिक जाता वाली जानकारी जिमान विभाग से प्रमाणित करनावल प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

३. जाम पंचायत का अनापरिलिपि प्रमाण पत्र – उत्तराखण्ड सर्व कालर स्थापना की जांच में जाम पंचायत दुलना का दिनांक 12/06/2002 का अनापरिलिपि प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
४. उत्तराखण्ड शोजना – नीलिंगाइल और काली खाली खालीखाली प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त-संचालक (ट्रैकप्र) संचालनालय नीलिंगाइल यानेकर्म नक्ष राष्ट्रपुर उटल नगर, जिला-राष्ट्रपुर के पु. ज्ञानन छ. ३३७४ / खनि ०२/गा.पर.अनुग्रहन/पत्र.०५/२०१५(३) द्वारा राष्ट्रपुर, दिनांक ०५/०५/२०२३ द्वारा अनुमोदित है।
५. ५०० बीटर की परिसीम में स्थित ज्ञानन – कालीखाली कलोकटर (खनिज जाता) जिला-राष्ट्रपुर के ज्ञानन छनांक १०६०/कोपा/ख.प./चूना.खन्य./२०२३-२४ राष्ट्रपुर, दिनांक २८/०५/२०२३ अनुसार आवेदित ज्ञानन से ५०० बीटर के बीतर अवधिक ५ खाली खेतपाल ८.८६७ हेक्टेयर है।
६. ३०० बीटर की परिसीम में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/भरवनाएँ – कालीखाली कलोकटर (खनिज जाता) जिला-राष्ट्रपुर के ज्ञानन छनांक १०६०/कोपा/ख.प./चूना.खन्य./२०२३-२४ राष्ट्रपुर, दिनांक २८/०५/२०२३ द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उज्ज्ञान से ३०० बीटर की परिसीम में दोहरी भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे बहिर, भविजित, खनिज, चुल, खड़ी, रेत लाईन, अन्यताल, स्वतृत, इनीकट बांध एवं पाल आदी आदि अल्लोबिल क्षेत्र निर्मित नहीं हैं। ३०० बीटर के बीतर जाम दुलना की जांच की जिमा है।
७. लीज का विवरण – लीज औरती अनिता जैन के नाम पर है। लीज की क १० वर्षीय उम्र, दिनांक १८/१२/२०२२ से १८/१२/२०३२ तक की अवधि ऐन विस्तारित की गई है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा ज्ञानन कि लीज अवधि १९/१२/२००२ से १८/१२/२०३२ तक है। रानीती का नहा है कि दिनांक १९/१२/२००२ से दिनांक १८/१२/२०२२ तक की अवधि का लीज कीज वी प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
८. घू-स्थानित – घूमी की ज्ञानन जैन के नाम पर है। उत्तराखण्ड ऐन घू-स्थानी का सहभागी पत्र प्रस्तुत किया गया है।
९. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – कां २०१९ की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
१०. जन विभाग का अनापरिलिपि प्रमाण पत्र – लीज लीज की विवरण एवं लीज की प्रास्तरिक दूरी का जालीखा करते हुये जन विभाग से अनापरिलिपि प्रमाण पत्र प्राप्त कर द्या गया जिसका उत्तराखण्ड आवश्यक है।
११. पारिसिंचलिलीय/जीवसिंचलिलीय सार्वेनवील क्षेत्र – जीवसिंचलीय जनतावक द्वारा १० किमी और जीवसिंचलीय सीमा, राष्ट्रीय उदान, अन्यायालय, कोन्ट्रीय प्रदूषण विवरण जौह द्वारा प्राप्तिक जिलिङ्गली पील्लुटेक परिया, पारिसिंचलिलीय

सर्वेक्षणीय शोध या भौगोलिक विविधताएँ जिनके लिये नहीं होना चाहिए किया जाता है।

12. खनन संचया एवं खनन का विवरण – जिसीलैटिकल नियांदे 8,63,625 टन एवं बाईनेक्ट रिक्त 1,50,000 टन है। लीज की 7.5 मीटर औरी सीमा पट्टी (उत्थनन की लिए प्रतिवर्षित रीत) का छोड़फल 5,100 वर्गमीटर है। अंदर खास लोगों के लिए उत्थनन विद्या आता है। उत्थनन की प्रसारित अवधिकाल महाराष्ट्र 25 मीटर है। लीज क्षेत्र में कुपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है। लीज की ऊंचाई 3 मीटर एवं लोकाई 3 मीटर है। खदान की संभावित ऊँचाई 5 फूट है। यहाँ हिमां से ड्रिलिंग एवं कन्ट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। लीज दोनों ओर सापेक्ष है। जिसका छोड़फल 1,000 वर्गमीटर है। खदान में यादु घटूषण मिट्टेवन के जल का डिफरेन्स किया जाता है। यर्कार प्रसारित उत्थनन का विवरण निम्नानुसार है—

कार्ड	प्रसारित उत्थनन (टन)
प्रथम	30,000
द्वितीय	30,000
तृतीय	30,000
चौथी	30,000
पात्रम	30,000

समिति द्वारा नोट किया गया कि इस्तुत भीडिपर्टमेंट कार्यालय अनुसार वर्तमान प्रसारित उत्थनन अभ्यास औरलाईन के माध्यम से किये गये ऑडेटन में उत्थनन अभ्यास 28,600 टन प्रतिवार्ष से अधिक है। समिति का भत्ता है कि औरलाईन के माध्यम से किये गये ऑडेटन में उत्थनन अभ्यास अनुसार रिक्ती की गणना कर संसारित अनुगमोदित पदार्थी पदान प्रस्तुत किया जाना उत्थापक है।

13. खल कानूनी – परियोजना हेतु उत्थापक जल की जाता के अन्वयीटर डिलिभर होती है। जल की आपूर्ति औरवेत के अध्याय से की जाती है। इस बाबत संन्दूल घारेव्ह लीटर अधीरिटी का अनापत्ति प्रमाण प्रति प्रस्तुत किया गया है।
14. दृश्यांशुपन कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में जारी और 7.5 मीटर की पट्टी में 400 नये दृश्यांशुपन किया जाएगा।

15. खायान की 7.5 मीटर की औरी सीमा पट्टी में उत्थनन – लीज क्षेत्र के यार्ती और 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का बूल छोड़फल 5,100 वर्गमीटर है। जिसमें से 2,430 वर्गमीटर क्षेत्र 10 मीटर की गहराई तक 670 वर्गमीटर क्षेत्र 13 मीटर की गहराई तक उत्थनित है। जिसका उत्थन अनुगमोदित कर्त्तीर्थी खान में किया जाता है। उत्थनित 7.5 मीटर कीरी सीमा पट्टी में उत्थनन कियक जाना पर्यावरणीय रक्षीकृती की जाती का उत्थनन है। उत्थालय कलेक्टर (समिति द्वारा) निलां-साकपुर के द्वापन क्रमांक 114/समिति/दूरपत्र/अनुगमासा/2022 राक्षमुत दिनांक 19/01/2023 द्वारा जारी पत्र अनुसार परियोजना उत्थापक के लिए उत्थन अनियंत्रित द्वापन किये जाने हेतु अर्द्धदर्पण राशि रखदे 1,05,000/- जारीया जाया जा रियोजना प्रसारात्मक द्वारा दिनांक 13/01/2023 द्वारा अर्द्धदर्पण राशि रखदी 1,05,000/- समिति दिनांक में जमा किया जाकर रक्षीय की प्रती उत्थन की गई है। उत्थनित 7.5 मीटर कीरी सीमा पट्टी में उत्थन उत्थनन किया जाना जाये जाने पर परियोजना प्रसारात्मक के लिए उत्थन अनियंत्रित पर्यावरण की उत्थन उत्थनन हेतु उत्थालय नियामन

मैकल, नवा शायदुर कट्टल नगर की बहरेवक कार्रवाही किया जाना चाहिएगा है। समिति का मत है कि उत्तरनित 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का पुनर्माल योजना (Restoration plan) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। इसकी 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में जीन और जीवों में दौधी का सौपण कर, जीवों का नामांकन एवं संरक्षण कर कोटीयापासा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. उत्तरनियम है कि भारत सरकार, पर्यावरण, जन एवं जलवाया परिवर्तन मंडल, नई पिल्ली द्वारा नीन कोल नाईनिंग प्रोजेक्टसे हेतु गानक वर्षायितीय जी जारी की गई है। यह क्रांति V20 के अनुसार—

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

इसके गानक जी के अनुसार भाईन लीज थोड़े छोटे संकीर्ण में प्रकाशित किया जाना आवश्यक है।

17. प्रस्तुत नीनिंगाईन कीरीय प्रान अनुसार खदान से गाम दूलना की दूरी 20 मीटर का उल्लेख है। समिति का यह है कि लीज थोड़े की सीमा से गाम दूलना की दूरी 50 मीटर होनी आवश्यक है। आगे गाम दूलना से न्यूनतम 50 मीटर की दूरी तक ऐसे नाईनिंग कोड छोड़ते हुए दिल्ली की गवर्नर कर संस्थानित कीरीय प्रान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार किये रखे गए संविधानों की निम्नानुसार निचे दिया गया—

1. गाम दूलना से न्यूनतम 50 मीटर की दूरी तक ऐसे नाईनिंग कोड छोड़ते हुए दिल्ली की गवर्नर कर एवं औनिंगाईन की गवर्नर की आवेदन में उल्लेख अन्मता अनुसार दिल्ली की गवर्नर कर संस्थानित कीरीय प्रान प्रस्तुत किया जाए।
2. उत्तरनित 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का पुनर्माल योजना (Restoration plan) प्रस्तुत किया जाए।
3. 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में जीन और जीवों में दौधी का सौपण कर, जीवों का नामांकन एवं संरक्षण कर कोटीयापासा प्रस्तुत किया जाए।
4. एकीकृत दीर्घीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, जन एवं जलवाया परिवर्तन मंडल, नवा शायदुर कट्टल नगर से दूरी में जीरी पर्यावरणीय स्थिरता के पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
5. दिनांक 01 / 04 / 2023 से दिए गए उल्लेखन की वास्तविकता का जागराती खुगिया विकास से प्रभावित कराकर प्रस्तुत किया जाए।
6. दिनांक 10 / 12 / 2022 से दिनांक 10 / 12 / 2022 तक की आवधि का लीज सीमा की दूरी प्रस्तुत किया जाए।
7. लीज थोड़े जी निकलदाम यह लीज की वास्तविक दूरी का उल्लेख करते हुए इन विभाग, कार्यालय जनमन्दिरादिकारी से अनानंदित प्रमाण कर प्रस्तुत किया जाए।

ii. प्रतिक्रिया 7.5 मीटर और ही सीमा पट्टी में जाकर उत्तरानन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रभावावक को शिल्प नियन्त्रण नियम परिवर्तन को अप्रृष्ट बहुधारी हेतु प्रतीक्षान्वय पर्यावरण संस्थान मंडल, या राष्ट्रपुर अटल नगर को पक्ष लेख किया जाए।

प्रतीक्षान्वय पर्यावरण/इन्स्टीट्यूट प्राप्त होने वाली आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रभावावक की सदानुसार सुधार किया जाए। सभी ही एकीकृत कार्यवाही, मारक संस्कार, पर्यावरण, तथा एवं जातियांगु परिवर्तन मंत्रालय, या राष्ट्रपुर अटल नगर एवं प्रतीक्षान्वय पर्यावरण संस्थान मंडल, या राष्ट्रपुर अटल नगर को पक्ष लेख किया जाए।

- iii. गैरिहां एनएस इन्डिया) प्राइवेट लिमिटेड (ट्रिमिट-2), भारत औद्योगिक क्षेत्र, ग्राम-सरोत, तहसील-बरवीया, जिला-राष्ट्रपुर (हैंडियालय का नक्शी त्रिमांक 2501) और नियमांकन आवेदन — इन्हें नमूना — एसडीए/ सौंदरी/ आईएनडी/ 432030 / 2023 द्वारा दी.ओ.आर हेतु जाकेयन किया गया है। प्रभावावक का विवरण — परियोजना प्रभावावक द्वारा उत्तरा औद्योगिक क्षेत्र, ग्राम-सरोत, तहसील-बरवीया, जिला-राष्ट्रपुर, प्लॉट नं. 101 / 29, जलसत्र क्रमांक 411 / 3, कुल धौधरात्र-0.406 हेक्टेयर में हैंगलाहीलेहन और रि-रील फ्रैशकट्ट्स (बीमा, वीनल्स, पिल्सनी एवं गिरही फौर स्ट्रॉकली आयरन एवं स्टील) कामता-30,000 टन प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का कुल नियमितीय 3 करोड़ रुपये होगा।

राष्ट्रपुर परियोजना प्रभावावक को एसडीए/सौंदरी, प्रतीक्षान्वय के ज्ञानन दिनांक 02 / 08 / 2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सुधार किया गया।

वैधक का विवरण —

(अ) समिति की 48वीं बैठक दिनांक 10 / 08 / 2023

प्रस्तुतीकरण हेतु एवं नुकसा पार्श्वव, बायोकरिए उपलिख्त हुए। समिति द्वारा अस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं वर्तीकण करने पर निम्न सिद्धि पाई गई—

1. इस एवं यांगु सम्बन्धि —

- हावीन कार्यवाही, प्रतीक्षान्वय पर्यावरण संस्थान मंडल, राष्ट्रपुर द्वारा रि-रील फ्रैशकट्ट्स (बीमा, वीनल्स, पिल्सनी एवं निक्सी पॉर ब्रूचर्स) आयरन एवं स्टील) कामता - 30,000 मिट्रिक टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं यांगु संसाधन सम्बन्धि दिनांक 18 / 01 / 2021 को जारी की गई, जिसकी सम्बन्धि नक्शीकरण उत्तम दिनांक 31 / 10 / 2024 तक है।
- परियोजना प्रभावावक द्वारा उत्तम में स्थानित इकाईयों हेतु प्रतीक्षान्वय पर्यावरण संस्थान मंडल द्वारा जारी गम्भीर राती की यात्रा में की गई कार्यवाही की विन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि यात्रामें स्थानित इकाईयों हेतु प्रतीक्षान्वय पर्यावरण संस्थान मंडल द्वारा जारी गम्भीर राती की यात्रा में की गई कार्यवाही की विन्दुवार जानकारी उत्तीर्णगढ़ पर्यावरण संस्थान मंडल से द्वारा जार प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. शुरू-स्वामित्र - शुरू-स्वामित्र संकटी ट्रस्टोफल (शुरू-स्वामित्र) प्रस्तुत की गई, जिसकी अनुसार शुरू में सर्वांग इस्पात्र (प्राइवेट) लिमिटेड (शुरू-2) के नाम पर है।

3. सभीपत्रक सिविल किंवाकलायी संसदी याचकारी -

- सभीपत्रक जलाली धान-खेत 540 मीटर लिफ्टलेव ऐवी स्टेशन लालूजार एस. कॉलीनी ३.६ कि.मी. एवं लाली लिफ्टलेव किंवाकलायी याचकारी १८ कि.मी. की दूरी पर है। लालूज लाली ३.१ कि.मी. एवं लाली लालूज १.८ कि.मी. दूर सिविल है।
- परियोजना प्रस्तावक छाता १० कि.मी. की परियोजने के अंतर्भूतीय बीच, लालूज लाली, अभ्यासारब्द, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या प्राकृतिक विविधियां होते रही होना प्रतियोगिता किया है।

4. लेन्ज एंड प्रोसेसिंग स्टोरेज -

S.No.	Land use	Area (in SQM)	Area (%)
1.	Rolling Mill Area	1,040.00	25.88
2.	Raw Material Area	446.00	11.01
3.	Finished Products Area	410.00	10.12
4.	Parking Area	120.00	2.99
5.	Office	55.00	1.36
6.	Green Belt Area	1,620.00	40.00
7.	Road Area	250.00	6.17
8.	Open Area	109.00	2.70
Total		4,050.00	100

5. शुरू-स्वामित्र उपकरण -

S.No	Raw Material	Quantity (MTPA)	Source	Mode of Transport
1.	Billets/ Ingots	31,500	Open Market	Road

6. प्रस्तावित कार्यक्रम का विवरण निम्नलिखित है -

S. No.	Particular	Proposed
1.	Unit	Regularization of existing Rolling Mill
2.	Products	Re-rolled products – 30,000 TPA

7. वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था - प्रस्तुतीकरण के द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि कोली गोदानपात्र आवासित रि-स्ट्रिंग कॉली लॉलिंग विल व्यापारित है। पुर्जिटोर रुपर यात्रार्थीन विप्रवान हुए जल विद्युत की व्यवस्था है।

8. लॉली आपरेटिंग अपवाहन व्यवस्था - लॉलिंग विल के विल लॉली-५०० टन प्रतिघण्टे एवं एच्ज कटिंग-७०० टन प्रतिघण्टे आपरेटिंग के काम में उपयोग होता है। विल लॉली एवं एच्ज कटिंग को सभीपत्रक पटील सुधोग इकाई को विकाय दिया जाना बहुत योग्य है।

9. जल प्रबंधन व्यवस्था -

- यस सम्बन्ध में बताते – परियोजना हेतु वह टाईच बीटर किया गया इनसीटर प्रतिविदि है। परियोजना हेतु इस बीटर कुल 5 इनसीटर प्रतिविदि (ऑटोमिक रोपरोग हेतु 3 इनसीटर प्रतिविदि, घोलू रोपरोग हेतु 1 इनसीटर प्रतिविदि एवं शील बैलू एवं अलू रोपरोग हेतु 1 इनसीटर प्रतिविदि) रोपरोग किया जाता है। जल की आपूर्ति मूःजल की भी जाती है। मूःजल की उपयोगिता हेतु सेंट्रल रोपरोग बाटर ऑटोमेटी ने अनुमति प्राप्त कर लाई गई इंजिनीय रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- यस प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था – ऑटोमिक प्रक्रिया से कुलिंग उपराह जिति दूषित जल को ठंडा कर पुनः कुलिंग हेतु रोपरोग में जाया जाता है। घोलू दूषित जल के उपराह हेतु ऑटोमेटिक हैक एवं शील बीटर उपयोग है। कून्ड निस्तारण की लियी रखी जाती है।
- मूःजल रोपरोग ब्रॉकन – परियोजना क्षमता सेंट्रल रोपरोग बाटर बोर्ड की अनुमति द्वारा एवं नियम उल्लेख को जम से जम 50 प्रतिशत दूषित जल का प्राप्तकरण एवं पुनरुत्थापण किया जाना है।
 - (अ) ब्रॉकन एवं नियम उल्लेख को जम से जम 50 प्रतिशत दूषित जल का प्राप्तकरण एवं पुनरुत्थापण किया जाना है।
 - (ब) प्राप्तकरण बाटर रिपोर्ट हेतु जमनाई वह लकड़ी का या रेनवाटर इंटीटर / ऑटिफिशियल जल रिपोर्ट के अन्वार पर मूःजल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल रोपरोग बाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्राप्तवान है। अतः उद्योग द्वारा परियोजना में रेनवाटर इंटीटर व्यवस्था की प्राप्ता आवश्यक है।
- ऐन बीटर रोपरोग व्यवस्था – ऐन बीटर रोपरोग व्यवस्था की विकृत विवरण/प्राप्तकारी जाइफल इंजिनीय रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- 10. विद्युत आपूर्ति बजेता – परियोजना हेतु कुल 3 बैगावीट विद्युत की आवश्यकता होती है। विद्युत की आपूर्ति छह लीलागढ़ रोपरोग विद्युत वितरण कार्पोरेशन लिमिटेड से की जाती है। समिति जल महि है कि विकल्पिक व्यवस्था हेतु दोनों सेट बौमिकरणरेशन एवं विकारी जी लैंबाई की वायप में जानकारी जाइफल इंजाई एवं रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- 11. वृक्षारोपण संबंधी जानकारी – हासित चंद्रिटका की विवाह हेतु जूल हेत्तपल के 0.162 हेक्टेयर (40 लीलागढ़) भौमि में 40% जल भौमि का वृक्षारोपण किये जाने का प्रश्नावाद दिया गया है। समिति जल महि है कि वृक्षारोपण हेतु (भौमि की जाला जाहिर) भौमि का रोपण जूला हेतु जीसिंग बाव एवं शिकाई लकड़ रख-रखाव की लिए 5 वर्षी वह चंद्रिट चंद्रिट एवं रामवद्वार व्यवय का विवरण लिखित विद्युत प्रश्नावाद जाइफल इंजाई एवं रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- 12. प्रस्तुतीकारण के दीर्घन परियोजना प्रस्तुतावक द्वारा कात्ता गया कि केसलाईन आटा कलेजान जा जाए 01 मार्च 2023 से 31 मई 2023 के बाय किया गया है।
- 13. मालत रामवद्वार, पर्यावरण, जन एवं प्राप्तवायु परियोजने में जाताय, नई वित्ती द्वारा जारी ऑपरेशन जनाना जाइफल 3250(3)(i), दिनांक 20/07/2022 की अनुमति ‘The Central Government hereby directs that all the standalone ro-roiling units or cold rolling units, which are in existence and in operation as on the date of this notification, with valid Consent to Establish (CTE) and Consent to Operate (CTO) from the concerned State Pollution Control Board or the Union territory Pollution Control Committee, as the case may be, shall

apply online for grant of Terms of Reference (ToR) followed by Environment Clearance and the said units shall be granted Standard Terms of Reference as per item 3(a) of the said notification and shall be exempted from the requirement of public consultation.

Provided that the application for the grant of T.o.R. shall be made within a period of one year from the date of this notification. यह नोटिफिकेशन से एक वर्ष की अंदर इसका आवादमन किया जाना चाहिए।

समिति द्वारा विकास विभागी संपर्कोत सर्वेश्वर्मणि से बाल वासनाद, पर्यावरण, कम से कम जलवाया परिवर्तन मंजूरीदार नहू दिल्ली द्वारा जारी अधिकारका क्रमांक वाला ३५४०५१८)। विनांक ३३/०७/२०२२ के अनुसार स्टैफर्ड हम्ले और रिपोर्ट (टॉकोव्हार) को इंडिएए./इंग्लैण्ड परिवेश प्रोटोकॉल/एकटीमिटीज रिवायरिंग हन्नायरमेट कलीपरेस अपनार है अबू.प. नोटिफिकेशन २००६ ने अंतिम बिनी अ(१) का स्टैफर्ड टॉकोव्हार (यिना लोक सुनवाई) मेटालरिंगल हप्पलस्ट्रीट (प्रेस एवं नीन-प्रेस) हांग विल अतिरिक्त टॉकोव्हार के बाब्त यारी किये जाने की अनुशासा की गई।-

- i. Project proponent shall submit the plant layout plan with XML file.
 - ii. Project proponent shall submit certified compliance report from Chhattisgarh Environment Conservation Board of air and water consent.
 - iii. Project proponent shall submit air pollution control arrangement alongwith stack height details and pollution emission level calculation.
 - iv. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.
 - v. Project proponent shall submit the annual audited balance sheet of last financial year.
 - vi. Project proponent shall submit details of DG set alongwith stack height calculation.
 - vii. Project Proponent shall submit the details of coal gasifier along with its capacity use in reheating furnace.
 - viii. Project proponent shall submit the details of phenolic water generation and its disposal facility / mechanism.
 - ix. Project proponent shall submit details of air pollution control equipments with stack height calculation and pollution emission level calculation.
 - x. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
 - xi. Project proponent shall submit the copy of panchnams and photographs of every monitoring station.
 - xii. Project proponent shall submit the Central Ground Water Authority NOC for uses of water.
 - xiii. Project proponent shall submit data of the quantity of ash generated from coal burning and the drainage system.
 - xiv. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rainwater harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.
 - xv. Project proponent shall submit details of Traffic impact study report.

- xvi. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xvii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02-08-2017.
- xviii. Project proponent shall submit the details of plantation undertaken during the current year & shall submit the details of proposed plantation incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.
- xix. Project proponent shall submit CER proposal of atleast 1.5 times the slab given in the OM dated 01.06.2018 for SPA and 2 times for CPA.
- xx. Project proponent shall submit CER proposals of plantation with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

एवं जारी वर्तमान प्रभाव अनुसन्धान योजना (एसईआईए) के अनुसार सुनिश्चित किया गया है।

3. ऐसी जिव रिप्ल इस्पात प्रार्थित लिमिटेड (एमीडी-2), शास्त्र-ज्ञानीय, राहगील-परसीया, विला-पांचनुर (सरकारीत्व का नमौली क्रमांक 2002)

जीवनसाधन आवैदन - प्रपोज़िट नाम - एसईआईए/ जीजी/ आईएनडी/ 432073 / 2023, दिनांक 03 / 06 / 2023 द्वारा दी.ओ.आर. हेतु आवैदन किया गया है।

प्रभाव का विवरण - यरियोजना असाधारण द्वारा शास्त्र-ज्ञानीय, राहगील-परसीया, विला-पांचनुर, खाली जमाना 422 / 1, 423 / 2, 424, 425 एवं 426 / 1, कुल संतरफल-2.42 हेक्टेयर, ऐसुलाईजीसन ऑफ बि-टी-एस फॉर्म फ्रॉन्टेन्स अमला-30,000 मिट्रिक टन प्रतिवर्ष हेतु आवैदन किया गया है। यरियोजना का कुल विनियोग 2.88 करोड़ रुपये होगा।

उदानुसार यरियोजना असाधारण की एसईएसी, असाधारण की आपान दिनांक 02 / 08 / 2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सुनिश्चित किया गया।

वैठक का विवरण -

(a) समिति की 450वीं बैठक दिनांक 10 / 08 / 2023

प्रस्तुतीकरण हेतु भी कौशिक पटेल, अधिकृत प्रतिनिधि उपरिवेश सूर। समिति द्वारा नहीं, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न विवरण पाई गई-

1. यस दृष्टि बाहु जानकारी -

- संतोष कार्यालय, असाधारण जानकारी निवाले, राघुनुर द्वारा बि-टी-एस फ्रॉन्टेन्स (बि-इफ्फेक्ट्स फॉर्म) कम्पनी - 30,000 मिट्रिक टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं चाम्प शोखलन जानकारी दिनांक 10 / 08 / 2020 की जारी की गई जिसकी विवरण संवालन प्रारंभ नहीं की जायेगी एवं दिनांक 12 गांव की जानकारी

लक है। समिति का यह है कि वर्तीय संवादन संसद की जनकानी प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा जांचामान में स्थापित इकाईयों द्वारा उत्तीर्णगढ़ पर्यावरण संबंध में बहुत द्वारा जारी जानकारी की गई थी कार्बनाती की दिन्दुपार जानकारी प्रस्तुत नहीं थी गई है। समिति का मत है कि वर्तीमान में उत्तीर्णित इकाईयों द्वारा उत्तीर्णगढ़ पर्यावरण संबंध में बहुत द्वारा जारी जानकारी की गई कार्बनाती की दिन्दुपार जानकारी उत्तीर्णगढ़ चयनिका संसद में द्वारा द्वारा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- 2. शू-उत्तीर्णित – इससे भूमि जांची दसावेद अनुसार भूमि जी जांची पटेल की ताक था है। समिति द्वारा पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जीनलाईन आवेदन एवं क्षेत्रीय कानूनीत्य, उत्तीर्णगढ़ पर्यावरण संबंध में बहुत द्वारा जारी सम्भाली जानीचाहत नीतीनीकरण में जासरा जानाक 422/1, 423/2, 424, 425 एवं 426/1 का उल्लेख है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जीनलाईन आवेदन में जासरा जानाक 422/1, 423/2, 424, 425 एवं 426/1 का कुल क्षेत्रकाल 3.42 हेक्टेयर कारबाह गया है, जबकि क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा जारी जानकारी नीतीनीकरण में जासरा जानाक 422/1, 423/2, 424, 425 एवं 426/1 का कुल क्षेत्रफल 1.955 हेक्टेयर का उल्लेख है। समिति द्वारा यह भी बताया गया कि उल्लं जांचारी की अनुसार प्रस्तुत भूमि जांची दसावेदी में उत्तीर्णित क्षेत्रफल में विवरण है। समिति का मत है कि उपरोक्त विवरणिती के संबंध में भूमि उत्तीर्णिती की पुष्टि बाबत उत्तीर्णगढ़ पर्यावरण संख्या भवत एवं परियोजना प्रस्तावक को भूमि दसावेदी की पुष्टि बाबत परं तेज़ लिये जाने की अनुरक्षा की जरूरी। साथ ही यह भी कहा है कि उत्तीर्णित क्षेत्रफल एवं जांचारी में विवरण द्वारा प्रस्तुत जीनलाईन आवेदन में विवरण किया जाना संभव नहीं है।
- 3. जांची दसावेद विवरण जिसकी जांचारी जानकारी से परियोजना प्रस्तावक की आवेदन की डि-लिस्ट / निरसा गिरे जाने की अनुसंधान की गई तथा ईडाईए, नोटिफिकेशन 2008 (विवा जांचीवित) के लक्ष्य वालन करते हुए पूर्ण आवेदन जारी की अनुरक्षा की गई। साथ ही उपरोक्त जांचारी के परिवेद में उत्तीर्णगढ़ पर्यावरण संख्या भवत एवं परियोजना प्रस्तावक को भूमि दसावेदी की पुष्टि बाबत परं तेज़ लिये जाने की अनुरक्षा की जरूरी। राज्य सहीय पर्यावरण प्रमाण आकाशन प्राधिकरण (एसआईआईएए), उत्तीर्णगढ़ की लागूनुसार जुरीत विवा जाए।
- 4. ऐसर्व विनायक आवरन एवं स्टील फ्लॉरट्रॉफ, जाम-पाली, लाइसील व जिला-लायगढ़ (संविवालय का नम्रता ज्ञानाक 1746)

जीनलाईन आवेदन – यूरोपीय उत्तीर्ण नम्रता – एसआईए/ सीजी/ आईएनी/ 85904 / 2021, दिनाक 22/07/2021 द्वारा दीजीवार हेतु आवेदन विवा जाया जा। जीनामान में प्रयोजन सम्बद्ध – एसआईए/ सीजी/ आईएनी/ 432126 / 2022, दिनाक 05/08/2022 द्वारा पर्यावरणीय नीतिकृति प्राप्त करने के लिए वार्डनिल ई-आईए रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्तावक का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा जाम-पाली, लाइसील व जिला-लायगढ़ विवा जासरा जानाक 29/2, 29/1, 29/3, 29/4 एवं 29/5, कुल

क्षेत्रफल – 5.53 हेक्टेर (13.27 एकड़ी) में ग्रीष्मावली प्लॉट (स्वास्थ्य आवास) क्षमता – 62,700 टन प्रतिदिन (25 टन ग्रीष्मावली गुणा 3 नव), छव्वासुरावासी आवासीय पीपर प्लॉट क्षमता – 8 ग्रीष्मावली (13.2 टन प्रतिदिन गुणा 3 नव) एवं एक बीमी आवासीय पीपर प्लॉट क्षमता – 8 ग्रीष्मावली (36 टन प्रतिदिन गुणा 1 नव) की क्षमता के लिए पर्याप्तरीय सीधार्हि हेतु अन्वेषण किया गया है। परियोजना की कुल क्षमता 110 करोड़ होती।

पूर्व में एसईएसी घट्टीसगढ़ को द्वारा प्रबलग 'बी' कोटेज सीधा होने की कारण खलसा रखकर, पर्याप्तरीय क्षमता आवासीय द्वारा अद्वितीय, 2016 में प्रकाशित कटौतीवाले टम्ही औफ रिफरेंस (टीआरआर) पीपर है आईए.ई.एन.पी. लिंकेट पीपर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज विकासिंग इन्डियन्स लीमिटेड आपहर है आईए.ई.एन.टिक्सिकलन, 2006 में समिति भेजी 3(ए) का स्टेप्सहैट टीआरआर (तोक सुनवाई सहित) बेटालमिंवन्स इण्डस्ट्रीज (फैसल एप्ल नीन लैट्स) हेतु दीभीआर. पर्याप्तरीय किया गया है।

द्वारा नुस्खा परियोजना व्यवायक को एसईएसी. घट्टीसगढ़ के बड़े दिनांक 03/08/2023 द्वारा प्रत्युत्तीकरण हेतु शुरू किया गया।

वैश्वक का विवरण –

(अ) स्थिति की 400वीं बैठक दिनांक 16/08/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु शी नूरेश चूमार आदाकाल बाटून एवं पर्यावरण सलाहकार के काम में सेवानी चाहीं इन्डियानी लैबोरेटरी द्वारा प्राइवेट लिमिटेड. उत्तराखण्ड की ओर से शी नूरेशकर रेखदी उपस्थित हुए। समिति द्वारा महती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर विषय विधि पाई गई:-

1. निकटवर्ती विधायकालीन संसदीय जानकारी –

- निकटवर्ती जानकारी राम-पाली 300 मीटर की दूरी पर स्थित है। निकटवर्ती रेलवे बैंकान लिंकेशीनल नगर 7.5 किमी की दूरी पर स्थित है। रामपाली 2.8 किमी दूर है। बेस्टो नदी 2.5 किमी. दूर है।
- परियोजना प्रकाशायक द्वारा 10 किलोमीटर की परिमि में झोलौखीयीय रीवा, राष्ट्रीय राष्ट्रान, अभ्यासालय, प्रातिरिधिकारीय सरिङ्गनहील बंज वा चोमिल औरविधिया क्षेत्र नहीं होना प्रतियोगिता किया है।
- दर्दना आरक्षित वन 900 मीटर ऊपरी आरक्षित वन 2.3 किमी, राष्ट्रीय कारक्षित वन 2.6 किमी. एवं बद्धावाल आरक्षित वन 3.2 किमी. की दूरी पर है।
- जलवा संरक्षित वन 1.7 किमी, खारिंदुगानी संरक्षित वन 3.6 किमी, दुगावानी संरक्षित वन 4.4 किमी, केन्द्रादुगानी संरक्षित वन 5.5 किमी, परिता संरक्षित वन 6.3 किमी, पूजीपाला संरक्षित वन 6.6 किमी, विरामानी संरक्षित वन 7.1 किमी, जुन्यानी संरक्षित वन 7.8 किमी, एवं व्यावर संरक्षित वन 8.7 किमी. की दूरी पर है।

2. लेखक द्वारा बटोरीनी –

S.No.	Land use	Area (In Ha.)	Area in %
1.	Plant Area	1.20	21.8
2.	Raw Material Storage yard	0.50	9.0

3.	Product Storage yard	0.40	7.2
4.	Solid Waste Storage yard	0.30	5.4
5.	Internal Roads	0.50	9.0
6.	Greenbelt Area	1.83	33.0
7.	Water Reservoir and RWH	0.10	1.8
8.	Parking Area	0.70	12.6
	Total	5.53	100

3. यू-स्पारिंग - यु-स्पारिंग में सेरीज विनियोग आवश्यक एवं उत्तीर्ण उत्पादन की नाम पर है। यू-स्पारिंग द्वारा भी प्रति इक्यूट की गई है। विसकी अनुदान की तरह युग्मात्र अधिकार की युक्ति लाल अधिकार एवं भी यू-स्पारिंग अधिकार अधिकार पाठीना है।

4. खंड-प्रतिरिप्रेशन -

S.No.	Raw Material	Quantity (in TPA)	Sources	Mode of Transport
1.	DRI Kiln (Sponge Iron) - 62,700 TPA			
a)	Iron ore	1,00,320	Balasore, Odisha NMDC, CG	By Rail & Road (Through Covered Trucks)
b)	CO ₂	Indian	81,510	SECL CG / MCL Odisha
		Imported	52,156	Indonesia / South Africa / Australia
c)	Dolomite	3,135	Raigarh	By Road (Through Covered Trucks)
2.	FBC Boiler (Power Generation) - 8 MW			
a)	Indian Coal	53,400	SECL CG / MCL Odisha OR	By Rail & Road (Through Covered Trucks)
b)	Imported Coal	34,268	Indonesia / South Africa / Australia OR	Through Sea Route / Rail / Road
c)	Dolochar	18,100	In Plant Generation	Through Covered Conveyors
	Indian Coal	44,055	SECL CG / MCL Odisha OR	By Rail & Road (Through Covered Trucks)
d)	Dolochar	18,100	In Plant Generation	Through Covered Conveyors
	Imported Coal	24,863	Indonesia / South Africa / Australia	Through Sea Route / Rail / Road

5. उत्पादित इकाई की संकी जानकारी -

S. No.	Unit (Product)	Capacity
1.	DRI Plants (Sponge Iron)	2 x 95 TPD (62,700 TPA)
2.	Power Plant	8 MW (2 x 13.5 TPH)

(नियोजित)	FBC Based	8 MW (1 x 8 MW)
-----------	-----------	-----------------

6. वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था – परियोजना हेतु डीआरआई फिल्म के साथ बहल्य एथार्सी अमरीका बीवर चॉट में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु एलेक्ट्रो इंट्रिक एंपियिटर (E&P) स्टॉटिंग किया जाना प्रस्तावित है। एकमीसी बीबलर में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु एलेक्ट्रो इंट्रिक एंपियिटर (E&P) स्टॉटिंग किया जाना प्रस्तावित है। सभी द्रामपर बीडब्ल्यूएस, अशिंग इकाई, आदि वी होने वाले मूल उत्पादन के नियंत्रण हेतु इसी एलेक्ट्रो इंट्रिक एंपियिटर की साथ बैग नियंत्रण की उत्पादन किया जाना प्रस्तावित है। सभी विनियोग से पार्टिक्युलेट नेटर का उत्पादन 30 लिंगिशम/शामान्य एनबीटर रखा जाना प्रस्तावित है। इसली, बी उत्पादन की गाड़ी में कमी लाने हेतु स्टॉट इनजेट के पहले लाईम औरिंग इकाई स्टॉटिंग की जाएगी। एनओएक्स (NOx) बार्ग में कमी हेतु लैन बल्टीय उत्पादन, पर्सु गैस रिसरवेन्युलेशन एवं बीटी बल्टीय उत्पादन कंट्रोल व्यवस्था का उपयोग किया जाएगा। विनी की ऊपरी की गणना कर जानकारी प्रस्तुत की गई है। विनी अनुसार डीआरआई फिल्म हेतु प्रस्तावित विनी की ऊपरी 50 मीटर रखा एकमीसी बीबलर हेतु प्रस्तावित विनी की ऊपरी 60 मीटर रखा जाना प्रस्तावित है।

7. ऊपर अधिकृत अपवाहन व्यवस्था –

Waste	Quantity (In TPA)	Disposal
Ash from DRI Kiln	11,285	Will be given to brick manufacturers
Dolochhar	18,180	Will be used in FBC power plant as fuel
Kiln Accretion Slag	564	Will be used in road construction and given to brick manufacturer
Wet Scrapper Sludge	2,884	Will be used in road construction and given to brick manufacturer
Ash from power plant (with Indian coal + dolochhar)	31,110	Ash generated is being given to cement Plants / brick Manufacturers

8. जल उत्पादन व्यवस्था –

- * जल उत्पादन एवं स्वीप – परियोजना हेतु मूल 340 मनमीटर जल प्रतिदिन (डीआरआई फिल्म में 50 मनमीटर प्रतिदिन, बीवर चॉट में 280 मनमीटर प्रतिदिन (युनिन टीवर मेंकाय में 135 मनमीटर प्रतिदिन, बीबलर मेंकाय में 101 मनमीटर प्रतिदिन एवं बीएम रिकार्डेशन में 44 मनमीटर प्रतिदिन)) जला उपयोग हेतु 10 मनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। भू-जल जल की उपयोगिता हेतु बीम्टल बाह्यक बीटर अवौरिटी के 340 मनमीटर प्रतिदिन हेतु अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाया है, जिसकी फैला दिनांक 25/05/2025 तक है।

- * जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था – औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल राखना होगा। डीआरआई फिल्म से उत्पन्न जल को ठोक कर पुनर कुमिन (Closed circuit cooling system) हेतु उपयोग में लाया जाएगा। प्रस्तावित बीवर चॉट की दूषित जल की गाड़ी 114 मनमीटर प्रतिदिन (बीवर चॉट से 108 मनमीटर

प्रतिवेदन (सुनिश्च टीवर जीवान्तम से 34 अनमीटर प्रतिवेदन जीवान्तर वलीजालम से 28 अनमीटर प्रतिवेदन एवं जीएच रियलरेलन से 44 अनमीटर प्रतिवेदन) जूहा औरेट्री उपकार से 8 अनमीटर प्रतिवेदन) पाइन होगा। औरोरिका दृष्टित जल के उपयोग हेतु इटीपी (न्यूट्रिलर्जेशन रिफ्ट्स) जूहापिता किया जाना प्रस्तावित है। औरोरिका जल से जलन् दृष्टित जल की जला 8 अनमीटर प्रतिवेदन हीरी, जिसके उपयोग हेतु एवबीवीआर जाकरीक जूहापिता लीवेज हीटमेट ब्लाट (जिमता 8 अनमीटर) की उपयोग प्रस्तावित है। जूहा जिवान्तर की विधति रखा जाना प्रस्तावित है।

- * भू-जल संपर्कोंग प्रक्रम – परियोजना जल लीटल घास्त याटर बोर्ड के अनुसार यह जल में आता है। जिसके अनुसार-
 - (अ) पूर्व एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 40 प्रतिशत दूषित जल का पुनर्व्यवहार एवं पुनरुत्पन्न किया जाना है।
 - (ब) ग्राम्य याटर नियां हेतु अपनाई गई जाकरीक जल रेनवाटर हार्डिंग / आर्टिकिलियल जल रियाई के अन्तर पर भू-जल विवाहों जाने की अनुमति लीटल घास्त याटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का आवश्यक है। आवश्यक को रेनवाटर हार्डिंग जावस्था किया जाना आवश्यक है।
- * ऐन बीटर हार्डिंग अवलम्ब – उद्योग परियोजना में यही के बारी का जूल अंतर्गत 39,942.03 अनमीटर है। ऐन बीटर हार्डिंग अवलम्ब के अंतर्गत 12 नव रियाई रुक्काव (जाना 4 बीटर एवं जहाँहाई 2.4 बीटर) विधित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित ऐन बीटर हार्डिंग अवलम्बा परियोजना परियोजना के दूरी जाकरीक को रियाई किया जा सकेगा। जानी रियाई रुक्कावों द्वारा प्रकार विनियत किए जाएंगे कि इनमें सबन्न माजा में यही जल का अनुद भी रहें।
- 9. विद्युत आपूर्ति रक्षण – परियोजना हेतु 2.4 मेगावीट विद्युत की आवश्यकता होती है। अन्तर्काल फेज की दौरान विद्युत की आपूर्ति उत्तीर्णगढ़ राज्य विद्युत विभाग कानूनी विनियोग की जाती है। प्रस्तावित अवलम्बाय के दौरान विद्युत की आपूर्ति रक्षण एवं अन्तर्कालीन आपूर्ति 14 मेगावीट (एकमीली आपूर्ति 8 मेगावीट एवं अप्प्युर्कालीन आपूर्ति 6 मेगावीट) से ही जाती है।
- 10. ग्राम्यपाल बोर्डी जानकारी – प्रस्तावित परियोजना से हानित बट्टियों के लियां जल हेतु जूल उपयोग 1.83 बोर्डियर (33 बोर्डियर) बोर्ड में विभिन्न लोकित विवाह जाना प्रस्तावित है। प्रस्तुतीकरण की दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित उद्योग परियोजना की जारी ओर 15 बीटर की बीटाई से जूलान्तरण किया जाएगा। कानूनी का मत है कि योगी का संपर्क (30 प्रतिशत बीटर दर जाहिर), सुखा हेतु लंकिंग, खाद एवं रियाई जल रक्षण के लिए 5 वर्षी का धट्कावार जाय का विवरण सहित इसका प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- 11. ईआईए रिपोर्ट का विवरण –
 1. जल कर्द वायु लाइ ग्रुपला बोर्डी जानकारी – मॉनिटरिंग कार्ड 15 अक्टूबर 2021 से 15 जनवरी 2022 के नव किया गया है। 10 विसोरीटर के अंतर्गत 8 जलनी पर परियोजना वायु ग्रुपला यापन, 8 जलनी पर भू-जल ग्रुपला यापन, 8 जलनी पर व्यवि जलर यापन, 2 जलनी पर साती जल ग्रुपला यापन, 8 जलनी पर गिर्दी के नमूने एकलिंग कर विस्तैयक किया गया है।

ii. मौजिलीवाले परियोजना की अनुसार वीएस, एसडी, एसडी, का सान्दर्भ लेवल-

Concentration level ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Maximum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CPCB Standard ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
PM _{2.5}	22.5	52.5	60
PM ₁₀	48.6	87.5	100
SO ₂	11.9	26.9	60
NO ₂	13.8	39.3	80

- iii. परियोजना स्थल के असाधारण जल स्रोतों की स्थापत्ता- इंजिनियर के Chapter Description of environment में वर्णिये गये ईंधन अनुसार पहलोनाइट्रस, बायट्रेट्रल, जल्यार, अमीनोइट्रस, लैक, आर्सेनिक एवं अन्य खाद्यानुक्रिय तत्त्वों का सान्दर्भ लेवल भासीय मानक से कम है।

- iv. परियोजनीय जलीय स्थल-

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise Level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L _{dn}	45.2	55.9	75
Night L _{dn}	37.1	43.8	70

जो उच्चतम श्रेष्ठ के नियोजित मानक स्तर से कम है।

- v. पी.सी.ए. की वर्णना- यारी बाहनों / बल्टीएवशल इंजी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैकिंग अवधारण रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तीवाम में 794 पी.सी.ए. प्रतिवर्षा है। इसाधित परियोजना संपर्कता 40 पी.सी.ए. की सुन्दरी होती। अवधारण कुल 834 पी.सी.ए. प्रतिवर्षा एवं की/सी अनुपात (W/C ratio) 0.556 होती। जिसापर कुल 49 लैक्ट्रो-एवेंजरी/119 नक्सा संयुक्त दिनांक 21/08/2022 के प्राप्त अपवी 49 लैक्ट्रो (5 वर्ष में) की वर्षा प्राप्ती वाहनों वीजना के अनुसूचित संपर्कता प्रस्तुत की गई है। वर्षा प्राप्ती संख्यागत बोजना में प्राकाशनित रातीं संघर्ष 49 लैक्ट्रो (5 वर्ष में) एकलक्षत वर्षा करने हेतु परियोजना प्रस्तावक की आदेशित किया गया है। समिति वर्ष नहा है कि अन्यायानीयों के संख्यागत हेतु उपयोग पाय पर्याप्त बोजना की वर्ती बहुत कम प्रतीक्षा हो रही है, तुरंत, जल्दी एवं पंचम वर्ष में रहित बहुत ही कम प्रस्तावित है, जिसे और बढ़ाया जाये। वर्ष हीना के संबंध सुलोग स्थानों से इनको लिस्टम को जितना सात वर्षावाल जागता है, उसकी भवाई नहीं की जा सकती जिस भी प्रतिक्षेप इसाधित रातीं, कुल ओवेक्ट लागत को सुनिश्चित रखते हुये अन्यायानी संख्यागत कार्यों की आवश्यकता के अनुकूल हो। इसाधित लैक्ट्रो संख्यागत अवलोकन एवं संरक्षित गर्ने की जिता हुआ है और यह वर्ष, हाथियों लाने वाले वर्ष प्राप्तीयों के स्थानीय अवधारण एवं सहवास संबंध है, जहाँ गाईये अन्यायानी जास्तीय पाती है। जिसी उद्दोग की आवृ वर्ष से कम 30 वर्ष नहीं गई है। इससे अधिक भी ही बाकी है। यह उद्दोग 24 घण्टे और जर्बियर कार्यस्थल रहेगा। इसकी फलस्वरूप वर्धीकरण पर प्रभाव भी सात वर्षा रहेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा

12. अन्यायानी संख्यागत बोजना – 10 जिलोगीटर की वरिष्ठि में हाथियों का संख्यागमन होना वाही जाने के बारेम कार्योंतर अध्यान गुरुत्व वाल संस्कारक (अन्यायानी एवं विविधिका संख्यागत) सह गुरुत्व अन्यायानी अभियानक फै जानेवा प्रामाणक वाप्रा./प्रक्षेत्र-375/119 नक्सा संयुक्त दिनांक 21/08/2022 के प्राप्त अपवी 49 लैक्ट्रो (5 वर्ष में) की वर्षा प्राप्ती वाहनों वीजना के अनुसूचित संपर्कता प्रस्तुत की गई है। वर्षा प्राप्ती संख्यागत बोजना में प्राकाशनित रातीं संघर्ष 49 लैक्ट्रो (5 वर्ष में) एकलक्षत वर्षा करने हेतु परियोजना प्रस्तावक की आदेशित किया गया है। समिति वर्ष नहा है कि अन्यायानीयों के संख्यागत हेतु उपयोग पाय पर्याप्त बोजना की वर्ती बहुत कम प्रतीक्षा हो रही है, तुरंत, जल्दी एवं पंचम वर्ष में रहित बहुत ही कम प्रस्तावित है, जिसे और बढ़ाया जाये। वर्ष हीना के संबंध सुलोग स्थानों से इनको लिस्टम को जितना सात वर्षावाल जागता है, उसकी भवाई नहीं की जा सकती जिस भी प्रतिक्षेप इसाधित रातीं, कुल ओवेक्ट लागत को सुनिश्चित रखते हुये अन्यायानी संख्यागत कार्यों की आवश्यकता के अनुकूल हो। इसाधित लैक्ट्रो संख्यागत अवलोकन एवं संरक्षित गर्ने की जिता हुआ है और यह वर्ष, हाथियों लाने वाले वर्ष प्राप्तीयों के स्थानीय अवधारण एवं सहवास संबंध है, जहाँ गाईये अन्यायानी जास्तीय पाती है। जिसी उद्दोग की आवृ वर्ष से कम 30 वर्ष नहीं गई है। इससे अधिक भी ही बाकी है। यह उद्दोग 24 घण्टे और जर्बियर कार्यस्थल रहेगा। इसकी फलस्वरूप वर्धीकरण पर प्रभाव भी सात वर्षा रहेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा

प्राकृतिक वन्यजन में 5 वर्षों की वन्यप्राणी संख्या बीजना हैंपार तक प्रस्तुत की गई। उसमें प्राप्त उद्दीग की जाय (30 वर्ष) तक प्रत्येक 5 वर्ष में "सुनाइयों वन्यप्राणी संख्या बीजना हैंपार कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। ताकि वन्य प्राकृतिकों के वन्यास बनी बोरे उद्दीग के निटटी, जल, जाय, खनि एवं उद्दास की प्रदूषण अनियंत्रित प्रतिकूल प्रभावों से एवं उद्दीग अनियंत्रित वन्यप्राणीक दबावों ने सहीत किया जा सके। उद्दीग जनिया वन्यास छड़ने से जनजीवी में आग लगने की घटनाएँ भी होती हैं।

वन्यप्राणीयों की समुचित सुखा, वान्यास, शक्तिम एवं उनके वन्यास का संख्याग पर्व प्रशंसन एक बार (one time) किये जाने वाला कार्य नहीं है और न ही यह उद्दास 5 वर्ष का कार्य है। इन्होंने यह सतत किये जाने वाले कार्य है और जब वन्यप्राणीयों का वन्यास औद्योगिक प्रदूषण से वन्यास प्रस्तुतिल हो जाता हो तो और अधिक गहन वन्यासीय संख्या एवं प्रशंसन (Intensive Wildlife Conservation and Management) की जाता आवश्यकता होती है। इसी तरह प्रदूषित वन्यावरम में उनके रहनास की भी गहन वन्यास एवं प्रशंसन (Intensive Habitat Protection, Conservation & Management Plan) जीवन्या की जाता आवश्यकता होती है।

दीर्घ अवधि की वन्यप्राणी संख्या बीजना की जाता है दीर्घ अवधि की प्रदूषितीय सीमाओं दिया जाना चाहिए नहीं होगा। इसीके 5 वर्ष पूर्ण होने के एक दर्व पूर्व आगामी 5 वर्षों के लिए "समुचित वन्यप्राणी संख्या प्रशंसन बीजना" हैंपार कर लिखित रूपम दस्तिकही से अनुमोदन प्राप्त तक संख्या बीजना की जाती ज्ञान मुख्य बन सकता (वन्यप्राणी) एवं मुख्य वन्यप्राणी अभियास उत्तीर्णगढ़ के वशार्थी उपरोक्त "कल्प लीना फंड (State CAMPA Fund)" में जमा जाएगी। इस आवश्य का वापर वाप (Ampava) परियोजना प्रस्तावका प्राप्त प्रस्तुत किया जाए। इसके पश्चात ही आगामी वार्षिकी किया जाना जानव होगा।

13. लोक सुनाई दिनांक 11/01/2023 प्रातः 11:00 बजे क्षयाम – बोजाई भाड़ी के वार्षीय का गिराव दाम–लकड़ीगाल, लहसील–दरखोड़ा, जिला–समन्वय में संपन्न हुई। लोक सुनाई इसकाना सदृश्य संविध छातीसगढ़ वर्धीवल्ल शंखाम गड़ल, नदा दामपुर अटल नगर, जिला–समन्वय के यत्र दिनांक 23/03/2023 हाला घोषित किया गया है।
14. जनसुनाई के दीर्घान 300–400 लोग लपरिवत हुये। उपरिक्त ही जनसुनाई द्वारा प्रस्तावित उद्दीग का साक्षात् किया गया है।
15. लोक सुनाई गिरी के पूर्व लिखित रूप से 8 अनुमोदन प्राप्त हुये हैं। जिसमें गिरा सुनाई/विद्यार प्रस्तुत किये गये हैं—
 1. प्रस्तावित उद्दीग से आस–पास के मानस्य वृक्षों के तालाबी/ठोंडी वालाक्षय ठोंडे में दृश्यप्रत्यक्ष पड़ेगा।
 2. इस उद्दीग द्वारा वन्यासीय लोगों को काई दुखनाल नहीं दिया गया है और ना किसी प्रकार का विवाह संहार में खाते किया गया है। उद्दीग से निवाजने वाली प्रदूषण से खोत बर्दीय हो गया है।

लोक सुनाई के दीर्घान जड़ावी की गिरिन मुदहो के निवाजनग की जिता वै परियोजना प्रस्तावकों की ओर से लापत्तिप्रतिनिधि/कंसलटेट का वयन निम्ननुसार है—

- कंपनी नहीं 2.5 किमी, समिक्षण तात्पर्य 4.4 किमी, एवं बैरबांगी वाला 2.6 किमी, जो दूरी पर है प्रस्तावित ग्राम से और नहीं जाना नहीं चाहता है।
- उद्धोग में यात्रा प्रदूषण के रोकथान के लिए एलेक्ट्रो स्टेटिक ऐक्सिपिटेवर क्षमता विकास जाना प्रस्तावित है, जिसके पार्टिकुलेट बैटर उत्तर उत्तराखण्ड की जाता 30 नियन्त्रित/नियन्त्रण चानमीटर से कम स्तरीय चालती। औद्योगिक दूषित ग्राम के उत्तरांश इन द्वितीय क्षमता विकास जाना प्रस्तावित है। ये सूखे दूषित ग्राम के कारण इन द्वितीय बैटर उत्तर उत्तराखण्ड विकास जाना प्रस्तावित है। युवा नियन्त्रण की विधि यही आएगी।

समिति का मत है कि स्थानीय लोगों को बीजगार दिये जाने के संकेत में विश्वात जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

- फौरेंट वर्द्धकारी दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के सभी विकास से जुड़े विभिन्न विभागों प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

Additional Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
11,000	Up to 100 Crores 2% & 100 Crores to 500 Crores 1.5%	215	Following activities at, Village- Pali, Chiraipani & Lakha	

- बीईआर के अंतर्गत “इको-पाली निर्माण” के तहत परियोजना प्रस्तावक द्वारा यात्रा विवाहित लाला के समिति यात्रा विवरणी के तहत त्रिमाह 12 सेप्टेम्बर 3.407 हेक्टेयर एवं यात्रा विवाहित त्रिमाह 204 सेप्टेम्बर 17.244 हेक्टेयर क्षेत्र में इको-पाली निर्माण हेतु जाहाजी पत्र प्रस्तुत की गई है। यात्रा ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा यात्रा विवाहित उद्देश्य के आधिकारिक यात्रा पाली के त्रिमाह 18 द्वारा 24 फूल हेक्टेयर 6.487 हेक्टेयर क्षेत्र में इको-पाली निर्माण हेतु सहायता पत्र प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि इको-पाली निर्माण हेतु प्रस्तावित यात्रा (यात्रा-विद्युतिकरणी, लाला एवं पाली) द्वारा उपलब्ध कर्तव्य गई भूमि के अनुसार युत घटी की बजाना करते हुये प्रथम तरी में ही गोदी का रीपाय ५०० प्रतिशत विवर दर दी जाए। युत घटी की बजाना एवं विवरणी यात्रा रथ-रथाय के लिए ५ कर्मी का आवेदन लिया जाना विवरणी विवरणी प्रस्ताव प्रस्ताव मिला-मिला (यात्रा अनुसार) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

- प्रस्तुतीकरण के द्वितीय परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित त्रिमाह से नियन्त्रण अवधित बन, संरक्षित बन एवं अंतिम एवं विकासी विवरणी द्वारा उत्तराखण्ड अधिकारी, राजगढ़ बग मन्डल, राजगढ़ को आवेदन किया गया है।
- प्रारंभिक कार्यकाल अवधिकारी, लोक निर्माण विभाग, राजगढ़ संभाल, राजगढ़ दो त्रिमाह 4567 / लक्ष. / 2022-23 राजगढ़, दिनांक 14 / 07 / 2022 अनुसार युवा प्रोजेक्ट क्षेत्र से नियन्त्रण द्वारा यात्री की सहाय घटी की दूरी 1.5 किमी है।

19. बाधीहत्या अनुचितानीय अधिकारी (र) शब्दाव के लापत्र इमारत/वाहन/जूड़ि नं./2022 रायगढ़, दिनांक 18/08/2022 अनुसार प्रस्तावित छोड़ोवट से तापी गाड़ीयक ग्राम पाली की वापुस्तरी से दूरी 0.812 कि.मी. एवं सहज जर्ती से दूरी 1.5 कि.मी. है।
20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लापत्र पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसकी विवरण इस परियोजना से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अलगाव किसी भी व्यापारियां में लिखित नहीं है।
21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लापत्र पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसकी विवरण भारत सरकार, वार्षिक, बन और जलवायु परिवर्तन भौतिक वी अधिकारी बोर्ड, 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के लिए जारी कोई व्यापारियां का प्रकरण लिखित नहीं है।
22. लोकसुन्दराई की दीर्घ उत्तराये जाने समर्थन मुद्री की निराकरण हेतु किये जाने वाली वाचक लापत्र पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
23. ग्रामीय लोगों के लोगों द्वारा आवार पर बोलानार दिये जाने हेतु लापत्र पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
24. प्रस्तावित परियोजना के द्वारा कुल क्षेत्रफल का 34.18 प्रतिशत क्षेत्र में सुखान्देश्वर किये जाने हेतु रोपित पौधों का सरवाहित रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने वाचक लापत्र पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
- समिति द्वारा विवार लिखती संपर्क सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—
1. ग्रामीय लोगों वी बोलानार दिये जाने की वाचक में विस्तृत व्यापारी प्रस्तुत किया जाए।
 2. सीईआर (Corporate Environmental Responsibility) के लिए ईको-पार्क निर्माण हेतु प्रस्तावित यामी (एम—विस्तृतानी, लकड़ा एवं पाली) द्वारा लमलवा कराई गई भूमि की अनुसार कुल कुली की वर्गना कलों हुये फ्लाम वर्ष में ही लोगों का रोपण (एवं जलेवाल जीवन दर लाइन), सुखा हेतु बोलेंग जाए एवं लिखती जाना रक्षा—रक्षण की तिरि ओ की का बाटकावार व्याप का विवरण सहित प्रस्तावित—मिन (द्वारा अनुसार) प्रस्तुत किया जाए।
 3. लोगों के संख्या हेतु लेपार इ वर्षीय योजना की लागि बहुत कम इतीहा ही नहीं है। लोगों, जर्मुद एवं पंचम वर्ष में लागि बहुत ही कम है। यह क्षेत्र के सभीप सहीय स्थापना से ईको सिस्टम की विकास वाचक ज्ञानात लगता है, लोगों वरपाई नहीं हो जा सकती किंतु भी प्राप्त इ वर्षों हेतु यह नाशि कुल छोड़ोवट ज्ञानात की दृष्टियां रखते हुये वन्यज्ञानी संख्या लोगों की आवादाकला के अनुकूल हो। आइ इस संख्या में प्राप्त नुचिय बन संख्यक (एवं प्राप्ती एवं लोकविकास संख्याएं) सह मुख्य उन्नाहानी अविकासक, अन्तीलगद, नवा राष्ट्रपुर जटल नवार ही पुनर्जीवित/ज्ञानकारी ज्ञान बन प्रस्तुत किया जाए।
 4. प्रदूषण जी आयु (Life of Industry) के संबंध में ज्ञानकारी प्रस्तुत किया जाए तथा इस ज्ञानपूर्ण वा लापत्र पत्र (Affidavit) प्रस्तुत करें कि परियोजना प्रस्तावक ग्रामीय की आयु लोक वन्यज्ञानी संख्या योजना ग्रामीय 5 वर्ष में सभन ग्रामीणरी से अनुसारित करावान प्रस्तुत करेंगे तथा निर्वाचित जाकि “राजद बैंगा एवं (State CAMPA Fund)” में जमा करेंगे।

संपरीक्षा कठिन जानकारी/हस्तांकित प्राप्त होने संपरीक्षा आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रशासक को लाभानुभाव सुनिश्चित किया जाए।

५. मेसर्स औरबत्ता बहिला इकाईयाकाल समूह, टैलगुडा गोवायटी, अस्सू-शीली संगीता बीत (टैलगुडा सोन्द मार्ड्यन-१), शाम-टैलगुडा, शहसील-चारमा, जिला-उत्तर बस्तर ज़िक्री (संवितालय का नस्ती क्रमांक ३५०४)

शीनलद्विन आवैदन — प्रधानमन्त्री — एसआईए/ सीजी/ एमआईए/ ४३२१२९/ २०२३ दिनांक ०४/०६/२०२३ द्वारा पर्यावरणीय सीमुति हेतु आवैदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण — यह प्रस्तावित ऐत खदान (खिंग खगिज) है। यह खदान शाम-शीलगुडा, शाम गोवायता जिलाई, शहसील-चारमा, जिला-उत्तर बस्तर ज़िक्री विधायक बाट और छातारा क्रमांक १, कुल शीरकल-४९ हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्थानन महानदी से विद्युत जाना प्रस्तावित है। खदान की उत्तेजित घटनाकालीन शामता—६९.८२५ घनमीटर अतीवर्धी है।

लाभानुभाव परियोजना प्रशासक को एसटीएसी, उत्तरीसंघर के द्वायन दिनांक ०२/०६/२०२३ द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सुनिश्चित किया गया।

वैष्णव का विवरण —

(अ) समिति की ४८०वीं बैठक दिनांक १०/०६/२०२३:

प्रस्तुतीकरण हेतु भीमी संगीता बीत, जायजा (औरबत्ता बहिला इकाईयाकाल समूह, टैलगुडा गोवायटी) उपस्थिति हुए। समिति हुआ नमी, प्रस्तुत जानकारी का अनुसूचन एवं परीक्षण करने पर निम्न विधियाँ पाई गईं—

१. घूर्वे में जारी पर्यावरणीय सीमुति संकेती विवरण— इस खदान को घूर्वे में अदृश्यताएँ रखीकृति जारी रखी गई है।
२. शाम गोवायता का ज्ञानापत्रित प्रयाण पञ्च — ऐत उत्थानन की विवेद्य में शाम गोवायता जिलाई १५/०६/२०२३ का ज्ञानापत्रित प्रयाण पञ्च प्रस्तुत किया गया है।
३. विनाशित/स्थिरकृति — जायीलय कलेक्टर, खानिज शास्त्र से प्राप्त इमान यज्ञ अनुसार यह खदान विनाशित/स्थिरकृति कर दीया गया है।
४. उत्थानन खोजना — यहाँन काल इस्तुत विद्युत गया है, जो शाम-शीलगुडा (खानिज), जिला-उत्तर बस्तर ज़िक्री के द्वायन क्रमांक १०५८/खानिज/खालि./रेत/२०२३-२४ उत्तरकालीन, दिनांक २५/०५/२०२३ द्वारा जनुर्वेदित है।
५. ५०० मीटर की घरियि में विद्युत खदान — जायीलय कलेक्टर (खानिज जारी), जिला-उत्तर बस्तर ज़िक्री के द्वायन क्रमांक १०६०/खानिज/खालि./रेत/२०२३ ज़िक्री, दिनांक २५/०५/२०२३ के अनुसार अतीवित खदान ही ५०० मीटर की भीतर अवस्थित अन्य ऐत खदानी की संख्या निरांक है।
६. ३०० मीटर की घरियि में निम्न संरचनाएँ — जायीलय कलेक्टर (खानिज जारी), जिला-उत्तर बस्तर ज़िक्री के द्वायन क्रमांक १०६२/खानिज/खालि./रेत/२०२३ ज़िक्री, दिनांक २५/०५/२०२३ कालीन, दिनांक २५/०५/२०२३ द्वारा जारी

द्वारा दृष्टि अनुसार उक्त स्थान के 200 मीटर की परिसरी में कोई भी सार्वजनिक होम या सोलहवाही राजमार्ग, राजमार्ग, रेल लाइन, पुल, बांध, स्कूल, अस्पताल, गांडीर, गांडीर, कुम्हारा, बालाट एवं इनीश्ट आदि प्रतिक्षिण होने विभिन्न नहीं हैं।

7. एलओआर का विवरण – एलओआर गौहबाह नहिंला स्वसाक्षरता समूह द्वारा दृष्टि अनुसार सोलहवाही, अस्पताल–भीमती सालीता खेत के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (स्कैनिंग राया), जिला-छत्तीर बकलर कालेंटर के द्वारा दृष्टि 950/स्कैनिंग/रेत/2023 कांकिर, दिनांक 18/05/2023 द्वारा जारी की गई, जिसकी अधिक : कई हैं ये विधि है। जहाँ एलओआर ने 'जलीसनक गौथ द्विनियंत्रित स्वाक्षरण रेत का उत्तरानन एवं व्यवसाय (जन्मनुपरिवर्तन शेष हैं) विषय 2023 विवर 7 के तहत रेत स्थान उत्तरानियटटा अधिक 5 के को स्वीकृति के लिए निम्नलिखित गतीयों को पूरी हैं यह आशय—यह जारी किया जा रहा है।' का उल्लेख है।
8. कन विभाग का अनापति द्वारा – कार्यालय जम व्यवस्थापिकारी, कालेंटर कन व्यवस्था, जिला-कालेंटर के द्वारा दृष्टि 950/स्कैनिंग/वायि/2023/2560, वायाक 06/04/2023 से जारी अनापति द्वारा दृष्टि 06/04/2023 के दूसरी दृष्टि की सीधा सी 2 लिंगी की दूरी पर है।
9. डिस्ट्रीक्ट जारी रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट जारी रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रमुख भी गई है।
10. गहत्यापूर्ण सांख्यकारी की दूरी – निकटतम आवादी दाम—दैलगढ़ा 720 मीटर, स्कूल दाम—दैलगढ़ा 430 मीटर एवं अस्पताल कालाम 1.1 किमी की दूरी पर विद्या है। गहत्यापूर्ण सांख्यकारी 1.15 किमी एवं राजमार्ग 22.00 किमी दूर है। रोड पुल 540 मीटर, गाला 1.6 किमी, नहर 3.35 किमी, एवं तालाब 600 मीटर दूर है। स्वीकृत रेत स्थान के 1 किमी की दूरी तक एनीकट विद्या नहीं है।
11. खनन स्थल पर नदी को छाट की घीटहाई एवं स्थान की नदी तट से दूरी – जाहेंदग अनुसार खनन स्थल पर नदी को छाट की घीटहाई – अधिकारी 333 मीटर, न्यूनतम 290 मीटर तथा खनन स्थल की अवधाई – अधिकारी 432 मीटर, न्यूनतम 431 मीटर एवं खनन स्थल की घीटहाई – अधिकारी 125 मीटर, न्यूनतम 102 मीटर दरकारी नहीं है। स्थान की नदी के पूरी तट विनाई से दूरी अधिकारी 60 मीटर, न्यूनतम 30 मीटर है।
12. स्थान स्थल पर रेत की घीटहाई – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 4.05 मीटर तथा रेत स्थान की प्रस्तावित गहराई – 1.5 मीटर दरकारी है। अनुचालित नदीनियंत्रण प्राप्ति अनुसार स्थान में भाईनीवल रेत की गहरा – 69.025 मानीमीटर है। रेत उत्तरानन हैं इस्तावित स्थल पर जानियां ऐ उपलब्ध रेत गहरा की गहराई जानने के लिए इस्तावित स्थल पर के गहराई (Pore) छोटवार उसकी वास्तविक गहराई का भाष्यन करे। इनीज विभाग से उपलब्ध जानकारी गहराई की नहीं है। इसकी अनुसार रेत की सुपरियम औरत गहराई 4.05 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई है तु मध्यमाना प्रस्तुत किया गया है।
13. स्थान क्षेत्र में ऐत स्थान को संबलक्ष – ऐत चलांगन हैं एवं प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल में 25 मीटर गुणा 25 मीटर के विश्विद्युतों पर दिनांक 17/05/2023 की ऐत स्थान के गांधीमान संबलक्ष (Levels) लेकर उन्हें समिज

निम्नलिखित उपलब्ध विवरों का सम्मान जानकारी/दस्तावेज़ प्रस्तुत किये गये हैं।

14. कॉर्पोरेट एंविरोनमेंटल रिपोर्ट (C.E.R.) — बैरिकोजन इंस्टीलूशन का द्वारा दीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के वास्तव विस्तार में यथोचित निम्नानुसार विस्तृत प्रसार इस्तेमाल किया गया है—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
			Following activities at nearby Village-Telguda	
27.36	2%	0.54	Plantation around Pond & AAMC for 5 years	
			Total	0.60

15. दीईआर की अंतर्गत लालाब की भारी और शुकारीपण हेतु (ज्ञान वायन आदि) प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 25 नग घोटी के लिए राशि 1,000 रुपये प्रतिसिंग को लिए राशि 1,500 रुपये खाद के लिए वाहि 500 रुपये, नियाई तथा राष्ट्र-लक्ष्य आदि के लिए राशि 55,000 रुपये, इस प्रकार प्रधान वर्ष में कुल राशि 58,000 रुपये तथा आनन्दी 4 वर्षों में कुल राशि 42,000 रुपये हेतु यह लक्ष्य का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावका द्वारा शास्त्र-विज्ञान, ज्ञान वायन आदि के सहायता समर्थन एवं विद्यार्थी व्यापार (शास्त्र-विज्ञान के विभाग का एवं 400 एवं 400 में विभाग विज्ञान) के संबंध में ज्ञानकारी प्रस्तुत की गई है।

16. शुकारीपण कार्य — नदी तट में 250 नग एवं व्यापार चारों में 250 नग (कुल 1,000 नग) शुकारीपण कार्य हेतु प्रस्ताव दिया गया है, जो निम्नानुसार है—

विवरण	प्रधान वर्ष (रुपये)	द्वितीय वर्ष (रुपये)	तृतीय वर्ष (रुपये)	चतुर्थ वर्ष (रुपये)	पंचम वर्ष (रुपये)
इन्दूषण विषयक हेतु विनियोग की दीर्घाव संकलनी/पहुंच भारी तो शुकारीपण के नियन्त्रण हेतु जल विकास	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
नदी तट एवं व्यापार चारों मार्ग में (1,000 नग) शुकारीपण (30 प्रतिशत जीवन एवं) हेतु राशि प्रतिसिंग हेतु राशि	1,00,000	—	—	—	—
शुकारीपण हेतु खाद राशि	1,50,000	—	—	—	—
शुकारीपण एवं विभाग एवं	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
	1,50,000	1,50,000	1,50,000	1,50,000	1,50,000

संवेदनात्मक राजीव गोपनीय राजीव गोपनीय						
राजीव गोपनीय—मार्गीन बोर्ड, नियुक्त कर्म संघ अम्बा जाकर्निंग कार्पॉरेशन						
राजीव गोपनीय	5,000	—	—	—	—	—
कुल राजीव = 15,00,000	5,00,000	2,50,000	2,50,000	2,50,000	2,50,000	2,50,000

17. परियोजना से विन-विन रूपाली से प्रदूषितिव ग्रह उत्तराखण्ड राज्य, उम राजीव पर नियमित जल विहार की व्यवस्था किये जाने वाले राज्य पर (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
18. खाद्यान धोने की आस-पास नदी तट एवं पहुँच नार्म में स्थान दुखारीपण किये जाने एवं रोपित पौधों का संरक्षण रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने वाले राज्य पर (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
19. छत्तीसगढ़ झारखंड पुनर्वास नीति के तहत व्यानीय लोगों को रोपणात् किये जाने हेतु राज्य पर (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा कियी भी प्रकार का दुष्प्रभाव जल का प्रयाह प्राकृतिक जल संकेत, जलावाह, नदी, नाला में नहीं कियी जाने एवं इसके संबंध किये जाने वाले राज्य पर (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुस आशय का राज्य पर (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके लिये इस खाद्यान से संबंधित कोई न्यायालयीय प्रक्रमण देख के अलगत विस्तीर्णी भी न्यायालय में लिखित नहीं है।
22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का राज्य पर (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके लिये इस खाद्यान संस्कार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन न्यायालय की अधिकृतता कानून 804(3), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रावधान लिखित नहीं है।
23. व्यानीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 की common cause vs. Union of India wrt petition (C) 114 of 214 में किये गये निर्देश का पालन किये जाने वाले राज्य पर (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
24. व्यानीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 की wrt petition (S) Civil No. 114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में किये गये निर्देश का पालन किये जाने वाले राज्य पर (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का राज्य पर (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि अनुभोगित उत्तराखण्ड शीतला में दिए नाईनीट रिजर्व का 80 प्रतिशत विभागीय भी उत्तराखण्ड किया जाएगा एवं खाद्यान में तथा जलन के दीर्घन समर्टेनेबल सेंड नार्गिनिन गार्डलाइन 2016 एवं इन्वोर्सेमेंट एवं वीर्मिटरिंग गार्डलाइन लौट सेप्ट 2020 के प्राकारान्ती का पालन किया जाएगा।

26. पर्यावरण लौटीकूपि में दिए गये जाती का चालन किया जाने एवं उत्तमी चालन प्रतिपेदन पर्यावरण कार्यालय में जगा जाने का कल जापथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाता है।
27. सीईआर कर्तव्य एवं नदी टट में पुष्टांशुपत्र कार्ब की भौमिकाएँ एवं प्रतिपाद्य समिति (इंजीनियर/प्रतिमिति) या अधिकारी/प्रतिमिति एवं जिला प्रशासन का उच्चांशगत पर्यावरण संस्थान गवर्नर के फलाधिकारी/प्रतिमिति) गठित किया जाना आवश्यक है। इस ही सीईआर एवं नदी टट में पुष्टांशुपत्र का कर्तव्य जूने किंवदं जाने के उपर्युक्त गठित डि-प्रीलिय शमिति से सहभागिता करना आवश्यक है।
28. सीज लोन के बाहर कीनों तथा सीमा लाईन के बाय में बीटार की तरीकी जगता आवश्यक है ताकि सीज लोन नदी में व्यष्ट दृष्टिगोचर हो सके।
29. ऐति चलानम ऐन्डल विधि से एवं भर्त्ता का कर्तव्य लोकर द्वारा करना जाना आवश्यक है। समिति का नह है कि लोकर लोनों यंत्र याहन की श्रेणी के हैं। अत भर्त्ता का कार्य ऐन्डल विधि से ही जनर्म जाते। भारी याहनों के नदी में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1.5 फीटर की गहराई तक चलानम की अनुमति नहीं है। अनुमतिले उत्तरानन पीड़ना में उत्तरानन विए जाने कामे लोन की वार्षिक रेत पुनर्भवण संख्यी आवश्यक लाव्य एवं उत्तरांकी आंकड़ों का गमनावेता नहीं किया गया है। यहानहीं यही नहीं है तथा इसमें वर्काकाल में सामान्या 1.5 फीटर गहराई से अधिक रेत का दुग्धभराव जीने वाली जन्मताना है।

समिति द्वारा विद्यार विभाग द्वारा उपर्युक्त शब्दावली से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. आवृद्धि खदान (एच-ट्रैलर्स) का नक्का 4.0 हेक्टेएक्ट है। खदान की सीमा से 900 फीटर की परिधि में लौटीकूपि/संगतित खदानों का सूल होनफल 5 हेक्टेएक्ट या उससे ज्यादा होने के बल्कि यह खदान बी-३ क्षेत्री की नहीं नहीं।
2. परियोजना प्रस्तावक ऐति खदान लोन में जागामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद आवश्यक (Utilization Study) करायेगा, ताकि ऐति की पुनर्भवण (Replenishment) वार्षा लही आंकड़े ऐति उत्तरानन का नदी, नदीतल, स्थानीय जनस्थानी, लोन एवं सूख जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर ऐति उत्तरानन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।
3. सीज लोन की जातह का ऐतांशुपत्र जाता—
 - i. ऐति उत्तरानन छरेम करने के दूर्वे उपर्योजनानुसार निर्धारित घिन्डिविल घिन्डुओं वाले नदी में ऐति की सतह के नदी (Leveles) का सर्व जन् उसकी आंकड़ों तत्त्वान एवं आईएसएस, उत्तरांशगत के प्रस्तुत किये जायें।
 - ii. ऑस्ट-मानसन (अल्टूवर/नदीन्दर माह वे ऐति उत्तरानन द्वारा करने के दूर्वे) इन्हीं घिन्डिविल घिन्डुओं में याहींगे सीज लोन लोन को अपकूटीम एवं शारानस्ट्रीम में 100 फीटर तक तथा उन्नन लीज के बाहर / नदी टट (लोनों ओर) से 100 फीटर लक के लोन में नदी सतह के नदी (Leveles) का सर्व दूर्वे निर्धारित घिन्डिविल घिन्डुओं पर लिया जायेगा।
 - iii. इन्हीं प्रदर्श ऐति उत्तरानन उपर्युक्त जनसून के दूर्वे (नदी माह के अंतिम तत्त्वान/पूर्ण के अंतिम तत्त्वान) इन्हीं घिन्डिविल घिन्डुओं पर ऐति सतह के लोनलेव्स (Leveles) का नामन लिया जाएगा।

८. ऐसा सातह के पूर्व निरीक्षण किए बिन्दुओं पर ऐसा सातह के लेवल्स (Leveles) के नामन का जारी अनुमति व उसी तक निरीक्षण किया जाएगा। और—साथसून ही आंकड़ों जितनाहै 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 एवं भी—साथसून ही आंकड़ों अनुमति 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 तक अनियाध रूप से एक होजाई एवं एलीविएशन की जारीता किया जाएगे।
९. समिति द्वारा नियान प्रियोग उपचार नियन्त्रण से मैत्री संबद्धता गठिता करताहाया साकृत त्रिलगुडा शोभाकाली अध्यक्ष—भीमली चंद्रीला गोप (त्रिलगुडा शेष्य माहात्मा—१), घटे और उपचार द्वारा क १, दाम—त्रिलगुडा, लहसील—याचना, जिला—एकत्र बलान बलान बुल लीज लेवल ५३ हेक्टेकर के कुल ४० प्रतिशत क्षेत्रफल में ही ऐसा उत्तरानन अधिकारी १.५ मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल ४५,१०० घनमीटर प्रतिवर्ष ऐसा उत्तरानन हेतु पर्यावरणीय स्थीरता, अनन्न पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि हेतु परिसिंध—३ में अधिक रुक्ती के अधीन दिये जाने की उन्नतीमा की गई। ऐसा यही खुदाई अनियोगी (Manually) की जाएगी। निराम बेक (River Bed) में भावी कार्बन का प्रतीक्षित रहेगा। लीज शेष में जितना ऐसा खुदाई मद्दत (Excavation pits) से लोडिंग खाई तक ऐसा का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।
१०. बालटीनेश्वर नीरु माइनिंग ऐनेजमेंट गाइडलाइन्स, २०१६ (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं इन्फोर्मेंट एवं नोटिफिकेशन लाइलाइन्स एवं नीरु माइनिंग, २०२० (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार बलान सुनियित किया जाए।
११. ईप्रॉफर्मेंट एवं नोटिफिकेशन गाइडलाइन्स पोर शेष भार्टिन, २०२० (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के तहत ४० प्रतिशत क्षेत्र में उत्तरानन उत्तर नियान सुनियित किया जाए।
- उपर उत्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकरण अधिकारी (एस.ई.आई.ए.प.) एलीविएशन की उत्तरानुसार सुनियत किया जाए।
१२. ऐसी विस्तारपूर लाईच कटीन क्षारी (दौ—भी चूरेत अप्रवाल), दाम—विस्तारपूर, लहसील—विलाईगढ़, जिला—सारंगाह (संधिवालन का नामी क्रमांक २५०६) कौनसाईन खारेंदन — एकोलल नम्बर — एसआईए/ सॉजी / एमएसईए/ ४३२२०४/ २०२३, दिनांक ०४/०६/२०२३ द्वारा पर्यावरणीय लीकूलि हेतु आरेंदन किया गया।
इसका विवरण — यह यूर्ती से बालालित बूना पहाड़ (गोप खानिम) छद्मान है। छद्मान दाम—विस्तारपूर, लहसील—विलाईगढ़, जिला—सारंगाह नियान उत्तरानन क्रमांक २३४, कुल क्षेत्रफल—०.७४८ हेक्टेकर में है। छद्मान की अधिकृत उत्तरानन आमता—१७,१८२.५ टन प्रतिवर्ष है।
उत्तरानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.आई.ए.प. की जायन दिनांक ०२/०६/२०२३ द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सुनियत किया गया।
- वैदेता का विवरण —
- (अ) नामिति की ४५०वीं बेटक दिनांक १०/०६/२०२३
- प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी विलिमिट उपरिवर्त नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के उत्तर दिनांक ०२/०६/२०२३ द्वारा सुछना की गयी है कि जानकारी अदृष्ट होने के कारण से

समिति की सभा बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु राजीवित होना संभव नहीं है। अ. आगामी आनंदपिता बैठक में सामग्र घोषन लगने हेतु अनुचेतना किया गया है।

समिति द्वारा विचार विभासे उपर्युक्त सर्वेक्षणी से विशेष लिया गया कि परियोजना प्रस्तावका दो चूंडी में लाई गई वाहिन जानकारी एवं सम्बल सुलभगत जानकारी / दस्तावेज जहिं प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्दीकित किया गया।

परियोजना प्रस्तावका की तदानुसार राजीवित किया जाए।

7. नेतर्सी रुम गिरजाल स्टाइल लिमिटेड, कालोवट्टन- की प्रतीक्षा बुनार गोपल, याम-सूमरपाटा, राहसील-गढ़ा बाराहार, जिला-साकी (संधियालय का नम्बर 2606)

बीमलाईन अौडिन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीली/ एसआईए/ 432118/2023, दिनांक 05/05/2023 द्वारा दी ओआर हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित दोलीमाई (वीच बानिज) खदान है। खदान याम-सूमरपाटा, राहसील-गढ़ा बाराहार, जिला-साकी विधि खदान क्रमांक 2335/1, 2335/2, 2335/3, 2335/4, 2335/5, 2335/6, 2335/7, 2335/8, 2335/9, 2335/10, 2335/11, 2335/12, 2335/13, 2335/14 एवं 2335/15, युत शेषफल-4.883 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित सतर्कता अन्तरा-2,00,000 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावका दो इसई.ए.सी., फर्लीसारद के जापन दिनांक 02/05/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु राजित किया गया।

बैठक का विवरण -

(म) समिति की 450वीं बैठक दिनांक 10/05/2023-

प्रस्तुतीकरण हेतु दो वीचक गुप्ता, अधिकृत प्रतिनिधि राजित हुए। समिति द्वारा नस्ती प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निन्म निष्ठा पाई गई-

1. यूर्ज में जारी पर्यावरणीय स्थीरता की संभवी विवरण- इस खदान को यूर्ज में पर्यावरणीय स्थीरता जारी नहीं की जा सकती है।
2. याम पेंचायत का अनापत्ति ज्ञापन एवं - सतर्कता के संबंध में याम पेंचायत का अनापत्ति प्रभाव एवं (लायीकता बैठक एवं दिनांक जहिं) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
3. सतर्कता योजना - यहां योजना एलीग लिया जारी जलीजर परान प्रस्तुत किया गया है, जो लगि अप्रियता, जिला-कोरेश के ज्ञापन क्रमांक 867/सामिज/न.आ./2022-23 कोरेश, दिनांक 01/05/2023 द्वारा अनुमतिदित है।
4. 500 बीटर की वर्तिती गे लिया जाना एवं बलोवट्टर (बानिज याचता), जिला-साकी के ज्ञापन नं. 125/वीच बानिज/न.आ./2022-23 नस्ती, दिनांक 05/04/2023 अनुसार अप्रियता जलीजर से 500 बीटर के भीतर अवस्थित अन्य 9 खदान, कोरेश 486.784 हेक्टेयर हैं।
5. 200 बीटर की परिति गे लिया जाना एवं सर्वेक्षणीक लोअर/संरचनाए - कालोलय कलोवट्टर (बानिज याचता), जिला-साकी के ज्ञापन नं. 124/वीच बानिज/न.आ./2023 नस्ती, दिनांक 05/04/2023 द्वारा जारी ज्ञापन एवं उनुसार अन्य जलीजर से 200 बीटर की परिति गे लिया जाना एवं सर्वेक्षणीक लोअर जैसे निर्देश, नस्ती, सतर्कता जारी जाए।

पुल, नदी, रेल लाईन, जलवायन, सहूल, एनीकट वा इसके बाल आपूर्ति तथा
प्रतिवर्षित होने वाली विवरण नहीं हैं।

6. भूमि एवं एस्टोडोइड संख्या विवरण — भूमि एवं एस्टोडोइड वेसर्स द्वारा द्वारा
मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड बीवरेक्टर की प्रतीक्षा कुलार गोदाल की नाम पर है, जो
जार्यालय कलेक्टर (जनिज जाला), जिला—जाली के जालन क्र. 73/गीम
जनिज, /न.क./ 2023 जाली, दिनांक 22/02/2023 द्वारा जाली की गई, जिसकी
विधा जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि रहती है।
7. डिस्ट्रीब्यू रावं रिपोर्ट — को 2019 की डिस्ट्रीब्यू रावं रिपोर्ट (District Survey
Report) की द्वारा प्रकल्पुता की गई है।
8. उन विचार का अनापालित प्रभाव वा — जार्यालय उन्नतजाल अधिकारी,
जालानीट—जाला के जालन जनकी/सक.अधि./ 6667 जाला, दिनांक
26/02/2022 से जाली अनापालित प्रभाव पर अनुसार जारीदित होने विवराम
उन होते ही सील से 300 मीटर की दूरी पर है।
9. गहरायपूर्ण संवर्धनाली की दूरी — विवराम आवादी दूरावधारा 1 किमी, सहूल
दूरावधारा 1 किमी, एवं अस्पताल नवा बालाहार 3 किमी की दूरी पर रिखत है।
जार्यालय जालानीट 3.5 किमी, एवं राष्ट्रपत्ता 2 किमी दूर है। तालाब 1.4 किमी
दूर है।
10. जारीसिवाहिकीय/जीवविधिका संवेदनशील होता — परियोजना प्रभावक द्वारा 10
किमी की वर्तीमान अस्पतालीय होता, राष्ट्रीय उद्यान, अस्पतालम्, कैन्फ्रीय
इन्द्रुष्य नियंत्रण होते द्वारा घोषित डिटिक्टरी औत्सुट्टे द्वारा, जारीसिवाहिकीय
संवेदनशील होता या घोषित जीवविधिका होते रिखत नहीं होना प्रतिवेदित रिखत
है।
11. खनन जांचदा एवं खनन का विवरण — वियोजित रिखत 37,24,745 टन एवं
मार्टिनोवल रिखत 20,03,123 टन है। लौज की 7.5 मीटर चौड़ी सील परटी
(उत्तरवान के लिए जारीबिल संत्र) वा सेत्रकल 9,339.46 वर्गमीटर है। औपन
जास्ट यैकेनार्क्टिक विधि से एकाशमन रिखत पाएगा। एकाशमन की प्रभावित
अधिकारी गहराई 30 मीटर है। सील होते में ऊपरी मिट्टी की गहराई 1.5 मीटर,
मात्र 32,048.8 पर्याप्त है। वैसे जी रहेह 3 मीटर दूर गहराई 3 से 6 मीटर
होगी। बदान जी संभावित आयु 30 वर्ष है। लौज क्षेत्र में इनाम स्वाधित रिखत
जाना प्रस्तावित नहीं है। दीक ईमर, दीक ईमर से ड्रिलिंग एवं कट्टोल बहरिंदर
रिखत जाएगा। बदान में बायु प्रदूषण नियंत्रण होने वाला विवराम रिखत¹
जाएगा। वर्षावार प्रस्तावित उत्तरावान का विवरण निम्नानुसार है—

वर्ष	प्रभावित जालानम (टन)
प्रधान	1,60,000
द्वितीय	1,60,000
तृतीय	2,00,000
चतुर्थ	2,00,000
पाँच	2,00,000

12. जल आपूर्ति — परियोजना होने जालावधारक जल जी जाल 5 एमीटर प्रतिवेदित
होगी। जल की जारीबी का स्तरों एवं संरपित रिखत से अनापालित प्रभाव पर
प्रभावित रिखत जाना आवश्यक है।

13. प्रकारीय खार्य – लौज होड की सीमा में जारी और 7.5 मीटर की फट्टी में 1,005 नवा प्रकारीय लिया जाएगा।
14. खदान की 7.5 मीटर की ऊँची सीमा फट्टी में उत्तरानन – लौज होड की जारी और 7.5 मीटर की सीमा फट्टी में उत्तरानन खार्य नहीं लिया गया है।
15. नवानीय एनलीटि, डिसेप्ल बेंच, नई दिल्ली द्वारा लॉट्ट गार्डेन विल्हे भवन सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अप्पा इंसेप्लियनल एप्लिकेशन नं. 180 ऑफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्दिष्ट लिया गया है—

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 as per with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease area size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

सामिति द्वारा विभार विभार उपरान्त संविधानित तो निम्नानुसार निर्धार लिया गया—

1. आर्थिक वास्तविकता (आनिय राज्य), जिला-सभी के द्वारा ल. 125/गीव व्हिल/न.का./2022-23 जारी दिनांक 05/04/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के लैंगर अवलिका 9 लाखमें, लोअरफल 485.784 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (एम-जूलरपारा) का रक्का 4,683 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (एम-जूलरपारा) को मिलाकर कुल रक्का 490.467 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिमि में स्थीकृत/संचालित खदानी का कुल हेक्टेयर 5 हेक्टेयर से अधिक का कमरस्टर नियमित होने के बावजूद यह खदान थी। ऐसी की भावी भावी।
2. समिति द्वारा विभार विभार उपरान्त संविधानित से प्रबन्ध चौथे कंटेनरी का होने के कारण वास्तव उपरान्त, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकलित स्टैचर्ड इमो ऑफ रिपोर्ट (टीआरआर) और ई.आर.ए./ई.ए.पी. रिपोर्ट फॉर बोर्ड ऑफेक्ट्स/एक्टिविटीज रिलायंसिंग इन्ड्यान्समेंट जीवीपॉर्ट अफार ई.आर.ए. नोटिफिकेशन, 2008 में जारी थी। इस कंटेनर टीआरआर (सिंक जूलरपार अहिल) नीचे कोल भाफ्निन बोर्ड ऑफेक्ट्स हेतु विभ अतिरिक्त टीवीआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई—
 - i. Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C: Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
 - ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
 - iii. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.
 - iv. Project proponent shall submit the top soil/MG management plan & incorporate the details in the EIA report.
 - v. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil & overburden would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.

- v. Project proponent shall submit the NOC of Gram Panchayat (alongwith its minutes of meeting) for Mining Activity.
- vi. Project proponent shall submit the details of water requirement along with its source and shall also submit a copy of NOC for usage of water from competent authority.
- vii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
- ix. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
- x. EIA study shall be done at minimum 10 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- xi. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.
- xii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xiii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 504(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02/08/2017.
- xiv. Project proponent shall undertake plantation during the monsoon & incorporate in the EIA report.
- xv. Project proponent shall submit the 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.
- xvi. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible tall tree species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 06 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.
- xvii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

एवं इसी प्रकार इन सभी अलग विभाग (एवं इनकी उपकार्यालयों) की सहानुभाव सूचित किया जाए।

- i. मैसारी कालानाथ डोलोमाइट खदानी (प्र.-श्री रविंद्र कुमार), बाम-अरेश्वरी, लाहसौर-जीरौपुर, बिला-जाजीरी-खाना (संविधानसभा नक्सी अन्तर्गत 2334)
- जीनलाईन आवेदन — इनोवेल नामक — एसएसए/ लीडी / एमआईएन/ 421623 / 2023, दिनांक 10 / 03 / 2023 द्वारा दीर्घार द्वारा दिया गया है।

परियोजना प्रस्तावक हाथ प्रस्तुत करेंद्र में कमियों द्वारा से आपने दिनांक 22 / 03 / 2023 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक हाथ परियोजना करने हेतु दिनांक 05 / 06 / 2023 की अंगताईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण — यह प्रस्तावित औलीगाहट (गौण खण्ड) खदान है। खदान गान्य-जगतसारा, राहगीर-दीर्घापुर, जिला-जामशीर-जापा जिला जगतसारा अन्तर्क 860 / 2, 870 / 2, 871, 872 / 1, 872 / 2, 876, 882 / 2 एवं 884, कुल शेषफल-1884 एकड़ाम गे प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्तरानन कमाता-80,000 टन प्रतिवर्ष है।

उदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एमईएसी, भवतीजगढ़ के आपने दिनांक 02 / 06 / 2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु भवित किया गया।

वैठक का विवरण —

(अ) समिति की 480वीं बैठक दिनांक 10 / 06 / 2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु वी यैसव अपाल, अलिङ्गत प्रतिमिति लघुसिवा हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अधिकांश एवं वर्णन करने पर निम्न विवरित यह गई—

1. यूं ही जारी चारोंवर्षीय रीवीकूली संस्कृती विवरण— इस खदान को यूं में चारोंवर्षीय रीवीकूली जारी नहीं की गई है।
2. इस वंचायत का अनावृत्ति प्रमाण पत्र— उत्तरानन के वंचायत में जाम चंचायत अनुसार का दिनांक 15 / 05 / 2023 का अनावृत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्तरानन योखाना— कारों द्वारा एलीय गिर कराई कर्तव्यत पतान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त संचालक, चारोंवर्षीय चौमिकी द्वारा खानिकमी के आपने दिनांक 364 / खानिक-३ / १५०६ / १५०६.०६ / २०२१ नया रायपुर, छोटल नगर, दिनांक 25 / 01 / 2023 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परियोजना के विवर खदान— कारोंवर्षीय कर्तव्यत (खानिक जाल), जिला-सभारी के आपने अन्तर्क 15 / गौण खण्ड / नक्का / 2022-23 सभारी, दिनांक 12 / 01 / 2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के बीता अवासित ३ जामदारों कीजाल 21.81% उत्कटेवर है।
5. 200 मीटर की परियोजना के विवर खदान— कारोंवर्षीय कर्तव्यत (खानिक जाल), जिला-सभारी के आपने अन्तर्क 126 / गौण खण्ड / नक्का / 2023 सभारी, दिनांक 12 / 04 / 2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उत्तरानन से 200 मीटर की परियोजना के बीते जीसे नैदिर, भवित्वाद, बक्षट, पुल, नदी, ऐल झाँक, अपालाल, खट्टा, एवं वांद आदि प्रतिवर्षित बीज विवित नहीं है।
6. ऐलकीआई, सांकी विवरण— ऐलकीआई, वी रुपित अपाल के नाम पर ही, जो अलीजगढ़ जामदार, खानिक सालन विभाग, नहानी जामदार, नया रायपुर के आपने अ. एल ३-२ / 2019 / १२ नया रायपुर, दिनांक 12 / 10 / 2020 द्वारा जारी की गई है। प्रस्तुतीकरण की दीर्घन परियोजना प्रस्तावक द्वारा कहाना गया है कि ऐलकीआई की विला युद्धि जामदार दिनांक 10 / 06 / 2023 की आवेदन किया गया है, जो प्रतिवर्षीन है।
7. यू-स्लॉमिल— यूनि वी विला कुमार, वी युक्ति कुमार वी प्रसात कुमार वीमणी जामदार, वीमणी जामदार, वीमणी सुर्खील एवं वी विला कुमार के नाम पर है। उत्तरानन हेतु यूनि स्लॉमिल के सहमति पत्र की प्रती प्रस्तुत की गई है।

8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2022 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाई है।
9. उन विषयों का अन्यथा प्रमाण पत्र – कालोलम उनसंबंधितारी, जांगरीह-चाम्पा उनमप्पहल, चाम्पा के झापन क्षेत्र/उक्त अधि/1412 चाम्पा, दिनांक 25/02/2022 से जारी अनापलि प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित होने विकलानम का होता की तीव्र में 0 किमी की दूरी पर है।
10. भहलवूरी नारायणार्थी की दूरी – विकलान आवाही एवं स्कूल चाम-अकलाला 1 किमी की दूरी पर रिखा है। उष्टीय नारायणार्थ 22 किमी, हुड़ नारायणार्थ 11 किमी दूर है। नाला 50 मीटर दूर है।
11. पारिस्थितिकीय/जैविकिया संवेदनशील होता – परियोजना प्रसारक हुआ 10 किमी की परिमि में अतर्जनकीय तीव्र, उष्टीय उद्यान, अनायारच्छ कीनीय प्रदूषण विषयक बोड द्वारा घोषित विकलानी पौत्र्युट्र एवं पारिस्थितिकीय संवेदनशील होता या घोषित जैविकिया होने रिखा नहीं होना प्रतिशोधित किया है।
12. खगन संवादा एवं स्कूल का विवरण – जियोलीजिकल रिजर्व 14,76,585 टन, माईनेवल रिजर्व 8,72,180 टन एवं डिस्कोवरल रिजर्व 8,26,580 टन है। तीव्र की 7.5 मीटर लौही तीव्र बद्दी (उत्कलन के लिए प्रतिक्रिया होता) का होकल 6,400 चम्बीटर है। औपन काला लौही मैट्टीनाईव्ह रिखि से उत्कलन किया जाएगा। उत्कलन की इसतापित अकिलान गहराई 29.12 मीटर है। लौह होता में लूपही मिट्टी की नोटाई 0.87 मीटर एवं नाला 6,586.4 चम्बीटर है। लौज होता में लौहह बहन की नोटाई 0.95 मीटर एवं नाला 8,338.92 चम्बीटर है। दैत की लंबाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की रासायिक आयु 13.6 वर्ष है। लौज होता में द्वारा रासायित किया जाना इसतापित नहीं है। यैक रिखि एवं कंट्रोल इकाइया किया जाएगा। खदान में यादु प्रदूषण विषयक हेतु जल का विष्कार किया जाएगा। पर्यावर इसतापित उत्कलन का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम	प्रस्तावित उत्कलन (टन)
प्रथम	40,000
द्वितीय	50,000
तृतीय	60,000
चतुर्थ	70,000
पंचम	80,000

13. जल आमूली – परियोजना हेतु उत्कलन का जल की नाला के चम्बीटर प्रतिदिन होंगी। यह की आमूली का स्वीत एवं रासायित विषय से अनापलि प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. चूकार्टेचन कार्य – लौज होता की तीव्र में चारी ओर 7.5 मीटर की बद्दी में 882 नए चूकार्टेचन किया जाएगा।

15. उत्कलन की 7.5 मीटर की लौही तीव्र बद्दी में उत्कलन – लौज होता के चारी ओर 7.5 मीटर की तीव्र बद्दी में उत्कलन कार्य नहीं किया गया है।

16. मानवीय एवं जीवी विकास विषय, मई दिल्ली द्वारा उत्तरद पाठ्यक्रम विकास भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संकालन, नई दिल्ली एवं अन्य

(प्रौद्योगिकीय एवं सेवानिवास नं. 186 तिथि 2016 एवं तार्थ) में दिनांक 13/09/2018 की पारित आदेश ने मुख्य रूप से मिन्नानुसार निर्दिष्ट लिखा गया है:-

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 as per with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा लिखा रखाया गया सर्वसम्मति से मिन्नानुसार निर्णय लिखा गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (आनिय शास्त्र) जिला-सभी के द्वायन अ. 15/गीण लानिय/प.अ./2022-23 सभी, दिनांक 13/01/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 फीटर के गीहर अवस्थित 5 खदाने, कुलफल 21,619 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (याम-अकालकर) का रकमा 1,864 हेक्टेयर है। इस छाता आवेदित खदान (याम-अकालकर) की मिलाकर कुल रकमा 23,703 हेक्टेयर है। खदान की सीधा से 500 फीटर की परिमि में उचीकूल/संचालित खदानी का कुल कुलफल 5 हेक्टेयर से अधिक का बलस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी' श्रेणी की मानी गयी।
2. समिति द्वारा लिखा रखाया गया सर्वसम्मति से प्रकाशण 'बी' रेटेशनी का होने के कारण यात भारतीय पर्यावरण बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2016 में प्रकाशित स्टैम्पड टर्म्स और रिफरेंस (टीओआर) वौर इंशॉर्ए /ई.एन.पी. लिंटोर और प्रोटोकॉल/एक्टिविटीय लिंसायरिंग इन्वायरेंट वलीयरेंस अप्लाई इंशॉर्ए नंगटिपिङ्हासन, 2000 में जीर्ण संघी 1(ए) का स्टैम्पड टीओआर (टीओआर सुनामी लाइट) नीन कोल गाँवनिय प्रोटोकॉल हेतु जिन अतिरिक्त टीओआर के साथ आसी लिये जानी की अनुमति की गई:-
 - i. Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
 - ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
 - iii. Project proponent shall submit details of air pollution control equipments with stack height calculation and pollution emission level calculation.
 - iv. Project proponent shall submit the LOI (letter of Intent) extension copy.
 - v. Project proponent shall submit the top soil & over burden management plan & incorporate the details in the EIA report.
 - vi. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil & over burden would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.
 - vii. Project proponent shall submit the details of water requirement along with its source and shall also submit a copy of NOC for usage of water from competent authority.
 - viii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

- ix. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
- x. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- xi. Project proponent shall submit the copy of panchnames and photographs of every monitoring station.
- xii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xiii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O 504(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02/08/2017.
- xiv. Project proponent shall undertake plantation during the monsoon & incorporate in the EIA report.
- xv. Project proponent shall submit the 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.
- xvi. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

नाम स्तरीय प्रदूषित क्षमता अनुसन्धान इकाईराग (एसडीआईएए), छत्तीसगढ़ की लाइसेन्स द्वारा दिया गया।

- g. मेहरां हिंडी सेम्प्ट क्षारी (संघीय/सरकार, प्रान पंचाक्षर निर्दी), छाम-मिर्ज़, एहसील-पराम, फिल्ड-कोर्ट (संघीयालय का नामी अन्तिक 2007) और लाइसेन्स आवेदन — प्रधानमंत्री — एसडीएए / शीर्षी / एसडीएए / 433489 / 2023, दिनांक 07 / 08 / 2023 द्वारा प्रदूषितीय स्थीरकृति द्वारा आवेदन किया गया।

प्रक्षालन का विवरण — यह प्रस्तावित ऐत खादान (गोप्य रखिया) है। यह खादान छाम-मिर्ज़, एहसील-पराम, फिल्ड-कोर्ट विधायक बलवारा क्षमांक 21, कुल क्षेत्रफल — 3.036 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। लाइसेन्स कमनी नदी से विध्या जलमा प्रस्तावित है। खादान की क्षमताएँ उत्तराखण्ड शामल—18,210 प्रमाणीटर प्रतिक्षेप हैं।

लाइसेन्स वरियोजना प्रस्तावक की एसडीएए, छत्तीसगढ़ के द्वायन दिनांक 03 / 08 / 2023 द्वारा छल्लीकरण द्वारा सुधारा दिया गया।

बैठक का विवरण —

(अ) समिति की 480वीं बैठक दिनांक 10 / 08 / 2023

इस्तुतीकरण ऐसु की वलडाम जगती, सरपंच, प्रान पंचायत रिपोर्ट उपलिख्त है। जांचनी द्वारा नहीं, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर यिन विधि यद्यपि यद्यपि—

1. यूंदि वे जारी पंचायतीय भवीकृति संबंधी दिक्षण— इस खदान की दूरी में पर्यावरणीय स्थीकृति जारी नहीं की गई है।
2. प्रान पंचायत का अनापरिच द्वयान पत्र— ऐसा उल्लेख के संबंध में प्रान पंचायत रिपोर्ट का दिनांक 07 / 12 / 2022 का अनापरिच द्वयान पत्र प्रस्तुत विना गया है।
3. दिनांकित/सीमांकित— कार्यालय कलेक्टर, राजिन जाला की जाता प्रमाण पत्र अनुसार वह खदान दिनांकित/सीमांकित नहीं होता है।
4. उल्लेखनम् योजना— माझे जान विष सेष्ट रिपोर्टिंगसीट एवं इन्हायरेंसेट रिपोर्टिंगसीट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो जलि अधिकारी, जिला-कोरका के जापन क्रमांक 1026 / राजिन / द्व. यात्रा / 2023-24 कोरका, दिनांक 25 / 05 / 2023 साथ अनुमोदित है।
5. 500 मीटर की परियि में लिखा खदान— कार्यालय कलेक्टर (राजिन जाला), जिला-कोरका के जापन क्रमांक 1024 / राजिन / 2023 कोरका, दिनांक 25 / 05 / 2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के बीतर आविष्ट अन्य ऐसा खदानी की सल्ला विरोक्त है।
6. 200 मीटर की परियि में लिखा सार्वजनिक द्वारा/सार्वजनिक द्वारा/सार्वजनिक द्वारा/सार्वजनिक द्वारा— कार्यालय कलेक्टर (राजिन जाला), जिला-कोरका के जापन क्रमांक 1024 / राजिन / 2023 कोरका, दिनांक 25 / 05 / 2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परियि में कोई भी सार्वजनिक द्वारा दीर्घ राष्ट्रीय राजमार्ग, राजमार्ग, पुल, बांध, रक्कुत, अस्पताल, बड़िए, बैंकिंग, गुरुद्वारा, भवठट एवं एनीमेट आदि प्रतिक्रिया सेवा विरोक्त नहीं है।
7. एलओआई का दिक्षण— एलओआई संघिय/सरपंच, प्रान पंचायत रिपोर्ट के लक्ष पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (राजिन जाला), जिला-कोरका के जापन क्रमांक 1010 / राजिन / 2023 कोरका, दिनांक 23 / 05 / 2023 द्वारा जारी की गई, जिसकी विवर जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है। जारी एलओआई में “एलओआई दीर्घ राष्ट्रीय राजमार्ग ऐसा उल्लेखनम् एवं अवश्य (अनुरूपिता सेव है) नियम 2023 के तहत आवृद्धि भूमि में दीर्घ राजिन सामान्य ऐसु उल्लेखनम् द्वारा लिखेते हुए पंचीय दिनांक से 5 वर्ष की अवधि से लिए उल्लेखनम् द्वारा स्थीकृति के लिए निम्नलिखित जारी के पूर्ण ऐसु यह आवश्य-पत्र जारी किया जा रहा है।” का वर्तनीक है।
8. बन विभाग का अनापरिच द्वयान पत्र— कार्यालय बन अपहलाइकारी, काटांगा गन गवाल कटांगा, जिला-कोरका के जापन क्रमांक / राज. जारी / 2023 / 2418 कटांगा, दिनांक 13 / 04 / 2023 से जारी अनापरिच द्वयान पत्र अनुसार आवृद्धि सेव बन केज रक्षा से 1 किमी की दूरी पर है। आवेदित दीर्घ में लिखा पुलों की संख्या 3 नग है।
9. प्रिस्टीक्ट सर्वे रिपोर्ट— वर्ष 2019 की प्रिस्टीक्ट सर्वे रिपोर्ट (Pristic Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
10. महत्वपूर्ण सार्वजनिकी की दूरी— लिकटान जावारी जाम-रिपोर्ट 1.2 किमी, रक्कुत एवं अस्पताल पसान 14.5 किमी, की दूरी पर विद्युत है। राष्ट्रीय राजमार्ग 27 कि-

मी. एवं सालाना १४ किमी. दूर है। रोड पुल ३६ किमी. एवं सालाना ५५० मीटर दूर है। अधिकात रेत खदान को १ किमी. की दूरी तक पुल/एनीकाट लिया जाता है।

11. खनन स्थल पर नदी के पाट की औषधि एवं खदान की नदी तट से दूरी - आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की औषधि - अधिकात १३६ मीटर, व्यूगतम ४८ मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई - अधिकातम ६२४.६ मीटर, व्यूगतम ८७८ मीटर एवं खनन स्थल की औषधि - अधिकातम ३२ मीटर, व्यूगतम १९.४ मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी के तट लियारे से दूरी अधिकातम ४१.७ मीटर, व्यूगतम १० मीटर है।

अधिकी द्वारा पाया गया था कि जिस खनन स्थल पर नदी के पाट की औषधि १३६ मीटर है, उस खनन स्थल पर नदी तट के लियारे से दूरी व्यूगतम ४१.७ मीटर है तथा खनन स्थल पर नदी के पाट की औषधि ४८ मीटर है, उस खनन स्थल पर नदी तट के लियारे से दूरी व्यूगतम १० मीटर है। इस रेत मार्गिनिंग की जावायिता नहीं है।

12. खदान स्थल पर रेत की औषधि - आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई - २.३२ मीटर तथा रेत खदान की प्रस्तावित गहराई - १ मीटर दर्शाई गई है। अनुचित गार्डनिंग प्लान अनुसार खदान में वार्षिकत रेत की जावा - १८.२१० मनमीटर है। रेत उत्तरानन हेतु इसायित स्थल पर कर्तमान में उपलब्ध रेत जाही औषधि जानने के लिए प्रस्तावित रूप से ४ वर्षों (Four) छोटकर छोटी वास्तविक गहराई का मापण कर लगिये लियारे से प्रस्तावित जागरूकी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत गहराई २.३२ मीटर है एवं उस तारे ३ मीटर की गहराई तक प्राप्त हुआ। लिये गये वर्षों नीवों वी पर्सेन्ट रेत उपलब्ध है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पाँचनामा प्रस्तुत लिया गया है।

13. खदान केब में रेत सतह की लेवल्स - रेत उत्तरानन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं उपलब्धित स्थल में २५ मीटर तुला २५ मीटर के लिये बिन्दुओं पर दिनांक १०/०६/२०२३ को रेत सतह की उचितान लीवल्स (Levels) लेकर, उन्हें वास्तविक लियारे से प्रस्तावित स्थल उपलब्ध छोटोपाया सहित उनकरी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।

14. कॉर्पोरेट एंविरोनमेंट रिपोर्ट (C.E.R.) - कॉर्पोरेट एंविरोनमेंट का द्वारा शीर्षक (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष लियारार से जावा उपलब्ध विभाग नुसार लियारा प्रस्ताव प्राप्त किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
Following activities at nearby Pavatu Van Niran				
28.968	2%	0.579	Pavatu Van Niran	0.579
			Total	0.579

शीर्षक के अलावा "परिवर्तन का लियारा" के तहत विद्युत, नीम, धीपल, गेल, जायला, जामुन आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत उपलब्ध अनुसार ८० वर्ग मीटर के

लिए राशि 5,000 रुपये, लॉटरी के लिए राशि 20,430 रुपये, खाद के लिए राशि 1,500 रुपये, शिवाई तथा रथ-रथाय राशि के लिए राशि 5,000 रुपये, इस प्रकार प्रभाग की यह कुल राशि 31,930 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 20,000 रुपये होने वाले अवधारणा वद्य का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रबलाद्यका द्वारा यान याचायात सिर्फ़ी के सहमति याचायात याचायात वद्यान (खाद्यान ग्रामीक 21/1/प्र. शेअल 0.983 हेक्टेयर) के संक्ष में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

16. युक्तारोपण कार्य – नदी तट में 360 नव एवं पहुंच भार्ग में 300 नव (कुल 750 नव) युक्तारोपण कार्ये होने प्रस्ताव दिया गया है, जो विभाग्युक्ताव है—

विवरण	प्रथम राशि (रुपये)	द्वितीय राशि (रुपये)	तृतीय राशि (रुपये)	चतुर्थ राशि (रुपये)	पंचम राशि (रुपये)
प्रस्तुत विवरण के द्वारा नवकारी/पहुंच भार्ग के प्रस्ताव द्वारा उल्लिखित के नियन्त्रण होने वाला	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
नदी तट एवं पहुंच भार्ग में (750 नव) युक्तारोपण होने	युक्तारोपण (90 प्रतिशत स्वीकृत दर) होने राशि	22,500	2,250	240	—
	फॉरिंग हेतु राशि	32,500	—	—	—
	खाद द्वारा राशि	12,000	12,000	12,000	12,000
	सिवाई हेतु राशि	5,000	5,000	5,000	3,755
कुल राशि = 1,85,000	77,000	24,250	22,340	20,755	20,755

16. उदासी दोष को अस-पास नदी तट एवं पहुंच भार्ग में सहज युक्तारोपण किये जाने एवं रोपित भौती का वाराहाइवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने वाला राज्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

17. उत्तीर्णगढ़ अदानी युक्तारोपण नीति के तहत याचायात लोगों को रोपितार दिये जाने हेतु राज्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आवश्यक का उत्तराधिकारिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है कि उनके विस्तृत इस खाद्यान से संबंधित कोई न्यायालीक घटक दैत्य के अंतर्गत किसी भी न्यायालीय में लिपित नहीं है।

19. दोष दोष को याद उत्तरानन कर्ता नहीं किये जाने हेतु राज्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आवश्यक का भौती रो सहयोगित उत्तराधिकारिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है कि उनके विस्तृत भारत सरकार,

परियोजना, कान और जलवायु परिवर्तन बंजारगढ़ की अधिकृतिकार्यालय काना. 804(2), दिनांक 14/03/2017 की असंगति कीमुख्य सम्बोधन का प्रकरण लखित नहीं है।

21. भारतीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 की common cause vs. Union of India with petition (C) 114 of 214 में दिए गये निर्देश का पालन किया जायेगा इस बाबत अंदरूनीय (Undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
 22. भारतीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 की अपीली petition (S) Civil No.114/2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिए गये दिनांकिती का पालन किया जायेगा इस बाबत अंदरूनीय (Undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
 23. परियोजना प्रबलायक द्वारा इस आवश्यक का दाक्षता प्राप्त (Notarised undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है कि अनुमोदित सत्यानन लोकना में दिए गई निम्नलिखित दिलच्छी का 60 दिनिकात रिकॉर्ड ही उत्थान किया जावागा एवं खाद्यानन में तथा धन्दन की दीर्घान समर्टेल लीड गार्डिंग गार्डलाइन 2016 एवं इन्वेसिमेट एवं नीनिटिंग गार्डलाइन्स पौर लोक 2020 के प्राक्कान्ती का पालन किया जाएगा।
 24. गोई-आर यार्ड एवं नदी तट में क्षारीयन लार्य के नीनिटिंग एवं लैंडफाइल इंग्रजी-पंजीय समिति (ओपरेटर/इंजीनियर) द्वारा बंदगत के पदाधिकारी/प्रतिभित्री एवं यिता इवाराम या उत्तीर्णाङ्क पर्यावरण उत्थान नाल्हात के पदाधिकारी/प्रतिभित्री) नहिं किया जाना आवश्यक है। लार्य की गोई-आर एवं नदी तट में क्षारीयन लार्य पूर्ण किये जाने के संभाल नीनिटिंग इंग्रजी-पंजीय समिति से साधारित कराया जाना आवश्यक है।
 25. रेत उत्थान के नियम विहि से एवं भराई का कार्य लोक द्वारा कराया जाना प्रवर्त्तित है। सामिति का नहीं है कि लोक जीव वंश भारी बाहन की भेजी के हैं। अतः भराई का कार्य नीनिटिंग विहि से ही कराई जाये। भारी बाहन की नदी में प्रवेश की अनुमति नहीं होती।
 26. परियोजना प्रबलायक द्वारा 1. गोटर की गहराई तक उत्थान की अनुमति नहीं है। अनुमोदित सत्यानन लोकना में उत्थान किए जाने वाले लोक जीव पार्किंग रेत गुन्हायरण संबंधी आद्ययन कार्य एवं तत्त्वावधी लकड़ी का उत्थान नहीं किया जाया है। समनी नदी छोटी नहीं है तथा इसमें बर्कातल में स्थानान्तर 1. गोटर गहराई से अधिक रेत का दुनियारय होने की संभावना है।
- समिति द्वारा विचार कियी संपर्क सम्बन्धि से निम्नानुसार निर्णय किया जाया—
1. आयोगित खदान (डाम-सिरी) का रकमा 3,035 हेक्टेयर है। खदान की गोता से 500 मीटर की परियि में स्थीरत/संरक्षित खदानों का बूल हेक्टर 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान की-2 केवी की मात्री नहीं।
 2. परियोजना प्रबलायक रेत उत्थान लोक में आगामी 15 वर्ष में विस्तृत नाल्ह उत्थायन (Sediment Erosion) करायेगा। इसके रेत के दुनियरय (Replenishment) बाबत नहीं आवाही है। रेत उत्थान का नदी, नदीतत, खानीय बनस्पति, जीव एवं सूख जीवों पर प्रभाव लगा जाने के जनी जीव गुणवत्ता पर रेत उत्थान के प्रभाव की नहीं जलनकारी प्राप्त हो जाए।
 3. लोक लोक जीव संरक्षण का विवरण निम्नानुसार काटा—

१. ऐसा सत्त्वानन् प्रारंभ करने के पूर्व उपरीवातानुसार नियोजित विवर विन्दुओं पर नदी में ऐसी जलह के स्तरों (Levels) का सूची बन, जलसकी आवश्यकताओं एवं एसईआईए.ए.ए.प्रालीभागड़ को प्रस्तुत किया जाए।
 २. पीसट-मानसून (ध्वन्यवाहन/नवम्बर जल में ऐसा उत्तरांग प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही विवर विन्दुओं में गाँवोंमें लौज और तथा लौज सेव के अपस्टीम एवं जारनस्टीम में १०० मीटर तक तथा जलम लौज के छहर / भट्ठी तर (ठोनी और) से १०० मीटर तक के लौज में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सूची पूर्व नियोजित विवर विन्दुओं पर किया जाएगा।
 ३. इसी जलाव रेत उत्तरांग प्रारंभ के दूर (मृद्ग गांव की अंतिम सतह/जल की प्रथम सतहाह) इन्ही विवर विन्दुओं पर ऐसा सतह के लेवल्स (Levels) का जालन किया जाएगा।
 ४. ऐसा सतह के पूर्व नियोजित विवर विन्दुओं पर ऐसा सतह के लेवल्स (Levels) की जालन का कार्य आगामी ८ वर्ष तक नियंत्रित किया जाएगा। पीसट-मानसून के आवश्यक दिनांक २०२३, २०२४, २०२५, २०२६, २०२७, २०२८ एवं ए.ए.मानसून के आवश्यक अवधि २०२४, २०२५, २०२६, २०२७, २०२८, २०२९ तक अनियन्त्रित संय से एसईआईए.ए.ए.प्रालीभागड़ को प्रस्तुत किए जाएंगे।
 ५. राष्ट्रव नदीरीप विशेषज्ञ पूर्वांकन नामिति, प्रालीभागड़ के उपरीक्षेत्र जलत अन्तर्का १८ से २३ लक्ष के लापद्य पत्र (Motorized undertaking) वी एसईआईए.ए.प्रालीभागड़ में आवश्यक क्षम तो प्रस्तुत करने की जली के अंतीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सतही अनुसारी की जाती है।
 ६. समिति द्वारा विवर विभागी उपरोक्त शर्तोंमें से गैरवह सिंह शेष्ठ जागी (संघित/संरक्षण एवं वैद्यायत चिरी), जलसत अन्तर्का २१, ग्राम-सिरी, तालसीन-पसान, गिला-कोरवा, कुल लौज शेष्ठकल ३०३८ ट्रैकटेकर में उत्तरांग देशु योग सेव का कुल ६० प्रतिशत कोरकल में वी ऐसा उत्तरांग अधिकारम । मीटर वी गहनाह तक गीरित रखते हुए, कुल १८,२१० धन्नीटर प्रतिशतों ऐसा उत्तरांग देशु पर्यावरणीय स्वीकृति, जलन घट्टे के नियादन जी लारीख वी पांच वर्ष तक वी अवधि हेतु चरिकिष्ट-०२ में वर्गीत जली के अंतीन दिये जाने की अनुसारी की गई। ऐसा की सुवार्ता अविकी द्वारा (Manusatty) वी जाती। विवर देक ट्रैक्टर बेड (Tractor Bed) में भारी जलनों का प्रोत्त प्रतिशेषित रहेगा। लौज कोव में सिंह ऐसा चुदाह गद्दी (Excavation pits) वी जलीकी बाईट तक ऐसा का परिवहन ट्रैक्टर ट्रैक्टर द्वारी द्वारा किया जाएगा।
 ७. सहरनेवस संपद मन्त्रिनियन मैनेजमेंट गाइडलाइन्स २०१८ (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2018) एवं इन्हीसेंट एवं गोनिटरिंग गाइडलाइन्स एवं संपद माईगेंस, २०२० (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) की अनुसार जलन सुनियिता किया जाए।
 ८. इन्हीसेंट एवं गोनिटरिंग गाइडलाइन्स पीप संघ माईगेंस, २०२० (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) की अवधि ०२ प्रतिशत कोव में उत्तरांग जाय किया जाना सुनियिता विवर जाए।

राज्य सालेय पद्धतिकार्य इमार आकलन प्राप्तिकार्य (एस.ई.आई.प.ए.) प्रालीसगढ़ को लंबागुलाम स्थूलित किया जाए।

10. मैत्री सुनकट्टा लाईम फटोन माइन (ई.)- भी विकास अधिकारी, शाम-सुनकट्टा, लाहसील-पाटन, जिला-दुर्ग (वार्षिक रिपोर्ट का नामक इमारत 1850)

जॉनलाईन लाइन - पूर्ण मे प्रधानमन्त्री - एकआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 09880 / 2021, दिनांक 07 / 12 / 2021 द्वारा दी ओआर हेतु लाइन जिला या वर्तमान मे प्रधानमन्त्री - एकआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 022384 / 2023, दिनांक 09 / 08 / 2023 द्वारा पर्यावरणीय स्थैतिकि प्राप्त उनमे के लिए फार्मूला इंआईए लिंगोट प्रभुगा की गई है।

प्रस्ताव का विवरण - यह जलसंधित चूना पालन (ग्रीष्म खणित) खाद्य है। खाद्य शाम-सुनकट्टा, लाहसील-पाटन, जिला-दुर्ग विधायक बोर्ड खासका इमारत 49, 50, 51, 52 एवं 53/1, बुल ट्रॉफिल-1 अंडेरेंस मे प्रस्तावित है। खाद्य की जांचेंटि उत्तरांगन इमारत-19,950 टन लिंगित है।

पूर्ण मे एकाईएसी छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 29/04/2022 द्वारा प्रकाश दी। छत्तीसगढ़ का होमे के कारण मानव सखाकार, पर्यावरण, वन और जलवाया परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अद्वितीय, 2015 मे प्रकल्पिता बट्टेवार्ड इमारी भीक रिकॉर्ड (टीआरआर) पर्यावरण इंआईए/ईएमटी रिंगोट और प्रैजेक्ट्स/स्कॉलिक्टीम रिक्वारिंग इन्वेपरमेंट पर्यावरण अधिकार इंआईए नोटिफिकेशन, 2020 मे जारी की 100 का बट्टेवार्ड टीआरआर (भीक चुनावाती राहित) जारी किया गया है।

तथानुसार परिवारजना प्रस्तावका को एकाईएसी छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02 / 08 / 2023 द्वारा प्रभुगीकरण हेतु सुनित किया गया।

वैठक का विवरण -

(अ) समिति की 450वीं वैठक दिनांक 10 / 08 / 2023:

प्रभुगीकरण हेतु भी विकास अधिकारी, जॉनलाईन एवं पर्यावरण सखाकार के रूप मे वैठती ही एक एवं रील्युलन, गोएव, उत्तरांगन की ओर ही भी चूना प्राप्त चूना उपस्थित दूर। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अनुसूचना एवं परीक्षण करने पर निम्न विवरि याई गई-

1. पूर्ण मे जारी पर्यावरणीय स्थैतिकि जारी विवरण - इस खाद्य को पूर्ण मे पर्यावरणीय स्थैतिकि जारी नहीं की गई है।
2. ग्राम पंचायत का अनापति प्राप्ति पत्र - उत्तरांगन की संकेत मे यह ग्राम पंचायत सुनकट्टा का ग्राम 01 / 10 / 2021 की प्रस्ताव जारी किया गया एवं दिनांक 10 / 10 / 2021 का अनापति प्राप्ति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्तरांगन योजना - उठाई लक्ष्य प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त-साधारण (स.ज.), संचालनालंब्य वैसिकी उत्तरांगन अनुसारी या संयुक्त अंतर नगर के ज्ञापन इमारत 4518/खाने 02 / नामा, अनुसारी, नामा 26 / 2020(2), या रायपुर, दिनांक 06 / 09 / 2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 ग्रीटर की परिस्थि मे विकास खाद्य - कार्यालय लखेकटर (खणित जानका), जिला-दुर्ग के ज्ञापन इमारत 1148/रानीलि.02/खणित/2021 दुर्ग, दिनांक 28 / 10 / 2021 का अनुसार अनुसूचित खाद्य से 500 ग्रीटर की भीतर अपरिस्थि 25 खाद्याने, खानपाल 41,468 हेक्टेयर है। जाथ ही उक्त जारी पत्र अनुसार प्रस्तावित खाद्य के 500 ग्रीटर की परिस्थि मे अन्य 2 खाद्यानों को अनुसार पत्र जारी किया गया है, जिसका खेतरल 4,92 हेक्टेयर है।

6. 200 मीटर की परिसीम में स्थित वार्षिकीय झेल/सौनकटर – कार्यालय कलेक्टर (खालील जारी), जिला—दुर्ग के द्वायन क्रमांक 1145/खानिलिङ/खानिल/2021 दुर्ग, दिनांक 28/10/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार इस घटान के 200 मीटर की परिसीम में कोई भी वार्षिकीय झेल जैसे मार्डिर, अस्पताल, स्कूल, गुल, इंगीफूट, राजमार्ग, राष्ट्रीय राज्यमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित होने विद्युत नहीं है।
7. शहरोंआई, जारीकी विवरण – शहरोंआई की विकास अधिकार के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खालील जारी), जिला—दुर्ग के द्वायन क्रमांक 152/खानिल/सूप/2021 दुर्ग, दिनांक 22/05/2021 द्वारा जारी की गई विवरणी वैधता जारी दिनांक है । वर्ष की उन्नति तक ही। कार्यालय एवं शहरोंआई की खेता गुदि बायत् व्याख्यात संग्रालक, योगिकी रथा खालीकर्म, ज्ञा राधाकृष्ण अटल चग्न के चुनावीकाम इकाई क्रमांक 01/2022 द्वारा जारी परिवर्त आरोह दिनांक 09/11/2022 की इसी प्रस्तुत की गई है विवरण अनुसार “चुपकेका विवेदना के अध्याय पर पुनर्विकाम इकाई करती हुये, वह विद्युतिका विवाहा जारी है कि छातीसगढ़ गीम खणिज विधान, 2015 के विधान 42(6) परन्तु के गहर उक्त इकाई में पर्यावरण स्वीकृति द्वारा होने वायर उत्तरां उत्तरांनन पट्टा स्वीकृति की अर्थवाही पूर्ण करने हेतु वार्तिकित जग्यावधि प्रदान करते हुए इकाई कलेक्टर, जिला दुर्ग की अन्वारीत विवा जारी है।” होना चाहिया जाया है।
8. शू-इवामिता – शूभि घाट और खाली क्रमांक 49 की प्राप्त लोकर अधिकार, घाट और खाली खाली क्रमांक 50 की तुलसी जान विवा, घाट और खाली खाली क्रमांक 51 की राम्पु दपाल विवा, घाट और खाली क्रमांक 52 हरी लोकर विवा एवं घाट और खाली खाली क्रमांक 53/1 की अनीत कुमार विवाल रथा की अध्यर कुमार विवाल के नाम पर है। उत्तरांन हेतु शूभि खालीती का जाह्नवी पत्र की दृष्टि प्रस्तुत की गई है।
9. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति जस्तुत की गई है।
10. बन विभाग वर्ग अनावृति इमार पत्र – कार्यालय बनमध्यलालिकारी, दुर्ग अधिकार, दुर्ग के द्वायन क्रमांक/तक अधि./2020/4817 दुर्ग, दिनांक 03/12/2020 से जारी अनावृति इमार पत्र अनुसार आवेदित लीज विकालम बन लीज की गीता ही 50 किमी की दूरी पर है।
11. बहवपूर्ण सामयनाली की दूरी – विकालम जावाही जाम-सुनकट्टा 400 मीटर, स्कूल धाम-सुनकट्टा 400 मीटर एवं अस्पताल सेसुद 1 किमी की दूरी पर विवा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 11 किमी एवं राजमार्ग 1 किमी दूर है। लालाब 260 मीटर एवं खाली नहीं 19 किमी दूर है।
12. बलग मापदण्ड एवं खगन का विवरण – जिलोलीजिकल रिजर्व 7,94,365 टन, नाईनेकल रिजर्व 1,90,770 टन एवं विकालीबल रिजर्व 1,51,890 टन है। लीज की

7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्तरनन के लिए प्रतिवर्षित राशि) का कुल राशन 4,124 बर्गमीटर है। सीमा काल सेमी ग्रेड्साइज़ लिंगी की उत्तरनन किया जाएगा। उत्तरनन की प्रसाधित अप्रिकात्म राशन 34 मीटर है। लौज सेव में छपरी गिरदी की कोटाई 0.5 मीटर एवं मात्र 2,868 बर्गमीटर है जिसमें से 1,375 बर्गमीटर ऊपरी गिरदी की 7.5 मीटर (भार्फन बाटायाई) सेव के फैलावर बूकारीपान की लिए उपयोग किया जाएगा एवं जो 1,383 बर्गमीटर ऊपरी गिरदी की गैर बाटायेंग सेव में संरक्षित कर रखा जाएगा। बैल की गिरदी 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की गमरहित आयु 10 वर्ष है। लौज सेव में कानार नदीपित किया जाना प्रसाधित नहीं है। लेक हिंगर से द्वितीय एवं तीसरील बहानिंग किया जाएगा। खदान में बायु छहूषण द्वेष्टु जल का गिरुकरब किया जाएगा। वर्षाकार प्रसाधित उत्तरनन का विवरण निम्नानुसार है:-

कार्ब	प्रसाधित उत्तरनन (टन)
इंधन	19,950
द्वितीय	19,950
तीसरी	19,950
खदान	20,040
प्रथम	19,950

13. यस आपूर्ति - परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8.88 बर्गमीटर प्रतिदिन होती। यस की आपूर्ति संरक्षित के महावाम से किया जाएगा। इस बाबत सीन्युल बालंड बाटर अमोरिटी की अनुरूपी प्राप्त कर प्रबल्ला किया गया है।
14. बूकारीपान कार्ब - लौज सेव की सीमा में बारी और 7.5 मीटर की पट्टी में 822 नग बूकारीपान किया जाएगा। परियोजना प्रसाधित द्वारा लौज सेव के भीतर प्रतीकारणीय प्रक्रिया उत्तरनन के तहन निम्नानुसार कार्ब प्रसाधित है:-

विवरण	द्वारा (कर्पर)	द्वितीय (कर्पर)	तीसरी (कर्पर)	खदान (कर्पर)	प्रथम (कर्पर)
खदान के बाटायाई में (822 नग) बूकारीपान हेतु	बूकारीपान हेतु राशि 79,932	6,232	6,232	6,232	6,232
पर्सेन द्वेष्टु राशि	1,77,600	-	-	-	-
खाद द्वेष्टु राशि	6,160	600	600	600	600
सिंचाई द्वेष्टु राशि	1,20,000	1,20,000	1,20,000	1,20,000	1,20,000
स्व-स्वाध द्वेष्टु राशि	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000
कुल राशि = 13,71,160	4,79,713	2,22,862	2,22,862	2,22,862	2,22,862

15. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्तरनन - लौज सेव की बारी और 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल कोलकल 4,124 बर्गमीटर होता है, जिसमें से 720 बर्गमीटर हेतु 10.5 मीटर की गहराई तक एवं 434 बर्गमीटर हेतु 7.5 मीटर की गहराई तक उत्तरनित है, जिसका उल्लेख अनुमोदित बहानी व्यापार में किया गया है। प्रतिवर्षित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्तरनन किया जाना प्रसाधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अन्त उत्तरनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रसाधित के लिए निम्नानुसार आवश्यक बालीयाई किया जाना आवश्यक है।

सत्य ही समीक्षा का यह भी गति है कि उक्त उत्थानित क्षेत्र (अधिकारिता 7.5 मीटर और सीना पट्टी) के पुनर्मानव द्वारा रिस्टोरेशन प्रक्रम प्रभावित किया जाना आवश्यक है।

16. उल्लेखनीय है कि भावत उत्थान, पर्यावरण, वन एवं जलधार्य परिवर्तन भवानीय, वह दिल्ली द्वारा नीन लोल मार्डिनिंग प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय द्वारा बनायी गई है। इसी अनुसार विश्वविद्यालय की अनुसार—

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

भावत भावक जाति के अनुसार मार्डिनिंग लोल को लंबाई 7.5 मीटर जीवे संपर्की जीन में बुआलौवण्य किया जाना आवश्यक है।

17. ऐर मार्डिनिंग क्षेत्र — लोल क्षेत्र में 1,780 वर्गमीटर क्षेत्र को दूरी क्षय से ब्रह्मादित अधिकात्म गहराई तक ऐर मार्डिनिंग क्षेत्र बढ़ा दिया है तथा 953 वर्गमीटर क्षेत्र को 10.5 मीटर की गहराई, 324 वर्गमीटर क्षेत्र का 18.5 मीटर की गहराई, 379 वर्गमीटर क्षेत्र को 7.5 मीटर की गहराई एवं 3,372 वर्गमीटर क्षेत्र को 15 मीटर की गहराई तक उत्थानित करने की पहलाता ऐर मार्डिनिंग क्षेत्र बढ़ा दिया है। विस्तृत पुस्तक अनुसूचित कराई द्वारा दिया गया है।

18. ई-आई-ए. रिपोर्ट का विवरण—

- जल एवं धरा आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी — भौमिकारिंग कार्य मार्च 2022 से मई 2023 के मध्य किया गया है। 40 विस्तृतीय क्षेत्रों पर जल गुणवत्ता मापन, 8 क्षयानी पर परिवेशीय धरा गुणवत्ता मापन, 8 क्षयानी पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 8 क्षयानी पर धरा गुणवत्ता मापन, 2 लोडों पर जल गुणवत्ता तथा 8 क्षयानी पर धरा के नमूने एकाडिमिक कर विश्लेषण किया गया है।
- भौमिकारिंग परिणामों के अनुसार फैलू, एसओ, एनओ, का सानदण लेवल—

Concentration level ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Maximum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CPCB Standard ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
PM _{2.5}	26.28	43.58	60
PM ₁₀	47.2	66.5	100
SO ₂	9.08	14.63	60
NO ₂	11.30	20.24	60

- परिवेशीय स्थल की विवरण— ई-आई-ए का Chapter Description of environment में वर्णित ऐसे दो उत्थान अनुसार अधिकात्म, मार्डिनिंग, उत्थान, कार्बोगेटर, लोल, आस्ट्रेनिक एवं उत्थान नामांकित कराई का सानदण तेजत भावीय भावक से कम है।

- परिवेशीय धरा—

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)

Day Line	40.54	81.39	75
Night Line	40.67	82.41	70

जो लकड़ी के नियांसित मानक सत्र ही कहा गया है।

- v. पी.सी.यू. की गणना— जाली वाहनों / नल्टीएफवाल इंजी वाहनों को समाहित करते हुये दृष्टिकोण अनुपयन रिपोर्ट प्रक्रूज़ की गई है, जिसके अनुसार कीमत में 1,830 पी.सी.यू. प्रतीक्षित पूर्व की/सी अनुपयन (P/C ratio) 0.122 है। प्रकल्पित वरियोजना उपलब्ध इंजी वाहनों की तुलि भी है। अन्यथा कुल 2,022 पी.सी.यू. इंजीकंटा इंजी की/सी अनुपयन (P/C ratio) 0.14 होती है। प्रिस्तार के उपरांत भी री-कॉर्टरिटल/इंजीकंटा के वरिचारण हेतु सदक गांव की लेबल लैविंग क्षमता नियांसित मानक (Excellent 0.0-0.2) के बीच है।
14. लोक सुनवाई दिनांक 11/01/2023 अपवाह्न 1200 बजे, खड़ान — आदिवासी सम्बुद्धिक भवन, एम-सुनवाईटा, तालसील-याटा, जिला-दुर्ग में वरिचार हुई। लोक सुनवाई वलताविक सदस्य सदिक, आदिवासी पर्यावरण संखार मंडल, नवा लंबपुर अटल नगर, जिला-सामुद्र के पार दिनांक 16/03/2023 द्वारा प्रिचंड किया गया है।
20. आगस्तावाई के दीर्घन सुन्दर रूप से जिम्मा सुझाय/विचार प्रक्रूज़ किये गये हैं—
- खदान से बहती जला हुआ है एवं बहती जल आगनवाड़ी कुछ दूरी पर है।
 - खदानों से बहत उत्तरार्द्ध होता है।
 - खदान से बहती जले होने के कारण बालिंग से अत्यधिक परेशानी होती है।
 - खदानीय जलों की दीर्घनार में प्राथमिकता देना चाहिए।
- लोक सुनवाई के दीर्घन उत्तरार्द्ध यादे जिम्मेवाले जुद्दों के नियाकरण की दिशा में वरियोजना प्रकल्पकों की ओर जी उपरिक्षित प्रतिविधि/कंवलटर का काम नियन्त्रित है—
- लीज के पास यो आगनवाड़ी है, एम-प्रोटोकल जैसे ही खदान दौरी, खदान के बालू होने के पूर्व ही आगनवाड़ी के लिए नये जिम्मेवाले जिम्मेवाले जाएंगे।
 - बहत उत्तरार्द्ध के नियाकरण हेतु लीज कोड के बारी और प्रयोग दर्ते हैं ही जिम्मेवाले कराकर सुखातेपन किया जाएगा। यात्र ही बहती साढ़क पर जल प्रक्रियावाले किया जाएगा।
 - बालिंग का कार्य अधिकृत जिल्लोटक लाईसेंस द्वारा द्वारा जिम्मेवाले दिन में एक बार की जालगी। यात्र ही बालिंग के पूर्व हुटर द्वारा सुनित किया जाएगा।
 - खदान में जाम करने के लिए खदानीय बुलाविंग की प्राप्तिकता ही जाएगी।
21. बलकटर हेतु जीमग इन्वायरोमेंटल ऐनेजमेंट खदान — वरियोजना प्रकल्पक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुये बलकटर में कुल 28 खदानी जाती है। अल-बलकटर में शामिल खदानों द्वारा जीमग इन्वायरोमेंटल ऐनेजमेंट परान प्रक्रूज़ किया गया है। जीमग इन्वायरोमेंटल ऐनेजमेंट खदान के द्वारा जिम्मेवाले वल्यू द्रव्यावधि है—

क्रियाएँ	प्रथम (लाखों)	द्वितीय (लाखों)	तृतीय (लाखों)	चतुर्थ (लाखों)	पंचम (लाखों)
पहुंच मार्ग (10 किमी) की दोनों ओर से रास्ता (2,667 नम्बर) कुआरोंपाल हेतु रास्ता	कुआरोंपाल (पीडी प्रतिशत जीवन दर) हेतु रास्ता ट्रॉ-गार्ड हेतु रास्ता चाव हेतु रास्ता सिंचाई हेतु रास्ता रख-संराप हेतु रास्ता	5,00,000 61,30,600 50,010 12,00,000 9,60,000	50,610 — 5,010 12,00,000 9,60,000	50,610 — 5,010 12,00,000 9,60,000	50,610 — 5,010 12,00,000 9,60,000
कुल रास्ता = 1,77,12,800	88,60,300	22,15,626	22,15,626	22,15,626	22,15,626

वर्तमान इन्हाकले मेठाल मेंटेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की वाहनाभिता निम्नानुसार होगी:-

क्रियाएँ	प्रथम (लाखों)	द्वितीय (लाखों)	तृतीय (लाखों)	चतुर्थ (लाखों)	पंचम (लाखों)
पहुंच मार्ग (248 किमी) की दोनों ओर से रास्ता (232 नम्बर) कुआरोंपाल हेतु	कुआरोंपाल (पीडी प्रतिशत जीवन दर) हेतु रास्ता ट्रॉ-गार्ड हेतु रास्ता चाव हेतु रास्ता सिंचाई रख-संराप हेतु रास्ता	17,632 2,15,600 1,740 74,973	1,748 — 180 74,973	1,748 — 180 74,973	1,748 — 180 74,973
कुल रास्ता = 6,17,549	3,09,945	76,901	76,901	76,901	76,901

22. कौपिस्ट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के सभी विस्तार से वार्ता आयोजित निम्नानुसार विस्तृत प्रकार प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
46	2%	1.32	Following activities at nearby, Village-Chankatta Pavitra Van Nirman	12.19
			Total	12.19

23. सीईआर के अनुगत परियोजना मिशन के तहत (नीचे आगे कहां, कहां, कहां, जागून, अविला, अन्नलाला, कह, पीपल आदि) कुआरोंपाल हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 236 नम्बर पीसी के लिए रास्ता 17,176 लाखों, कलंगवा के लिए रास्ता 1,02,800 लाखों, चाव के लिए रास्ता 1,710 लाखों, सिंचाई तथा रख-संराप आदि

के लिए राशि 2,26,000 करोड़। इस प्रकार ग्रन्थम वर्ष में कुल राशि 3,47,886 करोड़ तथा आवासी 4 वर्ष में कुल राशि 8,71,712 करोड़ हैं। चाहकतान अब जल विद्युत ग्रन्थम लिया गया है। साम पंचायत मुनिकाल्टा द्वारा भी विकास अवधारणा, कुल लीज लेवल 3.08 हेक्टेयर तक भी विकास अवधारणा, कुल लीज लेवल 1.86 हेक्टेयर की भी उआर के अंतर्गत परिव्र बन विनियोग हैं। खाली कमाल 404 के क्षेत्रफल 0.31 हेक्टेयर में सहन्वित प्रदान की गई है।

24. जलसटर हेतु जीमेन इन्हायरीमेट मेनेजरेंट प्लान देखार कर समस्त खादनी को एक बाली में प्रदर्शित करते हुये जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

25. जलसटर में जाने वाले समस्त खदानी हारा जीमेन इन्हायरीमेट मेनेजरेंट प्लान के तहत किये जाने वाले कार्यों हेतु अनुबंध करतारन जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

26. जलसटर में जाने वाले समस्त खदानी को लिए देखार जीमेन इन्हायरीमेट मेनेजरेंट प्लान हेतु सभी खदानी को अलंकार एवं देखार सहित खदानी में दर्शी हुई पुनर्नीजित कर प्रस्तुत किया गया है।

27. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तुतका हारा बताया गया कि यह एक नवीन खदान है, जो पूर्व की ही जारीनी है। हारा संबंध में जारीत का गत है कि उससे जारीनी को (बहिर्भूमिका 7.5 मीटर सीढ़ी सीढ़ी पट्टी) के पुनर्मान द्वारा प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।

28. परियोजना प्रस्तावका हारा फ्लोरा (Flora) एवं फॉना (Fauna) की जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

29. लोकपुनरावृ के दौरान उठाये गये समस्त आलोचन दूर्ण किये जाने वाले जापा पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

30. ग्राहीशामाइ अदारी पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों की शीजामार दिये जाने हेतु जपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

31. जीमेन इन्हायरीमेट मेनेजरेंट के तहत यह की चुंडी का उत्पादन पर्यावरण की हित के लिये जाने वाले सम्बन्ध पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

32. लौज सीधे की सीमा में अरो 7.5 मीटर की घट्टी में जीसिय कराकर गुआरीपन करार किया जाएगा। लौज सीधे की सीमा में आरो 7.5 मीटर की घट्टी एवं जीमेन इन्हायरीमेट मेनेजरेंट प्लान के तहत किये जाने वाले गुआरीपन तथा सीईआर के तहत नियारित कार्यों की जानकारी कियोट्या (Geotag) औटोग्राफ्स सहित अंदरानीक रिपोर्ट में जारीत करते हुये प्रस्तुत किये जाने वाले जपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

33. ब्लास्टिंग का कार्य कीजीएसएस, हारा अधिकारी कियोट्या कार्डीस जापा (Explosive License Holder) हारा कार्यों जाने वाले जापा पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

34. ग्राही निटटी की लौज सीधे के बाहर भवारित कर संरक्षित रखी जाने हेतु निटटी का दुलालीय न करने, रिक्त न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं हारा निटटी का उपयोग पुनर्मान में किये जाने वाले जपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

35. साइरिन लैंड की ओर भारत गुदामोपय निये जाने एवं दोषित वीको का सम्पादित पैट (Survival rate) ६० अंतिमत गुदिशित विनो जाने वाले उपलब्ध एवं (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
36. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कम्पनीजन नियम (Minerals Concession Rule) की तरह बदलावी विलासी द्वारा सीमावन्न वग वर्त्ये गुदिशित विनो जाने वाले उपलब्ध पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
37. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपलब्ध पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विलम्ब इन परियोजना/खदान से संबंधित केंद्रीय न्यायालयीन प्रक्रम देश की अंतर्भूत विनी भी न्यायालय में लम्हित नहीं है।
38. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपलब्ध पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विलम्ब भारत सरकार, परिवर्त्य वन और जलवाया वरिकार्ड संचालन वी अधिनियम का L.A. 804(3), दिनांक 14/03/2017 की अंतर्भूत केंद्रीय न्यायालय का अनुरूप लम्हित नहीं है।
39. नीमित्य में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये विना सुलझाने नहीं करने एवं सुलझाने शामल ही अधिक सुलझाने वर्त्ये नहीं विनो जाने वाले उपलब्ध पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
40. परियोजना प्रस्तावक द्वारा कियी भी छापर का दूषित जल का प्रयाह प्राकृतिक जल संतोत, राताराय, नदी, नदा में नहीं विनो जहाने वाले उपलब्ध संचालन विनो जाने वाले उपलब्ध पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
41. फूलजिटिंग झकट दालार्कीन के नियंत्रण हेतु निर्धारित जल वितरण किये जाने वाले उपलब्ध पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
42. जायेटिंग होम में रियल एस्टेटों की अपालिंगी की जानकारी प्रस्तुत किया जाएगा। इसकी उपलब्ध एस्टेटों की वायरलता बढ़ने पर ही कटाई सभग प्राप्तिकारी ही अनुमति दापरात ही विनो जाने वाले उपलब्ध उपलब्ध पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
43. सीईआर के अंतर्भूत विनो जाने वाले कुआंठेप्पा का ५५ वर्षी तक रद्द-रखाय विनो जाने वाले उपलब्ध पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
44. पर्यावरणीय संदूषक (एक्सी) भारत के माननीय सर्विच्छा न्यायालय, महाननीय सुन्न न्यायालय, माननीय राष्ट्रीय सीन ट्रिब्युनल (एनपीटी) और कियी भी सभ्य न्यायालय के आदेश/नियंत्रण की अंतीम है। सुनान्द जारी की जही जो लागू हो सकती है, सभी जाती का जलन किये जाने वाले उपलब्ध उपलब्ध पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
45. परियोजना प्रस्तावक द्वारा We will comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 2nd August 2017 in Var Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause Vs Union of India and Others before commencing the mining operations. वाले उपलब्ध पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
46. परियोजना प्रस्तावक द्वारा We will comply. The State Government shall ensure that mining operations shall not be commenced till the entire compensation levied if any, for illegal mining paid by the Project Proponent through their respective Department of Mining & Geology in strict compliance of Judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 2d

August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause Vs Union of India and Others. भारत सरकार पर (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

47. चरित्रीजना प्रस्तावक द्वारा "We will Comply the mitigation measures provided in MOEF&CC OM No. Z- 11013/57/2014-(A, P/M) dated 29/10/2014 titled Impact of Mining activities on Habitations- issues related to the mining projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area." भारत सरकार पर (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
48. चरित्रीजना प्रस्तावक द्वारा "We will Comply, we inform to MOEF&CC/SDIAA for any change in ownership of the mining lease. In case there is any change in ownership or mining lease is transferred. Project Proponent need to apply for transfer of Environmental Clearance as per provisions of the para 11 of EIA Notification, 2006, as amended from time to time." भारत सरकार पर (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
49. सीईआर, जारी एवं 7.5 मीटर की लीपा पट्टी में बुलाईपाल कार्ड की मानिसनीय एवं पर्यावरण संतुष्टि-पर्यावरण/प्रतिनिधि, साथ पर्यावरण के पदार्थिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या सरकारीसंगठन पर्यावरण संबंधी ममता के पदार्थिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। जाय ही सीईआर एवं 7.5 मीटर की लीपा पट्टी में बुलाईपाल का कार्य पूरी किये जाने के उपरांत गठित पर्यावरण समिति से सहायिता करना चाहिए आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार किए जाने वाले सवैसम्बंधी से निम्नानुसार निम्न लिया गया-

1. अधिकारी कलेक्टर (भौमिक खाता), जिला-दूर्ग के ज्ञापन इमारत 1146/खानी तिलू/भौमिक/2021 द्वारा, दिनांक 28/10/2021 के अनुसार आवेदित खदान की 800 गीटर की गीतर आवेदित 28 घडाने, कोरकल 41.486 हेक्टेयर है। जाय ही जाका जारी पर्यावरण प्रस्तावित खदान की 800 गीटर की परिधि में अन्य 2 खदानों की आकृत्य पर जारी किया जाया है, जिसका कोरकल 4.92 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (एम-दुगवडटा) का कोरकल 1.80 हेक्टेयर है; इस प्रकार आवेदित खदान (एम-बुमारटा) का जिलावार कुल कोरकल 48.266 हेक्टेयर है। खदान की लीपा सी 800 गीटर की परिधि में खींका/सामाजिक खदानों का कुल कोरकल 5 हेक्टेयर से जटिल होने के बालंग यह खदान की-1 शेषी रही जानी गई।
2. भारत सरकार, पर्यावरण, जल और जलवायी परिवर्तन संबंधीय नई दिल्ली द्वारा जारी हुआई ए. अधिसूचना, 2006 (एसा पारोंडित) के प्रावधानी एवं जननीय एन. जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार जलस्टर ने आने वाली खदानों की जलखनन वित्तियिकों से पर्यावरणीय प्रदूषकी दर पहुँचे जाते प्रमाणों की दीपदाम हेतु जलस्टर ने अने वाले समस्त खदानों की जानिम करते हुए, जलस्टर हेतु कौमग इन्व्हायरोमेट मैनेजमेंट एजेंसी द्वारा कियी जाने तथा कियाजित करने हेतु पांचालक, संचालनालय, गोपिती तथा जानिमने इंद्रावाली नवन, नवा सामुद्र अटल नवर, जिला - लखपुर (उत्तीर्णगढ़) के जल त्री पर्यावरण वार्षिकी किये जाने हेतु निरीक्षित किया जाए।
3. नईन लीज सेक्टर के जारी ओर 7.5 गीटर गीते सेपटी जीर्ण में किये गये खालाना हेतु जलव जल दोषों के विलुप्त कार्योंकी हेतु संचालक संचालनालय,

भीमिली तथा चानियनी, इंद्रावली बड़वा, नवा राजपुर झटक नगर, जिला – राजपुर (अस्तीतिशास्त्र) को लेकर किया जाए।

4. प्रतिवर्षित 7.5 मीटर ऊँची सौंभा पट्टी में अधिक दृश्यता आये जाएं परं यह भी उपर्युक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु साधारण, संधारनालय, भीमिली तथा चानियनी एवं पर्यावरण की शर्ति पहुंचाने हेतु अस्तीतिशास्त्र वर्षावरण संडल, नवा राजपुर झटक नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कियी जाने हेतु लेकर किया जाए।
5. नवा राजपुर नियम द्वारा (प्रतिवर्षित 7.5 मीटर ऊँची सौंभा पट्टी) के मुनाफात ऐसे उपर्युक्त व्यापार को दूर करने के लिए अस्तीतिशास्त्र में आवश्यक सब से प्रत्युष बदलने की गई की अदीन पर्यावरणीय रक्षाकृति की गतीय अनुशंसा की जाती है।
6. नियमित द्वारा जिला नियमी चापारांत सार्वजनिक से आवेदक – ऐसी सुनकरदटा उपर्युक्त स्टोन लाईन (प्रो- वी नियमानुसार आवश्यक) को राम-मुनकरदटा तहसील-पाटन, जिला-दुर्ग के पाटे वाँक खाली गांव 49, 50, 51, 52 एवं 53/1 में स्थित चूना बाल्य (रोप चानियनी) खादान, कुल शेषफल-1.86 एकड़ेयर, उत्तरावन शम्भा-19,900 रुप विनायक द्वारा वर्षीय रक्षाकृति की गई वर्षीय वर्षावरणीय रक्षाकृति द्वारा जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य सार्वीय पर्यावरण व्यापार आकालन विभाग (एस.ई.आई.ए.ए.), अस्तीतिशास्त्र को राजानुसार लूप्तित किया जाए।

11. मेसर्स भुनकरदटा लाईन स्टोन लाईन (प्रो- वी नियमानुसार आवश्यक), राम-मुनकरदटा, तहसील-पाटन, जिला-दुर्ग (नियमित वर्षावरण का नमूनी क्रमांक 1851)

अनियताईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नमून – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 63583/ 2021, दिनांक 19/ 12/ 2021 द्वारा दीर्घांतर हेतु आवेदन किया गया था। नमूना में प्रपोजल नमून – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 432373/ 2023, दिनांक 08/ 06/ 2023 द्वारा पर्यावरणीय रक्षाकृति प्राप्त करने की लिए काईनत हुआईए रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रकल्प का विवरण – यह प्रकल्पित चूना बाल्य (रोप चानियनी) खादान है। खादान राम-मुनकरदटा, तहसील-पाटन, जिला-दुर्ग जिला लक्षण गांवक 37(पाटी), 38(पाटी), 42(पाटी), 43(पाटी), 44(पाटी), 45(पाटी), 46(पाटी), 47(पाटी), 48(पाटी), 49(पाटी), 50(पाटी) एवं 51(पाटी), कुल क्षेत्रफल-3.00 एकड़ेयर में छालायित है। खादान की आवेदित उत्तरावन शम्भा-86,200 रुप प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.वी. अस्तीतिशास्त्र के आधान दिनांक 29/ 04/ 2022 द्वारा प्रकल्प ची-1 कीटोनारी का होने के कारण चारसा लारवास, बन और जालवायु वर्णिकान विचारण द्वारा आवेदन, 2018 में प्रकाशित रक्षाकृति दर्ती भीक रिपोर्ट (टीआईआर) फैर ई.आई.ए./ ई.एम.पी. रिपोर्ट वॉर ग्रोवेंटस/ एवटीपिटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट नलीयरेस अपकल हुआईए नोटिफिकेशन, 2008 में जीर्णत क्रमी 1(प) का नटेंडर ईमोशन अन्तिम चुनावाई शहिल) का की दिया गया है।

राजानुसार परियोजना प्रकल्पक को एस.ई.ए.वी. अस्तीतिशास्त्र के आधान दिनांक 02/ 08/ 2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु लूप्तित किया गया।

विनायक का विवरण –

(अ) नियमित वर्ष 440वीं दिनांक 10/ 08/ 2023।

प्रस्तुतीकरण है जो किंवा अधिकारी प्रीप्रोटोकॉल एवं कार्यवाल समाजपान की रूप में गैरपाली की दृष्टि एवं शोल्यगान, नीरज, उत्तराखण्ड की ओर से जो सुभाष कुमार उपरिकृत हुए। उपरिकृत हुए।

1. पूर्व में जारी कार्यवालीय कीवूति संबंधी विवरण— इस वादाम की पूर्व में कार्यवालीय कीवूति जारी नहीं की गई है।
2. आम प्रशासन का अनापेक्षित प्रमाण यज्ञ — उत्तराखण्ड के सरकार में आम प्रशासन पुनर्वद्धा का दिनांक 01 / 10 / 2021 को प्रस्ताव भारीत किया गया एवं दिनांक 10 / 10 / 2021 का अनापेक्षित प्रमाण यज्ञ प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्तराखण्ड योजना — योजना यज्ञ प्रस्तुत किया गया है, जो संगुरु—संघालक (स.प.), संघालनालय, भीमिकी तथा चान्दोली, नक्क चाप्पुर छठल नगर की जापन क्रमांक 4816/खनि 02/आप.अनुसंधान/न.क्र.06 / 2020(2) नक्क चाप्पुर दिनांक 08 / 09 / 2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. 800 मीटर की परिधि में वित्त वादाम — कार्यालय कलेक्टर (खनिज जाता), जिला—दुर्ग के जापन क्रमांक 1148/खनिज.02/खनिज /2021 द्वारा, दिनांक 28 / 10 / 2021 के अनुसार आवेदित वादाम से 800 मीटर की भीतर अनापेक्षित 25 वर्षावारे, कोपकाल 41.486 क्रैश्टेयर है। साथ ही उक्त जारी प्राप्त अनुसार अनापेक्षित वादाम के 800 मीटर की परिधि में अन्य 2 स्वादाम हेतु नवीन अल्काय पर जारी किया गया है, जिसका यूल दोषकाल 3.7 क्रैश्टेयर है।
5. 200 मीटर की परिधि में वित्त वार्षिकीय क्षेत्र/संरक्षणाद् — कार्यालय कलेक्टर (खनिज जाता), जिला—दुर्ग के जापन क्रमांक 1148/खनिज.02/खनिज /2021 द्वारा, दिनांक 28 / 10 / 2021 द्वारा जारी प्राप्त यज्ञ अनुसार उक्त वादाम से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र यीसे गढ़िर जात्याल, नक्क, दुर्ग, एनीकट, राजगांव, राष्ट्रीय राजमार्ग, ऐल जाईन एवं जात आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. एल.ओ.आर. संबंधी विवरण — एल.ओ.आर. की विकास जापाल की नाम यह है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज जाता), जिला—दुर्ग के जापन क्रमांक 155/खनिज/स.प./2021 द्वारा, दिनांक 22 / 06 / 2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी विवरण जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक रही थी। जापालजात एल.ओ.आर. की विवरण दृष्टि वाचा न्यायालय संघालक, भीमिकी तथा चान्दोली, नक्क चाप्पुर अटल नगर के पुनरीकान प्रकरण क्रमांक 80 / 2022 द्वारा जारी प्राप्त जादेज दिनांक 09 / 11 / 2022 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार “उपरोक्त विवेचन के अधार पर पुनरीकान प्रकरण कीवीकार करती हुये, यह विवेचित किया जाता है कि अतीतगढ़ गीम खनिज विकास 2016 के नियम 42(6) परन्तु के तहत उक्त प्रकरण ने एवं विवरण स्थीरता प्राप्त होने उपरोक्त संरक्षण वद्दा कीवूति की कार्रवाही पूर्ण करने हेतु अधिकृत समस्यावृत्ति वादाम करते हुए प्रकरण कलेक्टर, जिला दुर्ग की प्रत्यावर्तित किया जाता है।” होमा वाला यह है।
7. शु—व्यापिक्ष — भुग्नि गाँव और जात्याल क्रमांक 37, 44 एवं 45 की जागित कुमार लाल की जन्मदर बुक्कर, पाट और जात्याल क्रमांक 39, 43 एवं 47 भीमती नीरज, पाट और जात्याल क्रमांक 42 एवं 46 भी भोला जाकर अद्यताल, पाट और जात्याल क्रमांक 45 भीमती भोहनी देवी मिथा, पाट और जात्याल क्रमांक 60 भी तुलसी



ताम विभा, चार्ट लीफ खाता क्रमांक 51 की ताम पर्याल मिला के नाम पर है। उत्तराखण्ड हेतु भूमि स्वामियों का सहजता पर की प्रति प्रस्तुत नहीं गई है।

8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – की 2018 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत नहीं गई है।
9. बन दिलाग का अनापलित इमारत पर – कार्यालय बनावाहनालियां दुर्ग बनावाहन, दुर्ग के आपन जनाक/सकारात्मि/2020/4818 दुर्ग दिलाग १५/१३/२०२० की जारी अनापलित प्रभाग पर आवाहन अंतर्दित कोड निकालान का क्रीड़ की तीव्रा से ८० किमी की दूरी पर है।
10. नहत्यपूर्ण उत्तराखण्ड की दृष्टि – निकालाम आवादी राम-दुनबद्दा २५० मीटर स्थूल राम-दुनबद्दा २५० मीटर एवं अस्पताल सेल्हू १ किमी की दूरी पर दिला है। राष्ट्रीय राजमार्ग ११ किमी एवं राजमार्ग ९०० मीटर दूर है। तालाब २१० मीटर उत्तराखण्ड नक्की १४ किमी दूर है।
11. वारिशिपिटिकीव/वीविपियता संकेनशील क्रीड़ – वारिशिपियता प्रस्तावक द्वारा १० किमी की परिधि ने छत्तीसगढ़ी की तीव्रा, राष्ट्रीय उद्धान, अस्पताल, कृन्दीप उत्तराखण्ड मियांग की द्वारा घोषित किटिकली पॉल्कुट्टै दुरिया, वारिशिपिटिकीव संकेनशील क्रीड़ का घोषित जीवीपियता क्रीड़ दिला नहीं द्वारा प्रतिक्रियित किया है।
12. उत्तराखण्ड एवं उत्तराखण्ड का विकास – विद्यालीयिकल दिला १५,२५,७७२ टन, वारिशिपित दिला ८,०१,२२२ टन एवं विकालारेक्ल दिला ५,४१,८८० टन है। लीज की ८.५ मीटर ऊँची तीव्रा यट्टी (उत्तराखण्ड के लिए वारिशिपित क्रीड़) का क्षेत्रफल ५,५६६ वर्गमीटर है। आपन बास्ट सेमी कैंडेनार्क्युल दिलि से उत्तराखण्ड किया जाएगा। उत्तराखण्ड की उत्तराधिकारी अधिकारी यट्टी २१ मीटर है। तीव्रा क्रीड़ में उत्तराधिकारी की योटाई ०.५ मीटर एवं याता ५,३४४ वर्गमीटर है। दिलामें से २,०४३ वर्गमीटर उत्तराधिकारी की तीव्रा कट्टी (७.५ मीटर) में लंतालव बुआरीपन के लिए एक्सप्रीस दिला जाएगा, ८६२ वर्गमीटर उत्तराधिकारी की हारिता यट्टी को उत्तराधिकारी याता को पुनः भवत्व में उपयोग किया जाएगा एवं २,३५० वर्गमीटर उत्तराधिकारी की ०.८७० वर्गमीटर एवं गाईशिंग क्रीड़ में संरक्षित रखा जाएगा। देश की ऊपराई ३ मीटर एवं ऊर्ध्वाई ३ मीटर है। उत्तराखण्ड की संनायित आयु ११ वर्ष है। लीज क्रीड़ में लंताल उत्तराधिकारी याता प्रवर्तावित नहीं है। जैक हैमर की विलिंग पर उत्तराधिकारी याता का उपयोग किया जाएगा। उत्तराखण्ड में ऊपर उत्तराधिकारी याता विवरण मिलाया गया है।

वर्ष	प्रवर्तावित उत्तराखण्ड (टन)
प्रथम	५४,९७०
द्वितीय	६०,२९०
तीव्रा	५६,२९०
चतुर्थ	५६,२९०
पंचम	५६,२९०

13. जल आपूर्ति – वारिशोयना हेतु आवश्यक जल की याता ७ वर्गमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति कोरेते की साध्यम से किया जाएगा। इस याता संन्दूल याता का अलीहिती हो जानुपर्ति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

14. युक्तारोपण कार्य – लौज शेज की सीमा में जल्दी और 7.5 मीटर की चढ़ाई में 1,113 नग पुकारोपण किया जाएगा। वरिष्ठोंना प्रभावकाल द्वारा लौज शेज की ओर पर्यावरणीय प्रबद्धन योजना के उल्लंग किम्बानुसार कार्य प्रभावित है।

विवरण	प्रधन (करों)	किटीय (करों)	तुरीय (करों)	गहुर्व (करों)	पंचम (करों)
खदान की पुकारोपण की राशि	84,588	8,436	8,436	8,436	8,436
पाराम्भिक में कोरिंग हेतु राशि (1,113 नग)	2,22,900	—	—	—	—
खार लैट राशि	8,400	840	840	840	840
सिंगार्ड हेतु राशि	1,20,000	1,20,000	1,20,000	1,20,000	1,20,000
स्टॉ-स्ट्राइप हेतु राशि	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000
कुल राशि = 14,32,892	6,31,888	2,25,276	2,25,276	2,25,276	2,25,276

15. खदान की 7.5 मीटर की ऊँची सीमा पट्टी में उत्तरानन – लौज शेज के जारी और 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 5.568 कर्नीटर हेक्टर है, जिसमें से 476 कर्नीटर ऊँची 4 मीटर की गहराई तक उत्तरानन है, जिसका उत्तरानन जलारी जलान में किया जाता है। इतिहायित 7.5 मीटर ऊँची सीमा पट्टी में उत्तरानन किया जाना पर्यावरणीय नियमों की शर्ती का उत्तरानन है। जिसित का कानून है कि इतिहायित 7.5 मीटर ऊँची सीमा पट्टी में अग्री उत्तरानन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रभावक के दिल्लद नियमानुसार जालायक कानूनी किया जाना आवश्यक है।

आगे ही समिति का यह भी मत है कि उक्त उत्तरानन क्षेत्र (इतिहायित 7.5 मीटर ऊँची सीमा पट्टी) के पुनर्भवार हेतु रिस्टोरेशन जलान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. उत्तराननीय है कि मानक सरकार पर्यावरण बन सर्व उत्तरानन परिवर्तीन नियम, नई दिल्ली द्वारा नीन कोल मार्फ़ानिंग लोअरवट्टर हेतु मानक पर्यावरणीय शर्त जारी की गई है। शर्त इसका नाम है अनुसार –

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 6 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार नईन लौज शेज के अंदर 7.5 मीटर ऊँचे सेवी ऊँचे में युक्तारोपण किया जाना आवश्यक है।

17. नीर मार्फ़ानिंग क्षेत्र – लौज शेज में 8,534 कर्नीटर हेक्टर को आकारी ऊँचे के जलाय नीर मार्फ़ानिंग शेज रखा जाता है, जिसका उत्तरानन अनुमोदित जलारी जलान में किया जाया है।

18. नीराहीए रिपोर्ट का विवरण –

- अल एव बगु आदि गुणकात्ता संबंधी जलायकारी – भौमिकीर्ण कार्य नार्य 2022 से मई 2022 के मध्य किया जाया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 जलानी पर गृ-जल गुणकात्ता मापन, 8

स्थानीय पर इसके साथ सापेक्ष 2 ग्रामीय पर जल की जल सुरक्षितता रखा है। स्थानीय पर मिट्टी के नमूने प्रकृति का विस्तृत विवरण दिया गया है।

ii. सामिटरिंग कठिनाई के कानूनी प्रैदृश्य, एवं लोकों का सामृद्ध लेवल—

Concentration level ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Maximum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CPCB Standard ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
PM _{2.5}	26.28	43.98	60
PM ₁₀	47.2	66.5	100
SO ₂	9.08	14.63	60
NO ₂	11.53	20.24	60

iii. परियोजना क्षेत्र के आसपास जल स्तरों की सुरक्षितता— ईआईए के Chapter Description of environment में दर्शाये गये उत्तर कानूनी वर्तीनायिक, नियन्त्रित, सामान्य, बहुविनियुक्त, और असीमित एवं अन्य तत्वावधिक तरहों का सामान्य लेवल मानक गानक ही रहा है।

iv. परिवेशीय शानि लेवल—

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise Level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L _{dn}	49.54	61.20	75
Night L _{dn}	40.07	62.41	70

जी उक्त श्रेणी के विवरित मानक ज्ञान से कम है।

v. पी.ओ.ए. की गणना— भारी वाहनों / मल्टीएक्सेल हैवी वाहनों को समाझित करते हुये ट्रैकिंग अध्ययन रिपोर्ट प्रमाणत की गई है, जिसके अनुसार कीमान में 1.830 और सी.ए. प्रतिघटा एवं ची.सी.ओ. अनुपात (VOC ratio) 0.122 है। प्रकृतावधिक परियोजना वर्षांत 182 पी.ओ.ए. की वृद्धि होगी। ताकथांत कुल 2,022 पी.ओ.ए. प्रतिघटा एवं ची.सी.ओ. अनुपात (VOC ratio) 0.14 होगी। विस्तार के उपरांत भी यी-गटरियल/प्रौद्योगिक से परिवहन हेतु जड़क वर्ग की लोअर कैंसिंग अन्तर्गत विवरित मानक (Exceller 0.0-0.2) को खींचा गया है।

19. स्लैक सूनवाई दिनांक 11/01/2023, जनवारी 12:30 बजे, स्थान — आदिवासी सामुदायिक भवन, छाम-सुनवान्टा, ताहसील-फाटन, जिला-तुर्म में सापना हुई। स्लैक सूनवाई दस्तावेज़ शादीय तिथि, अलीशाह पर्यावरण संस्कार फैलाल, नवा राष्ट्रपुर अटल नगर, जिला-शायगुर के पत्र दिनांक 16/03/2023 द्वारा प्रेसित किया गया है।

20. जनसूनवाई को दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं—

- खदान की बहानी लगा हुआ है एवं उसकी जल आपनवाही कुछ दूरी पर है।
- खदानों से जल सामर्ज्य होता है।
- खदान से बहानी लगे होने के कारण बहासिटूर से आवधिक परेशानी होती है।
- खदानीय लोगों को संज्ञान से प्राप्तिवशता देना चाहिए।

लोक सुनावाई के दौरान चठायी गयी विश्लेषण सुदूरों की जिम्मा में परिवारीजना प्रसारणकारी की ओर से उपर्युक्त प्रतिपिक्षि/कांक्षाटीट का रूपमें विस्तारनुसार है:-

- i. लीज की पारा जी आगवाही है, प्राप्त चठायत वीजों ही जमीन हेती बदान के बारे होने के पूर्व हम आगवाही के लिए वही विश्लेषण का विमीन करनायगे।
 - ii. बस्ट चलार्जन के नियंत्रण हेतु लीज सेवा की बाटी और प्रधान वर्ष में ही कीरिय करावाय प्रसारण किया जाएगा। बाय की कब्जी भारक पर जल विद्युताय विकाय जाएगा।
 - iii. बलार्टिंग का जाय अधिकृत विस्फोटक लाइसेंस घारक द्वारा जिम्मा रहार वह दिन में एक बार की जाएगी। बाय ही बलार्टिंग के पूर्व बूटर द्वारा सुधित किया जाएगा।
 - iv. बदान में बाम जाने के लिए स्थानीय समाजिकों की प्राधिकरण की जाएगी।
21. बलस्टर हेतु कीमत इन्हायरीमेटल मेनेजमेंट प्लान – परिवारीजना प्रसारणक द्वारा बताया गया कि अन्वेषित बदान की सामित्र जलों हेतु बलस्टर में कुल 28 जलदाने आती है। अतः बलस्टर में सामित्र बदानी द्वारा लैंगम इन्हायरीमेटल मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। जीवन इन्हायरीमेटल मेनेजमेंट प्लान की अवृत्त निम्न जाय बतायी गई है:-

विवरण	अध्यम (लापद्म)	द्वितीय (लापद्म)	तृतीय (लापद्म)	चतुर्थ (लापद्म)	पंचम (लापद्म)
बूटर जारी (10 किमी) के दोनों द्वारक (\$ 6,667 नम)	स्थानीय प्रभाव हेतु जल द्वारक द्वारा कीमत \$ 1,33,800	8,06,682	80,616	80,616	80,616
स्थानीय प्रभाव हेतु जल द्वारक द्वारा कीमत \$ 12,00,000	—	—	—	—	—
स्थानीय प्रभाव हेतु जल द्वारक द्वारा कीमत \$ 9,60,000	9,010	9,010	9,010	9,010	9,010
कुल जारी = 1,77,12,806	88,50,302	22,15,626	22,15,626	22,15,626	22,15,626

22. लैंगम इन्हायरीमेटल मेनेजमेंट प्लान में परिवारीजना प्रसारणक की सहायीता के अंतर्गत प्रस्तुत प्रसारणक की गणना में जुटि है। अतः समिति का ज्ञा है कि लैंगम इन्हायरीमेटल मेनेजमेंट प्लान में परिवारीजना प्रसारणक की सहायीता के अंतर्गत प्रस्तुत प्रसारणक की गणना में जुटि सुधार का प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

23. कॉर्पोरेट एंवरायंस रिप्झर्ट (C.E.R.) – परियोजना प्रशासक द्वारा लीडर्सर (Corporate Environment Responsibility) हेतु संरचित के राह परिवर्तन और उपलब्ध नियन्त्रण प्रक्रम प्रयोग किया गया है।

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)		
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)	
		Following activities at nearby Village-Chankotta			
66		Pavitra Van Niyan		12.19	
		Total		12.19	

24. भीड़िआर के अंतर्गत "परिवर्तन वन नियन्त्रण" के तहत (भैम, आग, कोरत, कवद, जामुन, लागता, लमलाला, बढ़, दीपल आदि) प्रधारणपथ हेतु प्रस्तुत प्रशासन अनुसार 226 लग. फीटी के लिए राशि 17,176 रुपये, लैंसिंग के लिए राशि 1,02,800 रुपये, चार के लिए राशि 1,710 रुपये, सिलाई लग. रख-रखाव आदि के लिए राशि 2,26,000 रुपये, इस चक्रर पथम तरी में कुल राशि 3,47,696 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 8,71,712 रुपये हेतु घटकावार रथ वा नियन्त्रण प्रस्तुत किया गया है। इस परिवर्तन चुनकारुदा द्वारा भी विकास अदाकाल, कुल लीज लंबफल-3.00 हेक्टेएक्ट एवं भी विकास अदाकाल, कुल लीज लंबफल-1.00 हेक्टेएक्ट को भीड़िआर के अंतर्गत लंगुका परिवर्तन वन नियमीय हेतु विवरा प्रमाण 404 के लंबफल 0.21 हेक्टेएक्ट में दर्शायी प्रदान की गई है।

25. कलस्टर हेतु भैम इन्वायरेंट ऐनेजमेंट प्राप्त लैंबाव वन समस्या खटानी को एक नवीनी वै प्रदर्शित करती हुये जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

26. कलस्टर ने आने वाले समस्या खटानी द्वारा कौगन इन्वायरेंट ऐनेजमेंट प्राप्त के तहत दिये जाने वाले कार्यों हेतु अनुबंध छाराकर जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

27. कलस्टर ने आने वाले समस्या खटानों के लिए लैंबाव कौगन इन्वायरेंट ऐनेजमेंट प्राप्त हेतु जानी खटानी को ज्ञाता एवं देखाता सहित नवीनी में दर्शायी हुये पुनर्दर्शित कर प्रस्तुत किया गया है।

28. प्रस्तुतीकरण के दीर्घन उठाये गये समस्या ज्ञातावान पुरे लिये जाने वाले वावर वर्तमान (Notarised undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि वह एक भौमिक खटान है, जो पूर्व से ही प्रत्यक्षित है। इस संबंध में सन्विति का भाव है कि उचित नियन्त्रित हीज (प्रतिवित्ति 7.5 मीटर भीड़ी लीज यद्दृ) के पुनर्वाचन हेतु विकास विवरा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

29. लौकिकतावाही के दीर्घन उठाये गये समस्या ज्ञातावान पुरे लिये जाने वाले वावर वर्तमान (Notarised undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

30. उल्लिङ्गाह आदर्श पुनर्वाचन नीति के तहत ज्ञानीय लोगों को लैंबाव दिये जाने हेतु लंबफल वर्तमान (Notarised undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

31. कौगन इन्वायरेंट ऐनेजमेंट के तहत तब भी गई राशि का उपलब्ध पर्याप्तता के लिये जाने वाले वावर वर्तमान (Notarised undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

32. लीज क्षेत्र की सीधा मै बहो और 7.5 बीट्ट की घट्टी मै फैसिल करारन युआरीपण कार्य किया जाएगा। लीज क्षेत्र की सीधा मै बहो और 7.5 बीट्ट की घट्टी एवं कोमन इन्हारीकेट नेक्स्टेट परल के तहस किये जाने वाले युआरीपण तथा सीईआर के द्वारा नियोजित कार्यों की जानकारी कियोट्ट (Geotag) पोटोप्राप्त सहित अवैश्विक रिपोर्ट मै समाहित बनाए हुए प्रस्तुत किये जाने वाले वाचत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
33. ब्लास्टिंग का कार्य गैरी एवं एस. द्वारा अधिकृत नियोट्टक जावीली वाचत् (Explosive License Holder) द्वारा कार्ये पाने वाचत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
34. छपी निट्री की लीज क्षेत्र के बाहर भवतित कर संचालित रखे जाने हेतु निट्री का दुख्योग न करने, निक्षम न जाने एवं छन्द कार्यों मै दुख्योग नहीं किये जाने एवं इस निट्री का दुख्योग पुनर्बराव मै किये जाने वाले वाचत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
35. नाईविंग लीज क्षेत्र के अंदर साधन युआरीपण किये जाने एवं नीचि जीवी का उत्तराधिकार रेट (Survival rate) ८० प्रतिशत नुभितिक निये जाने वाचत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
36. परियोजना प्रस्तावक द्वारा नियस्ता कर्नसीलन नियम (Minerals Conservation Rule) के तहत कार्यान्वयी प्रिलिस द्वारा सीमावान कर कार्य सुभितिका किये जाने वाचत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
37. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विकास हुश परियोजना/वाहन से जांचित कोई नकारात्मक प्रकाश देख के अलगत विसी भी नकारात्मक मै लिया नहीं है।
38. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विकास वासा करकार, पर्यावरण, जन और जलवाया परिवर्तन विकास की अधिकृतिका केत्रा ८०४(३), दिनांक १४ / ०३ / २०१७ के अंतर्गत कोई नुस्खालिया का ज्ञान लेकरा नहीं है।
39. विधिय मै वायवितरीय स्वीकृति प्राप्त किये जिना उत्तरानन नहीं करने पूर्व उत्तरानन कामता से अधिक उत्तरानन कार्य नहीं किये जाने वाले वाचत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
40. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रयोग नाकृतिक जल बोत, तालाब, नदी, नाला मै नहीं किये जाने एवं इनके जलाना किये जाने वाचत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
41. न्यूलिटिय बक्ट उत्तरानन की नियन्त्रण हेतु नियमित जल नियुक्ति किये जाने वाचत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
42. आवेदित हेतु मै नियत दूसी की जलातियों की जानकारी प्रस्तुत किया जाएगा। सब्द ही दूसी दूसी की आवश्यकता पड़ने पर ही कटाई दाता इलिकारी से अनुचित संपर्क हो किये जाने वाले वाचत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
43. सीईआर की जानकारी किये जाने वाले युआरीपण का ८० कार्य तक रख-रखाव किये जाने वाले वाचत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

44. पर्यावरणीय मंत्री (ईसी) भारत के नानीय सचिव न्यायालय, नानीय राज्य सभा/लोकसभा, नानीय राष्ट्रीय दीन दिव्यवास (एनडीटी) और जिले की अन्तर्गत के आदेश/रिपोर्ट के अधीन हैं। वापरात् कारबंदी की तरीं जो जारी हो सकती हैं, सभी शर्तों का पालन किये जाने वाला उम्मीद (Notarized undertaking) जरूरी किया जाया है।
45. We will comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause Vs Union of India and Others before commencing the mining operations.
46. We will comply. The State Government shall ensure that mining operations shall not be commenced till the entire compensation levied if any, for illegal mining paid by the Project Proponent through their respective Department of Mining & Geology in strict compliance of Judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 2d August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause Vs Union of India and Others.
47. परियोजना प्रस्तावक द्वारा "We will Comply the mitigation measures provided in MOEF&CC OM No. Z- 11013/67/2014-LA.5(M) dated 28/10/2014 titled Impact of Mining activities on Habituation- Issues related to the mining projects wherein Habituation and villages are the part of mine lease areas or Habituation and villages are surrounded by the mine lease area." वापरात् उम्मीद (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
48. परियोजना प्रस्तावक द्वारा "We will Comply, we inform to MOEF&CC/SEIAA for any change in ownership of the mining lease. In case there is any change in ownership or mining lease is transferred. Project Proponent need to apply for transfer of Environmental Clearance as per provisions of the para 11 of EIA Notification, 2006, as amended from time to time." वापरात् उम्मीद (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
49. ली.ई.आर. नामी एवं १.५ बीटर की सीमा पट्टी में बुझारीपाल कर्तव्य के नीनिटिविंग एवं पर्यावरण ईनौ. डि-प्रीवीय समिति (प्रीपराइटर/प्रतिनिधि), इगम एकाडम की प्रबोधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन का छत्तीसगढ़ पर्यावरण संचालन मण्डल की प्रबोधिकारी/प्रतिनिधि) नहिं किया जाना उम्मीदवाला है। जाथ ती ली.ई.आर. एवं १.५ बीटर की सीमा पट्टी में बुझारीपाल का कारों पूर्ण किये जाने के उपरोक्त गठित डि-प्रीवीय समिति से सहमति कराया जाना उम्मीदवाला है।

समिति द्वारा विवार कियी गयी चर्चागति से जिलानुसार लिया गया-

- काठीलग कलेक्टर (जनिल खाडा), जिला-रुवी के ज्ञानन क्रमांक 1148/खानि. लि.02/खमिता/2021 द्वारा, दिनांक 28/10/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 बीटर की भौतिक जागरूकता २५ लाखमें, हीजफल ४१.४८८ हेक्टेयर है। जाथ ती खदान यारी एवं अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 बीटर की गणिति में अन्य ३ खदान हैं तु नहीं ज्ञानग पत्र जहाँ किया जाया है, जिसका कुल हीजफल ३७ हेक्टेयर है। आवेदित खदान (एग्म-बुनकट्टा) का हीजफल ३.०८ हेक्टेयर है। इस छाकान आवेदित खदान (एग्म-बुनकट्टा) को मिलाकर कुल हीजफल ४८.५७६ हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 बीटर की घटियी में ली.ई.आर. खदानी का कुल हीजफल ५ हेक्टेयर ती अदिक होने की कारण वह खदान ती-१ क्षेत्री की मानी गयी।

2. भारत सरकार, पर्यावरण, जल और संतराम विभागीय मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी हुआई अधिनियम, 2006 (जल संगोष्ठी) के अन्तर्गत जलसंगी एवं मानवीय एवं जीवी द्वारा जली आदेश के अनुसार जलसंगी में आगे बढ़ी जादानी की जलखगन एवं विधिविधायी से पर्यावरणीय गटकों पर बहने वाले प्रभावों की विकल्पन द्वारा जलसंगी में आगे बढ़ी जादानी की जानिल करी हैं। जलसंगी हेतु पर्यावरण इन्डियासोसाइट ऐंगेजमेंट यात्रा विधाय किंवदं जलसंगी हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खानिकार्य, इंडोपार्टी भवन, नदा रायपुर बाटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) की यात्रा किया जाए।
3. नदीन लीज बोर के बारी छोर 7.5 मीटर ऊंचे सेबटी जौन में जिसे नदी उत्तरानन हेतु जांच कर दी गी के लिक्ष्य कार्यवाही हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खानिकार्य, इंडोपार्टी भवन, नदा रायपुर बाटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) की यात्रा किया जाए।
4. प्रतिवर्षित 7.5 मीटर ऊंची सीमा पहुंच में उपरी उत्तरानन यात्रे जाने पर नदी पर्यावरण विभागनुसार आवश्यक जारीगाही जिसे जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खानिकार्य एवं पर्यावरण को अंति प्रयुक्ताने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संकाय बाटल, नदा रायपुर बाटल नगर की विभागनुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु सेबटा किया जाए।
5. जलसंगीत सीन (प्रतिवर्षित 7.5 मीटर ऊंची सीमा पहुंची) के नुनखाल द्वारा लेटोरेशन यात्रा की एसईआईएप, छत्तीसगढ़ में जावहरक राष्ट्र से प्रस्तुत यात्रे की जारी अंतीन पर्यावरणीय स्थीरता की जारी अनुशंसा की जाती है।
6. संचित द्वारा विकास विनायक उत्तरानन संसाधनों से ज्ञानकट्टा लाईन इटीन यात्रा (प्री- वी विकास अवकाश) की यात्रा-मुनकट्टा, लालसील-पाटन, जिला-दुर्ग के जलसंगीत क्रमांक 37(पार्टी), 38(पार्टी), 42(पार्टी), 43(पार्टी), 44(पार्टी), 45(पार्टी), 46(पार्टी), 47(पार्टी), 48(पार्टी), 49(पार्टी), 50(पार्टी) एवं 51(पार्टी) में विद्युत घृता चाप्तर (वीन खनिज) यात्रान् कुल दूरीकल-1.05 हेक्टेयर, उत्तरानन क्षमता-55,250 टन प्रतिवर्ष हेतु वॉरिशिप-04 में वर्णित जारी की अंतीन पर्यावरणीय स्थीरता की जाती है।
- पर्यावरणीय पर्यावरणीय प्रभाव आकाशन प्राधिकारण (द्वारा हुआईएप), छत्तीसगढ़ की विभागनुसार सुनिता किया जाए।

12. गैसली बहुवाहार संष्ट ज्वारी (संगीव/सराय, द्वाम पंचायत जमीनीहार), द्वाम-बहुवाहार, लहानील-बहुवाहार, जिला-रायपुर (संविधालय का नस्ती जन्मांक 2006)

अनिलद्वित ज्वारीन - ग्रामीज्जल नगर - एसआईए/ सीजी/ एमआईए/ 432784 /2023, विनायक 09 /06 /2023 द्वारा पर्यावरणीय स्थीरता हेतु ज्वारीन किया जाया।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेत जादान (वीन खनिज) है। यह जादान द्वाम-बहुवाहार, लहानील-बहुवाहार, जिला-रायपुर विधाय ज्वारीन क्रमांक 1, कुल दूरीकल-18 हेक्टेयर में से 2 हेक्टेयर के प्रस्तावित है। उत्तरानन द्वित ज्वारी ने किया जाना प्रस्तावित है। जादान की आवेदित उत्तरानन क्षमता-40,000 यानमीटर प्रतिवर्ष है।

उत्तराखण्ड परिवेशना प्रबलायक की एसटीएसी, उत्तराखण्ड के द्वारा दिनांक 03 / 08 / 2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

वैदेत का विवरण -

(अ) समिति की 480वीं बैठक दिनांक 10 / 08 / 2023-

प्रस्तुतीकरण हेतु आमदी अनुसार बहुत साधा, साधित, दाम पंचायत अनुदीहा उपस्थित है। समिति द्वारा नवीनी प्रस्तुत जानकारी का अनलोकन हर वर्ष परीक्षण करने पर निम्न सिद्धिति पाई गई-

1. पूर्व में आमी पर्यावरणीय बीमार्हि रामेश्वरी विवरण- इस खदान से पूर्व में पर्यावरणीय नवीनीति जारी नहीं की गई है।
2. दाम पंचायत का अनापत्ति द्वारा चल- ऐत उत्तराखण्ड के रामेश्वर में दाम पंचायत अनुदीहा का दिनांक 25 / 02 / 2023 का अनापत्ति द्वारा चल प्रस्तुत किया गया है।
3. विनाकिल/सीमांकित- कार्यालय कलेक्टर, उनियज जारा ही द्वारा प्रभाव पर उत्तराखण्ड यह खदान विनाकिल/सीमांकित कर प्रोत्तित है।
4. उत्तराखण्ड योजना- आमी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो रामी अधिकारी, जिला-ज़िलापुर के द्वारा प्रभाव का दिनांक 030 / खनि. 2 / रा. की. / 2023 रायगढ़, दिनांक 31 / 05 / 2023 द्वारा अनुमोदित है।
5. 500 मीटर की घरिषि में स्थित खदान- कार्यालय कलेक्टर उनियज जारा, जिला-ज़िलापुर के द्वारा प्रभाव का दिनांक 139 / खनि. 70 / 2023 ज़िलापुर, दिनांक 31 / 05 / 2023 के अनुसार आयोगित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य ऐत खदानों की संख्या निर्णक है।
6. 200 मीटर की घरिषि में स्थित सार्वजनिक बोर्ड/संचयनारू- कार्यालय कलेक्टर उनियज जारा, जिला-ज़िलापुर के द्वारा प्रभाव का दिनांक 139 / खनि. 70 / 2023 ज़िलापुर, दिनांक 31 / 05 / 2023 द्वारा आमी प्रभाव पर उत्तराखण्ड यह खदान के 200 मीटर की घरिषि में घोड़ी की सार्वजनिक लेज जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, संचायन, पुल, बांध, रक्कुत, झलकाल, बैंडर, भरियां, गुरुद्वारा, बांध एवं एकीकरण आदि प्रतिक्षेपिता हेतु निर्णित नहीं है।
7. एसओआई का विवरण- एसओआई, साधित, दाम पंचायत अनुदीहा के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (उनियज जारा), जिला-ज़िलापुर के द्वारा दामांक 38 / मीज खानिया / 2023 ज़िलापुर, दिनांक 24 / 04 / 2023 द्वारा जारी की गई, जो जारी दिनांक से 01 वर्ष की अवधि हेतु दिया है।

उत्तराखण्ड जासन, उनियज जालन जिलाप, अंजालप, बहुलदी भद्र, नवा ज़िलापुर अटल भवन द्वारा उत्तराखण्ड नीति उनियज जाराजन ऐत (उत्तराखण्ड एवं व्यवस्थापन) नियम, 2019 हेतु संशोधन अधिसूचना दिनांक 09 / 08 / 2023 की आमी ही नहीं है। उक्त अधिसूचना के नियम 4 अनुसार “उत्तराखण्ड पट्टों की कामायति-जाराजन ऐत के उत्तराखण्ड हेतु उत्तराखण्ड पट्टों पांच वर्ष की उत्तराखण्ड के लिए प्रयोग किया जाएगा। पांच वर्ष की अवधि की अपेक्षा जारी उत्तराखण्ड पट्टों प्रियेया के अंतीम दिनांक से किया जाएगा।” का उल्लेख है।

8. यह विभाग का अनापत्ति द्वारा चल- कार्यालय इनमण्डलप्रियारू, ज़िलापुर दामांकपूल, जिला-ज़िलापुर के द्वारा प्रभाव का दिनांक 021 / 4630, ज़िलापुर दिनांक 16 / 11 / 2021 से जारी प्रभाव चल की प्रति प्रस्तुत ही नहीं है।

9. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
10. सालवार्षी बारम्बानों की दूरी – निकटतम आवादी ग्राम—बलुवाबाहार 1 किमी. स्थूल एवं अनप्रतात ग्राम—लक्कारा 3 किमी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 27 किमी. राजमार्ग 17 किमी. दूर है। स्वीकृत रेत खदान के 1 किमी. की दूरी तक सुल/एनीकॉट स्थित नहीं है।
11. ग्राम स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी – आवेदन अनुसार खदान स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकातम 237 मीटर, औसतम 216 मीटर तथा खदान स्थल की लंबाई – अधिकातम 370 मीटर, औसतम 280 मीटर एवं खदान क्षेत्र की चौड़ाई – अधिकातम 64 मीटर, औसतम 60 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकातम 114.1 मीटर, औसतम 28.5 मीटर है।
12. खदान स्थल पर रेत की गहराई – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3 मीटर तक रेत खदान की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित गाइडिंग प्रावन अनुसार खदान में गहराईका रेत की गहराई – 40,000 प्रमाणीकृत है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर उत्खनन में उपलब्ध रेत स्थल की गहराई जानने के लिए प्रस्तावित स्थल पर 2 गहराई (40m) लौदकर उपलब्ध वापरादिका गहराई का व्यावरण कर, अनियंत्रित गहराई प्रस्तावित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत गहराई 2.05 मीटर है। रेत की वापरादिका गहराई हेतु प्रावन उत्खनन किया गया है।
13. खदान क्षेत्र में रेत स्तर के लेवल्स – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल में 25 मीटर युग्म 25 मीटर के लिए लिन्यूलों पर दिनांक 10/08/2023 की रेत स्तर के उत्खनन लेवल्स (Levels), लेवल, सभी वापरादिका विभाग से व्यापारीकरण उत्पादन फॉटोशाक्स लहित जानकारी/वकारेज प्रस्तुत किये गये हैं।
14. कौपीरिट कार्पोरेट रिप्पोर्ट (C.E.R.) – परियोजना प्रावाहक द्वारा भीड़आर (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के राज्य विभाग से पार्श्व उपरांत निम्नानुसार विवेत प्रस्तुत प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
20	2%	0.40	Following activities at Govt. Primary School, Village - Baluwabahar	
			Plantation	5.38
			Total	5.38

15. भीड़आर के आवादी स्थूल परिवर्त में वृक्षारोपण के लिए (नीम, छाम, महुआ आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 20 नग पीड़ी के लिए राशि 2,460 रुपये, फॉटोशेप के लिए राशि 35,000 रुपये, खदान के लिए राशि 1,000 रुपये, रिहाई लकड़ा रखा रखा आदि के लिए राशि 80,000 रुपये, इस प्रकार प्राप्त सभी

में मूल राशि 1,37,450 रुपये तथा आवादी 4 वर्ष में मूल राशि 4,00,980 रुपये हेतु प्रत्यक्षार व्यव का निकल प्रस्तुत किया गया है।

16. नीड्डार को उक्त प्रत्यक्षार का अधार्य (Principal) का सहायी व्यव प्रस्तुत किया गया है।
17. युक्तारोपण कार्य — नदी तट एवं पहुँच भाग में 800 नव युक्तारोपण जलने हेतु प्रत्यक्षार दिया गया है, जो निम्नानुसार है—

विवरण	प्रथम वर्ष (आवादी)	द्वितीय वर्ष (आवादी)	तृतीय वर्ष (आवादी)	चतुर्थ वर्ष (आवादी)	पंचम वर्ष (आवादी)
नदी तट एवं पहुँच भाग में (800 नव)	युक्तारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	20,000	2,800	2,800	2,800
पर्यावरण कार्य हेतु	पर्यावरण हेतु राशि	1,45,000	—	—	—
	साध राशि	4,000	4,000	4,000	4,000
	शिल्प रक्षा—रक्षण हेतु राशि	1,84,500	1,84,500	1,84,500	1,84,500
कुल राशि =	11,28,700	3,61,500	1,81,300	1,81,300	1,81,300

18. पर्यावरण प्रबंधन बोर्ड को आवादी जो गी राशि तथा नदी जाएगी उनका उपयोग पर्यावरण के लिये जाने वाला जलने वाला व्यव प्रत्यक्षार (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

19. कोर्पोरेट इंजीनियरिंग एंड प्रोजेक्ट्स (C.E.P.) को नदी नियंत्रित राशि का उपयोग दिये गये आवादी में ही लिये जाने वाला जलने वाला व्यव प्रत्यक्षार (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

20. अतीतगढ़ आदान पुनर्देव बीड़ी के उक्त स्थानीय लोगों द्वारा जो जलने हेतु उपयोग प्रत्यक्षार (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

21. पश्चिमिंग डस्ट उत्तराखण के नियंत्रण हेतु नियंत्रित जल उत्पादन लिये जाने वाला व्यव प्रत्यक्षार (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जलने वाले व्यव प्रत्यक्षार (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके लिये इस परियोजना/आदान से संबंधित कोई नदापालकीन उत्पादन योग के अलावत लियी भी नदापालन में लाभित नहीं है।

23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जलने वाले व्यव प्रत्यक्षार (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके लिये इस परियोजना/आदान से संबंधित कोई नदापालकीन उत्पादन योग के अलावत लियी भी नदापालन में लाभित नहीं है।

24. नीड्डार कार्य एवं नदी तट में युक्तारोपण कार्य के भौमिकाएं एवं व्यविधान हेतु विषय नियंत्रित इंजीनियरइंजीनियर/इंजीनियर, एवं पर्यावरण की विधिकारी/इंजीनियर एवं लिया प्रस्तावन या अतीतगढ़ पर्यावरण उत्पादन मण्डल की पर्यावरणिकारी/इंजीनियरिंग गठित किया जाना आवश्यक है। जलने वाली नीड्डार एवं

नहीं तो ये गुणार्थीय का कार्य पूर्ण किये जाने की सुविधा गठित हो—पर्याप्त समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

25. लीज शेइ के बाहर कीने लाए रखा रीमा लाइन की तरफ से लीमेट के बाहर जाना आवश्यक है ताकि लीज शेइ नहीं में उपर दृष्टिगोचर हो जाए।
26. ऐसा उत्तराखण्ड मैन्युफ्ल विभि से एवं भवार्ड का कार्य लोडर द्वारा जाना जानवारों का नहीं है कि लोडर द्वारा जब भारी वाहन की ओर जाए है। अतः भवार्ड का कार्य मैन्युफ्ल विभि से ही कर्ट्ट जावे। भारी वाहनों के नहीं में घोटा की अनुमति नहीं होगी।
27. परियोजना प्रकल्पात्मक द्वारा 2 वीट्ट की गहराई तक उत्तराखण्ड की अनुमति नहीं है। अनुमोदित उत्तराखण्ड लोडर में उत्तराखण्ड विभि जाने वाले शेइ की कार्यक ऐसा प्रकल्परण सांकेती अध्ययन कार्य एवं उत्तराखण्डी अधिकारी का समावेश नहीं किया जाया है। इस नहीं छोटी नहीं है तथा इसमें लोडरल भारी वाहनों के सामान्यात् 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का मूलभूत तोने की समावेश है।

समिति द्वारा विषय विनाई उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. अधिकृत खदान (एग्ज-बट्टुवाहार) का रेट्क्स 2 हेक्टेयर है। खदान की ऊंचा से 500 मीटर वरी परियोजि में स्वीकृत / संचालित खदानी का गुल लोडरल 5 हेक्टेयर का उत्तरांश होने के कारण यह खदान की 2 लेवली की नहीं गई।
2. परियोजना प्रकल्पक ऐसा खदान लोडर में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाढ़ अध्ययन (Expansion Study) करायेगा, ताकि ऐसा के फूलपारण (Replenishment) कारण नहीं अवश्य हो, ऐसा उत्तराखण्ड का नदी, नदीताल, खदानीय जनसंघर्षि, जीव एवं सूख जीवों पर दबाव उत्तरांश के बाही की गुणवत्ता पर ऐसा उत्तराखण्ड की प्रकल्प की जाही आगामकारी दाना ही नहीं।
3. लीज शेइ की खदान का वैशालीकृत खदान—
 - i. ऐसा उत्तराखण्ड प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्णयिति द्वारा विन्दुओं पर नहीं में ऐसा की जाता के लाई (Levels) का सर्वे कर, उसके आकार के उत्तरांश एस-आई-आई-ए-ए-एलटीसीएल की प्रकृति किया जाए।
 - ii. पीस्ट-मानसून (प्रस्तुवर/ नवम्बर तारीख में ऐसा उत्तराखण्ड प्रारंभ करने के पूर्व) इन्हीं दिन विन्दुओं में मार्झिनग लीज शेइ तथा लीज शेइ के अपर्याप्तीय एवं उत्तराखण्डीय में 100 मीटर तक लहर खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के शेइ वे नदी जाता के लाई (Levels) का सर्वे पूर्व निर्णयिति द्वारा विन्दुओं पर लिया जाएगा।
 - iii. इसी प्रकार ऐसा खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई तारीख के अंतिम मासांह/ जून की दूसरी अंतिम तारीह) इन्हीं दिन विन्दुओं पर ऐसा जाता के लेवल्स (Levels) का सर्वे पूर्व निर्णयिति द्वारा विन्दुओं पर लिया जाएगा।
 - iv. ऐसा जाता के कूर्च निर्णयिति द्वारा विन्दुओं पर ऐसा जाता के लेवल्स (Levels) के सापन का कार्य आगामी 6 लाई तक निरतर किया जाएगा। पीस्ट-मानसून के आकारे दिसम्बर 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 एवं ग्री-मानसून के आकारे अगस्त 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 तक अनिवार्य कार्य से एस-आई-ए-ए-एलटीसीएल की प्रकृति किए जायेंगे।
4. समिति द्वारा विषय विनाई उपरांत सर्वसम्मति से यैसांस बल्टुवाहार लोग्ग कीर्ति (संविधि/ सरपंच, एग्ज-बट्टुवाहार अधिकारी), खदान ग्रामांक 1, एग्ज-बल्टुवाहार, 44 वीं 100

ताहसील-कनकाबहार, जिला-जगद्गुर, कुल लीज लोअरक्ष 2 हेक्टेयर के कुल 80 प्रतिशत बैनफल में ही तो उत्तम अधिकारी 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 12,000 घनमीटर प्रतिवर्ष ऐसे उत्तम रेत योक्तव्यीय स्थीकृति, उनमें पट्टे के निधानन की तात्पर्य से पांच दर्ता तक की अवधि हेतु परिस्थिति-०८ में वर्णित तात्त्व के अंदीन दिव्य जाने की आवश्यकता थी गई। ऐसे की सुदार्द अभियान द्वारा (Manually) की जाएगी। सिवर बेड (River Bed) में भारी गाहनों का प्रबंध प्रतिवर्षित रहेगा। लीज केन्द्र में स्थित ऐसा सुरक्षा गढ़ (Excavation pits) की लोडिंग खाई तक तो का परिवहन ट्रैकलर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

- साउर्वजनिक संग्रह गाइडलाइंस 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं इनकोर्समेंट एवं मॉनिटरिंग गाइडलाइंस परिवर्ती संपादित गाइडलाइंस 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार पालन सुनिश्चित किया जाए।
 - इनकोर्समेंट एवं मॉनिटरिंग गाइडलाइंस कीर संग्रह गाइडलाइंस 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के तहत 60 दिनांक के भीतर संग्रह करना सुनिश्चित किया जाए।

पात्र भवानीदा पर्यावरण इमारत आकलन अधिकारी (एसईडीएस) भवानीसंगठ की
सदानुसार सुनिश्चित किया जाए।

एकांका वायद्य कामक-२

परियोजना प्रसारको द्वारा ब्रेकिंग अडिट
जानकारी/वर्ताउल द्वारा प्रकाशी ने अवलोकन
प्रचार कर्मार कर पर्यावरणीय स्थैतिकता / दौलतार
/ अन्य आवश्यक जिग्नेश लिया जाना।

१. मेहरां शिवाय इन्द्रा (पार्टनर-- श्री राजेश कुमारेजा), साम-लक्षण्यकी, राहगीत व गिल-दायपुर (शिवायालय का नामी इनांक 2344)

ऑनलाईन आवेदन - प्राप्तिकृत नम्बर - एसएलईपी / श्रीरो / इन्द्रा/423087/ 2023, दिनांक 29/03/2023 हारा एर्टिकलरीय सीधारुति प्राप्त करने के लिए ऑफलाइन विषय गता है।

प्रस्ताव का विवरण — परियोजना प्रस्तावका द्वारा याम-लागांडी, उदयगढ़ एवं जिला-लालगढ़ शिथंत वाली क्षेत्रों (108/3, 108/7, 108/1, 108/10, 108/18, 108/27, 108/29, 108/30, 108/48, 108/50) के लिए अधिकारीय संरीकृति हेतु आवेदन किया गया है। प्रस्तावित परियोजना की कुल लागत 52 करोड़ होगी।

लदानुसार परियोजना उत्तराखण की समृद्धि हो सके, उत्तराखण के ज्ञापन दिनांक 21 / 04 / 2023 कहा प्रस्तुतीयन्वय है। निम्नलिखित किया गया।

क्षेत्रीय विभाग -

(iii) वार्षिक की शुरूआती बैठक दिनांक 29/04/2023:

प्रस्तुतीनंदन हेतु भी लकड़ी कूकरेजा, पार्टीजन एवं पर्यावरण सलाहकार के द्वारा मैत्री की घोषणा एवं स्वीकृत्याम, नोएडा, उत्तरप्रदेश की ओर से भी इसीन प्रकार दीन उपरिलिप्त हुए। समिति प्राप्त नहीं, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण उसी पर जिम्मेदारि पाई गई—

१. निकटतम लिया जाने वाली संकेत स्थानकारी -

- I. निकटतम अवाई मार्गना गमर ३४० मीटर, राष्ट्रपुर रोडवे स्टेशन ५.३ किमी की दूरी पर स्थित है। स्थानीय विवेकनन्द विनानपरग्न मार्ग, राष्ट्रपुर ०.४८ किमी, अस्पताल ४.१६ किमी, एवं राष्ट्रीय राजमार्ग १३८ किमी, दूर है। सेतीशमा लालाम २.३१ किमी, एवं स्कॉलन नदी १.५३ किमी, दूर है।
- II. परियोजना प्रकाशक द्वारा १० किमी, जी परियोजना में इंटरफ़ेसिंग सीमा, राष्ट्रीय राजमा, अन्यायालय, भौतीय प्रदूषण नियन्त्रण कोई द्वारा घोषित विटिकली पील्गुट्ट एवं या परियोजनीय संवेदनातीत कोई या घोषित विचारिता को घोषित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
- III. राष्ट्रीय संचालक, गमर तथा द्वारा नियंत्रित, लोकीय कार्यालय, राष्ट्रपुर की जापन इनाम ९७८९/नवानि/धारा-२९/CGANWAS/२०२१/०००४८/२०२१ राष्ट्रपुर विनाम २२/०७/२०२१ अनुसार विकल अनुमति जारी की गई है।
- IV. कार्यालय जमर प्रालिङ्ग नियम, राष्ट्रपुर की जापन इनाम ५६/१२/२०२१ द्वारा जमर निर्माण अनुमति प्रदीत प्रस्तुत की गई है।
- V. एस्टीशनरी रियल एस्टेट नियामक प्राविकनम की जापन इनाम ०१/०१/२०२२ द्वारा पर्यायम प्रभाव यह जारी की गई है, जिसकी विप्रा ०४/१०/२०२० दूर है।
- VI. भू-स्थानिक - भूमि छाता जामान १५,००२ घेराते स्थित इन्हा (एस्टीशनरी जी एकेश युकरेण) जीमती राशी काकोरा, जीमती जला जारी एवं घेराते वीउ विल्हेमिन एस्टीशनरी जी एकान्द यास्ता के नाम पर है।

६. सेम्प्या द्वारा स्टेटमेंट -

B. No.	Particulars	Area (m ²)	Area (%)
1.	Proposed Ground Coverage	२,६१५	१९.७६
2.	Green Area	४,१९१	३३.००
3.	Road / Paved Area	१,४५०	११.४२
4.	Open Area	४,५४९	३५.८०
Total Area		१२,७००	१००

7. विट्टजन द्वारा स्टेटमेंट - जलस्तीकरण की दीर्घन परियोजना प्रकाशक द्वारा जारी गया कि उस विट्टजन द्वारा २८.५००८ वर्गमीटर है। समिति का मत है कि उल अनुसार (Floor wise) विट्टजन द्वारा की जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
8. जलस्तीकरण कार्यक्रमार्थी की सुकिसाली के उपयोग हेतु अनुमति युल ५६५ अविलम्बी द्वारा किया जाना चाहाय गया है।
9. राष्ट्रीय प्रदूषण नियन्त्रण - नियाम के दीर्घन जापन अमुलिटिव डर्स के नियोजन हेतु यीन नेट से छाक बर निर्माण कार्य किया जाएगा एवं नियमित जल विनाम किया जाएगा।
10. जीका अपशिष्ट प्रबंधन - नियाम के दीर्घन जलस्तीकरण मिट्टी को ढाकी तुर जीका से स्खा जाएगा एवं उस मिट्टी का एवं उसपीले लैप्प फ्लैपिंग, लेवलिंग एवं यैक फिलिंग में संपर्क होग किया जाएगा। रिसाईलीबल अपशिष्टी (जीका विनाम, जीका टाइल्स, जकड़ी के टुकड़े, सीमेट बैग्ज जादि) को अधिकृत वैष्णवी को लिया जिया जाएगा तथा जीका रिजेक्ट गटरियल को जार एवं जी. द्वारा जारी रखे अलग

इन अपवाहन किया जाएगा। फार्म स्वल पर अमीकों द्वारा सुलभ अपरिहारी को दिनिक जीवांश पर स्थानीय एजेंसियों द्वारा आवहन किया जाएगा।

परियोजना के विवरणोंका लोक अपरिहार के संबंध में इन यात्रियों द्वारा जाएगी। परियोजना की जापना बूल दीवा अपरिहार की जाता 425.8 किलोग्राम द्वितीयिन रिसीवर्ट्स द्वारा 232 विलोग्राम प्रतिदिन तथा कन्स्ट्रिक्शन, बटाफ़ एवं गिरिजिस द्वारा 188.8 किलोग्राम द्वितीयिन होती है। सुलभन दीवा अपरिहारी को येट एवं रिसीवर्ट्सके बागवार कांपहित किया जाएगा। रिसाईबल अपरिहारी को अधिकृत बैलर्स को विक्रय किया जाएगा।

11. यजल प्रबंधन व्यवस्था -

- यजल स्वपत्र एवं स्तोष - परियोजना में औपरेलन पैक डेंगु 140.36 घनमीटर प्रतिदिन (फेन बीटर डेंगु 106.33 घनमीटर प्रतिदिन एवं यत्किंवा डेंगु 34.78 घनमीटर प्रतिदिन) यजल का समझोग किया जाना प्रस्तावित है। यजल की आपूर्ति नगर नियम द्वारा की जाएगी। परियोजना में कान्स्ट्रुक्शन पैक डेंगु यजल की आपूर्ति भू-यजल की सम्भावना को किया जाना चाहया गया है। समिति का बता है कि यजल दीवा अन्वर्ती नगर नियम से किसी जगते बाबत जहाजी पञ्च प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- यजल द्रूष्टव्य नियंत्रण - सुलभ दूर्भिक यजल की जाता 118.73 घनमीटर प्रतिदिन होगा। दूर्भिक यजल के उपचार हेतु एमवीडीआर उत्कानीक अस्थानित सीवेज ट्रीटमेंट प्लाट जगता 125 घनमीटर द्वितीयिन साधापित किया जाएगा। सीवेज ट्रीटमेंट प्लाट के अंतर्गत यार लीन, औद्योग एवं ग्रीन ट्रैप, इक्सिटेलाइजेशन द्वारा, एमवीडी रिएक्टर, ग्रीन फिल्टर, ट्रिप्टोटेक कर्बन फिल्टर, स्लिप होस्टिंग द्वारा एवं ड्रेसर सेप्ट फिल्टर साधापित किया जाना प्रस्तावित है। उपचारित दूर्भिक यजल को किसाइफ़ेशन कर द्रुष्टव्यपण हेतु उपचार किया जाएगा। सीवेज ट्रीटमेंट प्लाट की जापना जावा का उपचार यार बनाने के लिए किया जाएगा।
- भू-यजल समझोग प्रबंधन - परियोजना स्वल सैटल सालवड बाटर बोर्ड के अनुसार लोगों की विदिकात भौम में जाता है। किसके अनुसार -
 - (अ) पुल्य एवं ग्राम उद्योगों की जग की जग 80 प्रतिशत दूर्भिक यजल का पुरुषवक्ष्य एवं पुनरुत्पन्नों किया जाना है।
 - (ब) ग्रामीण याटा नियायी हेतु अन्वार्द्ध नई उत्कानीक यार ऐनाटर हाईस्टिट / ऑटोफिलिशियल यजल रियाल के अध्यार पर भू-यजल नियायी जगते की अनुगति सैटल सालवड बाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का आवश्यक है। आउटटोन जो ऐनाटर हाईस्टिट व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।
- ऐन बाटर हाईस्टिट - परियोजने में वर्षों के बानी का युल स्नाइफ 4,885.71 घनमीटर प्रतिवर्ष है। ऐन बीटर हाईस्टिट व्यवस्था के अंतर्गत 3 जग रियाये पिट (ज्यादा 1.9 ग्रीटर एवं नहार्ह 4 ग्रीटर) नियमित किया जाना प्रस्तावित है। प्रवालीकृत ऐन बीटर हाईस्टिट व्यवस्था परवारा परियोजने के बूर्ज उन्नीषक जो रियाये किया जा सकेगा। वर्षों नियायी कटुकक्षी इस प्रकार नियमित किया जाएगा कि इनमें समान मात्रा में वर्षों यजल का बहाव हो सके।

12. नियुत स्वपत्र - परियोजना हेतु 1600 विसोरोंट की आवायनता होती है। नियुत आपूर्ति खलीसवाह राजा नियुत विकाय कंपनी लिमिटेड भी किया जाएगा।

विवरित व्यापक हैं तथा हिन्दु 3 नम (00500 एवं 12125) के लीए सेट शामिल किया जाएगी। शामिल का मत है कि श्रीली, सेट से संबंधित गणना कर प्रस्तुति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

13. शुलारोपण संबंधी विवरण — हारिं पटिकार के विवरण हैं तु 4,131 वर्षीय उमेर में शुलारोपण किया जाना बताया गया है। परिवार की जाति और 1,040 नम (गण्यम उच्चारी वाली) एवं आठविं वर्षीय वर्षों के विवरण 1,040 नम (कम उच्चारी वाली) उपलब्ध हैं जिसका विवरण जाएगा। इस प्रकार परिवार के भीतर कुल 2,080 नम शुलारोपण किया जाना प्रस्तावित है। शामिल का मत है कि परिवार के भीतर शुलारोपण हैं तीनों का भीपन (30 प्रतिशत चीजें दर सहित), सुखा हैं फैसिंग, खाद एवं विष्वार्द्ध उच्च रक्त-रक्ताम के लिए 6 वर्षों का घटकवास व्यय का विवरण सहित प्रस्तुत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
14. उच्ची संखाम उपलब्ध — आठविं अंकान्वे पर एलईडी, लार्ड अंगुल विवरण जाना प्रस्तावित है। लेप्ल एलीडी एवं लार्ड-वे में उच्चार एलईडी लार्डिंग विवरण जाना प्रस्तावित है।
15. कोर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) — प्रस्तुतीकारण के दौरान परिवेशना प्रस्तावक द्वारा सीईआर (Corporate Environment Responsibility) के बाहर कुल लाभत का 1.5 प्रतिशत व्यय किया जाना बताया गया। उनकि भारत राजकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन बंधनाम, नई दिल्ली के ऊपर दिनांक 01/08/2018 के अनुसार 100 करोड़ रुपये के दीन विलद प्रीमियम हैं तु 2 प्रतिशत सहि सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हैं तु व्यय किया जाना है। शामिल का मत है कि कुल प्रस्तावित जानकारी के 2 प्रतिशत तकि अंगुलाम परिवेशना के उच्च-पान सहमति प्राप्त शाशांकीय भूमि (विवरण ग्रन्थाक एवं बोधायन सहित) में इको पार्क निर्माण के लाभ विवरण प्रस्तुत प्रस्ताव गृहीत विवरण लक्ष्य शुलारोपण हैं तीनों का भीपन, सुखा हैं फैसिंग, खाद एवं विष्वार्द्ध उच्च रक्त-रक्ताम के लिए 6 वर्षों का घटकवास, समयवार व्यय का विवरण सहित प्रस्तुत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। आठवांकानुसार नवार नियम से अन्वयित द्वारा एवं / सहमति द्वारा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

शामिल द्वारा उल्लंघन शर्वान्वयनीय दी विभानुसार नियंत्रित किया जाय छो-

1. श्री विकान शिंह धूम, सदस्य, राज्य संसदीय विशेषज्ञ मूल्यांकन लमिटेड एवं श्री कनौज युमार धोपाकर, सदस्य, ताज्य संसदीय विशेषज्ञ मूल्यांकन उच्च श्रीलीय लमिटेड, श्रीकृष्ण कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संसद्य, राष्ट्रपति की समितिलिपि गवाहो हूये दीन सदस्यीय उपसमिति वर गवाह विवरण जाना है। दीन सदस्यीय उपसमिति गवाह का विशेषज्ञ करेंगी जाया जानान विल्डरी श्री अमरगत गवाहो हूये कलशनुकृत फॉटोफोटो दिनांक सहित विन्दुपार विशेषज्ञ प्रस्तुत किया जाए।
2. राज अनुसार (Floor Bill) विवरण एवं एवं जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
3. जल की आपूर्ति नवार नियम से लिये जाने वाले सामग्री पर प्रस्तुत किया जाए।
4. श्रीली, सेट से संबंधित विवरणी की उच्चारी एवं गणना कर प्राप्तकारी प्रस्तुत किया जाए।
5. परिवार के भीतर शुलारोपण हैं तीनों का लेक्षण दिनांक 30 द्वितीय जीवन दर सहित, सुखा हैं फैसिंग, खाद एवं विष्वार्द्ध उच्च रक्त-रक्ताम के लिए 6 वर्षों का घटकवास व्यय का विवरण सहित प्रस्तुत प्रस्तुत किया जाए।

६. ग्रन्त प्रस्तुति लागत के २ प्रतिशत नाभि अनुभार वरियोजना के आस-पास सहमति पापद सामग्रीय भूमि (खाता छान्कन एवं खेतकल सहित) में हुकी पार्टी नियंत्रण के लिए प्रस्तुत पूरी विवरण तथा इकारेन्द्रण हेतु फैसी का रीपन, गुरुता हेतु लोकेंग, जब एवं लिंचाई तथा रक्ष-रक्षण के लिए ५ वर्षी का घटनावार, समयवाह आद्य का विवरण सहित प्रस्तुत प्रस्तुति विवरण जाए। उपर्युक्त अन्वयनानुसार नवर निवास से अन्वयिति इमार या / साहमति पक्ष प्रस्तुत किया जाए।
७. परिवर लेज के अंतर रक्षारोग्य किये जाने एवं लंगिल दीर्घी या कम से कम साराधृष्टि रेट (Survival rate) ३० प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने वाले लाभ वा या (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
८. उत्तीर्णगढ़ आदर्श तुनवीस नीति के लाभ रक्षारोग्य लोकों को रोगावार किये जाने हेतु लाभ वा या (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
९. परियोजना व्यवसायक द्वारा अडारटेंडिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके लिए इस परियोजना को संबंधित कोई व्यावहारिक प्रकरण देख के अन्वयिति वी नावाकल्प ने लाभित नहीं है।
१०. परियोजना व्यवसायक द्वारा अडारटेंडिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके लिए याता यातार, पर्यावरण, जन और जलवाया विवरान मानसिक की अनिसूचित करें। ८०४(अ), दिनांक १४/०३/२०१७ के अंतर्गत कोई व्यावहारिक प्रकरण लिया जाएगा।

उपरोक्त नियंत्रण प्रतिवेदन/प्राप्ति जानकारी/इकायेव द्वारा होने वायरल आगामी कार्यवाही की जाएगी।

उद्यमनुभाव एवं ए.सी. उत्तीर्णगढ़ के लायन दिनांक १०/०८/२०२३ के परिणाम में भी किया गया था, सदस्य, राज्य रक्षारोग्य विवेकानन्द मूल्यांकन समिति एवं डॉ. अनीष कुमार खेतकल, राज्य रक्षारोग्य विवेकानन्द मूल्यांकन तथा हीनीय अधिकारी, हीनीय कार्यालय उत्तीर्णगढ़ व्यावहारिक संख्यन मंडल, रायद्वार को नियमिता कर्ता हुये तीन राज्यराजीय उपराजिति का गठन किया गया है।

(अ) समिति की ४८०वीं बैठक दिनांक १०/०८/२०२३:

समिति द्वारा नहीं, प्रस्तुत जानकारी का जावलाकान एवं परिवायक कर्ता या नियमिति पर्याप्त नहीं-

१. उपराजिति द्वारा द्वैता नियंत्रण प्रतिवेदन वे उल्लेखित तथा निम्नानुसार हैं—

परिवर्त्याकृष्ण रवीकुमार हेतु परियोजना क्षेत्र की अवधान नियमिती ही संक्षेप में नियंत्रण करने वाले की विवाद शिव धूर, सदस्य, राज्य रक्षारोग्य विवेकानन्द मूल्यांकन समिति, डॉ. अनीष कुमार खेतकल, राज्य रक्षारोग्य विवेकानन्द मूल्यांकन समिति एवं हीनीय अधिकारी, हीनीय कार्यालय उत्तीर्णगढ़ व्यावहारिक संख्यन मंडल, रायद्वार को नियमिता कर्ता हुये तीन राज्यराजीय उपराजिति का गठन किया गया है।

उपरोक्तानुसार नियमित तीन राज्यराजीय उपराजिति के द्वारा उपरोक्त प्रकरण के शोधमें मैं परियोजना क्षेत्र का नियोजन दिनांक ३०/०८/२०२३ को किया गया। नियोजन के द्वीपान नीतों पर परियोजना के प्रतिवेदन भी राजेश कुमारजा, यार्टनप उपराजिता है। नीतों यह नियोजन के द्वीपान पार्ह नहीं परस्तु नियमिति की जानकारी निम्नानुसार है:-

१. परियोजना के संकेत में चुनी संख्या विवरण :-

- ऐसाथ विवरण हृष्णव (फॉर्मप्रॉग्राम— श्री राजेश शुक्लेश), प्राप्त—आमाप्ती, उत्तरीनगर में निवास— रायपुर (छ.ग) का संख्या छमांक — 15002 (108/3, 108/7, 108/1, 108/10, 108/18, 108/27, 108/29, 108/30, 108/46, 108/53). बूल रकमा 1.27 हैबटेंयर के संकेत में अपर राष्ट्रीय कार्यालय संदुत्त संचालक, नगर तथा ५ दाम निवेश होचीय कार्यालय रायपुर (छ.ग.) द्वारा विभाग अनुद्दा पर क्रमांक 9769/ नप्रपि/ घास-29/ CGANWAAS/2021/00046/2021 दिनांक 22/07/2021 को प्रदान किया गया है। उक्त वाक्य मीके पर उपरिकृत परियोजना के प्रतिमिति द्वारा दिनांक 30/06/2023 को दी गई जानकारी प्रस्तुत किया गया है।
- उपरोक्त परियोजना हैबु कार्यालय, नगर पालिका विभाग रायपुर (छ.ग.), जौन छमांक—१ द्वारा जलव्यवस्था विभाग क्रमांक [29008] [VJHMA-RMC-2021-0008] दिनांक — [३५.११.२०२१], अनुद्दा छमांक — 103347, दिनांक 16/12/2021 के वरद्धम से उपरोक्त परियोजना के संकेत में भवन विभाग अनुद्दा जली की गई है। उक्त वाक्य मीके पर उपरिकृत परियोजना के प्रतिमिति द्वारा दिनांक 30/06/2023 को दी गई जानकारी प्रस्तुत किया गया है।
- कौशिंधी के विभाग की जलनीति (PROVISIONAL) अनुमति विभाग में संदुत्त संचालक, नगर तथा दाम निवेश द्वारा स्तीकृत अभिन्न्यास के अनुसार बूल भूमि रकमा 12,700 वर्गमीटर में से पार्श्व जलनीति एविया — १३०.१८ वर्गमीटर छानकान नेट स्क्रिप्ट एविया ११,४४३.८१ वर्गमीटर पर टीटाल विस्तरण एविया २८.५५५.८ वर्गमीटर (टीटाल अविद्युतियाल फैटेट विस्तरण एविया २४,२८५.८० वर्गमीटर, कामगिंवल जलव एविया १,४२८ वर्गमीटर एव कामगिंवल स्तीपस एविया ३०८ वर्गमीटर सहित) अनुमोदित होने का उल्लेख किया गया है। उक्त वाक्य मीके पर उपरिकृत परियोजना के प्रतिमिति द्वारा दिनांक 30/06/2023 को दी गई जानकारी प्रस्तुत किया गया है।
- निर्विद्युत के समय पाई गई विवित के अनुसार परियोजना क्षेत्र ने आमाप्ती वाल भित्ति है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा परियोजना क्षेत्र पर निर्माण कर्तव्य यही किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बुल रकम के पाल दिनांक ०७/०७/२०२३ से नाल्यन री उपरोक्त परियोजना के संकेत में दाम आमाप्ती प्राप्ति — ६५ दिनांक ०६/०७/२०२३ के खासा नवका की प्रति प्रेषित की गई है, जिसमें प्रस्तावित बूली चुनी संख्या क्रमांक 15002 (108/3 108/7, 108/1, 108/10, 108/18, 108/27, 108/29, 108/30 108/46, 108/53). बूल रकमा 1.27 हैबटेंयर का उत्तरीनगर है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनिवार्यकति प्रस्तुत की गई है, जिसमें उपरोक्त खसरी का उत्तरीनगर जाली गुर्जे शाम आमाप्ती, रायपुर छ.ग. बूल रकमा 12,700 वर्गमीटर पर बूल विभाग क्रमांक २८.५५५ वर्गमीटर प्रस्तावित होने का उल्लेख किया गया है।
- मीके पर दिये गए परियोजना की प्रति प्रस्तुत किये गये हैं।

२. जल प्रदूषण विधेयन व्यवस्था— परियोजना से जनित होने वाले बरेलू दूषित जल के उपचार हैबु परियोजना द्वारा १२० के एल.डी. इम्प्ला के सीधेज ट्रैटमेंट प्लांट का निर्माण किये जाने का प्रस्ताव है। आमाप्ती यरेतू चुनीत जल का उपयोग वृक्षारोपण की विधाई जारी ने किया जाना प्रस्तावित है। उक्त वाक्य

मीके चर उपस्थिति परियोजना के प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 30/06/2023 को
दी गई जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

3. पृष्ठभौमक के संबंध में ज्ञानकारी— परियोजना द्वारा निम्ननुसार पृष्ठभौमक
किया जाना प्रस्तावित है।
4. टीवी अपशिष्ट प्रबन्धन व्यवस्था— परियोजना द्वारा जिप्रिय होने वाले टीवी
अपशिष्टी की पृष्ठभौमक—पृष्ठभौमक दिना मैं एकल बार नगर पालिका नियम को इदाय
किया जाना प्रस्तावित है।
5. शीर्षआर के संबंध में ज्ञानकारी— परियोजना प्रस्तावक द्वारा शीर्षआर के
संबंध में कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।

2. तल अनुसार (Floor wise) विवरण एवं नियमनुसार है—

Details of Towers	Area (m ²)
Tower-1	4,320
Tower-2	4,320
Tower-3	4,320
Tower-4	4,320
Tower-5	4,320
Tower-6	4,091 (1,426 Comm. + 2,665 resi.)
Shop Comm.	908
Total Area	26,599

3. भवन की आपूर्ति नगर नियम से किये जाने वाला अनुचित कन्सट्रक्शन के उपचारी
ही लौ प्राप्त है। यहांना मैं टैक्स राता गू—जात के वालाम से ही कन्सट्रक्शन का
कार्य किया जाएगा। इस बाब्त बीमार घाटक बाटर अधीक्षिती ही अनुचित जात
का प्रस्तुत किया गया है।
4. शीर्षी लोट से संतुष्ट खिलाड़ी की उत्तरांति विस्तीर्ण की ऊपराई 36 मीटर से 9
मीटर अधिक है। इस प्रकार कुल खिलाड़ी की ऊपराई 39 मीटर की गणना वाल
ज्ञानकारी प्रस्तुत की गई है।
5. परियोजना की भौतिक उपार्थीपन हैं तु 3,640 रुपा ग्रीष्मी तो लिए राहि 2,76,640 रुपये,
पौसिया को लिए राहि 97,000 रुपये, खाद के लिए राहि 30,000 रुपये, सिवाई को
लिए राहि 1,20,000 रुपये एवं रक्षा-रक्षा अधि के लिए राहि 1,96,000 रुपये,
इस प्रकार कुल राहि 7,19,640 रुपये इक्कन वर्ष हैं तु एवं रक्षा-रक्षा हैं तु कुल
राहि 9,86,600 रुपये आगामी वर्ष वर्षी हैं तु गटकावर व्याप का विवरण प्रस्तुत
किया गया है।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल प्रतावित लागत की 2 अंतिमत राहि अनुसार ही
ई.ए.र. (Corporate Environmental Responsibility) हैं तु निम्ननुसार विस्तृत प्रसार
प्रस्तुत किया गया है—

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
5200	2%	104	Following activities at Village- Amethi	

		Pawini Nimna	Man	111,465
		Total		111,465

7. सीईआर की अंतर्गत 'विवेच तथा निर्णय' की तहत (आवश्यक, करता, नीम, आम, जनगण, उदाम आदि) कृष्णरोपन हेतु प्रकाश प्रसरण अनुमान 13,500 नव धीरो के लिए राशि 10,26,000 रुपये, करसिया के लिए राशि 2,19,300 रुपये, बाटा के लिए राशि 1,01,250 रुपये, लिंगर्हाई के लिए राशि 8,40,000 रुपये तथा रक्षा-विकास के लिए राशि 12,76,000 रुपये, इस प्रकाश प्रसरण वर्ष में कुल राशि 34,82,550 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 76,82,960 रुपये हेतु पटकलार व्यय का नियमण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रसारणका द्वारा पान विवाह अमेठी की जहाजी उपर्याप्त प्रशासनिक रक्षान (दस्तावेज़ क्रमांक 443, बीडफल 6.4 हेक्टेयर) को बांधा भी जानकारी प्रस्तुत की गई है।
8. परियोजना की अंदर कृष्णरोपन किये जाने एवं संपरिवर्ती की जा कर से कम सरकारीवाल है (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने वाले रापय वर्ष (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
9. छत्तीसगढ़ बाटा पुनर्जीवन नीति के तहत जहाजी को लौहगार दिये जाने हेतु रापय वर्ष (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
10. परियोजना प्रसारणका द्वारा जापय वर्ष (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि यहको विकल्प बातत बालकार, चापीबरण, बन और अलगायु परिवर्तन बंजारण वर्षी अधिक्षुद्धना बाटा, 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के आंतर्गत गोई उत्तराखण का प्रबन्धन लिया गया है।
11. परियोजना प्रसारणका द्वारा जापय वर्ष (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि यहको विकल्प बातत बालकार, चापीबरण, बन और अलगायु परिवर्तन बंजारण वर्षी अधिक्षुद्धना बाटा, 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के आंतर्गत गोई उत्तराखण का प्रबन्धन लिया गया है।

नाशिकि द्वारा दिल्ली नियां बनाई जान्मन्यति वो नियम लिया गया कि बैलों विकल्प इनमा (गर्भनर- भी जनोज युक्तनेत्र), गाम-जामाम्बी, लाहसींत व जिला-जापपुर में जनाना क्रमांक 15002 (108/3, 108/7, 108/1, 108/10, 108/16, 108/27, 108/29, 108/30, 108/45, 108/53), कुल हीक्टेयर-1.27 हेक्टेयर, कुल नियमण एविया 26,822.6 कीमीटर हेतु परियोजना-08 में वर्णित जाती के अंदर पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुमति दी गई।

एवं यातीय गर्भनरा प्रभाव बनालन विविधण (एनीमीज़ ११) छत्तीसगढ़ को बनानुसार सुनित किया जाए।

2. नेशनी शुद्धिकाल सेष्य वर्षीन है— सरपंच, धाम विवाह बासनवाही (भी एमेश कुमार नेहरानी), प्रभाम-शुद्धिगांव, राहसील-बारामा, जिला-छत्तीस बनान कांकोर (वार्षिकालय का नामी क्रमांक 2366)

वार्षिकालीन आवेदन — द्वारोजन वर्षदर — एक्सप्रेस/ लीजी/ एमआईएन/ ४३३५४२/ २०२३, दिनांक 29/03/2023 द्वारा चपोराम्बीय स्वीकृति हेतु आवेदन लिया गया है।

प्रस्ताव का विवरण — यह प्रसारणित वर्ष (गोप्य जानिक) द्वारा है। बदान याम-शुद्धिगांव, धाम विवाह बासनवाही, राहसील-बारामा, जिला-छत्तीस बनान कांकोर विवाह याटी कीमा क्रमांक 947, कुल कीडफल-23.66 हेक्टेयर में से 5 हेक्टेयर में

प्रस्तावित है। उत्तरानन नहानदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित रेत उत्तरानन लम्बाई-1,00,000 फॅटीटर प्रतिक्षेप है।

उत्तरानन परियोजना प्रस्तावक को इस ई-सी-उत्तीर्णगढ़ के आपाम दिनांक 23/06/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु गुमित किया गया।

विवरों का विवरण —

(अ) समिति की 483वीं बैठक दिनांक 10/06/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु सी-एमएस मूलार नेताम, सारपांच, ग्राम पंचायत बासनवाही उपसिंधि द्वारा। समिति द्वारा नवीनी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न निष्ठियाँ पाई गईं—

- पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्थीरता संबंधी विवरण— इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्थीरता जारी नहीं की गई है।
- ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रभाव एवं — ऐसे उत्तरानन के साथ में ग्राम पंचायत बासनवाही का दिनांक 12/06/2022 का अनापत्ति प्रभाव एवं प्रस्तुत किया गया है।
- विनाशकित/सीमावित — खदान विनाशकित/सीमावित कर घोषित कर कार्यालय कलेक्टर लानिज शास्त्रा से इमार पर प्राप्त करने हेतु लानि अधिकारी, जिला-उत्तरानन बस्तार कार्कोंडे, ग्राम पंचायत बासनवाही द्वारा दिनांक 10/09/2022 की अनोदन लिया गया है।
- उत्तरानन बौजना — कलाई प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो सुध-संचालक (सूख), जिला-उत्तरानन बस्तार कार्कोंडे के आपाम लम्बाई 477/क्षेत्रिय/उत्तरानन अनुसारी/रो/2022-23 ग्रामपाल बस्तार कार्कोंडे दिनांक 07/03/2023 द्वारा अनुमोदित है।
- 600 मीटर की वर्षियि में विद्युत खदान — कार्कोंडे कलेक्टर (लानिज शास्त्रा), जिला-उत्तरानन बस्तार कार्कोंडे के आपाम लम्बाई 562/लानिज/सालि/रो/2023 कार्कोंडे दिनांक 24/03/2023 के अनुसार आवेदित खदान की 600 मीटर की भीतर जारीरिता कानून रेत खदानों की संख्या निर्देश है।
- 200 मीटर की वर्षियि में विद्युत खदान लैंब/परिवर्तनाएँ — कार्यालय कलेक्टर (लानिज शास्त्रा), जिला-उत्तरानन बस्तार कार्कोंडे के आपाम लम्बाई 561/लानिज/सालि/रो/2023 कार्कोंडे दिनांक 24/03/2023 द्वारा जारी प्रभाव परा अनुसार उत्तर खदान की 200 मीटर की वर्षियि में कोई सी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे पर्यावरण वाधामान, वाष्पनाती, युत, बैंध, गौदिर, गुरुद्वारा, वरषट एवं हर्षिकट जैसे प्रतिक्रीयता क्षेत्र निर्मित नहीं है। गोदान 100 मीटर की दूरी पर स्थित है।
- एलओआई संबंधी विवरण — एलओआई सरपांच, ग्राम पंचायत बासनवाही के नाम पर है जो कार्यालय कलेक्टर (लानि शास्त्रा), जिला-उत्तरानन बस्तार-कार्कोंडे के आपाम लम्बाई 385/लानिज/सालि/2023 कार्कोंडे दिनांक 24/02/2023 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है। जारी एलओआई में “उत्तरानन पट्टे विलेक के पंक्तीयन के दिनांक से 05 वर्ष की अवधि के लिए यित्ति मान्य होता” का साल्वेच्छा है।

8. यह विभाग का अनुपस्थित इमारत पत्र – कार्यालय यह अपवाहनीयकारी, याकौन यह अपवाहन जिला-कांडोर के इलाजन इमारत/मालि/2022/0411 परीक्षा दिनांक 07/10/2022 से यहाँ अनुपस्थित प्रवास पर अनुसार आंदोलित केन मिकटाम कर सकते ही तीन से 3 किमी की दूरी पर है।
9. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रती प्रस्तुत की गई है।
10. महत्वपूर्ण संस्थानों की दूरी – मिकटाम जातारी धाम-जुहांग 800 फीट, बलूल धाम-बालानवाही 2.3 किमी, एवं अपवाहन छात्रादुला 2.2 किमी, की दूरी पर विद्यत है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4.5 किमी, एवं राजमार्ग 2 किमी, दूर है। नीचता रेत खादान के 1 किमी, की दूरी तक पुल/एनीकट लिया गया है।
11. पारिसंरक्षितकारी/जीवविविधता संरक्षणकाल क्षेत्र – परिवाजन प्रकल्पक क्षात्र 10 किमी, जी चरिति में अंतर्राज्यीय शीमा, राष्ट्रीय राजमार्ग, अभ्यास और प्रदूषण नियंत्रण बीच द्वारा जीवित विलिकारी पील्युटेंड एरिया, पारिसंरक्षितकारी नियंत्रणक्षील क्षेत्र या घोषित जीवविविधता क्षेत्र लिया नहीं होना प्रतिक्रिया किया है।
12. खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकातम 354 मीटर, न्यूनतम 354 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – अधिकातम 382 मीटर, न्यूनतम 386 मीटर एवं खनन स्थल की चौड़ाई – अधिकातम 142 मीटर, न्यूनतम 137 मीटर दराई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकातम 116 मीटर, न्यूनतम 36 मीटर है।
- सामिति द्वारा खादा जाया कि जिस खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई 354 मीटर है, उस खनन स्थल पर नदी तट के किनारे से दूरी न्यूनतम 38 मीटर है तथा खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई इन मीटर है। उत्तर खनन स्थल पर नदी तट के किनारे से दूरी न्यूनतम 36 मीटर है। आगे गैर मार्फीनिय क्षेत्र की आवश्यकता नहीं है।
13. खदान स्थल पर ऐत की चौड़ाई – आवेदन अनुसार खदान पर ऐत की गहराई-3 से 4 मीटर तथा ऐत खदान की प्रसारित गहराई-3 मीटर दराई गई है। अनुगोदित मार्फीनिय धाम अनुसार खदान में मार्फीनिय ऐत की मात्रा-1,00,000 चानमीटर है। ऐत सख्तनक होता प्रसारित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध ऐत सतह की मोटाई जानने के लिए प्रसलालित खदान पर 6 मीटर (20ft) ऊंचाई उत्तराधिक गहराई का व्यापन कर, खनिज विभाग से इमारित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसकी अनुसार ऐत की उपलब्ध औत्तर गहराई 3 मीटर है। ऐत की जामलिका गहराई होता विवाहमा प्रस्तुत किया गया है।
14. खदान क्षेत्र में ऐत सतह की लंबाई – ऐत सख्तनक होता प्रसारित स्थल एवं प्रसारित स्थल में 26 मीटर गुणा 26 मीटर के गिर विन्दुओं पर दिनांक 27/03/2023 को ऐत सतह के लंबान लेवल्स (Levels); लेवल, जन्में खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरीत ओटोएक्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रत्युता किये गये हैं।

१६. कौरीट पर्यावरणीय रागिल (C.E.A.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा नीति के सम्मानित रूप से एवं उपराजा निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
48.6	2%	0.97	Following activities at Nearby Village- Bhulgaon	
			Plantation at government land near by lease area	0.43
			Total	0.43

१६. सीईआर के अंतर्भूत सीमा द्वारा के सभीप सालानीय भूमि में (विषु, पीपल, नीम, करंज, आम, दुधली, अदृन आदि) कूलाठोपण हेतु प्रकृतुत प्रस्ताव अनुसार ६०० लग. घोड़ी की लिए शाकि ३०,००० रुपये, फौसिन की लिए शाकि ५०,००० रुपये, खाय के लिए शाकि ८,००० रुपये, रख-रखाव आदि के लिए शाकि ४७,००० रुपये, इस प्रकार प्रधान वर्ष में कुल रक्षि २,१३,००० रुपये जब्ता आगामी ५ वर्षों में १४-१५वां हेतु कूल रक्षि ३,३०,००० रुपये हेतु घटकवान वर्ष का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावका द्वारा इस प्रधानता के सहनीय उपरांत यथादीन्य रक्षान् (जूसरा एवं छोड़फल सहित) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

17. शुद्धारोपण कार्य – नवी टट पर (बहू, पीपल, गीज़, करंज, आम, हगड़ी, अद्वैत आदि) शुद्धारोपण हेतु प्रस्ताव इंसाब अनुसार 400 नया पौधों के लिए रकम 30,000 रुपये, फॉसिल्स के लिए रकम 60,000 रुपये, जाय के लिए रकम 4,000 रुपये, शिखाई तथा रक्ष–रक्षाब के लिए रकम 68,000 रुपये, इस प्रकार कुल रकम 1,82,000 रुपये प्रत्येक वर्ष में एवं कुल रकम 3,00,000 रुपये ज्ञानाभी 4 वर्षी हेतु टटकलावार जाय का विवरण प्रस्ताव किया गया है।

समिति द्वारा सत्सम्बन्ध जरूरतमयी वी निम्नलिखित विषय लिपा गए थे—

- खाद्य विनाशकित / सौन्ख्यिक छत्र शोधित कर राष्ट्रीय कलेक्टर, अग्रिम राजा वी इमान पञ्च प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
 - सौंदर्यादि के आवाहन लीज हीज के सामीय सामाजीय भूमि में गुप्तार्थियां हेतु राष्ट्रीय प्रबलपात्र के सहभागी उपरान्त व्यापारीय रूपान् (खजना एवं बैंचफल सहित) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
 - लीज हीज को बाहर उत्तरानन कार्य नहीं किये जाने हेतु राष्ट्रीय पञ्च (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
 - प्रतीकार्य अवश्यक गुप्तार्थियां नीति के तहत सामीय लीजी वी राजनार दिये जाने हेतु राष्ट्रीय पञ्च (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आवश्यक का अंकरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विकल्प इस परियोजना/खाद्यान से संबंधित कोई व्याधिगतीय प्रकरण होता को अंतर्भूत कियी भी व्यावहारिक में लक्षित नहीं है।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आवश्यक का अंकरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि साथी विकल्प भावत वालकार, क्षयीवरम, जन और प्राप्तिवान परियोजना मंजालय की अभिन्नत्वता करता ८३४(अ), दिनांक १५/०३/२०१७ के अंतर्गत कोई उल्लंघन वा प्रकरण लक्षित नहीं है।

प्रत्येक वाहित खानकारी/पक्षावेज प्राप्त होने वाली आवश्यकी की जाएगी।

लवानुसार एसडीएसी, अस्सीसगढ़ के लाघव दिनांक ०४/०७/२०२३ के चरित्रेव में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक २१/०७/२०२३ की जानकारी/पक्षावेज प्रस्तुत किया गया।

(३) कमिटी की ४०% वैतक दिनांक १०/०८/२०२३:

कमिटी द्वारा नमौदे प्रस्तुत जानकारी का अदलीकान एवं परीक्षण करने पर निम्न नियमों पर्यु कर्त्ता—

- काशीलव कलेक्टर (कमिटी जाला) के लाघव दिनांक १५/०७/२०२३ द्वारा अंकेटित रेत खदान को विनाशित/सीमित कर योग्यता किया गया है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर के अंतर्भूत व्यवहारी से इसी दृष्टिकोण अनुसार संकेतित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, जो कि निम्नानुसार है—

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
		Following activities at Nearby Village- Bhugaon		
48.5	2%	0.97	Plantation at government land near by base area	11.50
			Total	11.50

सीईआर के अंतर्भूत लीज बीज के सभीप जानकारी गुमि में (खड़, बीपल, गीन, कर्णप, अम, दुमली, अर्जुन अदि) इकाईयां हैं इससे प्रस्ताव अनुसार २,१०० नग पीली के लिए राशि १,०५,००० रुपये, फैसिंग के लिए राशि ३,४५,००० रुपये, लाद के लिए राशि २१,००० रुपये, रक्त-स्थान आदि के लिए राशि १,५४,५०० रुपये, इस प्रकार प्रक्षम तर्फ में कुल राशि ५,९६,५०० रुपये तथा जानकारी ५ लाख में रक्त-स्थान हैं इसके कुल राशि ५,५६,००० रुपये हैं यह वालकार व्यवहार का विकास इससे किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस वालकार व्यवहार के लाभान्वी संपर्कों का लक्षण (जाला अन्तर्भूत ६०२, बीजकाल ८.७८ हेक्टेयर में से १.८० हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

- लीज केज की बहुर सल्लाहन कार्य नहीं किये जाने हेतु जाल वत (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

4. उल्लीलावच साधारण पुनर्जीवन नीति के तहत स्थानीय लोगों को शोषणार दिये जाने हेतु जपथ पत्र (Privatised undertaking) प्रस्तुत किया जाया है।
5. परियोजना व्यक्तिगत द्वारा इस अधिकार का लक्ष्य पत्र (Notarised undertaking) प्रस्तुत किया जाया है कि उनके विकल्प इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई स्थानांतरीक प्रकरण नहीं के अंतर्गत किसी भी नवाचालन में लिखित नहीं है।
6. परियोजना व्यक्तिगत द्वारा इस आवाय का लक्ष्य पत्र (Notarised undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विकल्प वाला उल्लंघन, पर्यावरण, जन और जलवायु परिवर्तन बनालय की अधिकारियत काला 804(3), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लिखित नहीं है।
7. हीट एवं जल वर्षा एवं नदी तट में वृक्षांशुण्ड कार्य के मौजिटारिन एवं वर्धेश्वर हेतु त्रि-स्थानीय समिति (प्रोपर्टीटर/प्रतिनिधि, दाम एवं विवरण के प्रदातिकारी/इकानिधि) एवं जिला प्रशासन या उल्लीलावच वर्धेश्वर रखाली बफल के प्रदातिकारी/प्रतिनिधि) गठित जिला जाना आवश्यक है। साथ ही हीट एवं नदी तट में वृक्षांशुण्ड का कार्य भूमि किये जाने के समर्थन गठित त्रि-स्थानीय समिति के सम्मानित करना आवश्यक है।
8. ऐसा उल्लंघन मैनुअल लिखि से एवं भराई का जारी लोडर द्वारा कराया जाना आवश्यक है। नीतिका नहीं है कि लोडर जैसी बोर्ड भारी वाहन की लेनी हो है। अतः भराई का कार्य मैनुअल लिखि से ही कराई जाये। भारी वाहनी के नदी में छवेश की अनुमति नहीं होगी।
9. परियोजना व्यक्तिगत द्वारा 2 मीटर से ऊपर भराई तक उल्लंघन वह अनुमति मानी है। अनुमतिका उल्लंघन लोजना में उल्लंघन लिए जाने वाले बोर्ड की वार्षिक ऐसा पुनर्जीवन संबंधी अधिकार कार्य एवं तासंस्थी जांकनी का समाप्त नहीं किया जाया है। यहांनी बड़ी नहीं है तथा इसी वर्तीकाल में शामानात 1.5 मीटर गहराई से अधिक बेत का पुनर्जीवन होने की संभावना है।

समिति द्वारा विकार विभारी उपराज्य सर्विकार्यालय के विभागानुसार गिरिय लिया गया—

1. अवैधित खदान (आम-भूद्वारा) का उल्लंघन 5 हेक्टेयर है। खदान की लीना 500 मीटर की परिधि में रक्केबूल/संखलित स्थानों का बूल बीचमें 5 हेक्टेयर तक उल्लंघन करने के कारण यह खदान की-2 कंडी की मानी जायी।
2. परियोजना व्यक्तिगत रैत खदान बोर्ड में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गांद अधिकार (Uttarakhand Gandy) कार्यान्वयन, ताकि ऐसे के पुनर्जीवन (Replenishment) वर्तमान लाली जानकारी, ऐसा उल्लंघन का नहीं, नदीताल, स्थानीय बनसपति, जीव एवं सूख जीवों पर प्रभाव लगा नहीं के पावनी की गुणवत्ता पर ऐसा उल्लंघन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो जाए।
3. लीज लीज की जाति का बेसलाइन कार्य—
 1. ऐसा उल्लंघन प्राप्त करने के पूर्ण उपराज्यकानुसार नियांसित दिन विन्दुओं पर नहीं में ऐसा की जाति की जारी (Leaves) का सर्वे कर, उसके प्राप्तकर्ता उल्लंघन एवं जारी-जारी एवं उल्लीलावच को प्रस्तुत किये जायें।
 2. फीसट-भागधूल (फीसटर/जटधार जाति में ऐसा उल्लंघन प्राप्त करने के पूर्व) इन्हीं दिन विन्दुओं में माइक्रो लीज लीज लीज की उपस्थिति एवं काठगढ़ट्रॉप में 100 मीटर तक तथा खानन लीज के बाहर / नहीं उट

- (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के दौड़ में नहीं रहता कि जलसी (Levels) का सभी पूर्ण नियोजित विकास बिन्दुओं पर किया जाएगा।
- iii. इसी प्रकार ऐत छान उपरान्त सामग्री के पूर्ण (सर्व तह के अंतिम समाप्ति/चून के प्रथम समाप्ति) इन्हीं विकास बिन्दुओं पर ऐत जलसी के लेवल्स (Levels) का नापन किया जाएगा।
 - iv. ऐत जलसी के पूर्ण नियोजित विकास बिन्दुओं पर ऐत जलसी के लेवल्स (Levels) की नापन का कार्य आगामी ५ कर्व तक नियंत्रण किया जाएगा। योस्ट-सामग्री की आंकड़े विवरण 2021, 2024, 2026, 2028, 2027, 2023 एवं २०-सामग्री की आंकड़े विवरण 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 तक अनियायी रूप से एसईआईएए, अलीशांगड़ को छलपूत्र किए जायेंगे।
 5. समिली द्वारा विकार किया हुए उपरान्त सामग्री की वेसरी खुदाई संख्या गढ़नी (प्री- सालीन, द्वारा प्रदायक बालनवाही (यी एंपीए चुनाव नेताम्), पार्ट ऑफ बालन इन्स्ट्रुमेंट ८५७, द्वारा सुईचारे, द्वारा प्रदायक बालनवाही, राहसील-द्वारा, जिला-उल्लंघन बालन जालीन, बुल लौज कीपफल ५ हेक्टेयर में उल्लंघन हेतु विकास का चून ६० प्रतिशत हेतु विकास की दृष्टि सालीन अधिकाराम १.८ मीटर की महाराई तक सीमित रखती हुए, चून ५५,००० घनमीटर प्रतिवर्ष ऐत जलसानन के द्वारा प्रदायकर्तीय स्थीरत्वी, एवं चार्ट के विवरण की तारीख से पाँच वर्ष तक की अवधि हेतु परिसीध्य-एवं में वर्गित जली के अंतर्न दिये जाने की अनुसारा ही रही। ऐत की खुदाई अभियान द्वारा (Manually) की जाएगी। दिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रयोग अतिविषयत रोका। लौज क्लैज में जिला ऐत खुदाई बद्दो (Excavation pits) की सीडिंग व्यवस्था तक ऐत का चरित्रहृत ट्रैक्टर द्वारा द्वारा किया जाएगा।
 6. उल्लंघन विवर बहुमिति विनियोग सांख्यिकाई, २०१० (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2010) एवं ईम्पोरिमेंट एवं नीतिमिति सांख्यिकाई विवर लेख गार्डन, २०२० (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार जलसान सुनिश्चित किया जाए।
 7. ईम्पोरिमेंट द्वारा नीतिमिति गार्डनलाईन विवर लेख व्यवस्था, २०२० (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के तहत ५० प्रतिशत क्लैज में उल्लंघन कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
- राज्य सार्विय पर्यावरण प्रमाण आकास्य प्राविकारण (एसईआईएए) अलीशांगड़ को उदानुसार बहुमिति किया जाए।

3. वेसरी वाहनानी इच्छाकौल लिमिटेड, द्वारा-सोन्हा, राहसील व जिला-दावपुर (संप्रियात्मक का नस्ती जन्मान्तर १९५४)

अधिकाराई जालेवन — पूर्ण व इच्छाकौल नम्बर — एनसाईप/सीपी/आईएनकी/६०७७९/२०२१, दिनांक १४/०२/२०२१ द्वारा दी/ओजार हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में इच्छाकौल नम्बर — एसआईए/सीपी/आईएनकी/६०७७९/२०२१, दिनांक ०१/०९/२०२२ द्वारा प्रदायकर्तीय स्थीरत्वी प्राप्त करने के लिए फार्मला इंजीनियर ए. रिपोर्ट प्रस्तुत ही रही है।

इसाम का विवरण — यह जलसान विलायत का प्रकारन है। परियोजना प्रकारानक द्वारा इसाम का विवरण जारी कराया जाएगा।

ज्ञानांक 404, 405/1, 405/2, 406/1, 406/2, 406/3, 406/4, 407/1, 407/2, 408/1, 408/2, 409/3, 410/1, 410/2, 411/1, 411/2, 412, 413, 414, 415, 416/1, 416/4, 416/5, 416/6, 416/7, 417/1, 417/2, 417/3, 417/4, 417/5, 417/6, 418/1, 418/2, 418/3, 418/4, 419, 454/1, 454/2, 455, 455/1, 455/2, 455/3, 455/4, 455/5, 455/6, 455/7, 455/8 एवं 455/9। संज्ञकाल - 11.84 हेक्टेयर से 18.8 हेक्टेयर (45.5 एकड़ी) में इन्हें कर्मित रिप्प एलआरएफ, वी (एमएस बिलेट इंगार्ड्स/हीट बिलेट्स) - 36,000 टन प्रतिवर्ष से बहुतात्मा 1,50,000 टन उत्पादन, यू. संज्ञित बिल (रो-टोल ग्रीनस्टर/पत्ता/स्ट्रॉबरीस्टर्स रसील/वायर रीव) - 1,50,000 टन प्रतिवर्ष के लिए पर्यायवालीय क्षमिता प्राप्त करने के लिए आवेदन दिया गया है। प्रस्तावित कार्कसलाप के उच्चतम विनियोग का कुल ज्ञानांक 27.5 हेक्टेयर होगा।

पूर्व ने एसईएसी. उत्तीर्णगढ़ के ज्ञानांक 646, दिनांक 28/06/2021 द्वारा प्रकरण भी: केंटेनली का होने के बाबत जारी सख्त यारीकरण, बन और जलवाया परिवर्तन प्रबालय द्वारा अद्यता, 2016 में प्रकाशित रहीप्रकाशी हमी लौक रिपोर्ट (टीओडीएल) की वैश्वार्दी/इलमयी, रिपोर्ट और ग्रीनस्टर्स/एकटीयिटीज बिलार्डरिंग इन्वायर्समेंट बैलीवरेस अपकर है। अद्यता, 2006 में वर्गीत खेड़ी भूमि का नटोर्डर्स टीओडीएल (लोक सुनामाई सहित) मेटालर्गिकल इन्डस्ट्रीज (पंजाब राष्ट्र नीन कंपनी) हेतु दीजीआर जारी किया गया है।

लद्दानुसार परियोजना इसाधक को एसईएसी. उत्तीर्णगढ़ के यह दिनांक 05/12/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

वैधती का विवरण -

(अ) जनिति की 430वीं बैठक दिनांक 05/12/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु जोहै भी जलनियि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पछ दिनांक 05/12/2022 द्वारा सूचना ही नहीं है कि अवशिष्ट कारबों से अज बिठ्क में प्रस्तुतीकरण दिया जाना होगा नहीं है। अत आगामी 30वाँजित बिठ्क में पानव प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

जनिति द्वारा तात्काल यारीकरणी की निर्देश दिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक की पूर्व में याही गई पांचिंह यानकारी एवं सामाजि सुरक्षागत यानकारी / यस्तावेज नहिं। प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित दिया जाए।

लद्दानुसार परियोजना प्रस्तावक की एसईएसी. उत्तीर्णगढ़ के ज्ञानांक 03/02/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) जनिति की 430वीं बैठक दिनांक 09/02/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु भी बीजाज बालाहानी, भीजाजी एवं पर्सियन बालाहाकार की तरफ में नेतरी यारीनियर इन्वायर्स लेवोरट्रॉप पार्क कन्सलटेन्ट प्राइवेट लिमिटेड, हुदूबाद की ओर से भी याय रेक्ट्रॉट उपस्थित हुए। जनिति द्वारा याही प्रस्तुत यानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न विवरि पाई गई-

1. अल एवं कायु सम्बन्धि -

- उत्तीर्णगढ़ पर्यायवाल संसाधन महत्त, नवा सापेहर अटल नगर, रायपुर से रापन ज्ञानांक ज्ञानांक-36,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष, बहुपूर्ण आरडी आवासित बैलिट यौवर ब्लॉट-१ मेंगावीट, एक बी.सी. अवासित बैलिट यौवर फ्लॉट-२५ मेंगावीट एवं एमएस इंगार्ड्स/बिलेट्स ज्ञानांक-36,000 मीट्रिक टन

प्रतिक्रिया हेतु जल एवं वायु सम्पति नियन्त्रण विभाग 08/04/2021 की तारीख की गई है, जो तिथि विनाशक 31/03/2024 तक है।

- सहीसंगठ पर्यावरण संख्या नंबर, जल वायपूर लॉटल समर, लयपुर के द्वायन दिनांक 08/01/2022 द्वारा बताया गया विधिमति में स्थापित इकाई की हेतु सहीसंगठ पर्यावरण संख्या नंबर द्वारा आई सम्पति तारीख की तारीख में की गई कार्रवाई की विस्तृतता जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार यह वर्षांक 5 का अपूर्ण यात्रा दौरा नहीं बताया गया है एवं ऐसी वार्षीय तारीख का पूरी यात्रा किया यात्रा बताया गया है। हुआ संघर्ष में स्थिति का भूल है कि अपूर्ण तारीख का पूरी यात्रा करने के संबंध में वायपूर लॉटल एवं जानकारी प्रस्तुत किया यात्रा बाबहारक है।
- भूमि वायपूर / भूमि आवंटन संस्कृती दस्तावेज वायपूर वाहित प्रस्तुत गही दिया गया है।
- वारीपार्श विधि क्रियाकालायी संस्कृती जानकारी –

 - वारीपार्श अकाई गाम-भौपूर 100 मीटर एवं जहर वायपूर 7 किमी की दूरी पर स्थित है। विकाटलम जलसंग्रहाल 2.6 किमी, सड़क 2.3 किमी दूर है। निकटलम ऐसे स्टेशन माइर 7.2 किमी की दूरी पर स्थित है। यामी विकाटलम विद्युतप्रलाप, यामा, वायपूर 22 किमी की दूरी पर स्थित है। राजमार्ग 2 किमी दूर है। चालन नदी 2.5 किमी, घोला याता 1.2 किमी दूर है।
 - परियोजना प्रस्तावका द्वारा 10 किमी की विभिन्न में अलंकृतीय सीमा, नद्युदीय उद्यान, जलवायन्त, सौन्दीय व्याप्रय विवरण द्वारा यांत्रिक पारिस्थितिकीय संहेदणकीम की या योगिता और विधिविभाग को स्थित नहीं होना परियोजित किया है।

- लेख्य एविया कंटेनर – यात्राने में इकाई 11.84 हेक्टेयर में स्थापित है। अन्य विभार हेतु 0.70 हेक्टेयर अंतिरिक्त भूमि अधिकारित की गई है। युल क्षेत्रफल 18.6 हेक्टेयर (45.9 एकड़) है, जिसमें से बीमारझाई विभाग (वायपूर एवं झारखंडी) का क्षेत्रफल 3 एकड़, इकाटलम क्षेत्रका का क्षेत्रफल 2 एकड़, चोलिंग विल का क्षेत्रफल 2 एकड़, एफ.वी.री. अवारित पीवर याट का क्षेत्रफल 1.5 एकड़, हटोरेज एविया 5 एकड़, अलंसिक यारी का क्षेत्रफल 3 एकड़, चार्किंग का क्षेत्रफल 1 एकड़, बाटर विज्ञायिर एम्ब रेन बीटर इलेक्ट्रिंग का बीमारझ 2.5 एकड़, एडमिन विभाग का क्षेत्रफल 0.05 एकड़, ओपन एरिया 7.45 एकड़ तथा बुरिया ब्लॉडिटका हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल 16.4 एकड़ है।
- ५. शी-फार्टेशन –

S. No.	Raw Material	Quantity (TPA)	Sources	Mode Of Transport
For Steel Melting Shop (MS: Billets/ Ingots) – 1,50,000 TPA				
A.	Sponge Iron	1,52,000	Own generation & Open market	By road (Through covered truck)
B.	MS Scrap / Pig Iron	23,000	Orchha gram	By road (Through covered truck)
C.	Ferro alloys	0,000	Open market	By road (Through covered truck)
For Rolling Mill through Hot changing (Rolled Products) – 1,50,000TPA				
A.	Hot billets / MS	1,65,000	Own generation &	By road

	Basis / Inputs	Open market	Through covered trucks
	Gassifier for Rolling mill (2,000 MM³/min)		
A	Cost (Indian)	8,640	SECL Chhattisgarh / MC, Odisha
B	Cost (Imported)	3,800	Indonesia / South Africa / Australia
			By rail & road (through covered trucks) Through sea route, rail route & by road

५. प्रस्तावित एवं प्रत्यापित इकाईयों संबंधी जानकारी –

S. No.	Unit (product)	Existing Operating Plant	Proposed Expansion project	After Expansion project
1.	DRI Kms (sponge iron)	80,000 TPA (3 x 100 TPD)	-	80,000 TPA (3 x 100 TPD)
2.	Induction Furnace (MG Billet / Ingot)	36,000 TPA (3 x 6 T)	1,14,000 TPA (Replacement of 2x6 T with 2x10 T IF & installation of new 2x15MT IF with matching LRF)	1,50,000 TPA (2x10 T & 2x15 T)
3.	Rolling mill (Re-rolled product/ plate/structure/ steel/wire rod)	-	1,60,000 TPA (1 x 600 TPD) [1,27,000 TPA through hot charging & 23,000 TPA through Reheating furnace]	1,80,000 TPA (1 x 600 TPD) [1,27,000 TPA through hot charging & 22,000 TPA through Reheating furnace]
4.	Power Plant	VPPA	8 MW	-
	FBC	2.5 MW	-	2.5 MW

७. शामु प्रदूषण नियंत्रण जानकारी – कर्मगान में दृष्टिकोण कर्मसूल में शामु प्रदूषण नियंत्रण हेतु पश्चिम एक्सट्रेनिंग लिमिटेड के साथ बोग विलेटर एवं ३ नम ३६ फीटर कांडी लिमिटेड नवापित है। अन्य लिमिटेड के तहत दृष्टिकोण कर्मसूल में शामु एक्सट्रेनिंग लिमिटेड (जानकार्य बहा) के साथ बोग विलेटर एवं लिमिटेड से पार्टिकुलेट मेटर बहा उत्तराखण्ड ३० मिलीडाम/सान्धान्य घनमीटर से कम स्तर जाना प्रस्तावित है। रि-हिटिंग कर्मसूल अवार्डिंग लीलिंग लिमिटेड में शामु प्रदूषण नियंत्रण हेतु सफायत क्षमता है। प्रस्तावित अव्यक्तियां के लिए प्रस्तावित नई जानकारी से पार्टिकुलेट मेटर बहा उत्तराखण्ड ३० मिलीडाम/सान्धान्य घनमीटर से घटाकर ३० मिलीडाम/सान्धान्य घनमीटर होना प्रस्तावित है। लीलिंग लिमिटेड में ३० फीटर कांडी लिमिटेड प्रस्तावित है। कम्पनियां बहात उत्तराखण्ड नियंत्रण हेतु जल लिमिटेट एवं काल्हक कान्फ्रेंटर लिमिटेड समर्थन किया जाएगा।

८. औन अपरिवर्त अपवर्तन जानकारी –

S. No.	Waste	Capacity (TPA)		Method of disposal
		Existing	Proposed	
1.	Ash from DRI	16,200	-	Is being used in few brick manufacturing units operating in plant premises.
2.	Dolochert	27,000	-	Is being used as fuel for FBC based power plant.
3.	Wt in Accretion slab	810	-	Is being utilized in road construction & used in two brick manufacturing units operating in plant premises.
4.	Wet scraper sludge	4,140	-	Is being utilized in road construction & used in two brick manufacturing units operating in plant premises.

5.	SMS Slag	3,000	11,400	Slag from SMS is being crushed and iron is being recovered & remaining non-magnetic material being left by magnet is used as sub-base material in road construction used in two brick manufacturing units operating in plant premises. The same will be continued even after expansion plan.
6.	Mill scales from rolling mill	-	9,000	Will be given to near by ferro-alloy units.
7.	End cutting from rolling mill	-	4,500	Will be recycled back as raw material in Induction furnace.
	Ash from power plant (with 100% Indian coal)	7,518	-	Is being used in two brick manufacturing units operating in plant premises.
	OR			
	Ash from power plant (with 100% Imported coal)	1,200	-	Is being used in two brick manufacturing units operating in plant premises.
	OR			
	Ash from power plant (with Dholpur + Indian coal)	17,643	-	Is being used in two brick manufacturing units operating in plant premises.
	OR			
	Ash from power plant (with Dholpur + Imported coal)	16,446	-	Is being used in two brick manufacturing units operating in plant premises.
9.	Municipal Solid Waste			
10.	Construction debris (generated during construction phase)			Used for land fill within the plant site and Recyclables will be given to authorized recyclers.
11.	Compost waste			Used in composting/ vermiculture used as manure for green belt development.
12.	Recyclables			Given to SPCB authorized dealers.

9. जल प्रबंधन व्यवस्था –

- जल संग्रह सर्व संकेत – कर्मान में परियोजना हैं यु. कुल 350 घनमीटर प्रतिदिन (परेलू उपयोग हैं यु. 20 घनमीटर प्रतिदिन एवं औद्योगिक उपयोग हैं यु. 840 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाता है। कमता परियोजना उपरान्त परियोजना हैं यु. कुल 1,200 घनमीटर प्रतिदिन (परेलू उपयोग हैं यु. 30 घनमीटर प्रतिदिन एवं औद्योगिक उपयोग हैं यु. 1,170 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। आवश्यक जल की आवृत्ति हैं यु. घनमीटर मुख्य व्यय लिपिट्रैक से 12 लाख लीटर (1,200 घनमीटर प्रतिदिन के लिये अनुमति नियम वाला है)।
- जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था – कर्मान में जलस्वन दृष्टित जल की मात्रा 140 घनमीटर प्रतिदिन एवं प्रस्तावित कर्मयोजना की जलस्वन दृष्टित जल की कुल मात्रा 175 घनमीटर प्रतिदिन होती है। उत्स्वन दृष्टित जल का पुनर्उत्तम कर उपयोग में लाभ जाता है। साथ ही जलस्वन दृष्टित जल की उपयोग हैं यु. उपल्यूप्ट ट्रीटमेंट प्रोटोट की व्यापकता की नहीं है। प्रस्तावित कर्मयोजना की व्यापकता उपयोग व्यवस्था प्रयोगहीं जाएगी। कर्मान में परेलू,

दूसिया जल के उपयोग हेतु संस्थान एक एवं सीधीफिट लिंगार्म लिया गया है। परंतु दूसिया जल के उपयोग हेतु सीधेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्वतन्त्रता लिया जाना प्रस्तावित है। गैरीफालव से जैविक फिल्टरिंग के द्वारा भी उपयोग संबंध लायरेख किल्न ने अपवहन किया जाना प्रस्तावित है। दूसिया निसस्तरण की लियति रखी जाएगी। समिति का मत है कि उपर्यन्त औरीफिट दूसिया जल अनुसार सीधेज ट्रीटमेंट प्लांट एवं धोलू दूसिया जल अनुसार सीधेज ट्रीटमेंट प्लांट की जरूरत हेतु जानकारी (तापमात्रा, ड्राइंग सहित) प्रस्तुत लिया जाना आवश्यक है।

- भू-जल चक्रवीर प्रबन्धन – उद्योग जल बैंडल प्रबन्धन बाटर बोर्ड के अनुसार लिंगिटकल ज्ञान में छहा है। लिंग के अनुसार—
 - (अ) बहुद एवं नव्यन उद्योगों को जन से कम 50 लिंगार्म दूसिया जल का पुनर्वाहन एवं पुनर्वाहनोप लिया जाना है।
 - (ब) वाहनग बाटर रियाज हेतु उपर्युक्त यह लक्ष्यकाक यथा ऐनवाटर हार्डिंग / ऑर्टिफिशियल जल रियाज के अन्वाट एवं भू-जल निकाले जाने की अनुमति बैंडल प्रबन्धन बाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान यथा। उद्योग को ऐनवाटर हार्डिंग व्यवस्था लिया जाना आवश्यक है।
 - रेन बैंडर हार्डिंग व्यवस्था – उद्योग परिवार में वर्षा जल का कुल उपर्युक्त 3.864 घनमीटर प्रति घण्टा है। वर्षावाम ने रेन बैंडर हार्डिंग व्यवस्था के अन्वाट 6 नग रियाज पिट ट्रिक्सा 2 बीटर गढ़र्ह 6 बीटर) लिंगित लिया जाता है। अवलागित कार्यकलाप प्रवर्तित कुल 12 नग रियाज पिट (व्यास 4 बीटर वड़र्ह 8 बीटर) लिंगित लिया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेन बैंडर हार्डिंग व्यवस्था परिवार के गूर्ख उपर्युक्त को रियाज लिया जा सकेगा। सभी रियाज इन्डस्ट्रीज इस प्रकार लिंगित जाएंगे कि इनमें सामान गाजा ही वर्षा जल का बहाव ही रहें।
10. विद्युत आपूर्ति स्रोत – वर्षावाम ने परियोजना हेतु 10 मेगावीट विद्युत की आवश्यकता है। वर्षावाम ने रेन बैंडर हार्डिंग व्यवस्था के अन्वाट 6 नग रियाज पिट ट्रिक्सा 2 बीटर गढ़र्ह 6 बीटर) लिंगित लिया जाता है। अवलागित कार्यकलाप प्रवर्तित कुल 12 नग रियाज पिट (व्यास 4 बीटर वड़र्ह 8 बीटर) लिंगित लिया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेन बैंडर हार्डिंग व्यवस्था परिवार के गूर्ख उपर्युक्त को रियाज लिया जा सकेगा। सभी रियाज इन्डस्ट्रीज इस प्रकार लिंगित जाएंगे कि इनमें सामान गाजा ही वर्षा जल का बहाव ही रहें।
11. तुलसीपाल संकायी जलनाली – जलाशाया में 1.72 हेक्टेयर बीच में तुलसीपाल लिया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप तुलसीपाल इंडियन परियोजना को लियाजस्त हेतु कुल क्षेत्रफल के 16.4 एकड़ ($\frac{1}{4}$ एकड़घर्ष) 40.08 प्रतिशत बीच में पौधे संप्रित लिया जाना प्रस्तावित है। परिवार की जारी तारफ 20 बीटर की गोद्दी सीन बट्टी में एवं तुलसीपाल नाम की तारफ 40 बीटर की गोद्दी सीन बट्टी में तुलसीपाल कर्ता लिया जातगा। कंवीय प्रदूषण लियवरन बोर्ड के दिल्ली-निवेशी के अनुसार प्रति हेक्टेयर 2,500 नग तुलसीपाल लिया जाएगा। समिति का मत है कि प्रस्तावित तुलसीपाल के जारी और एवं तुलसी बीच को लिया जायगा में भी तुलसीपाल हेतु 6 बी 6 फीट उंचाई वाले गोद्दी का तोपण (50 लिंगार्म योजन दर सहित)। मुख्य हेतु फैसिंग, खाद एवं लिंगार्म जल-स्थान के लिए 6 बीच का घटकावन व्यय का लियवरन लिंगित विद्युत प्रस्ताव ले—अनुसार तारफ में दर्शाये हुए प्रस्तुत लिया जाना आवश्यक है। समिति का मत है कि 50 प्रतिशत क्षेत्रफल में पौधे संप्रित लिया जाना आवश्यक है।

12. इंजिनियरिंग स्पेक्ट्रम का विवरण—

- एल एवं बाहु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी — प्रौद्योगिकीय अवधि 01 अप्रैल, 2021 से 20 अप्रैल, 2021 के नव्य लिया गया है। 30 फिल्टरीनीटर को अंतर्भूत स्थानों पर परिवेशीय बाहु गुणवत्ता मापन, उस स्थानीय वर अभियान इलाज गुणवत्ता मापन, उस स्थानीय वर अभियान उत्तराधिकारी पर वाहनी एवं गुणवत्ता तथा उस स्थानीय वर अभियानी को अपूर्ण संकेतित कर विवरण लिया गया है।
- नीनिटिंग परिषारी की अनुसार पीएम, एसओ, डीजी, का जानकारण लेखन—

Concentration level ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Maximum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CPCB Standard ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
PM _{2.5}	38.6	52.6	60
PM ₁₀	64.1	87.5	100
SO ₂	8.9	25.6	60
NO ₂	9.1	33.4	60

- परिवहन स्थल की आवासीय जल गतिशीली गुणवत्ता— इंजाईए की Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये इयल अनुसार कलोराइडस, नाइट्रोटेस, सल्फर वार्बीन्ट्स, लैट, झार्नीगेक एवं अन्य वायरियल गतिशीली गुणवत्ता का जानकारण लेखन जानकार गामक के बाग है।
- परिवेशीय अभियान—

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise Level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day Line	49.2	69.6	75
Night Line	38.2	58.9	70

जो वाहन की गतिशीली गुणवत्ता के बाग है।

- पी.सी.ए. की गणना— भावी बाहुनी / नेट्रीएशन इंजी बाहुनी की उपलब्ध करते हुवे इंशिक अव्ययन लिंगें प्रदान की गई हैं, जिसके अनुसार—

Status	PCU / Day
Before operation of the expansion project	16,960.5
After operation of the Proposed expansion project	17,327.5

विवरण के संपर्क से दी-गटेरियल / ड्रॉइवर्स के परिवहन हैं तु सहा मार्ग जी लोक चैरिंग इन्डिया लिंगिंग गामक (As per IRC: 73-1980 carrying capacity 20,000 PCU per day for National Highway) के भीतर है।

- इन गुणकों दिनांक 10/04/2022 प्रातः 10:30 बजे तकान — गोप्यतावाचीकृत विवरण के परिवहन, औद्योगिक क्षेत्र, गोप्य-2, शिलांग, जिला-साकुर में संभव हुई। लोक गुणवत्ता इंशानोज साकरण संचिक, छत्तीसगढ़ जारीवर्त्य संखाल मंडल, भवा लघुपुर अटल जागर जिला-साकुर के दर दिनांक 13/08/2022 द्वारा प्रोत्ता विवरण गया है।

- जनसुनवाई के दीर्घन सुख्त काम से लिया गुणवत्ता/विवार प्रदान किये गये हैं—

- लिंगिंग वैरोपानानी की गोप्यतावाचीकृत लोकगाम प्रदान किया जाए। सभा ही दीर्घ लेवलवानी, गांव के विवरण, नहर, नाली के विवरण आदि में भी सहायीग प्रदान किया जाए।

- a. उद्योग के विनाशक से प्रदूषण बहुत अधिक बढ़ता जा रहा है। सड़कों में ऊपर चलने वाले अधिक गाड़ियां भी होती हैं।
 - b. उद्योग की वाहनी के आवाषकन से आस-पास के सड़क नदी प्रभावित होते हैं, जिससे जलम वागमिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
 - c. उद्योग के अंदर वृक्षान्तर्पन घर विशेष जगत देना चाहिए।

लोक सुनवाई के दीर्घ उत्तरावे नाम सिर्फ़िन मुद्राओं के विस्तारण की दिशा में विरोधाभास प्रस्तावकों की ओर से उत्पन्न प्रतिबन्धि/कॉम्प्लेट का कथन विचारनालय है।

- वहाँमान में उद्योग में लगभग 350 से 400 लोग काम करते हैं जिसमें तो 71 प्रतिशत महानीय लोगों को रोजगार दिया गया है। मध्यमीय वर्ग की साथ-साथ समीकरणीय लोगों में विकास कार्ड दिया जाएगा।
 - उद्योग में प्रदूषण नियन्त्रण हेतु ऐप फिल्टर की स्थापना की गई है जिससे पर्यावरण प्रभावित न हो। बाहरी की स्थापना के लिए भवित्व लगा हूआ है एवं फ़िल्टर हेतुर से यात्रा ठिकाना दिया जाएगा।
 - शारीरिक सहायते का वर्षमान किया जाएगा। साथ ही सहायते में याहनी के अवधारणानी से छोटे वाले पर्सूलिटीय छक्के उत्तराखण के रोकथाम हेतु जल ड्रिङ्किंग का वर्ष दिया जाएगा।
 - दूसारीपाँच हेतु 30 एकड़ में से 1150 एकड़ चूमि में योग्य सेविका लिये गये हैं जिसमें लगभग 14,300 पौरी जगे हुए हैं एवं इन्हें अधिक से अधिक कृषाणीकरण करने की सोचिता रखती है। अधिकरण प्रदूषण नियन्त्रण एवं उत्तराखण यह डिशेन द्वारा दिया जाएगा।

१५. कौरीसैट पर्यावरणीय दाखिल (C.E.R.) – परिक्षेत्रका प्रवर्तनाएँ द्वारा बीईआर (Corporate Environmental Responsibility) नेतृत्व समिति को सम्मानित होने वाली अपनी निष्पादन-प्रक्रिया प्रदर्शन की तरफ है।

Additional Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
2700	1%	27	Following activities at Village-Bhalsamuda Eco-Park Niran Total	28.26 28.26

सीईआर के अलगी ईको पार्क नियमों हेतु जनता प्रकाश अनुसार 3,300 लगभग वीथी के लिए राशि 7,17,500 रुपये, पर्सिंग के लिए राशि 6,00,000 रुपये, खाद्य एवं निषेधी के लिए राशि 1,75,000 रुपये, बहु-प्रकाश के लिए राशि 1,64,250 रुपये। इस प्रकाश प्रबन्ध वर्ष में कुल राशि 10,56,750 रुपये तथा अणारी 4 वर्ष में कुल राशि 11,69,250 रुपये हेतु घटकावार व्यव का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सीईआर के लालू ईको पार्क नियम हेतु आम चैक्यपत्र भैलगुडा की लाइसेंसि उपलब्ध व्यवाहीन व्यवाह (लासा क्रमांक 22/अंकार), सीप्रकल 2.5 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का नत दिन भी सीईआर के 1990 कुल लालू

का ३ प्रतिशत अनुसार इसाम (डी.पी.आर.) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। सभी हीको पार्वती निर्माण की अतिरिक्त प्रस्तावित संस्कृत के लिये जाने पाए कार्य का विस्तृत प्रस्ताव (डी.पी.आर.) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

लाखिलि द्वारा उल्लग्न वार्षिकान्वयि से गिर्वानुसार निर्णय किया गया था—

१. भूमि ल्पन्मित्य/भूमि अवादन संबंधी दस्तावेज व्यवस्थान सहित प्रस्तुत किया जाए।
२. चार्यन सौदागिक दृष्टियां जल अनुसार इपल्युएट ट्रॉटमैट ब्लॉट एवं पैरेल दृष्टियां जल अनुसार सौदेय ट्रॉटमैट ब्लॉट की व्यवस्था हेतु जानकारी (अन्तरा छाईग लैंडिंग) प्रस्तुत किया जाए।
३. लाखिलि इकाई एवं प्रस्तावित कार्यकलाप उपलब्ध उल्लग्न की द्वारा नी युव इपल्युएट भार की व्यवस्था कर (जल उपयोग की व्यवस्था दृष्टियां जल की व्यवस्था/युवावस्था, इपल्युएटों की उपलब्धिन की व्यवस्था एवं चार्यन डोज उपयोगितों की व्यवस्था) जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
४. डिक्टिल व्यवस्था हेतु डी.जी. बीट की व्यवस्था सहित एवं विभिन्न वार्षिकी व्यवस्था जानकारी प्रस्तुत की जाए।
५. उद्योग में काम करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की व्यवस्था वार्षिकी जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
६. उद्योग परिवर्त के बारे और एह उद्योग दोष के लिया व्यवस्था में की जायें ६० प्रतिशत हेतु में युवावोयण हेतु ५ से ८ पीट इकाई जले पीढ़ी का रोपण (५० प्रतिशत जीवन दर सहित), युवा हेतु वैरिंग, बाइ एवं विश्वाई तथा रख-उद्योग के लिए ६ वर्षी जल घटकावार व्यव का लिया व्यवस्था सहित विस्तृत व्यवस्था ले—अन्तर उद्योग में दर्शाई हुए प्रस्तुत किया जाए।
७. व्यापार में व्यापारिय इकाईयों हेतु अस्तीतिहास व्यवस्था व्यवस्था भेदभाव हुआ जारी रखने की व्यवस्था में प्रस्तुत यातन प्रतिक्रिया अनुसार जले जलाक २ के अन्दरी यातन का पूरी यातन करने के संबंध में जारीकोर्ता एवं जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
८. सी.ई.आर. के तहत कुल जागत के २ प्रतिशत अनुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए। सभी हीको पार्वती निर्माण के लिए विस्तृत प्रस्ताव (डी.पी.आर.), को अतिरिक्त प्रस्तावित संस्कृत में लिये जाने वाले कार्य का विस्तृत प्रस्ताव (डी.पी.आर.) प्रस्तुत किया जाए।
९. उद्योग परिवर्त के अंदर जान युवावोयण किये जाने एवं जीवित पीढ़ी का व्यवस्थाईवल रेट (Survival rate) जल की जान ५० प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने वाला वायव यज्ञ (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
१०. अस्तीतिहास अदारी युवावोयण नीति के तहत जानीव लोगों के जानकारी उपलब्ध दिये जाने हेतु वायव यज्ञ (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
११. जनसंघनाई के दीर्घ विभिन्न युद्धों के विरकारण की व्यवस्था में विरोजनाव प्रस्तावक द्वारा यावीयों के जान विये गये अवश्यकताव को पूरा करने हेतु वायव यज्ञ (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंदरूनीकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विकल्प इस परियोजना/वादाम वी समिति कोई न्यायालयीन प्रकरण देखने के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लम्बित नहीं है।
 - परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंदरूनीकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विकल्प भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवाया परिवर्तन मंत्रालय की अधिकृतया कानू. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई सालाहान वा प्रकरण लम्बित नहीं है।
 - कानून में क्रमायित दृष्टिकोणी हेतु उत्तीर्णगढ़ पर्यावरण संचय मंडल द्वारा जली समर्पित छाती के पालन में की यह उल्लंघनाती भी विन्दुवार छाती का पूर्ण पालन किये जाने का न्यायिक प्रक्रिया (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਤ ਜਾਨਗਲੀ/ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੜ੍ਹਣ ਹੋਣੇ ਤੁਫਲਾਂ ਆਮਾਂ ਕਾਢਕੀ ਕੀ ਵਹਿੰਗੀ।

लान्चन सार एस.डॉ.एसी. प्रतीकाग्र के जापन दिनांक 21/03/2023 के परिपेत ने
परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 21/04/2023 की जानकारी/दस्तावेज़ प्रस्तुति
दिलाई गया।

(ੴ) ਸਾਮਿਤੀ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਮਿਨਾਂਤ 11/05/2023

समिति द्वारा नवीनी प्रकृत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न विवरि पाई गई—

1. भूमि संवर्गीकरण/भूमि अधिकार संस्थानी वक्तव्याधार सहित प्रदूषित किया जाया है।
 2. यास प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था – औद्योगिक प्रक्रिया से दृष्टित यास संरक्षण होता है। कूलिंग संपर्कात् यास सूखित जल की उच्च तार पुनः कूलिंग हेतु संपर्कीय में लाया जाता है। यही व्यवस्था प्रसाराधित कार्बोक्साइड हेतु उपचाराई जाएगी। पीवर प्लाट से जनित दृष्टित यास के उपचार हेतु इफल्कुलेट ट्रीटमेंट प्लाट की व्यवस्था की जई है। जनित ने घोलू दृष्टित जल के उपचार हेतु सेप्टिक ईक एवं सोक्षिट निर्माण किया जाया है। इसात्पित कार्बोक्साइड संपर्कात् घोलू दृष्टित यास के उपचार हेतु एन्डोबीजन तकनीक आवासित श्रीयोज ट्रीटमेंट प्लाट कमाता 35 प्रभावीट्र प्रतिदिन की व्यवस्था प्रसाराधित कार्बोक्साइड हेतु उपचाराई जाएगी। गोसोपाहर से जनित किनारिक बेल्ट गाटर को छोड़ आई, किला के अंकठड बर्तनिंग फैब्रियर में जारीर्ये जाने का प्रस्ताव है। यूनिवर्सिटी वर्षी रखी जाती है।
 3. प्रदूषण भार संबंधी जागरूकता – यहांगान में स्थापित स्कॉल अगाहन किला से पार्टिकुलेट बेटर 80 मिलीग्राम/लाम्बान्द घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने से उत्पातीन की मात्रा 27 टन प्रतिवर्ष एवं सत्पन बोर्डीसीक्साईड उत्पातीन की मात्रा 621.04 टन प्रतिवर्ष है। यहांगान में स्थापित इफल्कुलेट फैब्रियर से उत्पादन की दर्ता में पार्टिकुलेट बेटर 80 मिलीग्राम/लाम्बान्द घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने की उत्पातीन की मात्रा 2.18 टन प्रतिवर्ष है तथा उत्पातिए एक बीती आगाहन बीवर चाट से पार्टिकुलेट बेटर 80 मिलीग्राम/लाम्बान्द घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने की उत्पातीन की मात्रा 42.0 टन प्रतिवर्ष एवं सत्पन बोर्डीसीक्साईड उत्पातीन की मात्रा 163.3 टन प्रतिवर्ष है। इस प्रकार स्थापित इफल्कुलेट से बुल पार्टिकुलेट बेटर उत्पातीन की मात्रा 64.78 टन प्रतिवर्ष एवं सत्पन बोर्डीसीक्साईड उत्पातीन की मात्रा 280.34 टन प्रतिवर्ष है।

प्रस्तावित कार्यकलान उपरांत लगापित इन्फ्रास्ट्रक्चर कर्मी (200 टन) के स्थान पर प्रस्तावित इन्फ्रास्ट्रक्चर कर्मी (2x10 टन) से जल्दादन की दशा में पार्टिकुलेट मैट्र 30 मिलीमीटर/सामान्य धनवीटर से जब सुनिश्चित किये जाने से उत्तरांन की मात्रा 18,552 टन प्रतिवर्ष होगा तथा उत्तरांन इन्फ्रास्ट्रक्चर कर्मी (2015 टन) से उत्तरांन की दशा में पार्टिकुलेट मैट्र 30 मिलीमीटर/सामान्य धनवीटर से जब सुनिश्चित किये जाने की पार्टिकुलेट की मात्रा 20,736 टन प्रतिवर्ष होगा। प्रस्तावित सी-हीटिंग कर्मी आवाहित लैरिंग नियंत्रित से जल्दादन की दशा में पार्टिकुलेट मैट्र 30 मिलीमीटर/सामान्य धनवीटर से जब सुनिश्चित किये जाने से उत्तरांन की मात्रा 8,221 टन प्रतिवर्ष एवं सल्फर डीईओक्साइड उत्तरांन की मात्रा 215-130 टन प्रतिवर्ष होगा। लगापित गोपनीय आयरन विल्सन एवं स्टापिर एफ. बी.सी. अध्यारित गोपनीय एवं सल्फर डीईओक्साइड उत्तरांन की मात्रा में बोर्ड परिवर्तन विल्सन प्रस्तावित नहीं है। इस प्रकार प्रस्तावित कार्यकलान उपरांत कुल पार्टिकुलेट मैट्र उत्तरांन की मात्रा 123,505 टन प्रतिवर्ष एवं सल्फर डीईओक्साइड उत्तरांन की मात्रा 986,470 टन प्रतिवर्ष होगा।

सर्वांगीन द्वारा पाया गया कि प्रस्तावित कीव नियंत्रण औद्योगिक क्षेत्रोंमें है, जिसके कारण जलनीय एवं जीवी जीव की आदेत विनाय 10/07/2019 एवं विनाय 20/08/2019 की अनुमति विभागीय उपरांत विनाय गण्डक द्वारा कार्यकलान आदेत पारी किया गया है। जिसके अनुसार “For expansion and diversification activity, the pollution load shall not exceed the existing load for which consent has been granted.” जारी किया गया है। परिवर्तन का प्रस्तावित द्वारा उत्तरांन की जगह विल्सन उपरांत प्रस्तुत प्रदूषण भार की गणना अनुसार बढ़ोत्तरी हो रही है। इस संबंध में समिति का नस है कि प्रस्तुत प्रदूषण भार की गणना अनुसार विवाद किया जाना संभव नहीं है। अतः पार्टिकुलेट मैट्र उत्तरांन एवं सल्फर डीईओक्साइड उत्तरांन की मात्रा में कमी करती हुए पुनः प्रदूषण भार की गणना कर उपस्थित किया जाना आवश्यक है।

4. दैखिक आवश्यक ईमू 2 नम 750 के बीच एक्सीस्टिक इक्सीजन में स्थापित है, जिसमें विकली की उत्तरां विनियोग की ऊचाई से 3.5 मीटर अधिक है। जिसका प्रस्तावित है।
5. उत्तरांग में काम करने वाले अधिकारियों/कर्मीप्राधियों की संख्या संबंधी जानकारी प्रस्तुत किया गया है।
6. परिवर्तन का प्रस्तावित द्वारा कार्यकलान आदेत की पूर्ण में प्रस्तुत प्रस्ताव में कुल क्षेत्रफल का 40.58 प्रतिशत में कुआरोंका प्रस्तावित किया गया था। कार्यकलान में एवं उत्तरांग परिवर्तन का परिवर्तन उपरांत कुल क्षेत्रफल की 42.8 प्रतिशत कीव में कुआरोंका विनाय करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। जिसके उत्तरां प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार गोपनीय के लिए राशि 6,10,000 कम्बले, लिंगार्ड लकड़ी खाद के लिए राशि 1,50,000 कम्बले, रखा-रखाद के लिए राशि 1,84,250 कम्बले, इस प्रकार जलन गवे में कुल राशि 8,29,250 कम्बले एवं आगमी 4 वर्ष हेतु कुल राशि 18,61,013.23 कम्बले घटकानाम आय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
7. परिवर्तन का प्रस्तावित द्वारा सम्बंधि जाति की अनुमति प्राप्ति (प्रस्तावित इन्फ्रास्ट्रक्चर कर्मी से जीडीएमएस. की रक्षापना नहीं करने) का पूरी प्राप्ति करने के समर्थन में कार्यकलान आदेत कि नियमानुसार इन्फ्रास्ट्रक्चर कर्मी से जीडीएमएस. की रक्षापना किया जाना अनिवार्य नहीं है। अन्य हक्कार्ड जीसे कि लगापित गोपनीय आयरन एवं एफ.बी.सी.

आवाधित पीड़ित लालौट में शीर्षप्रमुख की स्थापना की गई है। प्रस्तावित कार्यकलाप नामकृत इन्हज़ाम अमेत द्वारा डि-ऑफिस कॉर्पोरेटिंग फिल में शीर्ष एम.एस. की स्थापना प्रस्तावित है।

१. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शीर्षआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु ब्राक्स फिल्ड होमे की कारण पूर्व में शीर्षआर के तहत प्रस्तुत कुल लागत का १ प्रतिशत प्रस्ताव (२५.२५ लाख) को कानून किये जाने वाले अनुचित दिया गया है। समिति का नाम है कि प्रस्तावित परियोजना समिति के सभी पर्यावरणीय वर्षीयकृति हेतु प्रथम बार आवं जाने के कारण शीर्षआर के तहत कुल लागत की २ प्रतिशत अनुसार प्रस्ताव प्रस्तुत दिया जाना आवश्यक है। साथ ही इसी पार्श्व मिशनों के लिए विस्तृत प्रस्ताव (शीर्षआर), की अतिरिक्त प्रस्तावीत लक्ष्य में दिये जाने वाले कार्य का विस्तृत प्रस्ताव (शीर्षआर) प्रस्तुत दिया जाना आवश्यक है।
२. एशोर चरित्र की अंदर साथ तृष्णार्थीय दिये जाने एवं दीपित पीछी का सम्बद्धिकाल रेट (Survival rate) बन से कम ७० प्रतिशत मूल्यरिक्त दिये जाने वाला शापथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत दिया गया है।
३. अलीसागढ़ लालौट द्वारा जारी दिला-निरीक्षा के अनुसार लालौट लोटी की समस्त रोजगार दिये जाने हेतु राक्ष पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत दिया गया है।
४. यामनुनवाई के दोस्रा विभिन्न मुद्रदी की दिला में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्राप्तिकी के सभी दिये जाने वाली संविति की दो अल्पालय में लंबित गई है।
५. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शापथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत दिया गया है कि उसके विकल्प इस परियोजना/साथान से संबंधित कोई अपराधकारी उकाल्य देह की अलगाव किसी भी अल्पालय में लंबित नहीं है।
६. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शापथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत दिया गया है कि उसके विकल्प नारा सरकार, पर्यावरण, बन और वाल्यादु परिवर्तन अकालीय की अधिनुसार कानून ८०४(अ), दिनांक १४/०३/२०१७ के लालौट कोई अल्पालय का अकालीन लंबित नहीं है।
७. लालौट में प्रधापित लालौटी द्वारा अलीसागढ़ पर्यावरण संस्थान बैंकल द्वारा जारी सम्बंधित लालौटी के वालन में की गई कार्यकारी की दिन्दुवार लालौटी का पूर्ण वालन दिये जाने वाला शापथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत दिया गया है। समिति द्वारा लालौट कार्यसम्बन्धी से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था—
 १. लाइंक्सोर सेट चलार्जन एवं सलान डॉईओस्टार्ड चलार्जन की मात्रा में कानूनी काली दूर तुम प्रदूषण बार की गणना कर प्रस्तुत दिया जाए।
 २. इसी पार्श्व निर्णय के लिए विस्तृत प्रस्ताव (शीर्षआर), की अतिरिक्त प्रस्तावित लक्ष्य में दिये जाने वाले कार्य का विस्तृत प्रस्ताव (शीर्षआर) प्रस्तुत दिया जाए।
८. उपरोक्त लाइंक्सोर जानकारी/दस्तावेज़ प्राप्त होने तकात आगामी कार्यकारी की आएंगी।

राजनीतिक दलों की विवरण दिनांक 04/07/2023 के अनुसार वे परिवर्तनों प्रस्तावक द्वारा दिनांक 24/07/2023 की जानकारी/दस्तावेज़ प्रस्तुत किया गया।

(द) समिति की 400वीं बैठक दिनांक 10/08/2023.

परिवर्तनों द्वारा जारी प्रस्तुत जानकारी का अधारोंका एवं परिवर्तन करने पर निम्न विवरण दिये गए हैं—

१. प्रदूषण भार संबंधी विवरण— परिवर्तनों प्रस्तावक द्वारा समिति प्राप्त जानकारी से उत्पादन वर्गीकरण में एवं सम्भाल विभाग उत्पादन वर्गीकरण में कुल प्रदूषण भार की संबंधित गणना कर (प्रदूषकों के उत्पादन की गाँज) निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत किया गया है—

- यांत्रिक वे स्थानित जनज आवरण क्षेत्र से पार्टिकुलेट मैटर 30 मिलीमीटर/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने से उत्पादन की मात्रा ३७ टन प्रतिवर्ष एवं सालकर और्डरीक्साईड उत्पादन की मात्रा ८२१.०४ टन प्रतिवर्ष है। यांत्रिक वे स्थानित इच्छाकारक फैली से उत्पादन की दरमें मार्टिकुलेट मैटर 30 मिलीमीटर/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने से उत्पादन की मात्रा ९.८८ टन प्रतिवर्ष है तथा स्थानित एफ.डी.सी. असाइन बोर्ड परामर्श से पार्टिकुलेट मैटर 30 मिलीमीटर/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने से उत्पादन की मात्रा ४८६.८ टन प्रतिवर्ष एवं सालकर और्डरीक्साईड उत्पादन की मात्रा ५८२.३ टन प्रतिवर्ष है। इस उत्पादन स्थानित इकाई से कुल पार्टिकुलेट मैटर उत्पादन की मात्रा ८४.७८ टन प्रतिवर्ष एवं सालकर और्डरीक्साईड उत्पादन की मात्रा ८८३.३४ टन प्रतिवर्ष है।
- प्रस्तावित कार्यकलाप उपरोक्त स्थानित इच्छाकारक फैली (२०४ टन) के स्थान पर प्रस्तावित इच्छाकारक फैली (२०१० टन) से उत्पादन की दरमें मार्टिकुलेट मैटर 30 मिलीमीटर/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने से उत्पादन की मात्रा १५.५६२ टन प्रतिवर्ष होगा तथा नईन इच्छाकारक फैली (२०१५ टन) से उत्पादन की दरमें मार्टिकुलेट मैटर 30 मिलीमीटर/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने से उत्पादन की मात्रा २०.७३६ टन प्रतिवर्ष होगा। प्रस्तावित ए-हीटिंग फैली आसाइन इकिंग क्षेत्र से उत्पादन की दरमें मार्टिकुलेट मैटर 30 मिलीमीटर/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने से उत्पादन की मात्रा ०.६२२१ टन प्रतिवर्ष एवं सालकर और्डरीक्साईड उत्पादन की मात्रा २१.४१३६ टन प्रतिवर्ष होगा। यांत्रिक वे स्थानित राजनीत आवरण क्षेत्र के बाह्य प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की दरमें (इक्सिटेंस) में दृष्टि एवं उच्च सुनिश्चित कोशलता का उपयोग किया जाने पार्टिकुलेट मैटर 30 मिलीमीटर/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने से उत्पादन की मात्रा १६.२ टन प्रतिवर्ष एवं सालकर और्डरीक्साईड उत्पादन की मात्रा ८०.८ टन प्रतिवर्ष होगी तथा क्षायित एक दो सी. असाइन बोर्ड परामर्श के बाह्य प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों

की बात (Economy) में युद्ध लिया जाने पर्टिकुलर मेटर 30 मिटीडाम / सामान्य यनसीटर से कम सुनिश्चित किये जाने से उत्तरीन की भाग 29.16 टन प्रतिवर्ष एवं साथम ऑफिसियल उत्तरीन की भाग 143.82 टन प्रतिवर्ष होती है। इस प्रकार प्रसारित बहावकालाप उत्तरीन कुल पार्टिकुलर मेटर उत्तरीन की भाग 82.27 टन प्रतिवर्ष एवं साथम ऑफिसियल उत्तरीन की भाग 172.83 टन प्रतिवर्ष होती है।

- इसी पार्क निर्माण के लिए विस्तृत प्रसार (टी.पी.आर.) की अधिकृत प्रसारित स्थल में किये जाने वाले कार्ब का विस्तृत प्रसार (टी.पी.आर.) प्रस्तुत किये जाने के संबंध में परिवेशना प्रसारक द्वारा एकल में कार्ब प्रसारित किये जाने के लियां पर आम पंचायत मैसामुदा हैंको पार्क निर्माण के लिए अधिकृत भूमि 2.5 हेक्टेयर हैं अनुमति दिया गया। अतः परिवेशना प्रसारक द्वारा टी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत इसी पार्क निर्माण के लिए संशोधित विस्तृत प्रसार (टी.पी.आर.) प्रस्तुत किया गया है:-

Additional Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
2700	2%	54	Following activities at, Village-Bhalamuda	
			Eco Park, Niman	54.79
			Total	54.79

टी.ई.आर. के अन्तर्गत इसी पार्क निर्माण हैं विस्तृत प्रसार अनुमान 8,000 नम पीठी के लिए राशि 16,40,000 रुपये, ऑसिंग के लिए राशि 9,00,000 रुपये, चार एवं त्रिपार्ड के लिए राशि 4,00,000 रुपये, रथ-प्रसार के लिए राशि 2,82,000 रुपये, इस प्रकार प्रसार तरीं में कुल राशि 32,32,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 22,47,488 रुपये हैं एवं घटकात्मक व्याप का विवरण प्रस्तुत किया गया है। टी.ई.आर. के तहत इसी पार्क निर्माण हैं आम पंचायत मैसामुदा की वाहनी उत्तरीन बहावकालाप स्थान (खलारा झानक 22/3(पार्ट), हेत्ताफल 8,005 हेक्टेयर में से 6 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

मन्त्री द्वारा विवार कियी उपस्थित वर्तमानति से निर्माण किया गया कि ऐसीसी पार्कामी इम्पर्स्ट्रीज लिमिटेड, राम-सोमद्वा, राहतील व विला-रायपुर में प्रसारित कार्बीकलाप के तहत राम-सोमद्वा, राहतील व विला-रायपुर लियत खलारा झानक 404, 405/1, 405/2, 406/1, 406/2, 406/3, 406/4, 407/1, 407/2, 409/1, 409/2, 409/3, 410/1, 410/2, 411/1, 411/2, 412, 413, 414, 415, 416/1, 416/4, 416/5, 416/6, 416/7, 417/1, 417/2, 417/3, 417/4, 417/5, 417/6, 418/1, 418/2, 418/3, 418/4, 419, 454/1, 454/2, 455, 456, 463/1, 463/2, 463/3, 463/4, 463/5, 463/6, 463/7, 463/8 एवं

२४४/१. सेक्टरल - ११.३५ हेक्टेयर से १८.६ हेक्टेयर (४५.७ एकड़) में उत्तराखण्ड कर्मसु
पिथ एस.आरएफ. से (एम.एस. विलेट, इंगार्डा/हीट विलेट) - ३६,००० टन प्रतिवर्ष
की बढ़ावाएँ १,५०,००० टन प्रतिवर्ष, जू. क्लेशंग विल (डी-टीएल
प्रोजेक्ट/पजा/स्ट्रक्चरल्स स्टील/वायर रीड) - १,५०,००० टन प्रतिवर्ष जू.
परिसीट-०१ में उत्तीर्ण कार्गी की अधीन वर्षावर्षीय बीकृति दिए जाने की ज्ञानापा
ती गई।

इन्हे उत्तीर्ण वर्षावर्षीय प्रभाव उत्तराखण्ड प्राधिकरण (एम.एस.एफ.) उत्तीर्णार्थी
तथा नुसार सूचित किया जाए।

विनायक घण्टवार ज्ञापन के साथ संगम्य हुई।

(कल्परिकुल लिफ्ट)

सदस्य सचिव

उत्तीर्ण विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
उत्तीर्णार्थ

(श. बी.बी. गोन्हारे)

अध्यक्ष

उत्तीर्ण विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
उत्तीर्णार्थ

गोदावरी गोदावरी नदीसमुद्र भाग में, तीलगुडा नदीमाछटी, अधिक-शीमली सार्वजनिक धारा (तीलगुडा सोन्द नदीहन-१) को पार्ट ऑफ रक्षणा इन्स्ट्रक्शन ०१, कुल लोअरकल-४.९ हेक्टेयर में लोअर का कुल ६० प्रतिशत लोअरकल में ही ऐत उत्तरानन् धारा-मुद्रिताव धारा-तीलगुडा, राहसील-बारामा, विला-पुत्राम बरामा लोअर ट्रैक्ट (५५ एक्ट) में गहानदी ही ऐत उत्तरानन् धारा ४४,१०० खनीठर प्रतिशत हेतु प्रसारित पर्यावरण स्थीरकृति में ही जाने वाली जरूरी

यह पर्यावरणीय स्थीरकृति निष्पत्तिशिवल लाती के आवीं ही जा रही है। अब इन लाती की बहुत ध्यान से बढ़ा जावे तथा बढ़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

१. यह पर्यावरणीय स्थीरकृति खानाम पट्टे की निष्पादन की लातीव और योंक की लाती हेतु जीव होगी।
२. सान्दर्भेवत संख्या नाईनिय बैनरेंट गाईडलाइन्स, २०१६ (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं इन्फोर्मेंट एवं नीनिटरिंग गाईडलाइन्स और संख्या नाईनिय, २०२० (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार पालन दुनियेवा किया जाए।
३. इन्फोर्मेंट एवं नीनिटरिंग गाईडलाइन्स और संख्या नाईनिय, २०२० (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के तहत ६० प्रतिशत लोअर में उत्तरानन् कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
४. शाय छायाचक (सिल्टेशन फट्टी) रिपोर्ट – विशेषज्ञा प्रसारावक ऐत उत्तरानन् लोअर में लागानी १.५ वर्ष में विस्तृत गाव छायाचक (Station Study) करायेगा, ताकि ऐत के पुनर्भवण (Replenishment) वाला सही अंकड़े ऐत उत्तरानन् का नहीं नहीं लोअल, लोअनीय बनायेगी, जो एवं सूखम जीवों पर प्रभाव तथा नहीं के पानी की गुणवत्ता पर ऐत उत्तरानन् के घमाष की तरी उत्तरानन् प्राप्त हो जाए।
५. विशेषज्ञा प्रसारावक द्वारा लोअल लोअर के सुखम इकेक द्वारा पर सूखना पटल (लीज बारक) का नाम, खदान का लोअकल जावीन एवं योजानी वाहित, उत्तरानन् की नाम, स्थीरकृति अवधि) लगाया जाए।
६. लोअल लोअर के यारी जीवों लाता सीना लाईन के नाम में सीमेंट के लम्बे गहाना अवस्थावक है ताकि लोअल लोअर नहीं में रपट दृष्टिगोचर हो जाए।
७. यदि लातान खानिज विकास द्वारा अधिक्षुरित विसी बलस्टर में है, तात्परा ५० नीठर की भीतर लोअकूट ऐत खदानी का कुल एक्ट ५ हेक्टेयर भी अधिक होता है तो पर्यावरण स्थीरकृति नहीं होगी।
८. नाईनिय प्रसार अनुसार विष उत्तरानन् लोअर ४.९ हेक्टेयर के कुल ६० प्रतिशत लोअरकल ही अधिक नहीं होगा। ऐसे ४० लोअरकल लोअर में उत्तरानन् नहीं किया जाएगा। ऐत का उत्तरानन् कार्यक ही १.५ नीठर गहानी तक ही किया जाएगा, उसकी अधिक नहीं। इसी द्वारा उत्तरानन् से ऐत का अधिकार उत्तरानन् ४४,१०० खनीठर प्रतिशत भी अधिक नहीं होगा।
९. भागनीय एनालीटी के आदेश दिनांक २९/०२/२०२१ के अनुसार बट्टैदार द्वारा नाईनिय प्रसार एवं पर्यावरणीय स्थीरकृति के लाती का पालन सुनिश्चित जानाये जाने हेतु परियोजना प्रसारावक की पर्यावरण विशेषज्ञा विद्युत करना होगा।
१०. ऐत उत्तरानन् प्रारंभ करने के पूर्व लुप्तीक्षणानुसार नियांसित विव विन्दुओं पर नहीं में ऐत यी जलान के सरानी (Lewels) का सर्वे कर, उसके अंकड़े तल्लाल एक्टैइलैर

१०. अस्तीर्थगढ़ की प्रत्यापुत किया जाए। पीसट-पानवून (क्रेटोकर/महाभार यहाँ में ऐसे चलाकान लागत करने की पूरी) इन्हीं विश्वित विन्दुओं में सहीनिंग लीवर शीज तथा लीवर सीज की अपवर्तीम एवं चालानस्टीम में १०० मीटर तक उत्तर बान्ध लीया के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से ५० मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के साथों (Levee) का लाई पूरी विश्वित विश्वित विन्दुओं पर किया जाएगा। इसी प्रकार ऐसे चलाकान उपरान्त बान्धवून की पूरी लंबाई तट के अंतिम बाहराह/पूर के अधीन रखाई। इन्हीं विश्वित विन्दुओं पर ऐसा सतह के लेवल्स (Levee) का बांधन की पूरी विश्वित विश्वित विन्दुओं पर ऐसा सतह के लेवल्स (Levee) का बांधन का कार्य आगामी ५ वर्ष तक विस्तृत किया जाएगा। पीसट-पानवून की जांचन्दे विश्वित २०२३, २०२४, २०२५, २०२६, २०२७, २०२८, २०२९ एवं ग्री-गानवून की जांचन्दे अगामी २०२४, २०२५, २०२६, २०२७, २०२८, २०२९ तक अनिवार्य काम से रेत ही छोड़ दए, अस्तीर्थगढ़ की प्रस्तुत किए जाएंगे।

११. ऐसा नदी सुरक्षाई एवं भाराई खनिकी द्वारा (Machinery) की जाएगी। इस प्रयोजन की विश्वित विन्दी चलाकान संयंत्र (Machinery) आदि का बांधनीय नहीं किया जाएगा। विश्वित वेद से चारी बाहराही का एकेंत्र प्रतिविधित रहेगा। लीया शीज में किया जैसा चुनौती एवं खुदाई (Excavation pits) से लीविंग बाहराह तक ऐसा का परिवहन ट्रॉकर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।
१२. ऐसा का चलाकान लंबाई विन्हीत, लीविंग एवं धोकित क्षेत्र में ही किया जाएगा। ऐसे चलाकान नदी अनिवार्य बाहराह तट से १.५ मीटर अधिक बर्तमान बाल सतर की ऊपरी बात्त की १.५ मीटर छोड़कर दोनों ओर से उत्तीर्ण कम ही, से अधिक नहीं होगी। ऐसा का चलाकान विन्दी भी परिविश्वित में बाल सतर की नीचे नहीं किया जाएगा। अनुग्रह २ मीटर बोटाई तभी की ऐसा नदी तट (हाई रीफ) को काढ़ा छोड़ा जाना अनिवार्य है।
१३. ऐसे चलाकान नदी तटों से कम से कम ७.५ मीटर बाहराह नदी की बोटाई के १० प्रतिशत भी दूरी जो भी जलिया हो छोड़कर ही किया जाएगा, ताकि नदी तटों का बांधन न हो। किसी भी युक्तिया, बटावाई, बात, एनीकर्ट, बल प्रदाय व्यवस्था एवं कृन्य रक्खणी चारकानाई की बादान के अपवर्तीम ये अनुग्रह ८०० मीटर तथा चालानस्टीम में न्यूनतम २५० मीटर सुरक्षित क्षेत्र छोड़ा जाना अनिवार्य है।
१४. यह सुनिश्चित किया जाए कि ऐसे चलाकान के काम नदी बाल का बेन, ट्रिपिंगी एवं बाल बहाव के भवक्षय पर कोई विश्वित इमाय न यहै।
१५. यह सुनिश्चित किया जाए कि चलाकान कंवल उक्ती शीज में किया जाए जिसमें तथा विश्वित के आस-पास को छेत्र पर कोई भी योग-ज्ञान प्रयोगन ऐसु विभर न हो। क्षमताओं के प्रयोग इकाईयों / क्षेत्रों का संक्षम आगामी है, अतः इन क्षेत्रों के काम यास ऐसे चलाकान नहीं किया जाए।
१६. ऐसे चलाकान एवं भराई / परिवहन विन की बास्तवी की किया जाए। यह कार्य राजि के समय नहीं किया जाए। राजि में अधिक चलाकान पावे जाने की विश्वित में परिवेशान्वयनाक लं विश्वित विश्वित नुसार काठीकाई की जायेगी।
१७. परिवेशान्वयन प्रशासनका द्वारा ऐसे चलाकान विश्वित प्रशासनी बाल लॉटिंग / अनस्टीलिंग आदि से चलाकान होने वाले परिवेशान्वयन रुक्ट चलाकान को विश्वित ऐसु चापद्रुक्ता वाय प्रदूषण विश्वित व्यवस्थाए और जात विश्वित अधिक अन्य चलाकान व्यवस्था की जाए। ऐसे चलाकान क्षेत्र में परिवेशील सामू की गुणवत्ता भावत भावकार, पर्यावरण,

यह और जल यात्रा परिवहन, मोबाइल, नई दिल्ली द्वारा सुनिश्चित गांवों के अधिक नहीं हीनी चाहिए।

18. यह का परिवहन तारीखोंने उत्तम अन्य उपयोग साधन से ढके हुए यात्रा से किया जाए, ताकि यह यात्रा भी बाहर नहीं निरो। यहाँ का परिवहन कर वह यात्रों को ज्ञाना ही अधिक वही बढ़ा जाना सुनिश्चित किया जाए।

19. उत्तराखण्ड में यहाँ प्रदूषण न हो, वह सुनिश्चित किया जाए।

20. प्राकृतिकता की आवश्यकता पर सहायता प्राप्त करना वर्ष 2023-24 में नटीजाएं के उत्तराखण्ड की रोडों के लिए लीज संच के अनुसार अर्बुन, जामुन, बड़, फैफल, नीम, बरेज, लीसू, जाम, इमली, लीरा आदि अन्य व्यावरीय प्रणालियों के कुल 1,500 नग पीड़ी का रोडों नहीं लट पर संभित किया जाए। रोडों को सुरक्षित रखने के लिये सुपरसुरक्षा एवं पर्सोनल ब्यूरोफा (जिसे काटेटार तार वी बाहु का उपकरण) किया जाए। 5 फीट से 8 फीट लंबाई वाले पीड़ी ज्ञ वी रोडों किया जाए। उपरोक्त सुरक्षाओंवाले इनमें वर्ष में नूनी किया जाए। संभित पीड़ी की सुरक्षा एवं रख-रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का उत्तराखण्डित लेने साथी आवश्यक का उत्तम प्रत्यक्षुल किया जाए। संभित पीड़ी की सुरक्षा एवं रख-रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का उत्तराखण्डित परियोजना प्रस्तावका का रहेगा।

21. संभित किये जाने वाले पीड़ी में संख्यांकन (Numbering) एवं पीड़ी के नाम का उत्तराखण्ड करते हुए फौटोग्राफी सहित जनकाली अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट के साथ जमा करें। ऐसा नहीं करने पर पर्यावरण कठीकृत नियन्त्रण की जा सकेगी।

22. मृतांशुपत्र का रख-रखाव आगामी 5 वर्षों तक सुनिश्चित करते हुए युवा पीड़ी को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।

23. किंवदं गढ़े सुरक्षाओंवाले वी पुर्वी एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे द्वारा फौटोग्राफी अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट में समाहित करते हुए उत्तराखण्ड पर्यावरण संख्यालय कानून एवं एकाई आईएन्से घटीसागढ़ को संभित किया जाए।

24. सीईआर (Corporate Environment Responsibility) द्वारा नियन्त्रित प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)		
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)	
Following activities at nearby Village-Teliguda					
27.36		0.54	Plantation around Pond & AMC for 5 years	0.60	
			Total	0.60	

25. सीईआर के तहत नियांसित कर्तव्याती वर्ष में अनिवार्य काय से पूर्ण किया जाए। सीईआर के उपरोक्त प्रस्तावित करते ही काय पूर्ण उपरोक्त नियांसित प्राप्त कायांकूल से कार्यकूल द्वारियेवन प्राप्त कर अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट में समाहित करते हुए प्रस्तुत किया जाए। सीईआर करते ही सकलता सुनिश्चित करना आपका उत्तराखण्डित होगा। मृतांशुपत्र कानून द्वारा योजना की जाएगी।

26. सीईआर के अलगीत तालिव में यहाँ और गुडारीपण हैं (आम, जननुसार आदि) प्रकटुत प्रकाश जनुसार 25 नव घोषी के लिए राशि 1,000 रुपये, बोर्डिंग के लिए राशि 1,500 रुपये, खाद के लिए राशि 500 रुपये, लिक्वाइ तथा चाप-चाप आदि के लिए राशि 15,000 रुपये, इस प्रकार प्रबन्ध वर्ष में कुल राशि 16,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 42,000 रुपये हैं यह प्रट्टक्यात्म व्यय का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा आम-हैलगुडा, याम योगादास लिक्वाइ के सहानुसार उपरीत व्यापारीय रूपान (आम-हैलगुडा के चक्रवाच छनोक 600 एवं 600 में स्थित तालिव) के संबंध में यानकारी प्रकटुत प्रस्ताव जनुसार कर्म चूर्ण करें।
27. सीईआर एवं गुडारीपण वार्ता के बोनिटिंग एवं परोफेशन हैं त्रि-व्यापीय समिति (प्रोप्रोट्रैटर/प्रतिभिति, आम गंभाराल के पदाधिकारी/प्रतिभिति एवं वित्त प्रस्तावक या उत्तीर्णसमाज पर्यावरण संस्करण नगरकाल के पदाधिकारी/प्रतिभिति) गठित किया जाए। वायर ही सीईआर एवं गुडारीपण का कार्य पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध गठित त्रि-व्यापीय समिति से सहवागित कराया जाए।
28. याच भी निरीक्षण दल/अधिकारी लिक्वाइ द्वारा रखल पर आये तथा उन्हीं नियन्त्रण/कारोबार/भट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सीईआर के लक्षण आपके द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य का से करना आपकी जिम्मेदारी होती।
29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर के गहरा प्रस्तावित कार्य करना भी पार्षे जाने पर चार्यान्वयीय सीम्बुल्ही को निरसन करने की कार्रवाई की जाएगी।
30. परियोजना प्रस्तावक संबंधित कैन्ट / राज्य जासान के लियाहों, बगड़ों एवं अन्य लोकोंनी ही ऐत उत्तरानन जारी करने की पूरी उत्तराधिक रूपी अनुमतियां द्वारा करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं नायु प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण संस्करण हैं त्रिमूँ-त्रिमूँ यर कैन्ट/राज्य सरकार कैन्टीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / उत्तीर्णसमाज पर्यावरण संस्करण नगरकाल द्वारा घोषी लिखती / सार्वदर्शित का यात्रा सुनिश्चित किया जाए।
31. उत्तीर्णसमाज नीति नियम 2015, राज्य राजसम द्वारा देश उत्तरानन हैं जारी अधिसूचना दिनीक 2/3/2008 के प्राक्कान्ती/हारी एवं जनुसार जारी रिपोर्टों, अनुमोदित उत्तरानन योजना एवं पर्यावरणीय प्रकल्प योजना का यात्रा सुनिश्चित किया जाए।
32. कार्य क्षेत्र एवं योगी जोनिंग व्यक्तिगत कार्य पर जगती जाते हैं तो ऐसे भवित्वों के अन्दर की उचित उत्तराधिक परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। उत्तराधिक उत्तराधिक आमदारी संरचनाओं के लिये ही सकती है, जिसे परियोजना पूर्ण ढांचे के प्रशासन हटाया जा सके।
33. भवित्वों के लिए उनमन रूपाल पर रुपाल प्रियोजनालीय सुविधा, सीधाहृत ट्रायलेट आदि तरी उत्तराधिक परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए। लाय ही भवी में नम मूल विसर्जन, अध्यया खाद जानवरी के ट्रायलेट, लॉसिटक आदि का विसर्जन प्रतिशत्तम रहेगा। गर्भी एवं नदी जल की उपचारता का व्यवहार रखा जावे।
34. भवित्वों का सामय-समय पर आवृप्तप्राप्तान्वत हैंव्य उत्तिलोक कराया जावे।
35. उत्तरानन की लकड़ीक, लकड़ी की रुप एवं अनुसूचित उत्तरानन योजना के अनुसार उत्तिक योजना में किनी की प्रकार का परिवर्तन एवाई-आई-ए उत्तीर्णसमाज / आम सरकार, पर्यावरण, जन और उत्तरानु परिवार अंतराल, नई दिल्ली की पूरी अनुमति की दिना रहीं किया जाए।

36. इस पर्यावरणीय स्टीकूलि को जारी करने का आवश्यकता निम्नी व्यक्तिगत अधिकारी को अद्वितीय स्टीकूलि किसी निम्नी स्टीकूलि को नुकसान पहुँचाने अथवा अधिकारी को अद्वितीय स्टीकूलि को जारी करना है।
37. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ पर्यावरण बोर्ड की सुनिश्चित से, परियोजना की कार्रवाई में परिवर्तन अधिकारी विभिन्न राजी को संतोषप्रद करने से पालन-ग रखने वाली दशा में किसी भी राहि में संग्रामन/निरस्ता करने अथवा नई राजी जोड़ने अथवा उत्तराधिन/निरस्ता के कानूनी रूप से जारी करने का अधिकार सुनिश्चित रखता है।
38. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम ३ क्षानीय सम्भावन पर्यावरणीय राजी को जो कि परियोजना शीर्ष के आवा-पाल अधिकारी को प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्टीकूलि इतना होने की ७ दिनों को भी लंबे इस अधार की सूचना दूसारी राजी को परियोजना को जारी करने पर्यावरणीय स्टीकूलि पापा हो रहा है एवं पर्यावरणीय स्टीकूलि पर्यावरणीय राजी की प्रतिशी आवायक राजी सहित समिकालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संस्कार बोर्ड में जारीकरने हेतु प्रयत्नम् है। याथ ही इसका अवधीकन भारत विवरण, पर्यावरण, पर्यावरणीय राजी और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ की वेबसाइट parivesh.nic.in पर भी किया जा सकता है।
39. पर्यावरणीय स्टीकूलि व वी गई राजी के पालन हेतु वी गई कार्रवाई की को वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संस्कार बोर्ड, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर, शेश्वीय कार्रवाई, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संस्कार बोर्ड, जगदलपुर, एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत शेश्वीय कार्रवाई, भारत विवरण, पर्यावरण, यम एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को प्रेषित किया जाए। एकीकृत शेश्वीय कार्रवाई, भारत सरकार, पर्यावरण, यम एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा पर्यावरणीय स्टीकूलि में प्रयात राजी के पालन वी विभिन्नरिंग की जाएगी।
40. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़, भारत सरकार, पर्यावरण, यम एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली/एकीकृत शेश्वीय कार्रवाई, भारत सरकार, पर्यावरण, यम एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर/केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संस्कार बोर्ड को विभानिकों/अधिकारियों द्वारे राजी के कानूनालय को वार्षिक में वी जारी बोर्डरिंग हेतु दूरी जाहीरीग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विभिन्नरिंग राजी का अनुकालन करना नहीं जाये जाने वह पर्यावरणीय स्टीकूलि नियन्त्रण की जा सकती है।
41. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संस्कार एवं राजा सरकार द्वारा दी गई राजी का अभिकर्त्ता कर्य से जातन करेगा। वे राजी वर्त (प्रदूषण नियन्त्रण तथा विभानियम, १९७४ वाले (प्रदूषण नियन्त्रण तथा विभानियम, १९८१, पर्यावरण (संस्कार) विभानियम, १९८८ तथा इनके लाभत बनाये गये नियन्त्री, परियोजनालय अधिकारी (प्रदूषण दूषण एवं शीमायार संस्कार) विभान, २००८ (यथा संशोधित) तथा लोक वाकिल द्वारा अधिनियम, १९९१ (यथा संशोधित) के अधीन विभिन्नरिंग दी जा सकती है।
42. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में लोहे भी विभालय अथवा परियोजना होने की बात में एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन उत्तराधिन सहित सुनिश्चित किया जाए ताकि एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ इस वर्त विवार के राजी की उपस्थितता अथवा नवीन राजी निर्णय करने वाला विनियोग ले सकते। यदान में लोहे भी विभालय अथवा उत्तराधिन एस.ई.आई.ए.ए.

अमृतीरामगढ़ / नारायण सरकार, पर्यावरण, जल और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की दूरी अनुमति के लिए नहीं हिला जाए।

43. अमृतीरामगढ़ पर्यावरण बोर्ड के पर्यावरणीय नियंत्रिति की घटि को पुनर्वाचनीय प्रदान करेगा, जिसका एवं उसकी एक दूरी कालीन/लातहीन वायालय में 30 दिनों की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।
44. पर्यावरणीय नियंत्रिति को गिरफ्त अपील निवाले द्वारा द्विवृत्ति के ताप्ति, निवाले द्वारा द्विवृत्ति एवं 2010 की आय 10 ग्रे दिए गए प्रावधानी अनुसार 30 दिन की समय अवधि में भी जा सकती।

प्रदर्शन ग्रंथिक, पर्यावरण विभाग

अध्यक्ष, एकाई एवं विभाग

मेसारी विहीन जीवन कथारी (शिक्षा/सारांश, यात्रा पंचायत लिंग)

ओम सामाजिक कानूनक 21, बुल लोडल-3035 हैंडट्रैकर में दोब का कुल 80 प्रतिशत दोबफल में ही ऐत उत्तराखण्ड यात्रा-विहीन, लोहरील-पठान, लिला-कोरका (उ.ग.) में जननी नदी से ऐत उत्तराखण्ड यात्रा 18,210 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्राप्तवित पर्यावरण वरीकृति में ही अन्ते जाती रहते।

यह पर्यावरणीय स्वीकृति नियन्त्रिति जाती हो जाती है। इस जून जाती हो जाता उत्तराखण्ड से यहाँ यात्री यथा कहाँही से उत्तराखण्ड जनना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति उत्तराखण्ड हेतु जियाहन की जारीका से पांच वर्ष तक की अवधि हेतु जाती होगी।
2. सहानुभव संगठन मार्गिनिंग मैनेजमेंट गाइडलाइन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं इन्फोर्मेंट एवं भीनिटरिंग गाइडलाइन्स पॉर एंफ मार्गिनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार यात्रा सुनिश्चित किया जाए।
3. इन्फोर्मेंट एवं भीनिटरिंग गाइडलाइन्स पॉर एंफ मार्गिनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के लक्ष 80 प्रतिशत दोब में उत्तराखण्ड कार्य जाता सुनिश्चित किया जाए।
4. गांव अध्ययन (सिल्वराम रस्टो) नियोर्ट – परियोजना प्रस्तावका ऐत उदान दोब में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गांव अध्ययन (Saturation Study) बनायेगा, जाकि ऐत के दुनामरण (Replenishment) बाबत जही अंकहै, ऐत उत्तराखण्ड का नदी, नदीतल, जलानीय वनस्पति, जीव एवं जूल जीवों का इमार यथा यही के पानी की गुणवत्ता एवं ऐत उत्तराखण्ड के प्रदल की यही यानकारी प्राप्त हो जाए।
5. भारियोजना प्रस्तावका द्वारा लीज दोब के युवा छोड़ा द्वारा यह जूलना पटल (लीज बालक का नाम, उदान का दोबफल अवृष्टि एवं दैत्यात्मक सहित, उत्तराखण्ड की मात्रा, स्वीकृति जारी) जगाया जाए।
6. लीज दोब के यही जोनी यथा सीमा लाईन के फजा में लीजेट की जानी जहाना आवश्यक है जाकि लीज दोब नदी में काष्ट सुनियोजित हो जाए।
7. यदि उदान खनिज नियान द्वारा अधिक्षुरित जिनी वस्तुएँ हैं, अबता 800 फीट के भीतर स्वीकृत ऐत उदानी जब कुल रकमा 5 हेक्टेयर से अधिक होता है तो उत्तराखण्ड स्वीकृति जाए नहीं होगी।
8. मार्गिनिंग यात्रा अनुसार ऐत उत्तराखण्ड दोब 3035 हैंडट्रैकर के कान 80 अंतिशत दोबफल ही अधिक नहीं होगा। दोब 40 प्रतिशत दोब में उत्तराखण्ड नहीं किया जाएगा। ऐत यह उत्तराखण्ड यात्रा से 1 दीटर गहराई तक ही किया जाएगा, इसके अधिक नहीं। इसी उत्तराखण्ड से ऐत यह अधिकतम उत्तराखण्ड 18,210 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा।
9. मानसिंह एन डी.टी. की आदेत विनाम्र 26/02/2021 के अनुसार पट्टैयाल द्वारा मार्गिनिंग यात्रा एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के जाती का यात्रा सुनिश्चित करने के आदेत हेतु भारियोजना प्रस्तावका को पर्यावरण नियोजन नियुक्त करना होगा।
10. ऐत उत्तराखण्ड यात्रा जनने के दूर्वा उपर्युक्तानुसार नियोजित शिल विन्दुओं पर नदी में ऐत की साइड के जाती (Levels) का यात्री कर यात्रको अंकहै उत्तराखण्ड एवं अन्धेरे।

१०. अतीवरानन्द की प्रस्तुत किये जाएं। पीट-मानसून (प्रकृति) / नवमवर गाह में ऐसा उत्तमतम प्रारंभ करने के लिए) हानी विकासी में माइक्रो लीज को उत्तम लीज की ओर अवस्थीय एवं आकर्षकतीय में 100 मीटर तक तथा उत्तम लीज के बहाव / नदी तट द्वीपों तोर से 100 मीटर तक को शोध में नदी सतह की गहरी (Levee) का सर्व पूर्ण निर्धारित विकासी पर विद्या जाएंगा। इसी प्रकार ऐसा उत्तम उपरी भानसून की पूर्वी (नई गाह के अंतिम सतहाह/जून तो उत्तम सप्ताह) हानी विकासी पर ऐसा सतह के लेवल्स (Levees) का उपर विद्या जाएगा। ऐसा सतह के पूर्व निर्धारित विकासी पर ऐसा सतह के लेवल्स (Levees) के भावन का तरीका आवामी एवं तक निर्मात विद्या जाएगा। पीट-मानसून के आवाम विसम्बर 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 एवं द्वी-मानसून के आवाम अगस्त 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 तक अधिकार्य काम से एवं आईटीए-प्रतीकानन्द की प्रस्तुत किये जाएंगे।

११. ऐसा की छुदाई एवं भराई अग्रिकॉल्चर (Manually) की जाएगी। इस प्रयोजन की लिये निम्नों उपकरण संचय (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा। रिवर बेस में भारी बहनी का प्रयोग अविवित रहेगा। लीज कोर्न में विकल ऐसा छुदाई गद्दे (Excavation pits) से लैंडिंग प्लाईट तक ऐसा का अविवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।
१२. ऐसा का उत्तमनन्द कौटर विनोइट सीमांकित एवं गोलित लोड में ही किया जाएगा। ऐसा उत्तमनन्द की अतिकल्प गहराई सतह ही १ मीटर अथवा लैन्मास जल सतर की ऊपरी सतह ही १ मीटर और उपर तीव्री में ले जो कम ही भी अधिक नहीं होगी। ऐसा का उत्तमनन्द किसी भी परिस्थिति में जल सतर के नीचे नहीं किया जाएगा। न्यूनतम २ मीटर भूटाई तक की ऐसा नहीं उत्तम (जावी टीक) की ऊपर छोड़ा जाना आवश्यक है।
१३. ऐसा उत्तमनन्द नदी तटी से कम से कम ७.५ मीटर अधिक नदी की ऊपराई के १० लीवीजत की दूरी जो भी अधिक हो और उत्तम ही किया जाएगा, ताकि नदी तटी का उपर न हो। किसी भी तुमिया, स्टापलें, बॉम्ब, एगीकट, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से उत्तमनन्द के अपकृतीय में बून्दाम ६०० मीटर उत्तम आउटप्रूफ में न्यूनतम २५० मीटर सुरक्षित कोर्न छोड़ा जाना अनिवार्य है।
१४. यह सुनिश्चित किया जाए कि ऐसा उत्तमनन्द का उपर नहीं जल का बैग, टार्किंगटी एवं जल बहाव के बकलाप पर कोई विपरीत प्रभाव न पहुँचे।
१५. यह खुमिलिंग किया जाए कि उत्तमनन्द वैयक्त तरीके कोर्न में किया जाए किसी तरह जिसके आस-पास के कोर्न पर कोई भी जीव-जन्म प्रजनन होते निर्भर न हो। कहुआई की प्रजनन इकाई की / कोर्न का संखान आवश्यक है, जल तून कोर्न की आप पास ऐसा उत्तमनन्द नहीं किया जाए।
१६. ऐसा उत्तमनन्द एवं भराई / अविवहन दिन के समय ही किया जाए। यह तरीके साथ नहीं किया जाए। ताकि वे अविव उत्तमनन्द पासे जाने की किसी भी अपरिवेषक प्रभावकारी के विकास नियमानुसार कार्यकारी नहीं जाएंगे।
१७. अपरिवेषक प्रभावक द्वारा ऐसा उत्तमनन्द किया गया लैंडिंग / अग्रलैंडिंग आदि से उत्पन्न होने वाले कम्पूलिंग डस्ट उत्तमनन्द के निवेद्य होते उत्पन्नता वाले उत्पाद निवेद्य व्यवस्थाएँ जैसे जल किलोवत अधिक अन्य उत्पादक व्यवस्था की जाए। ऐसा उत्तमनन्द कोर्न में अविवेशीय काम की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण

वन और जल वायु परिवर्तन, गंगालद, नई दिल्ली द्वारा अधिकृति मानवी से अधिक नहीं होगी जाहिए।

18. श्री गंगा परिवर्तन तात्पर्यालिन अध्ययन अन्वय उपकरण भवधार से इसे बुद्ध वाहन से किनारा जाए, ताकि ऐसे वाहन से वाहन नहीं गिरे। उन्निया का परिवर्तन जल से वाहनी को जगत से अधिक नहीं भरा प्राप्ता सुनिश्चित किया जाए।

19. पर्यावरण क्षेत्र में जलनि प्रदूषण न ही, वह सुनिश्चित किया जाए।

20. आन्ध्रप्रदेश के अल्लापुर पर जलाभ्यास प्रबंधन द्वारा वर्ष 2023-24 में नदीसंट के बटाव को रोकने हेतु लैजिंग क्षेत्र के अनुसार अनुमति, आमन, बह, बीमत, बीम, करंज, गीरु, आम, इमली, लीरक आदि अन्य क्षेत्रीय प्रजातीयों के कुल 700 नग प्रीवी का रोकना नहीं हो सकता पर रोकित किया जाए। रोकन को सुरक्षित रखने के लिये उपकरण एवं पर्याप्त जलवाया (प्रका कॉटेटार लाप की जान का समयोग) किया जाए। 5 लौट से 5 लौट जलवाया वाले प्रीवी का ही रोकन किया जाए। उपरोक्त गुमानीय प्रबंधन वर्ष में भूमि किया जाए। रोकित प्रीवी की गुमाना एवं वल-रक्षण अगामी 5 वर्षी तक करने का उत्तरदायित्व लेने सुनेहरी अल्लापुर जल संपर्क पर प्रस्तुत किया जाए। रोकित प्रीवी की गुमाना एवं वल-रक्षण अगामी 5 वर्षी तक रक्षने का उत्तरदायित्व परियोजना प्रस्तावक का रहेगा।

21. रोकित किये जाने वाले प्रीवी ने संखारिक (Numbering) एवं प्रीवी के नाम का संलग्नता करने हेतु फोटोग्राफ्स जाहिर जलनामी अधिकारिक रिपोर्ट के साथ जमा करें। ऐसा वही करने पर पर्यावरण संीकृति नियम की जा सकेगी।

22. गुमानीयन का वल-रक्षण अगामी 5 वर्षी तक सुनिश्चित करने हेतु पूर्ण प्रीवी को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।

23. फिरी नये गुमानीयन की पूर्ण हेतु जी.डी.एस. (Differential Global Positioning System) से एवं फोटोग्राफ्स अधिकारिक रिपोर्ट में समाहित करने हेतु उत्तरीजलाघ वर्षीयन्य संरक्षण योजना द्वारा एस.डी.आई.एस. फलीसंग्रह को प्रयोगित किया जाए।

24. सीई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्ननुसार प्रस्ताव पर जलीय पर्यावरण उल्लंघन योजना की अंतिमता किया जाए—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
26.963	2%	0.579	Following activities at nearby Pavitra Van Niran	0.579
			Total	0.579

25. सीई.आर. की तहत नियमित कार्यवाही 06 वार्ष में अधिकारी क्षेत्र की पूर्ण किया जाए। सीई.आर. के उत्तरोत्तर प्रस्तावित कार्यों की जाते पूर्ण उपलब्ध संवित जल संरक्षण की कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अधिकारिक रिपोर्ट में समाहित करने हेतु प्रस्तुत किया जाए। सीई.आर. कार्य की जाकरता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित हीगा। गुमानीयन प्रस्तावक इन्हें पर पर्यावरण संीकृति नियम की जाएगी।

26. सीईआर के अंतर्गत 'खड़िज बन निर्माण' के तहत विद्युत, नीच, चौपल, बेल, आवश्यक जम्मुन आदि) युक्तांसेपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 50 नगा पांचों को लिए जाहि 5,000 रुपये, पांचों को लिए जाहि 20,436 रुपये, बाबू जो लिए जाहि 1,500 रुपये, निर्माई तथा रख-दखाव आदि के लिए जाहि 5,000 रुपये, इस प्रकार प्रधम कार्य में कुल जाहि 31,936 रुपये तथा अवगती 4 पर्व में कुल जाहि 26,000 रुपये हेतु प्रत्यक्षावाह व्यय या विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा यात्रा पश्चात जिसी के सहभागी उपस्थित यात्रीयांच्य स्थान (यात्रा क्रमांक 21/1/क, क्रमांक 22/2/हैटेक्टर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य चूंगे करो।
27. सीईआर एवं युक्तांसेपण भारी के भानिटरिंग एवं पर्यावरण हेतु फि-फ्लीच समिति (प्रोपर्टीटर/प्रतिनिधि, यात्रा प्रबाधन के प्रबलिकारी/प्रतिनिधि एवं विला प्रबाधन का छातीसगढ़ व्यावरण संरक्षण नियमों के प्रबलिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया गया। वायं ही सीईआर एवं युक्तांसेपण भारी कार्य पूर्ण जिसे जाने के उपरांत गठित फि-फ्लीच समिति से उत्थापित कराया जाए।
28. यात्रा भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु लड्डू पर जाए, तथा उन्हें खदान/संरक्षण/भट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सीईआर के तहत आपके द्वारा कराये जाएं कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य कार्य से करना आपकी जिम्मेदारी होगी।
29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर के द्वारा प्रस्तावित कार्य करना नहीं जाए जाने पर पर्यावरणीय वर्दीकरणी के नियम वास्त्रे भी कार्यकारी की जाएगी।
30. परियोजना प्रस्तावक संबंधित कैन्ट / राज्य साहस्र के विभागी समझौती एवं क्षेत्र संरक्षणी से ऐति चाल्यानन जारी करने के पूर्ण आवश्यक जगी अनुमतियां प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण मिशनका तथा व्यावरण संरक्षण हेतु समय-समय पर कैन्ट/राज्य चाल्यान तंत्रिय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छातीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण नियमों द्वारा जारी नियंत्रण / सार्वदर्शिका द्वारा जलन सुनिश्चित किया जाए।
31. छातीसगढ़ गोप समिति नियम, 2015, जाता जास्त द्वारा ऐति उत्थानन हेतु जारी अधिसंघन दिनीक 2/3/2006 के प्राकृती/जाती एवं अनुसार जारी दिना नियंत्रणी, अनुमोदित उत्थानन योजना एवं व्यावरणीय प्रक्रमन योजना का जलन सुनिश्चित किया जाए।
32. कार्य जल पर यह कैमिंग अग्रिकल्यार्ड कार्य एवं संसारे जाते हैं तो ऐसे कैमिंगों के आवास ही उपर्युक्त व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा ही जाएगी। आवासीय व्यवस्था अवकाशी संरक्षणात्मकी की ज्यों में ही सही है, जिसे परियोजना चूंगी ही के व्यवस्था हटाया जा सकती।
33. अग्रिकल्यार्ड लिए जानने वायल एवं दृष्टिकोण विविहसारीय सुविधा, भौवाइल टाइक्टर आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए। वायं ही जहाँ में गल युव विवाही, अवधा जाता जायती के प्रकार ज्ञानिक आदि का विवाही व्यवस्था नहीं होती है, जिसे परियोजना चूंगी ही के व्यवस्था हटाया जा सकती।
34. अग्रिकल्यार्ड जल समय-समय पर आवृप्तेजनत हैत्य लाईजेंट जाता जाए।
35. उत्थानन की तकनीक, कार्य कैन्ट एवं अनुमोदित उत्थानन योजना के अनुसार अग्रिकल्यार्ड लिए जी प्रकार जल परियोजना एनडीआरए छातीसगढ़ / भरत सारकार, पर्यावरण, जल और जलवाया विविहसारीय, गही दिल्ली की पूर्ण अनुमति के दिना नहीं किया जाए।

36. इस पर्यावरणीय स्टीकूटि जौ जारी करने का आवश्यक हिस्सी व्यक्तिगत जब्ता जब्ता सम्पत्ति पर अधिकार रखती है एवं न ही एह पर्यावरणीय स्टीकूटि हिस्सी लिखी सम्पत्ति को बुकलान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगती के अधिकार अथवा बैंद्र, शायद एवं स्थानीय बहनानी / हिस्सियों के उत्तरेष्ट हेतु अधिकृत करता है।
37. एसईआईएए. छलीसगढ़ पर्यावरण संख्या की दृष्टि से, परियोजना की कमीज्ञा ने परिवर्तन अथवा लिखिटिष्ट जाती के संतोषप्रद जब्ता से पालन न करने की दस्ता मे जिसी भी जाती मे संशोधन/नियन्त्रण नहीं जाती जैवने अथवा जलसंरक्षण / नियन्त्राव ती नहानी की ओर जाती करने का अधिकार गुरुकृत रखता है।
38. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम ती स्थानीय सामाजिक वडी ने, जो कि परियोजना कीज्ञ की आवश्यक भवा से प्रवाहित हो, पर्यावरणीय स्टीकूटि प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आवश्यकी सूचना इसारित करेगा कि परियोजना को सामां पर्यावरणीय स्टीकूटि प्राप्त हो चुका है एवं व्यक्तिगतीय स्टीकूटि पञ्च की प्रतिवी कावश्यक जाती सहित संविवालय, छलीसगढ़ पर्यावरण संख्या नम्बरले वे जलसंरक्षण हेतु जापता है। जाप ही इसका अवलीकन भावत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नहीं दिल्ली एवं एसईआईएए. छलीसगढ़ जैव विवाहट pariveshi.nic.in पर भी किया जा सकता है।
39. पर्यावरणीय स्टीकूटि वे दो गई जाती के पालन हेतु की गई अवधाही की आवाजिक दिल्लीसगढ़ पर्यावरण संख्या नम्बरल, नवा राष्ट्रपुर अटल नगर निया—राष्ट्रपुर, क्षेत्रीय कार्बिलय, छलीसगढ़ पर्यावरण संख्या नम्बरल, कोटा, एसईआईएए. छलीसगढ़ एवं इलीकूटा क्षेत्रीय कार्बिलय, भावत सरकार, पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा राष्ट्रपुर अटल नगर वी द्वितीय किया जाए। एकीकृत क्षेत्रीय कार्बिलय, भावत सरकार, पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा राष्ट्रपुर अटल नगर हुस्ता पर्यावरणीय स्टीकूटि मे घटलत जाती के पालन जी नानिटिशन की जाएगी।
40. एसईआईएए. छलीसगढ़ भावत कार्बिलय, पर्यावरण, बन एवं जलवायु चरिकौन मंत्रालय, नहीं दिल्ली/एकीकृत क्षेत्रीय मंत्रालय, भावत सरकार, पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा राष्ट्रपुर अटल नगर/क्षेत्रीय इन्डूपल नियन्त्रण बोर्ड/छलीसगढ़ पर्यावरण संख्या नम्बरल के वैज्ञानिकी/अधिकारियों की जाती के अनुपालन के संबंध मे जाने जाती नैनिटिशन हेतु पूर्ण जाह्योन प्रदान किया जाए। परियोजना इसतावक द्वारा लिखिटिष्ट जाती का अनुपालन करना नहीं पाते जाने वर पर्यावरणीय स्टीकूटि नियकता की जा सकती।
41. परियोजना प्रस्तावक छलीसगढ़ पर्यावरण संख्या नम्बरल एवं शायद सारकार द्वारा दी गई जाती का अनियार्य संघ से पालन करेगा। वे जाती जात (एटूपल नियान तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 यादु (एटूपल नियान तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संख्या) अधिनियम, 1986 तथा हुनके लहत बनाये जाने नियमी, अरिसाक्टमय अपक्रिय (प्रकान इधातन एवं सीमापार संख्यान) नियम, 2008 (यका संशोधित) तथा तीक दावित दीना अधिनियम, 1991 (यका संशोधित) के अधीन लिखिटिष्ट की जा सकती है।
42. इसतावित परियोजना के बारे मे एसईआईएए. छलीसगढ़ मे इसपुर नियान मे कोई भी नियकता अथवा परियोजने हुने की दस्ता वे एसईआईएए. छलीसगढ़ को पुनः नवीन जागकरी सहित गृहित किया जाए ताकि एसईआईएए. छलीसगढ़ हुने पर नियान कर साती की सपद्धताता अथवा नवीन जाती नियिक लहने बावत नियम से सके। जादान मे कोई भी नियान काव्या सुन्नाहन एसईआईएए.

उत्तीर्णगढ़ / याता सरकार पर्यावरण बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूरी अनुमति के लिए लड़ी जिया जाए।

43. उत्तीर्णगढ़ पर्यावरण संबंध समूह पर्यावरणीय स्टॉक्षुलि की ओर वो दोनों क्लॉब कार्यालय, जिला-प्रशासन एवं उद्योग केन्द्र एवं कर्मचार/लाभीलकार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए द्वारकित करेगा।
44. पर्यावरणीय स्टॉक्षुलि के विकास अपील मेहमान दीन ट्रीब्यूनल के बाप्ता, मेहमान दीन ट्रीब्यूनल एकट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्राक्कानी अनुसार 30 दिन की समय अवधि में तभी जा सकती।

सदस्य संग्रहीत, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

मेंसाली युनिकटा लॉट्स स्टोर गाईन हो— जी विकास अपाराहन को पाई और इसका क्रमांक ४५, ५०, ५१, ५२ पृष्ठ ५३/१, कुल स्टोर सेव १.८८ हेक्टेएर या—युनिकटा, लहरीत-पाटन, जिला—दूर्घे में यूना पाल्टर (गोप अभियान) उत्थानन— १०,६६० टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली गति

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित गति के अधीन ही जा सकती है। जब इन गति को बहुत ध्यान से पढ़ा जाते तभी कमाई से जालन करना चुनिशित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकारम् उत्थानन सेवकल (लीज सेव) १.८८ हेक्टेएर उत्थान उत्तीर्णगढ़ बासन, चानिय रास्तग विभाग द्वारा स्वीकृता लॉज सेव (दोनों में से जो कम ही) हेतु गाव्य होता। इसी प्रकार उत्थान से यूना पाल्टर यह अधिकारम् उत्थानन १०,६६० टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होता। लॉज सेव की सीमाओं का सीमांचलन करनामा यहको मुनारे लगाया जाए।
2. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैदिक भास्ता सरकार की पर्यावरण, बन और जलवाय विवरण, मंजालप द्वारा जारी हुआई नोटिफिकेशन, २००८ (या संशोधित) के आधारानों की तहत रहेगी।
3. परियोजना प्रस्तावका द्वारा लॉज सेव की गुणवत्ता द्वितीय द्वारा पर यूनना पटल (लॉज बानक यह नाम, खादान का होतपन्न अवृत्ति एवं देशांतर स्थिति, उत्थानन की मात्रा, रवीकृति अवधि) लगाया जाए।
4. बलकटर हेतु प्रस्तुत छोड़न इन्हायरीमीटिंग मैनेजमेंट प्लान के अनुसार युक्तारोपण एवं परिवहन नियमों एवं खादान से परिवहन साक्ष तक यून यार्गी के तेजाराम का बहरे ० नाइ मै पूरी किया जाए।
5. बलकटर हेतु दोपाई हुआई एवं लिपोर्ट में जिन स्थलों पर भौमिकारिय कराये किया जाता है, उक्त स्थलों पर भौमिकार भौमिकारिय कार्य (यान् य बल तथा निटों) किया जाए। भौमिकारिय लिपोर्ट उत्तीर्णगढ़ पर्यावरण संखान मनहान, झटक नगर, बोरीव वार्डान उत्तीर्णगढ़ पर्यावरण संखान गिलाई-दुर्ग, एसईआईए, उत्तीर्णगढ़ एवं एकीकृत सेविय उत्तीर्णगढ़, भास्ता सरकार, पर्यावरण, बन एवं जलवाय विवरण मंजालप, नवा रायगुरु बाटल नगर की हर्फ्युलरीप (Half yearly Monitoring Report) प्रेषित की जाए।
6. माननीय एन.जी.टी. को आदेश दिनांक २५/०२/२०२१ के अनुसार पट्टेदार द्वारा बाईंनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के गति का पालन निम्नलिखित कारबे जाने हेतु परियोजना प्रस्तावका पर्यावरण विवेद्य नियुक्त करना है।
7. परियोजना प्रस्तावका द्वारा खादान से उत्थान जल एवं परेलू दूषित जल (यदि उहूँ ही), के सुपायार की दरगत एवं पर्यावरण व्यवस्था की जाए।
8. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खादान से उत्थान किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी भी उत्थान सालही जल स्वीकृती में किसी भी परिवर्तिये में नियमालित नहीं किया जाए। अंकित इसी प्रक्रिया में उत्थान युक्तारोपण हेतु पुनर्उपयोग किया जाए। अंकित दूषित जल के उत्थान के लिए संग्रह टैक एवं सॉल्फोट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नहीं उत्थान सालही जल स्वीकृती में किसी भी परिवर्तिये में नियमालित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वायाकर्तु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उत्थान की गुणवत्ता भास्ता सरकार, पर्यावरण, बन

और उत्तराखण्ड परिवर्तन, भौजलग, नई दिल्ली द्वारा अधिकृति भानक जलवायितीय विधि के संबंध में उत्तराखण्ड पर्यावरण संबंधी द्वारा अधिकृति योग्यता (जो भी बहुत ही) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

8. खनि घटना साथक स्थान संवालन के कामों के समरोत (after clearing mining operations) स्थान से जल तथा जिसी भी अन्य स्रोत जो कि उनकी स्थान संविहिती के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) होता है, उनकी री-ग्रासिंग (re-grassing) की जाएगी एवं युग्मी का पुनर्स्थान करना इस विधि द्वारा किया जाएगा। जिससे यह जारी बनायी जाए तो उपर्युक्त हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रभावक द्वारा स्थान प्रभितावै से अनुचित वर्जन बंदीजन प्राप्त एवं यह की भीतर प्रस्तुत किया जाए।
10. गू-जल की उत्तराखण्ड हेतु कम्पीय गू-जल बोहे से उत्तराखण्ड जल संवालन करने के दूर्वा अनुचित प्राप्त की जाए। जल ही अन्य स्रोतों से जल का संपर्कों किये जाने की विधि में संविहित विभाग से उत्तराखण्ड जल संवालन करने के पूर्ण अनुचित प्राप्त की जाए।
11. जिसी जिम्मी / बैट / आईट सोस से गाउंड्रिलर नीटर उत्तराखण्ड की मात्रा 50 मिलीमीटर / सालाना छन्नीटर से जल सुनिश्चित किया जाए। इनका नामिन ट्रायलर पाइटर (पटि कोही ही) में यांग प्रदूषण विवरण हेतु जट एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ जल द्वारा जाता जा रहा विलेटर स्थापित किया जाए। नामिन उत्तराखण्ड विवरणीयों के विभिन्न बोहों से उत्तराखण्ड पर्यावरणित जट उत्तराखण्ड का विवरण प्रभावी एवं विवक्षित करने से किया जाए। फट्टूच मार्ग रेखा, संचालन और भराई एवं अन्य जट उत्तराखण्ड विन्युओं जट एटेंकेट जल संवालन सिस्टम द्वारा जल विकास की अवस्था की जानने इसका सहाय संचालन / संचालन सुनिश्चित किया जाए। विष बोकिंग बोहे जल विवरण सुनिश्चित किया जाए।
12. बहनी, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न पानु प्रदूषण जल पर्यावरण संबंधी अधिनियम, 1990 एवं यांग (प्रदूषण विवारण तथा विवरण) अधिनियम, 1991 के उल्लंघन विनियोग भानकों के अनुसार देखा जाएगा। उत्तराखण्ड से जल पर्यावरण भानकों के ग्राहकता भानक सावकार के पर्यावरण, जल और जल यांग परिवर्तन भौजलग, नई दिल्ली द्वारा अधिकृति भानकों से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।
13. परियोजना प्रभावक द्वारा जलान के जारी तारक फीसिंग के जारी किये जाने के उपर्युक्त ही उत्तराखण्ड कार्ड प्राप्त किया जाए।
14. लोअर बोहे के यांग तारफ छोड़ी नई 7.5 नीटर की गोही बटटी गे कोहे गेट का तर्फ / अन्याय नहीं किया जाए तथा उस पटटी गे युक्तारोपण किया जाए। ऐसा करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति जिसी भी जागरूकता अन्याय से विचलन की जाए सकती।
15. उत्तराखण्ड प्रक्रिया के दौरान हटाई गई खपती गिटटी (टीप सॉइल) का उत्पादन उत्तराखण्ड हेतु उपर्युक्त में न जाने वाली भूमि के गुन उद्धार हेतु उत्तराखण्डी और नवाहान को सिध्द किया जाए।
16. उपर्युक्त गिटटी को लोअर बोहे के बाहर प्रसार अनुसार निर्धारित भवान पर निर्धारित उपर्युक्त विवरण तथा जाए। गिटटी का दुर्लभपूर्ण विकास एवं अन्य यांगों में उपर्युक्त नहीं किया जाए। इस गिटटी का उपर्युक्त संबंधी जल पर्यावरण की जिए किया जाए।
17. और उत्तराखण्ड एवं अनुपर्युक्ती / जिसी अन्याय नामिन विकास बोके को पूर्व से विव्यक्त करने पर भवारित विवरण एवं यांगों की जाकी भवारित विवरण आवायी आवायी पास की युग्मी पर उत्तराखण्ड से सुरक्षित रहे जाए ताकि भवारित विवरण आवायी आवायी पास की युग्मी पर

विधायिका प्रभाव न छल सकती। इम्फ की अंतिम ३ मीटिंग तथा बलोप २० दिनों से अधिक न हो। और उन्हें इम्फ तथा छल से रोकने हेतु गैज़ानिक गारीके से मुश्किलेवाला किया जाए।

15. यहाँ तक समय की ओराकर्की एवं जन्म जनुपायी/विक्षी अधीक्षा व्यापिक (विट रोक) को चलने के बजाय बने जान्ही में पुनर्वाप (हेतु विशिष्ट) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल संपर्क अवधारणित रूपांतर विकलिपका उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
16. वरिवोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि छल घटिया की जलन्तर विट लीज लीज के आस-पास के सातही जल स्तोती में इच्छित न हो। इसे रोकने हेतु नाईन लीट तथा इम्फ के रिटेनिंग बैंक / गांधोन्ड ट्रैक की व्यवस्था की जाए।
17. व्यापिक का वरिवहन बदलकर यात्रा से किया जाए, ताकि व्यापिक यात्रा की जात्रा नहीं किये। व्यापिक का वरिवहन तब रहे यात्रों को अन्त से अंतिम नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
18. सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु विभागान्वय प्रस्ताव एवं व्यापिक प्रक्रिया व्योजना की अंतर्गत किया जाए—

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
Following activities at nearby, Village-Chunkatta				
66	2%	1.32	Pavitra Van Nirman	12.18
			Total	12.18

22. सीईआर के तहत विधायिक कर्यालयी ०५ वर्ष में अनिवार्य काम के पूर्ण किया जाए। सीईआर के संपर्कस्थ प्रस्तावित कामों के बार्ये पूर्ण संपर्कस्थ संबंधित यात्रा कामकाला से कालेंडरी व्योमेवन द्वारा बहु अविवादित रिपोर्ट में समाप्ति करते हुए प्रस्तुत किया जाए। सीईआर कार्यों की साकलता सुनिश्चित करना आपका उत्तराधारिता होगा। प्रस्तुत छलकल होने पर व्यापिक लीजकी नियन्त्रण की जाओगी।
23. सीईआर के अंतर्गत "परिवर्त तन विधीन" के तहत (भीम, आम, कंठज, कवर, आगून, आवला, अगलवास, बहु, पीपल आदि) द्रुगारेप्पा हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार २२६ नये पौधों को लिए राशि १७,८७८ रुपये, पौसिन को लिए राशि १,०२,८०० रुपये, खाद को लिए राशि १,७१० रुपये, शिखरी तक राशि-रख-रखाव आदि को लिए राशि २,२६,००० रुपये, इस प्रकार प्रस्तुत राशि में कुल राशि ३,४७,८८८ रुपये तथा जागामी ५ वर्ष में कुल राशि ८,७१,७१२ रुपये हेतु घटकवार व्याद का विकल्प इसका किया गया है। यात्रा पंचायत युवकद्वारा द्वारा भी विकास अवधार, कुल लीज लीजकल ३.०८ हेक्टेयर एवं भी विकास अवधार, कुल लीज लीजकल १.८८ हेक्टेयर, जो सीईआर के अंतर्गत परिवर्त तन विधीन हेतु यात्रा अवधार ४०४ के संतरफल ०.३१ हेक्टेयर वे प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य हुई करने।
24. सीईआर, कीमन इन्हायरीमेटल मैनेजमेंट प्लान, कीमन इन्हायरीमेटल मैनेजमेंट प्लान में वरिवोजना प्रस्तावक की वाहनगिरि, जाहकों के रख-रखाव एवं द्रुगारेप्पा

कार्य के गोपनीयता एवं पर्यावरण हेतु डि-एसीय समिति इंजीनियर/इंजीनियर, शाम पश्चात वृ कालायिकारी/प्रतिनिधि इव जिता प्रशासन या अन्तीम अनुसार वायवरत्त समाज नमूने की प्रतिनिधि/प्रतिनिधि) निहित किया जाए। सभा ही शीईआर एंजीनियर इन्फ्राक्षट्रॉनेटल मेनेजमेंट बोर्ड, कौमन इन्फ्राक्षट्रॉनेटल मेनेजमेंट बोर्ड ते वायरलोजन प्रस्तावक की शहनायिता, सकारी के रक्ष-संरक्षण एवं वृक्षारोपण का कार्य कूपी किये जाने वृ उपलब्ध गतिश डि-एसीय समिति ही शहनायिता कराया जाए।

25. जन वृ नियोजन बोर्ड/अधिकारी नियोजन हेतु वयस्त वर आये, एवं उनी व्यवाय/व्यवहार/व्यवस्था के नियोजन के सख-साम शीईआर के व्यवाय जानकी द्वारा कराये गये गतावी का नियोजन वृ अनियोज्य सम से वाराना आगामी जिम्मेदारी होगी।
26. उत्तरानन हेतु नियोजन कोड (जारी तरफ ७.५ मीटर चौड़ा कोड), हॉल लैड, औपचार्कन इन्व आदि से ल्यानीय उत्तरानी के इन नम् वृक्षी का व्यवह वृक्षारोपण प्रथम वर्ष मे किया जाए। हरित पट्टी का विकास लैन्डीय इन्डिपन बोर्ड की मार्गदर्शिता ही अनुसार किया जाए।
27. इन्डिपेन्डेंट के अन्याय एवं व्यवायम द्वारा वर्ष २०२३-३४ मे कब ही तम ३०० नम् प्रति हेक्टेयर लीज लैड की अनुसार वर्ष, लैन्ड, गीग, करण, शीरू आम, इमारी, अर्द्धन, शीरक आदि इन्व वृक्षारोपणी के ३५० पौधों का रोपण (वृक्ष १,१७२ पौधों) व्यवाय के खुले लैड मे किया जाए। रोपण की सुनियोजित रखने के लिये उपलब्ध एवं वायव व्यवस्था (व्यवहार इन लैड के बड़े व्यवहार द्वी गाँव का नामीन) किया जाए। व्यवस्था उपलब्ध नहीं होने वृ का व्यवह वृक्षारोपण द्वारा विन्हीन लैड मे उपलेवानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपलेवत वृक्षारोपण इन्व वृ के वृक्षों के वृक्षारोपण का ही रोपण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने वर जारी व्यवहरणीय वृक्षों की व्यवस्था की जा सकती ही।
28. नीचित विवे जाने वाले पौधों मे संख्यांकन (Numbering) एवं पौधों के व्यवह वृक्षों का चलाने हुए जियोटेग (Geotag) फोटोव्याप्ति स्थित जानकारी वालन प्रतिवेदन के सख-व्यवहरण मे प्रवाहित करें।
29. अन्तिम लैड लैड की अंदर एवं वायव व्यवह वृक्षारोपण किये जाने एवं नीचित पौधों का सरवाइवल रेट (Survival rate) ८० प्रतिशत सुनियोजित किया जाए। सभा ही वृक्षारोपण का सख-साम आगामी ५ वर्ष तक सुनियोजित करने हुये पौधों की परिवर्धन (Mortality replacement) किया जाए। आगामी द्वारा नीचित पौधों की वृक्षारोपण का व्यवह व्यवहरण अन्वयन एवं एसडीआरएए, घट्टीवागद की प्रतिवेदन किया जाए।
30. किंवे एवं वृक्षारोपण की दुष्टी हेतु शी.जी.वी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्व एवं फोटोव्याप्ति लैन्डिंग रिपोर्ट मे समावित करने हुये घट्टीवागद प्रवाहित व्यवहरण एवं एसडीआरएए, घट्टीवागद की प्रतिवेदन किया जाए।
31. परियोजना प्रवाहित का व्यवह वृक्ष ७.५ मीटर प्रतिवर्षित लैड मे प्रवाहित कार्य शीईआर के लाल इन्फ्रायित कराये एवं जोक सुनवाई मे दिये वाये व्यवहारण के अनुसार लैड करण, जीगम इन्फ्रायित्रॉनेटल मेनेजमेंट बोर्ड वृक्षारोपण के परियोजना प्रवाहित की वृक्षारोपणी के कार्य करना नहीं वाये जाने एवं व्यवहरणीय स्वीकृति की विस्तर जाने की कार्यवाही वृ करायी।
32. परियोजना प्रवाहित का व्यवह वृक्षारोपण की विस्तर एतु आवश्यक उपलब्ध किया जाए। जाने का व्यवह उत्तरानन लैड मे दिये वाये समय ७५ DB(A) एवं वाये के समय ७० DB(A) से अधिक वाये होना चाहिए। लैड व्यवह वाले लैड मे काम करने वाले

विभिन्नों वाले इनसेक्यरी/मका आदि प्रदान किए जाते हैं एवं रकम-समय भव विभिन्नतावर्तीय जीव एवं आवासकर्ता अनुसार चलना चाहिए।

33. कंट्रोल लाइसेंस का कार्य की ओर एवं इस द्वारा ज्ञात अधिकृत गिरफ्तारक लाईसेंस वालक (Explosive License Holder) द्वारा किया जाता प्रबंध की ओर-ओर दुर्घट्टी (लाईसेंस लैक) से उड़ने से बचने हेतु पर्याप्त एवं सामग्री व्यवस्था किया जाए। ऐसे विभिन्न अवश्य बायु प्रदूषण मिशनका व्यवस्था अवधारित छिलिम किया जाए, जिससे बस्त का उत्पादन नियंत्रण में रहे।
34. उत्पादन प्रक्रिया मूँ-जाल रहा की उपर असंतुष्ट द्वारा ने की जाएगी एवं उत्पादन प्रक्रिया मूँ-जाल रहा के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
35. उत्पादन की प्रक्रिया इहा प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वर्षावलीयों एवं जीव-जननुज्ञों पर कोई दुष्प्रभाव न हो। हीने से पांच बाले जाने वाले जानुवालीय वर्षावलीयों एवं जीव-जननुज्ञों का समुचित संरक्षण आपका वापिस दोगा।
36. परियोजना प्रकल्पक द्वारा नीचे लिखित का उत्पादन छलीसागढ़ नींग व्यवित्र निकाम 2016 की घोषणानी, अनुमोदित उत्पादन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना की अनुसार किया जाए। नाईन एवट 2562 के घोषणानी का वालन किया जाए।
37. कार्य स्वतं पर यदि वैदेशिक अग्रिकल्प व्यवस्था पर लगावे जाते हैं तो ऐसे अग्रिकल्प के आवास एवं सूखा हेतु उपक्रिया व्यवस्था परियोजना प्रस्तावका द्वारा भी जाएगी। आवासीय व्यवस्था अवश्यकीय संरक्षणात्मकी के काम में ही बाकी है, किसी परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सकते।
38. अग्रिकल्प की किए गएन व्यवस्था पर विभिन्न विभिन्नतावर्तीय सूचीया भौतिक दायरेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा भी जाए।
39. अग्रिकल्प का समय-समय पर आवश्यकतामुख्य विभिन्नता व्यवस्था आवश्यक है।
40. उत्पादन की टकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्पादन योजना की अनुसार वार्षिक योजना, किसी उत्पादन, व्यवित्र की भाला एवं अपशिष्ट समिक्षित है, ने किसी भी प्रकार का परिवर्तन एसईआई-ए.ए. छलीसागढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन भौतिक, भावत जलाधार की पूरी अनुच्छी के बिना नहीं किया जाए।
41. इस वर्षावर्षीय नींगकृति को जल्दी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अवश्य क्षम्य समर्पित एवं अविकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह वर्षावर्षीय नींगकृति किसी नियों सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने अवश्य व्यवित्रगढ़ अविकारी के अलिङ्गन अवश्य कीन्, वाज्य एवं स्वानीय कानूनी / किसीकी के उल्लंघन हेतु अविकृत रहता है।
42. एसईआई-ए.ए. छलीसागढ़ पर्यावरण संस्करण की दृष्टि से, परियोजना की संपरेक्षा में परिवर्तन अवश्य किमीट्रिप्ट जली की संरोगप्रद रूप से पालन न करने की दासी में किसी भी जली ने वैज्ञानिक/वित्ती करने अवश्य नहीं जली जोड़ने अवश्य उत्पादन / नियन्त्रण के मानकी की और संरक्षण करने का अविकार सुरक्षित रखता है।
43. परियोजना प्रस्तावक अनुसार 2 ल्यार्डीय समावाह यात्री में, जो कि परियोजना भौतिक के आस-पास व्यापक काम से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के ५ दिनी के भीतर हुस आवाय की सूखा प्रसारित करेगा कि परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं वर्षावर्षीय स्वीकृति यज्ञ की इतिही संविधानव, छलीसागढ़ वार्षिक रूप संस्करण मध्यम से अवलोकन हेतु उपलब्ध है। जाव ही इसका अवलोकन एसईआई-ए.ए. छलीसागढ़ की वेबसाइट pariveshi.nic.in पर भी किया जा सकता है।
44. वर्षावर्षीय स्वीकृति में दी नई जारी की पालन हेतु की गई कार्यकारी की अवृत्तिक विकेट छलीसागढ़ पर्यावरण संस्करण व्यवस्था अटल नगर वीरोद्ध कार्यालय,

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संबंधीय नियम—दुर्ल. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ दूर्ल पर्यावरणीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, जल एवं जलवाया विभागीय संचालन, तथा राष्ट्रपुर अटल बगव को प्रेसिड दिया जाए।

45. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, जल एवं जलवाया विभागीय संचालन, भारत सरकार, राष्ट्रपुर द्वारा पर्यावरणीय एकीकृति ने प्रवलता जली के जलवा की भौमिकाओं की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समष्ट—समष्ट एवं प्रस्तुत विए गए दस्तावेजों एवं कार्यालय जल पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, जल एवं जलवाया परियोजना भौमिका, भारत सरकार, राष्ट्रपुर को प्रेसिड दिया जाए।
46. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण, जल और जलवाया परियोजना भौमिका, भारत सरकार/एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, जल एवं जलवाया परियोजना भौमिका, भारत सरकार, राष्ट्रपुर/क्षेत्रीय प्रदूषण विभाग द्वारा/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संबंधी नियम—दुर्ल. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय के जली के अनुपालन के संबंध में जाने वाली भौमिकाओं/अधिकारियों को जली के अनुपालन के संबंध में जाने वाली भौमिकाओं हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रिमियरिट जाती कर अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर अवधिकारीय एकीकृत नियमों द्वारा प्राप्त हो।
47. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संबंधी नियम—दुर्ल. सरकार द्वारा दी गई जली के अनिवार्य रूप के जलमन करेगा। ये जली जल (प्रदूषण नियामन लक्ष्य नियंत्रण) अधिनियम, नमै५ वायु (प्रदूषण नियामन लक्ष्य नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तात्पर बनाये गये नियमों, परियोजना की अन्य अधिनियम (जली एवं सीमायान लंबालन) नियम, 2018 जल लंबालन दायित्व दीना अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के जली नियंत्रण की जा सकती है।
48. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ ने प्रत्युत विवरण में जोड़ी भी विचलन अवधा परियोजना होने की दस्ता में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की पुनर्वायी जानकारी सहित सुचित विद्या जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ द्वारा पर विचार कर जली की उपयुक्तता अवधा नवोन जली नियंत्रण करने वाला नियम ले सके। जलदान में जोड़ी भी विचलन अवधा जलवा उपलब्ध एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, जल और जलवाया परियोजना भौमिका, भारत सरकार की पूरी अनुमति के दिन नहीं किया जाए।
49. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संबंधी नियम—दुर्ल. पर्यावरणीय एकीकृति की जली के उनकी क्षेत्रीय कार्यालय, जिला—खालार एवं जलवा जैन्द एवं जलालपुर/जासीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के तिए प्रदर्शित करेगा।
50. पर्यावरणीय एकीकृति के विकास अपील नेशनल फीन ट्रीभूमल की जायगा, जेशनल फीन ट्रीभूमल एक्ट 2010 की दाता 10 में दिए गए आकालनी अनुसार 30 दिन की अवधि अवधि में ही जा सकेगी।

साहस्र संघर्ष, एस.ई.ए.सी.


अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

गैरवाली चुनकट्टा जातीन कटीन गाईन (दो- वी शिक्षण अधिकारी) की खसरा छानांक 37(पाई), 39(पाई), 42(पाई), 43(पाई), 44(पाई), 45(पाई), 46(पाई), 47(पाई), 48(पाई), 49(पाई), 50(पाई) एवं 51(पाई) कुल सीज शेव 3.08 हेक्टेयर, यान्-चुनकट्टा, गैरवाली-पाटन जिला-दूर्दे में चूना पत्थर (गोला चूनिया) उत्पादन - 66,260 टन प्रतिवर्ष हैं यह पर्यावरणीय स्वीकृति में भी आने वाली रही।

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित जाती के अधीन सी जा रही है। आइए इन जाती की कहुत व्याप से बढ़ा जाये तथा कहाँ से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकारी पालन कोशिकल (लीज शेव) 3.08 हेक्टेयर जबका छत्तीसगढ़ राज्य, खंडिज उत्पादन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज शेव (दोनों में से जो कम हो) हैं यह मान्य होगा। इसी प्रकार खदान में चूना पत्थर का अधिकारी पालन अलग अलग 56,260 टन प्रतिवर्ष सी जीती होगी। लीज शेव की शिक्षणी का सीमांकन कराकर पत्थरों कुनारे लगाया जाए।
2. पर्यावरणीय स्वीकृति की फैलता वाला सुरक्षर की पर्यावरण, वन और जलव्यु परिवर्तन, पर्यावरण द्वारा जारी हुआई-ए. नोटिफिकेशन, 2006 (वन संशोधन) के द्वारा जारी की जाएगी।
3. चरियोजना उत्पादक द्वारा लीज शेव की नुस्खा छोड़ा द्वारा पर चूना पटल (लीज वालक का नाम, खदान का शीअक्षर अक्षीय एवं ऐक्सोर संकेत, सत्त्वानन की गाल, स्वीकृति अधिकारी) लगाया जाए।
4. कलसटर हैं उत्पादक द्वारा दृष्टिकोण बैनरेट पत्थर के अनुसार चुनावीन एवं परिवर्तन वालों एवं खदान से परिवर्तन वालों तक पहुंच मार्गों की संचारण का कार्य हो जाए ते पूर्ण किया जाए।
5. कलसटर हैं उत्पादक दृष्टिकोण में जिन स्थलों पर नीनिटरिंग कार्य किया जाए हैं, उक्त स्थलों पर इलिमान नीनिटरिंग कार्य (वायु वाल तथा घिटटी) किया जाए। नीनिटरिंग रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संचालन बोर्ड, अठल नन्द, कीरीप कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संचालन मण्डल, नियाई-दूर्ग, दार्दी-आई-ए.ए, छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत कीरीप कार्यालय, वालत राजवाद, पर्यावरण वन एवं जलव्यु परिवर्तन संचालन, नवा रायपुर ज़िले नवार की अंतर्वार्षिक (Half yearly Monitoring Report) द्वितीय जीती जाए।
6. मानवीय दृष्टिकोण के अद्वेष दिनांक 20/02/2021 के अनुसार पट्टेदार द्वारा गाईनिय खान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के जाती का पालन सुनिश्चित जनराये जाने हैं उत्पादक द्वारा उत्पादक की पर्यावरण नियोजन नियुक्त करना है।
7. चरियोजना उत्पादक द्वारा खदान से उपर्यन जल एवं घोरेलू सूखिया जल (जीरि कोही हो), के उत्पादक वी उत्पादक एवं वर्षाया वर्षाया की जाए।
8. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न फिल्टरी भी उत्पादक से दूषित जल के फिल्टरी नदी अथवा जलही जल सीधी भी फिल्टरी भी परिस्थिति में फिल्टराशिया जानी किया जाए। अपिन्ह हुसी प्रक्रिया में अथवा चुनावीपथ हैं यह पुनर्उत्पादन किया जाए। घोरेलू सूखिया जल के उपर्याक जल सीधी टैक एवं शीकपीट की उत्पन्नता की जाए एवं जल के फिल्टरी नदी अथवा जलही जल सीधी में फिल्टरी भी परिस्थिति में फिल्टराशिया नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाया वर्षाया के जल आपस में न फिल्टर होने हैं भी

वाहनों की जाए। उपचारित दूरीत जल की गुणवत्ता भारत सरकार द्वारा अधीन संलग्न विशेषज्ञ, मंत्रीसभा, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा इलेक्ट्रोमैट्रिक दर्शकन संबंध में इन्होंने अधिसूचित मानक (जो भी कठीन हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

9. खनि पद्धति आरक्ष संचालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा जिल्हे की जन्म होते ही कि उनकी खनन गतिशीलियत के कारण छापायित (distributed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी ग्री-ग्रासिंग (green-grassing) की जाएंगी एवं भूमि का पुनरुत्थापन इस स्थिति तक किया जाएगा। जिससे यह आरक्ष, कानपुरियों, जीवों और वे उपरित हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रश्नावक द्वारा उत्तर इलेक्ट्रिकिटी से अनुमोदित गाँव गलीजार ज्ञान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।
10. ग्री-जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय ग्री-जल बोर्ड से उत्तराखण्ड आरंभ करने के दूर्व अनुच्छेद प्राप्त की जाए। जब भी अब रहोते ही जल का उपयोग किये जाने की स्थिति में संतुष्टित जिमान से उत्तराखण्ड आरंभ करने के पूर्व अनुच्छेद प्राप्त की जाए।
11. जिल्हे जिल्ही / ग्रीट / खाईट बोर्ड से पार्टिकुलर बैटर उत्तराखण्ड की जाता 50 मिलीलीटर / सामान्य घनमीटर से जल सुनिश्चित किया जाए। इसके बाहर, कठीन द्वारकापान प्राइटल (परियोजने हो) में जाये जाने वाले हेतु बहु एक्सट्रेक्शन नियन्त्रण के जाये जाने का उत्तराखण्ड स्वायपित किया जाए। जिल्हे उत्तराखण्ड गतिशीलियों के जिल्हीन ज़ज़ेली से उत्तराखण्ड अनुजितिव बहु उत्तराखण्ड का नियन्त्रण द्वारा एवं नियमित रूप से किया जाए। पर्युष जारी, ऐप संपर्क बोर्ड, मर्यादा एवं अन्य बहु उत्तराखण्ड जिल्हों द्वारा बहु नियन्त्रण का संपर्क नियन्त्रण एवं जल उत्तराखण्ड की व्यवस्था की जाकर इसका आरक्ष संचालन / उत्तराखण्ड सुनिश्चित किया जाए। ऐप संपर्क बोर्ड का जिमान सुनिश्चित किया जाए।
12. बाहनी, जानने एवं अन्य प्रक्रिया जो उत्तराखण्ड जाये जाने पर्यावरण संबंधी लौटायेंग, 1986 एवं जाये (प्रदूषण नियान तथा नियन्त्रण) अनिवार्य, 1991 के तहत जिल्हीकृष्ट मानकों के जनुकाय रखा जाएगा। उत्तराखण्ड क्षेत्र में परियोजीय जाये की गणकात्मक आरक्ष संचालन के पर्यावरण, जन और जल जाये परियोजीन मन्त्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अलीक नहीं होनी चाहिए।
13. परियोजना प्रश्नावक द्वारा खदान के बारे तारक जॉकिंग का बारे किये जाने के उपरांत ही उत्तराखण्ड कार्ड प्रारंभ किया जाए।
14. लौंग बोर्ड के बारे तारक जॉकी नई 7.5 लैटर जी जॉकी जट्टी में कोई बोर्ड का जाप / अप्लाई नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में घुटाहोपन किया जाए। ऐसा करना नहीं चाहे जाने पर पर्यावरणीय जॉकीकृति किली जी जल तारकाल ज्ञान से नियन्त्रण की जा सकेगी।
15. उत्तराखण्ड प्रक्रिया के दीर्घ छाटाई जॉकी कार्ड किटटी (ट्रैम बीडीएल) का उपयोग उत्तराखण्ड हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के दून उत्तराखण्ड हेतु ज्ञाना बाहनी लौटायेंग जो किल (स्टेविलाईज) बहने में किया जाए।
16. उपरोक्त किटटी को लौंग बोर्ड के बहु उत्तराखण्ड अन्याय नियानित ज्ञान का अन्यायित कान संरक्षित रखा जाए। किटटी का दुखपरीन विकाय एवं जन्म जार्यों में उपयोग नहीं किया जाए। इस किटटी का उपयोग खदान की पुनरुत्थापन के लिए किया जाए।
17. लौटायेंग एवं अनुबोधी/जिल्ही ज्ञानोग्रह जिल्हे (प्रैस्ट लैंप) को पूरक से पूर्व से किन्हीं सबल पर अन्यायित किया जाएगा। इस द्वारा को अप्लाई संबंधी की

संघित प्रकार से सुनीलता रही जाए ताकि भवित्वरित परामर्श आव-पास की भूमि यह नियमित प्रकार में बदल सके। इन्हीं को लैंगरई ३ गीटर एवं फ्लॉप २४ लिटी भी बदलिए न हो। और अब इन इन्हें जल से दूर रखने हेतु वैज्ञानिक तरिके से दूषांशेषण किया जाए।

18. इसके साथ ही औपचार्य इवान्य अनुपर्याप्ती/विकी अधीन्य संग्रह (सिल्वर वीक) को बदलने के पश्चात उने बढ़ती वै पुनर्जन्म (विज्ञान विज्ञान) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अधिक वृद्धिकारी वैज्ञानिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
19. विविधता प्रसारक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि बदलने प्रक्रिया से उत्पन्न निलंबन लीज सेक के आव-पास के सभी जल स्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे सेवने हेतु बहुत लीट तथा इन्हें के लिए विविध वीज / चारतंत्र द्वारा जीव जलवाया की जगह।
20. खनिज का विविधत बहुत बहुत से किया जाए, ताकि खनिज बहुत से बाहर नहीं निके। खनिज का विविधत बहुत लीट लीट बहुतों को कमाता से अधिक नहीं बहुत जाना सुनिश्चित किया जाए।
21. सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रसारक पर कार्य विधान प्रकार योजना के आवृत्ति किया जाए—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)		
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)	
Following activities at nearby Village-Chunkatta					
Private Van Hinman		12.19			
Total		12.19			

22. सीईआर के लहू प्रियोरिटी कार्यकारी ०५ वर्ष में खनिजार्दी कर से चूर्ण किया जाए। सीईआर के सुपरिकार प्रसारकित कार्यों के कार्य चूर्ण संबंधित द्वारा प्रधानमें से जलवायी विविधत द्वारा कर अधिकारिक रिकॉर्ड में सम्भालित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सीईआर कार्य की सकलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायिता होगा। दूषांशेषण उत्तरकल होने पर पर्यावरण वैदेशिक नियमों की ज़रूरती।
23. सीईआर के अंतर्गत 'परिवर्तन वन' की लहू (वीग, जाम, काल्प, काला, जानुन, जैवल, अमलकास, बह, गोपल आदि) दूषांशेषण हेतु प्रस्तुत प्रसारक अनुसार २२६ नव वीजों के लिए राशि १७,१७६ रुपये, प्रियोरिटी के लिए राशि १,०२,८०० रुपये, जल के लिए राशि १,८१० रुपये, शिवाई तथा रक्त-शराब आदि के लिए राशि २,२६,००० रुपये, इस प्रकार जल वर्ष में कुल राशि ३,४७,८८६ रुपये तथा आगामी ५ वर्ष में कुल राशि ८,७१,७१२ रुपये हेतु घटकावार जाय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। द्वारा प्रधान युनिकार्ट द्वारा भी विकास अवधार, कुल लीज ईडफल-३०८ ईडफल एवं भी विकास अवधार, कुल लीज ईडफल-१.८० ईडफल, को सीईआर के अंतर्गत जलवायी प्रवित्र वन निर्माण हेतु जलवाया ईडफल ४०४ के ईडफल ०.३१ ईडफल में प्रस्तुत प्रसारक अनुसार कार्य चूर्ण करें।

24. सीईआर्, कौमन इन्फ्राकॉर्पोरेटल मैनेजमेंट प्रान, कौमन इन्फ्राकॉर्पोरेटल मैनेजमेंट प्रान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सहकों की रख-रखाव एवं युक्तारोपण कार्य के भीमिटरिंग एवं पर्सेशन हेतु जि-प्रीवी जनिति (प्रोफर्व्हाइट/प्रोत्साहित), जाम प्रशासन के प्रदर्शिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला अध्यापन वा अन्तीक्षण प्रवाहित संस्कारण के प्रदर्शिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। याद ही सीईआर्, कौमन इन्फ्राकॉर्पोरेटल मैनेजमेंट प्रान, कौमन इन्फ्राकॉर्पोरेटल मैनेजमेंट प्रान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सहकों की रख-रखाव एवं युक्तारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरान्त गठित जि-प्रीवी जनिति से संबंधित कारबा जाए।
25. जब भी निरीक्षण कल/अधिकारी निरीक्षण हेतु जबल पद आये, तब उन्हें खदान/उद्धोग/बट्टा के निरीक्षण के सभ-सभ भीईआर् के तहत अपने हाथ कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अभियांत्र सभ से छारणा जापनी घिम्बेदारी होगी।
26. उत्तराखण हेतु निरीक्षण की (जारी तरफ 7.5 मीटर भीड़ की), ग्रील दोष, औषधकर्त्ता द्वय आदि में उद्धोग प्रजाती के 1.113 नये युक्ती का सधन युक्तारोपण द्वय वर्ष में किया जाए। इसित प्रदृष्टि का विकास भीवीच प्रदृष्टि निरीक्षण की भी नामदारीका के अनुसार किया जाए।
27. प्राचीनिकता के आवार पर खदान इवान हाल वर्ष 2023-24 में कल से कम 300 नये प्रति ईकेटर लीज दीज के अनुसार बहु, वीचल, गीम, कर्पां, लीसु, झाम, इमली, अर्जुन, गीरसा आदि अन्य स्थानीय इलाहियों के 650 योहों का नीपण (युक्त 1,763 योहों) खदान के युक्ती दीज में किया जाए। रोकन की युक्तिका रखने के लिये उच्चप्रबुद्ध एवं पर्याप्त प्रदर्शन (जिला काटिकार द्वारा के बाहु अवधा द्वी पार्वत का उपयोग) किया जाए। खदान उपलब्ध नहीं होने की दशा में जावित राम पंचायत द्वारा किन्हीं दीज में सापरीकानुसार युक्तारोपण किया जाए। सापरीका युक्तारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। उदयोका द्वारकारण इवान वर्ष में पूर्ण किया जाए। युक्तारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति रामाल निरसा की जा सकती है।
28. नीपिट लिये जाने वाले पीछी में संख्यावन (Numbering) एवं पीछे के नाम का एलेक्ट्रॉनिक द्वय लियोटेक (Geotag) फोटोप्राना वाहित जानकारी पालन इतीवेदन के सभ वार्षिकय में प्रस्तुत करें।
29. नवीनिग लीज दीज के लोहर एवं बाहर सधन युक्तारोपण किये जाने एवं नीपिट पीछों का सरकारी रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत युक्तिका किया जाए। सभ ही युक्तारोपण का रख-रखाव आगानी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करने हुए मुहूर्पीछों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए। जलती द्वारा नीपिट पीछों के युक्तारोपण की सधन कानाना जापनी पूर्ण दिखावारी होगी।
30. किये गये युक्तारोपण की युक्ती हेतु दीजी एस. (Inertial Global Positioning System) जारी एवं जोटीप्राना अपीकार्निक लियोटे में समाहित करने हुए उत्तीर्णगढ़ पर्यावरण संस्कारण उपलब्ध एवं एसईआईएए. अन्तीक्षण वर्ष प्रेषित किया जाए।
31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिवर्षित दीज में प्रवसालित कार्य, सीईआर् के तहत प्रवसालित कार्य एवं लोक सुनवाई से दिये गये आश्वासन वा अनुसार कार्य करना, कौमन इन्फ्राकॉर्पोरेटल मैनेजमेंट एवन में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता के कार्य करना नहीं पारे जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरसा करने की कार्रवाही की जाएगी।
32. परियोजना प्रस्तावक द्वारा व्यापि प्रवसाल की नियंत्रण हेतु अवलोक उपाय किया जाए। अनि का जल उत्तराखण संज्ञ में दिन के समय 75.08.2024 एवं राति के समय

TO DBTU) से अधिक नहीं होना चाहिए। लौह छोड़ी वाले शेषों में कठम करने वाले शहिरों को द्रुगत्तरण/पक आदि प्रदान किए जाएं एवं समय-समय पर विधिवत्तरीय जीव एवं आवश्यकता उन्नुसार उनका उपचार भी करना चाहे।

33. सटीक इलाजिट्स का कार्य की जीएलएस द्वारा विधिवत विस्पैटक लाइसेंस दाता (Explosive License Holder) द्वारा किया जाए परन्तु छोटे-छोटे दुकानों (सलैंग गोदान) की वाले तो शेषों हेतु पर्याप्त एवं सामान व्यवस्था किया जाए। ऐसे विधिवत उनका बाबू प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था उन्नारित फ्रिलिंग किया जाए, जिससे डस्ट वा उत्तराखण्ड नियंत्रण में रहे।
34. उत्तराखण्ड लौहिया यू-फल दाता के द्वारा असांतुष्ट प्रभाव में की जाएगी एवं उत्तराखण्ड लौहिया यू-फल दाता के नीचे किसी भी परिवर्तनों में नहीं किया जाए।
35. उत्तराखण्ड की लौहिया इह प्रकार सुनिश्चित की जाए कि उनस्थितीय एवं जीव-जन्मुद्दी पर कोई दुष्प्रभाव न हो। शेष वै पार्वती वाले प्राकृतिक उनस्थितीय एवं जीव-जन्मुद्दी का समुचित संख्यण आपका दायित्व होगा।
36. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गीय खनिज का उत्तराखण्ड उत्तीर्णगढ़ गीय खनिज नियम 2016 के प्राकृतीय, उन्मुद्दीप्रति उत्तराखण्ड योजना एवं पर्यावरणीय प्रभाव का योजना के अनुसार किया जाए। माझें एक 1962 के प्राकृतीयों का पालन किया जाए।
37. कार्य स्थल पर यदि कोई व्यापिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे व्यापिकों के आवास एवं सुखाना हेतु उपक्रिया व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय यात्राओं अवधारी सरकारी उपकारीओं के रूप में ही स्वतीत है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।
38. अग्रिमों के लिए उत्तराखण्ड क्षेत्र पर उत्तराखण्ड विधिवत्तरीय सुविधा, गोपनीय राष्ट्रीय आदि वै व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
39. अग्रिमों का समय-समय पर आवृप्तप्रेषान्तर हेतु नार्यिलेस करना आवश्यक है।
40. उत्तराखण्ड की ताकनीक, कार्य की उन्मुद्दीहित उत्तराखण्ड योजना के अनुसार विधिवत उत्तराखण्ड लौहिया की मात्रा एवं अपरिवर्तनीय समिक्षित है, जैसे किसी भी प्रकार का विवरान एसईआईए, प्रलीनारूप / व्यापारित्य, कन और उत्तराखण्ड परिवहन संसाधन, मारत सरकार की पूर्ण उन्मुद्दी के किए जाते हैं।
41. इस पर्यावरणीय स्वीकृति की जारी करने का आवश्यक विधिवत्तरीय व्यवस्था अवधारी समिक्षित पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह यांवरणीय स्वीकृति किसी नियोगी सम्पर्कित नहीं दुर्काला पर्यावरणीय व्यवस्था उत्तीर्णगढ़ अधिकारी के अधिकार अवधारी को उल्लंघन हेतु अविकृत करता है।
42. एसईआईए, उत्तीर्णगढ़ व्यावरण संस्कार की दृष्टि से, परियोजना की कार्रवाई में विवरान अवधार कियेंविद्युत शक्ति के संतोषावध रूप से पालन व करने की दशा में किसी भी जारी से संसीधन/नियंत्रण करने अवधार नहीं जोड़ने अवधार उत्तराखण्ड / नियंत्रण के नामकों को और संस्कार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
43. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 कथामीय शामाचार पत्री में, जो कि परियोजना द्वारा की आम-पास आपका कार्य से प्रसान्न हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आवास की सुवाना उन्नारित लैंगिक विधिवत्तरीय स्वीकृति प्राप्त हो जाती है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति वाले की इनीची महिलाएं प्रलीनारूप व्यापारित्य संस्कार मध्यात् मध्यात् करनीकरन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एसईआईए, उत्तीर्णगढ़ की वेबसाइट parivesh.nic.in पर भी किया जा सकता है।

44. पर्यावरणीय स्टीकूटि में दी गई जलों की पालन हेतु की गई उत्तरवाही की ओर नार्थिक रिपोर्ट छलीसागढ़ पर्यावरण संस्थान मण्डल, अटल नगर क्षेत्रीय कार्यालय, छलीसागढ़ पर्यावरण संस्थान मण्डल, मिल्टर्ड-टुर्ने, एसडीआईए, छलीसागढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, मण्डल नगरकार, योग्यवर्ष, बन एवं जलवाया परिवर्तन मण्डल, नवा रायपुर छट्टल नगर को प्रेसित किया जाए।
45. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, बन एवं जलवाया परिवर्तन मण्डल, भारत सरकार, नवा रायपुर छट्टल क्षेत्रीय स्टीकूटि में इनलो जलों की पालन की नीतिटरिंग की जाएगी। इस रेतु परिवेजना जलवाया क्षेत्र लम्बा-लम्बा पर उत्तरुत निए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का नूरी तोट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, बन एवं जलवाया परिवर्तन मण्डल, भारत सरकार, नवा रायपुर को प्रेसित किया जाए।
46. एसडीआईए, छलीसागढ़ पर्यावरण, बन और जलवाया परिवर्तन मण्डल, भारत सरकार, नवा रायपुर /क्षेत्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड/छलीसागढ़ पर्यावरण संस्थान मण्डल को विज्ञानिकों/अधिकारियों को जलों के अनुपालन के जीवन में की जाने कारी नीतिटरिंग के द्वारा जलवाया विवरण किया जाए। परियोजना प्रवर्तनक द्वारा विनियित जलों का अनुपालन जलवाया नहीं पाये जाने पर जागीरलीय स्टीकूटि निरस्त की जा सकती।
47. परियोजना प्रवर्तनक छलीसागढ़ पर्यावरण संस्थान मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई जलों का अनियावर सब से पालन करेगा। ऐ जल ट्रैक्चरन नियायक रूपा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 कामु (ट्रैक्चरन नियायक रूपा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (पारिषाध्य) अधिनियम, 1986 तथा इनकी तहत बनाये गये नियमी परियोजनाकाटनाय और जलवाया उपक्रिया (प्रक्रम एवं जीवाया संबंधन) नियम 2010 तथा लोक दायिता बीच अधिनियम, 2001 (पर्या जालीकृति) के अधीन विनियित की जा सकती है।
48. प्रस्तुतवित परियोजना के बारे में एसडीआईए, छलीसागढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विवरण अवश्य परिवर्तन की दस्ता में एसडीआईए, छलीसागढ़ को पुरा नहीं जानकरी राखित रखिता किया जाए, लाकि एसडीआईए, छलीसागढ़ द्वारा पर विवार कर जलों की उपयुक्तता अध्ययन जीवीन जलों नियिएट करने वाला नियमी ते रहे। जलवाया में कोई भी विवरण अवश्य उपलब्ध पर्यावरण एसडीआईए, छलीसागढ़ / पर्यावरण, बन और जलवाया परिवर्तन मण्डल, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के दिना नहीं किया जाए।
49. छलीसागढ़ पर्यावरण संस्थान नायकूल पर्यावरणीय स्टीकूटि की दौरी को उनकी क्षेत्रीय कार्यालय, निला-जलायार एवं वायोग कीन एवं कलेक्टर/लहरीजलाय कार्यालय में 30 दिनों की अवधि को लिए प्रदर्शित करेगा।
50. पर्यावरणीय स्टीकूटि के विस्तृत अपील नीतनल दीन ट्रीब्यूनल के समान नीतनल दीन ट्रीब्यूनल द्वारा 2010 की दाता 10 में दिए गए प्राक्तानी अनुसार, 30 दिन की अवधि अवधि ते जी जा सकती।

राजदय राजिन, एसडीएसी,

अध्यक्ष, एसडीएसी,

भैंसी बहुतावहार सेष्ट कीरी (सूचिय/ सारणी, आन पंक्तिगत अनुसार)

को अधिकार क्रमांक १, कुल शेष्टकर्ता-२ इकट्ठेवर में शेष्ट का कुल ८० प्रतिशत शेष्टकर्ता में भी ऐसा सरकारगत, आम-बहुतावहार, राजसीमा-सारकारवाह जिला-ज़िलानुर (एग.) में है जहाँ से ऐसे उत्तराखण्ड कमता १२,००० घनमीटर प्रतिवर्ष तक प्रसारित वर्षाविनाश स्थीरता में भी जाने वाली जाते।

यह पर्यावरणीय स्थीरता नियन्त्रित करी के अदीन दी जा रही है। अब इन जाती को बहुत व्याप से पकड़ ली रखा कराई से यातन करना सुनिश्चित किया जाए।

१. यह पर्यावरणीय स्थीरता सुनन बहुत के नियादन की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि है तो यह होती।
२. यादेनेवल सेष्ट नाईनिंग गाईकलाईन, २०१० (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2010) एवं इनकोर्सेट एप्ल नीनिटरिंग गाईकलाईन पौर शेष्ट नाईनिंग, २०२० (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार यातन सुनिश्चित किया जाए।
३. इनकोर्सेट एप्ल नीनिटरिंग गाईकलाईन पौर शेष्ट नाईनिंग, २०२० (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के तहत ८० प्रतिशत की में उत्तराखण्ड की विकास यातन सुनिश्चित किया जाए।
४. याद उत्तराखण्ड (शिल्पीय इट्टी) रिकोर्ड – परियोजना प्रस्तावक ऐसे यातन की भी अधिकी १.५ वर्ष में विस्तृत याद अध्ययन (Station Study) करायेगा, ताकि ऐसे की पुनर्व्यवस्था (Replenishment) बाबत सभी जांचें, ऐसे उत्तराखण्ड का नहीं, नदीतल, जलानीय यातनवाली, जीव तथा जूल जीवों का प्रभाव उत्तराखण्ड की याती की गुणकला पर ऐसे उत्तराखण्ड की याती यानकारी प्राप्त ही जाए।
५. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज शेष्ट के गुण प्रयोग द्वारा यह जूलना यठत (लैंग बारक या नाम, खाद्यान का उत्तमपात्र वाला एवं देशान्तर सहित, उत्तराखण्ड की मात्रा, स्थीरता अवधि) संकाया जाए।
६. लीज सेव के याती याती तथा सीमा लाईन के मध्य में सीमेट के खाली गडाना आवश्यक है ताकि लीज शेष्ट नहीं में कम्प दूषितीकर हो जाए।
७. यह यातन स्थनित विमान द्वारा अधिक्षुदित कियी वक्तव्य नहीं है, अवधा ५०० मीटर की भीतर यातीकर ऐसे यातनों का कुल यक्का ८ इकट्ठेयर से अधिक होता ही तो पर्यावरण स्थीरता गान्ध नहीं होगी।
८. नाईनिंग यातन अनुसार यैसे उत्तराखण्ड की २ इकट्ठेयर के कुल ८० प्रतिशत शेष्टकर्ता से अधिक नहीं होगा। की ४० प्रतिशत की में उत्तराखण्ड नहीं किया जाएगा। ऐसे या उत्तराखण्ड की १ इकट्ठे नहीं तक ही किया जाए १२,००० घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा।
९. यातीनीय एन.जी.टी की आदेत दिनांक २६/०२/२०२१ के अनुसार यातन द्वारा व्याप्ति यातन एवं पर्यावरणीय स्थीरता के याती का यातन सुनिश्चित याती जाने हैं तो परियोजना प्रस्तावक की व्याप्तिव्यवस्था विस्तृत जैसा होगा।
१०. ऐसे उत्तराखण्ड द्वारा यातन की कुल त्रिपात्रकानुसार नियन्त्रित किया जाना याती के नहीं में ऐसे की यातन की तरी (Levels) का तरी कर, उसके अधिकी तत्काल एकाई.अर्थात् ए. उत्तराखण्ड की इसका जायें। पीस्ट-यातनसूच (अन्तर्गत/ नवनवर यात्रा में ऐसे

उत्तरानन लारेंस करने की पूरी इच्छी विक विन्युओं में नक्सिनग लीज लीज तथा लीज सेव को अपश्ट्रीय एवं उत्तरानस्ट्रीय में 100 गीटर तक तथा उत्तरान लीज की चाहर / नदी तट (दोनों ओर) में 100 गीटर तक की लीज में नदी चाह की राती (Levee) का सबै पूर्व नियोगित विक विन्युओं पर किया जायेगा। हसी प्रयात्र ऐसा उत्तरान उपर्युक्त गानमूग की पूर्व (भई नाह के अलीम सपाह/जून के अल्पम सपाह) इच्छी विक विन्युओं पर ऐसा चाह की लेवल्स (Levee) का बायन दिया जाएगा। ऐसा आहु की पूर्व नियोगित विक विन्युओं पर ऐसा चाह की लेवल्स (Levee) की गायन कर काही अगामी 6 वर्ष तक नियंत्र दिया जाएगा। पीकट—गानमूग के अकाही अगामी 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 एवं भी—गानमूग के अकाही अगामी 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 तक अनियार्थ कर से एकही आही एवं घलीचांगड़ की प्रवृत्त विक पायेगी।

11. ऐसा जी तुधाई एवं भराई भरिको द्वारा (Manually) की जाएगी। इस प्रकारानन के लिये किसी उपकरण संयंत्र (Machinery), आहि का उपयोग नहीं किया जाएगा। रिवर बेड में भासी याहुनी का प्रयोग प्रतिवर्षीय रहेगा। लीज लीज में किया ऐसा खुदाई गद्दी (Excavation pits) से लीकिंग व्हाईट तक ऐसा का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।
12. ऐसा का उत्तरानन ऑफल विन्हीत, सीमाविन एवं धोवित लीज में ही किया जाएगा। ऐसा उत्तरानन की अधिकतम गहराई सातम से 1. बीटर अथवा कांमान जल स्तर की तुच्छी चाह की 1 बीटर गोड़कर दोभी में से जी उन ही, जी अधिक नहीं होगी। ऐसा का उत्तरानन किसी भी परिविविति में जल साप के नींवे नहीं किया जाएगा। नदीमाम 2 बीटर भीटाई तक की ऐसा नदी तल (हाई लीज) की तुफन छोड़ा जाना आवश्यक है।
13. ऐसा उत्तरानन नदी तटी की ऊपर से कम 7.5 गीटर अथवा नदी की धीक्काई के 10 प्रतिशत की दूरी जो भी अधिक हो सोड़कर ही किया जाएगा, ताकि नदी तटी का करना न हो। किसी भी भुलिक, स्टापहैं, बांध, एनीकट, जल ब्रेक व्हाल्सा एवं अन्य स्थायी संरक्षणात्मी से खाद्य की अपश्ट्रीय में न्यूनतम 500 गीटर तक उत्तरानस्ट्रीय में न्यूनतम 250 गीटर सुरक्षित लीज छोड़ा जाना अनियार्थ है।
14. यह सुनियोगित किया जाए कि ऐसा उत्तरानन की उत्तरान नदी जल का बंग, टर्बिनिटी एवं जल बहाव की बदलाव तर कोई विपरीत प्रभाव न पहुँचे।
15. यह सुनियोगित किया जाए कि उत्तरानन ऑफल दोनों लीज में किया जाए किसके आस—पास के लीज पर कोई भी जीव—जानु उत्तरानन हेतु नियंत्र न हो। काहुओं की उत्तरान इकाईयी / दोनों का भास्त्राम उत्तराना है, जिस दोनों के आस पास ऐसा उत्तरानन नहीं किया जाए।
16. ऐसा उत्तरानन एवं भराई / परिवहन दिन की समय ही किया जाए। यह काही ताकि के समय नहीं किया जाए। इतिमें जीवी उत्तरानन काहे जाने की विधि में परिवोज्ञा प्रस्तावक को विस्तृत विवादानुसार कर्यान्वयी की जाएगी।
17. परिवोज्ञा प्रस्तावक द्वारा ऐसा उत्तरानन विभिन्न द्वारा द्वया लोडिंग / अनलोडिंग आहि से उत्तरान दोनों ताते फ्रूटिटिंग ड्रेट उत्तरानीं की विधावन हेतु तपाकुला वायु प्रदूषण विधावन व्हाल्पाई दोसो जल किंवदन्ता अथवा अन्य तपाकुला व्हाल्पाई की जाए। ऐसा उत्तरानन दोनों में परिवोज्ञीय याचु वी गुणवत्ता भारत सरकार वर्णवाप, दन और जल याचु वरिवर्ती, बंजालय, नहू किसी द्वारा अनियोगित मानकों से अल्पीक नहीं होनी चाहिए।

18. ऐसा का परिवहन तारपोलिन इव्वता अब्द्य उत्तमुक्ता मालायम से दूरे हुए याहन से किया जाए, ताकि ऐसा याहन से बाहर नहीं निये। खनिज का परिवहन कर रहे याहनीं दूरे इव्वता से अद्वितीय नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
19. उत्तमानन छोड़ने में लाभी प्रदूषण न हो, वह सुनिश्चित किया जाए।
20. प्राकृतिकता के आवार पर बढ़ावा प्रबंधन द्वारा वर्ष 2023-24 में वर्धीताएं की कठाव को रोकने हेतु लीज लीज के अनुसार अर्जुन, उत्तम, बद्र, वीपल, नीन, कर्णज, सीम, अन, इगली, शीता आदि अब्द्य इव्वतीय प्रजातियों के कूल ८०० वर्ष पीढ़ी का रोपण नहीं हट पर रोपित किया जाए। रोपण को सुनिश्चित रखने के लिये उपचूला एवं पर्याप्त आपसमा (जिसा कॉटेदार तार की बाध का उपयोग) किया जाए। ५ कीट से ८ कीट छोड़ाई जाने पीढ़ी का ही रोपण किया जाए। उपरोक्ता मृशारोपण प्रबंधन वर्ष में दूरी किया जाए। रोपित पीढ़ी जी दुखा एवं रक्षा-रक्षाव आगामी ५ वर्षों तक करने का उत्तरदायित्व लेने जानी जानाय का उपय पत्र प्रस्तुत किया जाए। रोपित पीढ़ी की सुखा एवं रक्षा-रक्षाव आगामी ५ वर्षों तक करने का उत्तरदायित्व जारीजना जरूरीत का रहेगा।
21. रोपित किये जाने जाने पीढ़ी में संख्याकरण (Numbering) एवं पीढ़ी के नाम का उल्लेख करते हुये कौटुम्बामध्या सहित जानकारी अद्वितीय रिपोर्ट की सभ्य जाना जाए। ऐसा नहीं करने पर यदीकरण स्थिरता की जा सकेगी।
22. मृशारोपण एवं रक्षा-रक्षाव आगामी ५ वर्षों तक सुनिश्चित करने हुये कूल पीढ़ी की अलीक्षणाप्रित (Mortality replacement) किया जाए।
23. किये गये मृशारोपण की पुरी हेतु दीजीपीएस. (Differential Global Positioning System) सही एवं कौटुम्बामध्या अद्वितीय रिपोर्ट में समाहित करने हुये एलीक्षण क्षमीतरण संरक्षण मानकत एवं एसडीआईएए. इनीशियार की प्रेपित किया जाए।
24. सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रकल्प एवं वर्ष पर्यावरण प्रकल्प योजना की अंतर्गत किया जाए—

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
20	2%	0.40	Following activities at Govt. Primary School, Village - Baluwalbar	
			Plantation	5.38
			Total	5.38

25. सीईआर के लिये निम्नानुसार कार्यालयी ०८ भाग में अनिवार्य समा से पूर्ण किया जाए। सीईआर के उपरोक्त प्रकल्पाप्रित कार्यों के अवैये यूर्जे उपलब्ध संरक्षित स्थलों की जानकारी से उत्तरदायित्व प्रतिवेदन द्वारा एवं अद्वितीय रिपोर्ट में समाहित करने हुये प्रस्तुत किया जाए। सीईआर कार्यों की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा। मृशारोपण अवलोकन होने पर पर्यावरण स्थिरता की जानेवाली।
26. सीईआर के अंतर्गत नकूल चौरसार में मृशारोपण के तहत (वीम, छान, महुआ आदि) मृशारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार ७० वर्ष पीढ़ी के लिये रखी २,४५० वर्षों,

कौमिली के लिए राशि 25,000 रुपये, ज्ञान के लिए राशि 1,000 रुपये, सिंचाई तथा पशु-पक्षी आदि के लिए राशि 20,000 रुपये, इस प्रकार प्रधान वर्ष में कुल राशि 1,37,480 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 4,00,960 रुपये होने घटकावन वाय का विवरण दरबुता प्रसंगत अनुसार कर्तव्य पूर्ण करें।

27. सीईआर एवं बुद्धार्थीय कार्य के नीनिटरिंग एवं पर्सोनल हेतु वि-प्रौदीय समिति (प्रौदीस्टेटर)/प्रतिभिति, यात्रा पंचाकृत के प्रदायिकारी/प्रतिभिति एवं वित्त प्रसंगता का अन्तीमानक पर्याप्त संवाद बहावल के प्रदायिकारी/प्रतिभिति) गठित किया जाए। यात्रा की सीईआर एवं बुद्धार्थीय का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरान्त गठित वि-प्रौदीय समिति से संलग्नित कराया जाए।
28. यात्रा की विरीक्षण दल/अधिकारी विरीक्षण हेतु नवज या अप्रै तथा उन्होंने स्वतन्त्र/उद्योग/भट्टा के विरीक्षण के यात्रा-यात्रा भीईआर के तहत आपको द्वारा कार्यवायी का विरीक्षण भी अनिवार्य कर से करना आपकी विमेदारी होगी।
29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा भीईआर के तहत इकायित कार्य करना नहीं पाये जाने पर प्राचीवर्तीय नीकूती को विवरत करने की आवश्यकी की जाएगी।
30. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केंद्र/राज्य सरकार के विभागीय कार्यक्रम एवं अन्य संस्थानी ही रेत यात्रानन आरम करने के पूर्व जायत्रीक सभी अनुमतियों द्वारा करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह एवं यात्रा प्रदूषण विवरण तथा प्रदूषण संस्थान हेतु यात्रा-यात्रा पर केंद्र/राज्य सरकार द्वारा योग्य प्रदूषण विवरण बोर्ड/छानीसमाज पर्यावरण संस्थान द्वारा यात्री निर्दिशों/वार्दिकों का पालन कुर्भितिता किया जाए।
31. छानीसमाज नीति समिति नियम 2015, राज्य सरकार द्वारा ऐसा उल्लङ्घन हेतु जरी अधिसूचना दिनीक 2/3/2006 के प्राकार्यों/सती एवं लद्धुसार जारी किया गया विद्या विद्यार्थी, अनुमोदित उल्लङ्घन योजना एवं पर्यावरणीय प्रक्रम सेवन का पालन कुर्भितिता किया जाए।
32. कार्य स्थल पर यदि कोमिंग भवित्व कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे भवित्वों को आवास की उपक्रिया यात्राका परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय यात्राका आवासीय संरक्षनाकी के सब से ही सरकारी है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात दृष्टान्त जा सकते।
33. भवित्वों के लिए सानन फैल पर यात्रा एवं जल विकल्पकीय लुप्तिया, गोपाल रायसेट आदि की यादवाला परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए। साथ ही नदी में मल गूँड विलर्कन, अवाका यात्रा सामग्री के एकेट, ब्लॉकिटक आदि का विलर्कन प्रतिवित रहेगा। यदी एवं नदी फैल की स्वव्यवस्था का ध्यान रखा जाए।
34. समिती का यात्रा-यात्रा पर जलप्यूर्णताल हेतु वार्षिक यात्राया जाए।
35. सानन की उल्लंघन, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उल्लङ्घन योजना की अनुकूल यात्रिक योजना में वित्ती भी प्रकर का परिवर्तन एसईआरएस एवं छानीसमाज / भारत सरकार, पर्यावरण नगर और जलवाया परिकर्तन संग्राम नई वित्ती भी पूर्व अनुमति के दिल नहीं किया जाए।
36. इस पर्यावरणीय नीकूती को जारी करने का आवाय किसी पर्यावरण अधिकारी अन्य सम्बलित पर अधिकार दर्शने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय नीकूती वित्ती वित्ती सम्बलित को गुक्कान यात्राये यात्रा अविलम्ब अधिकारी के अतिक्रमण अधिकार केंद्र, राज्य एवं क्षायीय कानूनी / वित्ती के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

37. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ पर्यावरण नियन्त्रण की दृष्टि से, परियोजना की समरेखी में परियोजना अधिक विभिन्निक रूपी के संरक्षण सम संवर्तन की दशा में किसी भी रूप में संरक्षण/विश्वास करने अधिक नई रूप जोड़ने अथवा उत्तराधिन / नियन्त्रण के मानकी को और संवेदन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
38. परियोजना असाधारण न्यूनतम 2 लक्षानीय समरकार परी में, जो कि परियोजना क्षेत्र की आवास-पानी व्यापक क्षेत्र से ब्रह्माण्ड ही, पर्यावरणीय स्थीरता प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आवास की सुरक्षा प्रसारित करेगा कि परियोजना को सारी पर्यावरणीय स्थीरता प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्थीरता पर की प्रतिष्ठी आवास के रूपी लक्षित संवर्तन, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संस्कार मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। सभी ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन बंजाराघाट, नई दिल्ली द्वारा एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ की वेबसाइट parivesh.nic.in पर भी किया जा सकता है।
39. पर्यावरणीय स्थीरता में दी गई राती के चलते हेतु की गई कार्यकारी की अधिकारिक लिंकेट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संस्कार मण्डल, नवा राष्ट्रपुर अटल नगर, जिला-राष्ट्रपुर, लंगीगां कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संस्कार मण्डल, रायगढ़, एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत होशीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मण्डल, नवा राष्ट्रपुर अटल नगर को देखित किया जाए। एकीकृत होशीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परियोजना मञ्चालय, नवा राष्ट्रपुर अटल नगर द्वारा पर्यावरणीय स्थीरता में प्रदला राती के पात्रता की वारदाती की जाएगी।
40. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन बंजाराघाट, नई दिल्ली/एकीकृत होशीय बहारीलय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन बंजाराघाट, नवा राष्ट्रपुर अटल नगर/कोन्ट्रीय इन्डूस्ट्री नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संस्कार मण्डल की वेबसाइटों/अधिकारियों को राती के अनुसारन के संबंध में की जाने वाली नोटिफिसिंग हेतु पूर्ण सहबोग प्रदान किया जाए। परियोजना असाधारण कार्यालय विभिन्न राती का अनुपालन करना भी यह जाने पर पर्यावरणीय स्थीरता के विवरण की जा सकती है।
41. परियोजना असाधारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संस्कार मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई राती का कर्तिवार्य क्षम से पात्र करेगा। ये राती जल (इन्दूस्ट्री विवाद रक्षा नियंत्रण) अधिकारियम् 1974 काम (इन्दूस्ट्री विवाद रक्षा नियंत्रण) अधिकारियम् 1981, पर्यावरण (संस्कार) अधिकारियम् 1988 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परियोजनात्मक अधिकारिय (प्रधानमंत्री द्वारा संभिलार संभिलन) विवाद 2006 (क्षेत्र विभागित) काम लोक इतिहास दीना अधिकारियम् 1991 (यथा संहोलित) के अधीन विभिन्न विभिन्न की जा सकती है।
42. प्रातांकित परियोजना की राती में एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ में प्रचुरा विवाद में कोई भी विवादन अधिक वर्तित होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को पूर्ण वर्तीन व्यापकारी भागित सुविधा किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ द्वारा पर विवाद कर राती की सम्पुर्णता अधिक नवीन राती विभिन्न करने वाला विरोध ले सके। जहान में कोई भी विवादन अधिक संवर्तन एस.ई.आई.ए.ए.ए. छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मण्डल, नई दिल्ली की पूर्ण अनुसंधि को बिना नहीं किया जाए।

43. उत्तीर्णपूर्व कार्यवाला संस्थान मनकल परावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनकी हस्तीय कार्यालय, जिला—ज़ामायार एवं चाटीग केन्द्र द्वारा पर्सेन्टर/जाइनलदार कार्यालय में 30 दिनों की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।
44. कार्यवालीय स्वीकृति के लिए अपील नेशनल टीव्ही ट्रीभूमल के लगभग नेशनल टीव्ही ट्रीभूमल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए अवधियां अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में दी जा सकती है।

सदस्य सचिव, पुस्तकालय

अध्यक्ष, एसडीएसी

**ENVIRONMENTAL CLEARANCE CONDITIONS FOR BUILDING PROJECT BY
MS SHIVAY INFRA (PARTNER – SHRI RAJESH KUKREJA) AT LABHANOH,
TEHSIL & DISTRICT- RAIPUR IN PROJECT AREA - 1.27 HA FOR THE
PROPOSED BUILTUP AREA - 26,589.8 M²**

I. Statutory Compliance:

- i. The project proponent shall obtain all necessary clearance / permission from all relevant agencies including Town & Country planning authority before commencement of work. All the construction shall be done in accordance with the local building bylaws.
- ii. The project proponent shall obtain permission for this project from Chhattisgarh Real Estate Regulatory Authority, Raipur (if required).
- iii. The approval of the Competent Authority shall be obtained for structural safety of Buildings due to earthquakes, adequacy of the fighting equipment etc. as per National Building Code including protection measures from lightning etc.
- iv. The project proponent shall obtain Consent to Establish / Operate under the provisions of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the concerned State Pollution Control Board/ Committee.
- v. The project proponent shall obtain the necessary permission for drawl of ground water / surface water required for the project from the competent authority.
- vi. A certificate of adequacy of available power from the agency supplying power to the project along with the load allowed for the project should be obtained.
- vii. All other statutory clearances such as the approvals for storage of diesel from Chief Controller of Explosives, Fire Department, Civil Aviation Department shall be obtained, as applicable, by project proponents from the respective competent authorities.
- viii. The provisions of the Solid Waste (Management) Rules, 2016, e-Waste (Management) Rules, 2016, the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 (as amended) and the Plastic Waste (Management) Rules, 2016 (as amended) shall be followed.
- ix. The project proponent shall follow the ECBC/ECBC-R prescribed by Bureau of Energy Efficiency, Ministry of Power strictly. Use of chillers shall be DFC & HCFC free.

II. Air Quality Monitoring And Preservation

- i. Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi notification GSR 94(E) dated 25/01/2018 of regarding mandatory implementation of dust mitigation measures for Construction and Demolition Activities for projects requiring Environmental Clearance shall be complied.
- ii. A management plan shall be drawn up and implemented to contain the current exceedance in ambient air quality at the site.
- iii. The project proponent shall install system to carryout Ambient Air Quality monitoring for common/criterion parameters relevant to the main pollutants released (e.g. PM₁₀ and PM_{2.5}) covering upwind and downwind directions during the construction period.
- iv. Diesel power generating sets proposed as source of backup power should be of enclosed type and conform to rules made under the Environment (Protection) Act, 1986. The height of stack of DG sets should be equal to the height needed for the combined capacity of all proposed DG sets. Use of low sulphur diesel. The location of the DG sets may be decided with in consultation with State Pollution Control Board.
- v. Construction site shall be adequately barricaded before the construction begins. Dust, smoke & other air pollution prevention measures (for eg. Dust spraying, covering with green net etc.) shall be provided for the building as well as the site. These measures shall include screens for the building under construction, continuous dust wind breaking walls all around the site (at least 3 meter height). Plastic/tarpaulin sheet covers shall be provided for vehicles bringing in sand, cement, murram and other construction materials prone to causing dust pollution at the site as well as taking out debris from the site.
- vi. Sand, murram, loose soil, cement, stored on site shall be covered adequately so as to prevent dust pollution. Wet jet shall be provided for grinding and stone cutting.
- vii. Ungravelled surfaces and loose soil shall be adequately sprinkled with water to suppress dust.
- viii. All construction and demolition debris shall be stored at the site (and not dumped on the roads or open spaces outside) before they are properly disposed. All demolition and construction waste shall be managed as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Rules, 2016.

- i. The diesel generator sets to be used during construction phase shall be low sulphur diesel type and shall conform to Environmental Protection prescribed for air and noise emission standards.
- ii. The gaseous emissions from DG set shall be dispersed through adequate stack height as per CPCB standards. Adequate exposure shall be provided to the DG sets to mitigate the noise pollution. Low sulphur diesel shall be used. The location of the DG set and exhaust pipe height shall be as per the provisions of the Central Pollution Control Board (CPCB) norms.
- iii. For indoor air quality the ventilation provisions as per National Building Code of India.

II. Water Quality Monitoring And Preservation

- i. The natural drain system should be maintained for ensuring unrestricted flow of water. No construction shall be allowed to obstruct the natural drainage through the site, or wetland and water bodies. Check dams, bio-swales, landscape, and other sustainable urban drainage systems (SUDS) are allowed for maintaining the drainage pattern and to harvest rainwater.
- ii. Design of Buildings shall follow the natural topography as much as possible. Minimum cutting and filling should be done.
- iii. Total fresh water requirement at the time of construction phase capacity 140.00 m³/day shall not exceed in the existing and the proposed project.
- iv. The quantity of fresh water usage, water recycling and rainwater harvesting shall be measured and recorded to monitor the water balance as projected by the project proponent. The record shall be submitted to the Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur along with six monthly Monitoring reports.
- v. A certificate shall be obtained from the local body supplying water, specifying the total annual water availability with the local authority, the quantity of water already committed, the quantity of water allotted to the project under consideration and the balance water available. This should be specified separately for ground water and surface water sources, ensuring that there is no impact on other users.
- vi. At least 20% of the open spaces as required by the local building bye-laws shall be pervious. Use of Grass pavers, paver blocks with at least 50% opening, landscape etc. would be considered as pervious surface.
- vii. Installation of dual pipe plumbing for supplying fresh water for drinking, cooking and bathing etc and other for supply of recycled water for flushing, landscape irrigation, car washing, thermal cooling, conditioning etc. shall be done.
- viii. Use of water saving devices/ fixtures (viz. low flow flushing systems, use of low flow faucets tap aerators etc) for water conservation shall be incorporated in the building plan.
- ix. Separation of grey and black water should be done by the use of dual plumbing system. In case of single stack system separate reconnection lines for flushing by giving dual plumbing system be done.
- x. Water demand during construction should be reduced by use of pre-mixed concrete, curing agents and other best practices referred.
- xi. The local bye-law provisions on rain water harvesting should be followed. If local bye-law provision is not available, adequate provision for storage and recharge should be followed as per the Ministry of Urban Development Model Building Byelaw, 2018. Rain water harvesting recharge storage tanks shall be provided for ground water recharging as per the CGWB norms.
- xii. A rain water harvesting plan needs to be designed where the recharge zones of minimum one recharge bore per 0.000 square meters of built up area and storage capacity of minimum one day of total fresh water requirement shall be provided. In areas where ground water recharge is not feasible, the rain water should be harvested and stored for reuse. The ground water shall not be withdrawn without approval from the Competent Authority. Project proponent shall develop rainwater-harvesting structures for 100% harvesting of rainwater in the premises for recharging the ground water table. Rainwater from open spaces shall be collected and reuse for landscaping and other purposes. Rooftop rainwater harvesting shall be adopted for the buildings & residential blocks to be constructed by individual owners. Every building shall have rainwater-harvesting facilities. The storm water flowing in roadside drains shall also be recycled and reused to maintain the vegetation and discharged into natural water bodies. Before recharging the surface runoff, pre treatment must be done to remove suspended matter and oil & grease. Rainwater harvesting pits shall be constructed as per proposal.
- xiii. The project proponent shall complete construction of rainwater harvesting structure within four months.
- xiv. Ad recharge should be limited to shallow aquifer.
- xv. Water shall be sourced from Raipur Municipal Corporation. No ground water shall be used during construction phase of the project before prior permission from CGWA.

- i. Any ground water dewatering should be properly managed and shall conform to the approvals and the guidelines of the CGWMA in the matter. Formal approval shall be taken from the CGWMA for any ground water abstraction or dewatering.
- ii. The quantity of fresh water usage, water recycling and rainwater harvesting shall be measured and recorded to monitor the water balance as projected by the project proponent. The record shall be submitted to the Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur along with six monthly Monitoring reports.
- iii. Sewage shall be treated in the STP (bar screen, oil/grease trap, equalization tank, MBR tank, sand filter, activated carbon filter, filter press and sludge drying bed) with tertiary treatment. The treated effluent from STP shall be recycled/re-used for flushing, AC make up water and gardening after disinfection. As proposed, no untreated water shall be disposed into municipal drain. As far as possible, zero discharge condition shall be maintained. Project proponent shall construct access drain upto nearest municipal drain. Project proponent shall install separate electric metering arrangement with time totalizer for the running of pollution control systems. The record (logbook) of power & chemical consumption for running the pollution control systems shall be maintained.
- iv. The capacity of Sewage Treatment Plant Capacity shall not be less than 120 m³/day.
- v. No sewage or untreated effluent water would be discharged through storm water drains.
- vi. Create sewage treatment of capacity of treating 100% waste water to be installed. The installation of the Sewage Treatment Plant (STP) shall be certified by an independent expert and a report in this regard shall be submitted to the Ministry before the project is commissioned for operation. Treated waste water shall be reused on site for landscape, flushing, cooling tower, and other end-use. Excess treated water shall be discharged as per statutory norms notified by Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Natural treatment systems shall be promoted.
- vii. Periodical monitoring of water quality of treated sewage shall be conducted. Necessary measures should be made to mitigate the odour problem from STP.
- viii. Sludge from the onsite sewage treatment, including septic tanks, shall be collected, conveyed and disposed as per the Ministry of Urban Development, Central Public Health and Environmental Engineering Organization (CPHEEO) Manual on Sewerage and Sewage Treatment Systems, 2013. The sludge generated from Sewage Treatment Plant (after drying) shall be used as manure for gardening purposes.

IV. Noise Monitoring And Prevention

- i. Ambient noise levels shall conform to residential area/commercial area/industrial area/distance zone both during day and night as per Noise Pollution (Control and Regulation) Rules, 2000. Incremental pollution loads on the ambient air and noise quality shall be closely monitored during construction phase. Adequate measures shall be made to reduce ambient air and noise level during construction phase, so as to conform to the stipulated standards by CPCB / SPCB.
- ii. Noise level survey shall be carried as per the prescribed guidelines and report in this regard shall be submitted to Regional Officer, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur as a part of six-monthly compliance report.
- iii. Acoustic enclosures for DG sets, noise barriers for ground-run bays, ear plugs for operating personnel shall be implemented as mitigation measures for noise impact due to ground sources.

V. Energy Conservation Measures

- i. Compliance with the Energy Conservation Building Code (ECBC) of Bureau of Energy Efficiency shall be ensured. Buildings in the States which have notified their own ECBC, shall comply with the State ECBC.
- ii. Outdoor and common area lighting shall be LED.
- iii. Concept of passive solar design that minimizes energy consumption in buildings by using design elements, such as building orientation, landscaping, efficient envelope, appropriate fenestration, increased day lighting design and thermal mass etc. shall be incorporated in the building design. Wall, window, and roof u-values shall be as per ECBC specifications.
- iv. Energy conservation measures like installation of LED for the lighting the areas outside the building should be integral part of the project design and should be in place before project commissioning.
- v. Solar, wind or other Renewable Energy shall be installed to meet electricity generation equivalent to 1% of the demand load or as per the state level / local building bye-laws requirement, whichever is higher.

- v. Solar power shall be used for lighting in the apartment to reduce the power load on grid. Separate electric meter shall be installed for solar power. Solar water heating shall be provided to meet 20% of the hot water demand of the commercial and institutional building or as per the requirement of the local building by-laws, whichever is higher. Residential buildings are also recommended to meet the hot water demand from solar water heaters, as far as possible.

V. Waste Management

- i. A certificate from the competent authority handling municipal solid wastes, indicating the existing civic capacities of handling and their adequacy to cater to the M.S.W generated from project shall be obtained.
- ii. Disposal of mud during construction phase shall not create any adverse effect on the neighbouring communities and be disposed taking the necessary precautions for general safety and health aspects of people, only in approved sites with the approval of competent authority.
- iii. Separate wet and dry bins must be provided in each unit and at the ground level for facilitating segregation of waste. Solid waste shall be segregated into wet garbage and inert materials.
- iv. Organic waste compost/ Vermiculture pit/ Organic Waste Converter within the premises with a minimum capacity of 0.3 kg /person/day must be installed.
- v. All non-biodegradable waste shall be handed over to authorized recyclers for which a written MoU must be done with the authorized recyclers.
- vi. Any hazardous waste generated during construction phase, shall be disposed off as per applicable rules and norms with necessary approvals of the State Pollution Control Board.
- vii. Use of fly ash based bricks / blocks / tiles / products shall be ensured. Blended cement with fly ash shall be used. The provisions of notification issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India regarding use of fly ash must be complied with. Appropriate usage of other industrial wastes shall also be exploited. Soil borrow area should be filled up with ash with proper compaction and covered with topsoil kept separately. Fly ash / pond ash shall be used for low-lying areas filling. In embankments / road construction etc. ash shall be used as per guidelines of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India / Central Pollution Control Board / Indian Road Congress etc. concerning authorities. The use of perforated brick / hollow blocks / fly ash based lightweight aerated concrete etc. shall also be ensured so as to reduce load on natural resources.
- viii. Fly ash should be used as building material in the construction as per the provision of Fly Ash Notification of September, 1999 and amended as on 27th August, 2000, 25th January, 2010 and 31st December 2021. Ready mixed-concrete must be used in building construction.
- ix. Any wastes from construction and demolition activities related thereto shall be managed so as to strictly conform to the Construction and Demolition Rules, 2016.
- x. Used CFLs, LEDs and TFLs should be properly collected and disposed off / sent for recycling as per the prevailing guidelines / rules of the regulatory authority to avoid mercury contamination.

VI. Green Cover

- i. No tree can be felled/transplant unless exigencies demand. Where absolutely necessary, tree felling shall be with prior permission from the concerned regulatory authority. Old trees should be retained based on girth and age regulations as may be prescribed by the Forest Department. Plantations to be ensured species (cut) to species (planted).
- ii. Green belt shall be developed in an area equal to 33 % of the net planning area with a native tree species in accordance with CPCB guidelines. The greenbelt shall inter alia cover the entire periphery of the constructed. As far as possible maximum area of open spaces shall be utilized for plantation purposes. A minimum of 1 tree for every 80 sqm of land should be planted and maintained. The existing trees will be counted for this purpose. The landscape planning should include plantation of native species. The species with hairy foliage, broad leaves and wide canopy cover are desirable. Water intensive and/or invasive species should not be used for landscaping.
- iii. Where the trees need to be cut with prior permission from the concerned local Authority, compensatory plantation in the ratio of 1:10 (i.e. planting of 10 trees for every 1 tree that is cut) shall be done and maintained. Plantations to be ensured species (cut) to species (planted). Area for green belt development shall be provided as per the details provided in the project document.
- iv. Topsoil should be stripped to a depth of 20 cm from the areas proposed for buildings, roads, car parks, and external services. It should be stockpiled appropriately in designated areas and reappplied during plantation of the proposed vegetation on site.

VIII. Transport

- i. A comprehensive mobility plan, as per MoUD best practices guidelines (URDPPI), shall be prepared to include motorized, non-motorized, public, and private networks. Road should be designed with due consideration for environment, and safety of users. The road system can be designed with these basic criteria.
 - a. Hierarchy of roads with proper segregation of vehicular and pedestrian traffic.
 - b. Traffic calming measures.
 - c. Proper design of entry and exit points.
 - d. Parking norms as per local regulation.
- ii. Vehicles hired for bringing construction material to the site should be in good condition and should have a pollution check certificate and should conform to applicable air and noise emission standards be operated only during non-peak hours.
- iii. A detailed traffic management and traffic decongestion plan shall be drawn up to ensure that the current level of service of the roads within a 05 kms radius of the project is maintained and improved upon after the implementation of the project. This plan should be based on cumulative impact of all development and increased habitation being carried out or proposed to be carried out by the project or other agencies in this 05 kms radius of the site in different scenarios of space and time and the traffic management plan shall be duly validated and certified by the State Urban Development department and the P.W.D./ competent authority for road augmentation and shall also have their consent to the implementation of components of the plan which involve the participation of these departments.
- iv. The project proponent shall use covered tank proof trucks / dumpers vehicles for transportation of construction materials and C& D wastes.

IX. Human Health Issues

- i. All workers working at the construction site and involved in loading, unloading, carriage of construction material and construction debris or working in any area with dust pollution shall be provided with dust mask.
- ii. For indoor air quality the ventilation provisions as per National Building Code of India. Emergency preparedness plan based on the Hazard Identification and Risk Assessment (HIRA) and Disaster Management Plan shall be implemented.
- iii. Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile STP, safe drinking water, medical health care, crèche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project. Occupational health surveillance of the workers shall be done on a regular basis.
- iv. A First Aid Room shall be provided in the project both during construction and operations of the project.

X. Corporate Environment Responsibility

- i. The project proponent shall comply with the provisions of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi OM vide F.No. 22-65/2017-I(A.II dated 1st May 2018, as applicable, regarding Corporate Environment Responsibility. Project proponent shall make CER fund as follows:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
5200	2%	104	Following activities at Village- Amethi	
			Pavitra Van Niranjan	111.455
			Total	111.455

Development of "Pavitra-van Niranjan" at gram panchayat in Village-Amethi, khanda no. 443, area 5.4 Ha. as dense and religious plantation. Estimate cost of this plantation is around Rs. 1,11,45,555/-.

- i. The company shall have a well laid down environmental policy duly approve by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions. The company shall have defined system of reporting infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions and / shareholders / stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh as a part of six-monthly report.
- ii. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter level, with qualified personnel shall be set up under the control of Senior Executive, who will directly to the head of the organization.
- iii. Action plan for implementing EIA and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Raipur Aai Nagar / SEIAA, Chhattisgarh along with the Six Monthly Compliance Report.
- iv. Self environmental audit shall be conducted annually. Every three years third party environmental audit shall be carried out.
- v. All the recommendations made in the Charter on Corporate Responsibility for Environment Protection (CREP) for the plants (if any) shall be implemented.

XII. Additional Conditions

- i. Local persons shall be given employment during development and operation of the site.
- ii. No additional land shall be acquired for this project.
- iii. The project proponent shall make public the environmental clearance granted for their project along with the environmental conditions and safeguards at their cost by prominently advertising it at least in two local newspapers of the District or State, of which one shall be in the vernacular language within seven days and in addition this shall also be displayed on the project proponent's website permanently.
- iv. The copies of the environmental clearance shall be submitted by the project proponents to the Heads of Local Bodies, Panchayats and Municipal Bodies in addition to the relevant offices of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.
- v. The project proponent shall upload the status of compliance of the stipulated environment clearance conditions, including results of measured data on their website and update the same on half-yearly basis.
- vi. The project proponent shall monitor the criteria pollutants level namely, PM₁₀, SO₂, NO_x (ambient levels as well as stack emissions) or critical sectoral parameters (if any), indicated for the projects and display the same at a convenient location for disclosure to the public and put on the website of the company.
- vii. The project proponent shall submit six-monthly reports on the status of the compliance of the stipulated environmental conditions on the website of the ministry of Environment, Forest and Climate Change at environment clearance portal.
- viii. The project proponent shall submit the environmental statement for each financial year in Form-V to Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as amended subsequently and put on the website of the company. The project proponent shall inform the Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raigarh as well as SEIAA, Chhattisgarh the date of financial closure and final approval of the project by the concerned authorities, committing the land development work and start of production operation by the project.
- ix. The project authorities must strictly adhere to the stipulations made by the Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) and the State Government.
- x. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA / EEP report and also that during their presentation to the State Expert Appraisal Committee.
- xi. No further expansion or modifications in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh.
- xii. Concealing factual data or submission of false / fabricated data may result in revocation of the environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.
- xiii. SEIAA, Chhattisgarh may revoke or suspend the clearance, if implementation of any of the above conditions is not satisfactory.

- viii. SEIAA, Chhattisgarh reserves the right to stipulate additional conditions if found necessary. The Company in a time bound manner shall implement these conditions.
- ix. The Regional Office Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur shall monitor compliance of the stipulated conditions. The project authorities should extend full cooperation to the officer(s) of the Regional Office by furnishing the requisite data / information / monitoring reports.
- x. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules, and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India / High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.
- xi. Any appeal against this EC shall lie with the National Green Tribunal, if preferred, within a period of 30 days as prescribed under Section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.
- xii. Environment clearance will be valid as per the provision of EIA Notification, 2006 (as Amended).


Member Secretary, SEAC


Chairman, SEAC

केसमें खुद्दगांव सेप्ट बाईन हो— भारतीय साम पर्यायक वाक्तव्यवाही (भी एमेज ब्रूमर नेटवर्क) को पाट और लाला लगाकर ५८७ कुल लोडलॉड-५ हिंसेयर में दोनों का कुल ६० प्रतिशत लोडलॉड में ही ऐसे उत्तराखण्ड, उत्तर-खुद्दगांव, साम पर्यायक वाक्तव्यवाही, गढ़वाल-बारामा, जिला-जल्लर बरसर बोकेन (३५ ग.) में गहराई से ऐसे उत्तराखण्ड शन्ता ४५,००० घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित वर्धावस्था स्वीकृति में दी जाने वाली रही।

यह पर्यायवाहीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को अद्वितीय तथा वापर करकी ही पालन करना चुनिशित किया जाए।

१. यह पर्यायवाहीय स्वीकृति उत्तर पट्टी के नियादन की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि हेतु यैसे होगी।
२. उत्तरपेक्षा केन्द्र भार्डमिंग गाइडलाइन्स, २०१८ (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2018) एवं हिन्दूओर्मेंट एवं गोनिटरिंग गाइडलाइन्स परीक्ष सेप्ट भार्डमिंग, २०२० (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) की अनुसार पालन चुनिशित किया जाए।
३. हिन्दूओर्मेंट एवं गोनिटरिंग गाइडलाइन्स परीक्ष सेप्ट भार्डमिंग, २०२० (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के तहत ६० प्रतिशत लेंज में उत्तराखण्ड कार्य किया जाना चुनिशित किया जाए।
४. गांद अधिकार (विलेजन रेट) रिपोर्ट — परियोजना प्रस्तावक ऐसा खादन लेंज में जलगामी १.५ वर्ष में विस्तृत गांद अध्ययन (Utilisation Study) करवेगा, ताकि ऐसे की चुनिशरण (Replenishment) कारबू ली जावें। ऐसे उत्तराखण्ड के नदी, नदीताल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं मूँह जीवी पर प्रभाव तथा जीवों की गुणवत्ता पर ऐसा उत्तराखण्ड की सभी जानकारी द्वारा ही जाए।
५. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज लेंज के गुणव उपयोग द्वारा वह सूखना पटल (लीज वालक का नाम, छादान का हेतुफल अलांक एवं देशावर सहित, उत्तराखण्ड की जाति, स्वीकृति जाति) जानकारा जाए।
६. लीज लेंज के यारी कीमो तथा शीमा लाईन के काम में लीमेंट के लिये वहाना अवश्यक है ताकि लीज लेंज नदी में स्थग दृष्टिकोश नहीं जाए।
७. पर्याय खादन लागिया द्वारा अविसूचित किसी बलस्टर में है, अथवा ५०० मीटर के भीतर स्वीकृत ऐसा खादन का कुल वर्गा ५ हिंसेयर से अधिक होता है तो वर्धावस्था स्वीकृति नहीं होगी।
८. भार्डमिंग द्वारा अनुसार ऐसे उत्तराखण्ड लेंज ५ हिंसेयर के कुल ६० प्रतिशत लेंजफल से अधिक नहीं होता। हेंग ५० प्रतिशत लेंज में उत्तराखण्ड नहीं किया जाएगा। ऐसा वह उत्तराखण्ड लेंज से १.५ मीटर गहराई तक ही किया जाएगा, उसको अधिक नहीं। इसी प्रकार खादन से ऐसा वह उत्तराखण्ड उत्तराखण्ड ४५,००० घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होता।
९. पर्यायवाहीय एन.जी.टी. की आदेश दिनांक २६/०२/२०२१ के अनुसार पट्टेदार द्वारा भार्डमिंग द्वारा एवं पर्यायवाहीय स्वीकृति के तारीं का पालन चुनिशित कराये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक जो पर्यायवस्था नियुक्त करना होता।
१०. ऐसे उत्तराखण्ड प्रारम्भ करने के पूर्व उत्तराखण्ड-नुसार नियोरिंग दिव बिन्दुओं पर नदी में ऐसे जीव लेंज के लारी (Levels) का सर्व कर, उसकी आकर्षी उत्तराखण्ड एसईआर्ड पर

प. छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जाएं। पोर्ट-बानस्पति (असमून) / नहर माह में नेता उत्तरानन प्राप्ति रक्कने के बूँदी इन्हीं दिन विन्दुओं वे भारीनिंग लीज हेतु ताता लीज डीज के अपलटीय एवं आउलस्ट्रीय में 100 मीटर तक तथा रुग्गन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के सेत्र में नदी चालाक के स्तरों (level) का जरूर पूर्ण निर्धारित दिन विन्दुओं पर किया जाएगा। इसी प्रकार ऐत उत्तरानन उपरीत गानधीन के बूँदी (भई माह के अंतिम सप्ताह/छूल के प्रथम सप्ताह) इन्हीं दिन विन्दुओं पर ऐत चालाक के सेवलस (sevels) का मापन किया जाएगा। ऐत चालाक के बूँदी निर्धारित दिन विन्दुओं पर ऐत चालाक के लैवल्स (levels) का मापन का कार्य जारी हो कर नियन्त्रित किया जाएगा। पोर्ट-बानस्पति के आंकड़े विषयमें 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 एवं पी-बानस्पति की आंकड़े अवसरा 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 एवं उक्त अविवादी रूप से एकाईआईएए, छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

11. ऐत की बुदाई एवं भारी लमिकी द्वारा (Machinery) की जाएगी। इस प्रयोजन को लिये किसी उपकरण संबंध (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा। दिवार बेतने में भारी बहनी का प्रयोग प्रतिक्रिया रहेगा। लीप सीधे में लिखा ऐत बुदाई गद्दे (Excavation pits) से लोडिंग व्हाइट तक ऐत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।
12. ऐत का उत्तरानन कोप्ल दिनोंपाँच एवं शोषित हेतु में ही किया जाएगा। ऐत उत्तरानन की अधिकतम बहताई चालाक से 1.5 मीटर अधिक तरीका उत्तरानन की चालाकी चालाक से 1 मीटर ऊपरकर दोनों में से जो कम हो, वो अधिक बही होगी। ऐत का उत्तरानन किसी भी वर्तीसिस्तमि में जल बहर के नीचे नहीं किया जाएगा। न्यूनतम 2 मीटर गोदाई एवं की ऐत नदी ताल (हाथी रीक) के ऊपर औरा जला आवश्यक है।
13. ऐत उत्तरानन नदी तटी की कम से कम 7.5 मीटर अवधि नदी की बीचाई के 10 फ्लिंकल की दूरी जो भी अधिक हो औरकर ही किया जाएगा, ताकि नदी तटी का बहाय न हो। किसी भी पुरिया, रातारहीम, बांध, एकीकाट, जल प्रदात्य आवश्यक एवं अन्य स्थायी संरक्षनकों से उत्तरानन के अपलटीय में न्यूनतम 300 मीटर ताला आउलस्ट्रीय में न्यूनतम 250 मीटर सुरक्षित हेतु छोड़ा जाना अनिवार्य है।
14. यह गुणितिका किया जाए कि ऐत उत्तरानन के कारण नदी जल का बैन, टर्बोफिली एवं जल बहाय के स्वरूप पर कोई भी जिल-जन्म प्रदानन ढेनु किया न हो। बहुतों के प्रजनन उत्तरानन / हेत्री का कांखाय आवश्यक है। अत इन हेत्रों को आग पास ऐत उत्तरानन नहीं किया जाए।
15. यह गुणितिका किया जाए कि उत्तरानन उत्तरानन की सेत्र में जिला जाए तिसमें उत्तरानन का आस-पास को हेत्री पर कोई भी जिल-जन्म प्रदानन ढेनु किया न हो। बहुतों के प्रजनन उत्तरानन / हेत्री का कांखाय आवश्यक है। अत इन हेत्रों को आग पास ऐत उत्तरानन नहीं किया जाए।
16. ऐत उत्तरानन एवं भराई / परिक्षेत्र दिन के समय ही किया जाए। यह कार्य साधि के समय नहीं किया जाए। साधि में जलेष उत्तरानन पाये जाने की किंवदि ने परिवेशना प्रभावक के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
17. परिवेशना प्रभावक द्वारा ऐत उत्तरानन विभिन्न प्रभावी कार्य लोकिंग / अनलोडिंग जापि से उत्तरानन होने वाले कल्पनिकिय ड्रेट उत्तरानन के नियंत्रण हेतु उपचुक्त वायु प्रवाहण नियंत्रण आवश्यक हैं। जल किलोग्राम ताला अथवा उपचुक्त वायु उत्तरानन की जाए। ऐत उत्तरानन हेतु में परिवेशना कार्य की गुणवत्ता भाला जरकार, पर्यावरण

वह लौर पात वाय परिवर्तन, भवानीय नई विली द्वारा अधिकृति बाहरी से अधिक नहीं होनी चाहिए।

18. ऐस का परिवहन लारपोलिन अवधा जन्म उपकूल वर्षायम से इसे दुए बाहर से किया जाए, ताकि ऐस बाहर से बहर नहीं गिरे। खनिय का परिवहन बार तो बाहरी की दण्डा से अधिक नहीं यह जाना सुनिश्चित किया जाए।

19. नालेनन हीर में जहानी प्रदूषण न हो, जह सुनिश्चित किया जाए।

20. प्राकृतिकता की आवाह पर बदान प्रबोधन द्वारा कर्ण 2023-24 में नहींट की कराय को रोकने हेतु लीज हेतु की अनुसार अर्द्धन, जामुन, बह, बीज, नीम, बनेज, गीज, आदि, इत्यती जीवनीय उत्पादियों की कुल 1,500 नग लीजों का उत्पादन नदी तट पर शोकित किया जाए। लीपन को गुरुकृत रखने से लिये उत्पादन एवं पर्यावरण व्यवस्था (एक्षा जाठेदार तार की बाह का उपयोग) किया जाए। 5 फीट से 8 फीट ऊंचाई वाले लीजों का ही रोपन किया जाए। उत्पादन घूलरीपन प्रथम तर्जे में पूरी किया जाए। लीपित लीजों की गुलाम एवं रख-रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का सलारदायित्वा सेमें संबंधी आक्रम का शाब्द पर इन्सुल बिन्दा जाए। लीपित लीजों की गुलाम एवं रख-रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का सलारदायित्वा परियोजना बहस्तायक का रहेगा।

21. लीपित किये जाने वाले लीजों के संख्यावान (Numbering) एवं लीज के नाम का उत्पादन करने सुधे जोटेयाप्स गहिर वागकामी अंतर्राष्ट्रिय रिपोर्ट की जाव जन्म करे। ऐसा नहीं बरने पर पर्यावरण संीकृति निरस्त की जा सकती।

22. गुलामीपन का रख-रखाव आगामी 5 वर्षों तक सुनिश्चित करने हेतु नुत्र लीजों की प्रणिल्लापिता (Mortality replacement) किया जाए।

23. निम्न ग्रे घूलरीपन की पुष्टी हेतु डो-जी-पी-एस (Differential Global Positioning System) का एवं जोटेयाप्स अंतर्राष्ट्रिय रिपोर्ट में वामहित करने हेतु उत्तीर्णदृष्टि पर्यावरण संख्याम नामक एवं एसडीआर्ट-ए छातीसगढ़ की प्रेसित किया जाए।

24. सीईआर (Corporate Environmental Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रकाश पर कार्य पर्यावरण प्रकाश योजना के अंतर्गत किया जाए—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
Following activities at Nearby Village- Bhujgaon				
48.5	2%	0.97	Plantation at government land near by house area	11.50
			Total	11.50

26. सीईआर की तादेश नियोगिता तारीखकी 06 जाने में अधिकारी कल तो पूरी किया जाए। सीईआर के उपरोक्त प्रभागित वर्षी के कार्य पूर्ण उपरोक्त संस्थान साम प्रबाधन से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन द्वारा जाए अर्थात् इसके में वाचालित करते हुए प्रस्तुत किया जाए। सीईआर वर्षी की सामरका सुनिश्चित करना आवश्यकतावाला होगा। पूर्णार्थक असमान होने पर पर्यावरण संविधानित नियत की जावेगी।
27. सीईआर के अंतर्गत सीम होते के सभी प्राकृतिक भूमि में (वन, ग्रीष्म, ग्रनथ, जाम, इमरसन, अर्पुन आदि) दूसारोंपास हैं तु प्रस्तुत प्रसामान अनुसार 2,100 नग पीढ़ी के लिए राशि 1,05,000 रुपये, कौसिंग के लिए राशि 3,15,000 रुपये, जावे के लिए राशि 21,000 रुपये, राज-रक्षाव आदि के लिए राशि 1,54,500 रुपये, इस प्रकार प्रबाधन वर्ष में बहुत राशि 5,95,500 रुपये तथा अनगती 4 वर्षी में राज-रक्षाव हैं तु कुल राशि 6,55,000 रुपये हैं तु घटकाव अथवा का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रसामानक द्वारा साम प्रबाधन कालनायकी के सहालित उपरोक्त प्राकृतिक स्थान (विसर्ग अन्वयक 002, केंद्राल 0.78 हेक्टेकर में से 1.00 हेक्टेकर) के संबंध में प्रबाधन अनुसार कार्य पूर्ण करें।
28. सीईआर एवं दूसारोंपास कार्य के अंतिमिति एवं पर्यावरण एवं विश्वासीय समिति (प्रोफरेस्टर/प्रतिनिधि, साम प्रबाधन के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं विला प्रसामान या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संस्थान प्रबाधन के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सीईआर एवं दूसारोंपास का वर्षी पूरी किये जाने के संबंध में विवरण अनुसार कार्य पूर्ण करें।
29. परियोजना प्रसामानक द्वारा सीईआर की तादेश प्रभागित वर्षी करना नहीं जाये जाने पर पर्यावरणीय संविधानी की विवरण करने की कार्यवाही की जाएगी।
30. परियोजना प्रसामानक संविधान कीन्द्र / साम प्रबाधन के विभागी, कामबद्धी एवं सभी संस्थानों से ऐसे उत्तराधिकारी आदेश करने के पूर्ण अवधारणक सभी अनुमतियाँ प्राप्त करेगा। परियोजना प्रसामानक द्वारा जात एवं जापु प्रदूषण नियन्त्रण एवं पर्यावरण संस्थान हैं तु समय-समय पर कीन्द्र/साम प्रबाधन केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण कीर्ति / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संस्थान प्रबाधन जापी विवरणी / समीदर्शिता का पालन अनुरोधित किया जाए।
31. छत्तीसगढ़ गौवन खालिक नियम, 2013, साम प्रबाधन द्वारा ऐसा प्रसामान हैं तु जारी अविस्थारण दिनांक 2/3/2006 के अन्वानी/कर्ती एवं अनुसार जारी किया जाएगा। अनुमोदित संस्थान गौवना एवं पर्यावरणीय प्रदूषण दोषका का पालन अनुरोधित किया जाए।
32. कार्य स्वतं पर कीर्ति अधिकारी अधिक कार्य चर लगावी जाती है तो ऐसे अधिकारी के अन्वाना जी उचित अवधारणा परियोजना प्रसामानक द्वारा जी जाएगी। अवधारणा अवधारणी संस्थानों के काम में ही सकारी है, जिसी परियोजना पूरी होने के प्रसामान होता जा सके।
33. अनिकों के लिए सुनन स्वाल पर समझ प्रवाजत विवितावाही की जाएगा। गौवन खालिक आदि जी अवधारणा परियोजना प्रसामानक द्वारा जी जाए। साथ ही नहीं एवं सुन विसर्गन् अवधारणा साम प्रबाधन के विकेट, पर्सेन्टेक आदि का विसर्गन प्रतिवेदित रहेगा। नहीं एवं नहीं जल की सामवाही का अवान रखा जावें।

34. अनियोजित सम्बन्ध-सम्बन्ध वर आवश्यकतामत हैंस्य संवितेन करता चाहे।
35. उत्तराखण्ड की लकड़ीक, कार्बो लीब एवं झुग्गीदिल उत्तराखण्ड जिला की अनुसन्धान वादिक प्रोफेसन में किसी भी इकाई का परिवर्तन एवंइआईएए, छत्तीसगढ़ / मालव सम्बन्ध, पर्यावरण, यन और जलधारा परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुसन्धान के बिना नहीं विभाग चाहे।
36. इस पर्यावरणीय स्वीकृति की जारी रखने का आवश्यक विश्वास अथवा अन्य सम्बलित पर उचितप्रबर दर्तीने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी नियोजित सम्बन्ध को नुकसान दर्तीने अथवा विकास अधिकारी के अतिक्रमण अथवा दैनंदि, सम्बन्ध एवं स्थानीय कानूनी / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
37. एसईआईएए, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संस्कार की दृष्टि से, परियोजना की संस्करण में परिवर्तन अन्यता विनियोजित रत्ती के संतोषप्रबर रूप से जलन न करने की दरता में किसी भी राती ने संस्करण / नियम दर्ती अथवा नई राती योग्यी उत्तराखण्ड / नियमाला के मानकों की ओर जारी करने का अधिकार नुस्खित रखता है।
38. परियोजना प्रवर्तनक न्यूनतम 2 पर्यावरण सम्बन्ध यज्ञों में, जो कि परियोजना वीव की आवा—याता पर्यावरण काम से प्रत्यालित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति द्वाया होने को 7 दिनों के भीतर इस साकार की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना की राती पर्यावरणीय स्वीकृति द्वाया ही एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पर वी प्रतियोगी सावधान रत्ती नहिं संविधान अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संस्कार न्यूनतम में अटलीकून हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन जारी सरकार, पर्यावरण, यन और जलधारा परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं एसईआईएए, छत्तीसगढ़ की प्रवेशाकृत parivesh.nic.in पर भी किया जा सकता है।
39. पर्यावरणीय स्वीकृति में दो नई राती के पालन हेतु वी नई नवार्थकी की अन्यान्य रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संस्कार न्यूनतम, या रायपुर अटल नगर, जिला—रायपुर, संचोल कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संस्कार न्यूनतम, अमटलपुर, एसईआईएए, छत्तीसगढ़ एवं एकलीकूल दोनों कार्यालय, यालू रायपुर अटल नगर वी द्वितीय नियम जाए। एकलीकूल होनीय कार्यालय, भरत रायपुर, पर्यावरण, यन एवं जलधारा परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर द्वाया पर्यावरणीय स्वीकृति में द्वयल राती के पालन वी नवार्थकी की जाएगी।
40. एसईआईएए, छत्तीसगढ़, भरत अटल, पर्यावरण, यन एवं जलधारा परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली / एकलीकूल दोनों कार्यालय यारत सरकार, पर्यावरण, यन एवं जलधारा परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर / कान्दीपुर प्रदूषण नियन्त्रण वीक / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संस्कार न्यूनतम के विभागिकों / अधिकारियों वी राती के अनुवालन के नवार्थ में की जाने वाली नवार्थकी नियमित एवं पूरी जाहजीर प्रदान किया जाए। परियोजना प्रवर्तनक द्वाया विनियोजित रत्ती के अनुवालन करना नहीं यावे याती वर पर्यावरणीय स्वीकृति नियमा की जा सकेगी।
41. परियोजना प्रवर्तनक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संस्कार न्यूनतम एवं जलधारा सरकार द्वाया दो नई राती का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। दो राती यज्ञ (द्वयपुर नियमण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यायु (प्रदूषण नियमण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संस्कार) अधिनियम, 1990 तथा उनके तहत बनाए गये नियमी परिवर्तनम अपनियम (द्वयपुर हृष्णपुर एवं शीमपार संभवता) नियम, 2008 (योग

संस्थापित) तथा लोक दायित्व बीम अधिनियम, 1991 (भ्रष्टा रासांशित) के अन्तर्गत विभिन्न वर्षों में सकारी है।

42. प्रस्तावित गणितीयका लिए बारे में एसडब्ल्यूएसडब्ल्यूएसगढ़ में प्रस्तुत विकल्प में कोई भी विचारन अवश्य परिवर्तन होने की दशा में एसडब्ल्यूएसडब्ल्यूएसगढ़ को पुनर्नवीन जननकारी सहित सुचित लिया जाए ताकि एसडब्ल्यूएसडब्ल्यूएसगढ़ इस पर विचार कर जाती रखी रामदुक्षलता अवश्य नवीन जाति विभिन्न करने कामा निर्णय ले सके। जनदान में कोई भी विचार अवश्य उन्नयन एसडब्ल्यूएसडब्ल्यूएसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन नियंत्रण, नहीं दिल्ली की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं लिया जाए।
43. अस्तीसगढ़ वर्धीदरण संस्कार मण्डल वर्धीवर्धीय स्त्रीबूली की प्रति को संघके संवीधान कार्यालय, लिला—आपार एवं दृष्टीग बैन्ड एवं कर्तेकटर/ताहसीलदाता वारासिय में 30 दिवान की अवधि के लिए प्रदर्शित करें।
44. वर्धीवर्धीय स्त्रीबूली के विलय अपील नेशनल ग्रीन ट्रीबूलल के समव्य नेशनल ग्रीन ट्रीबूलल एवं 2010 वीं बार 16 में दिए एवं प्रक्रान्ती अनुसार 30 दिन की समव्य अवधि में भी जा सकती है।

सदस्य संग्रह एसडब्ल्यूएस

अमृत, एसडब्ल्यूएस

**ENVIRONMENTAL CLEARANCE CONDITIONS FOR EXPANSION IN EXISTING
INDUCTION FURNACE WITH LRF (M.S. BILLETS, INGOTS/HOT BILLETS) OF
CAPACITY- 34,000 TONNES / YEAR TO 1,50,000 TONNES/ YEAR, NEW
ROLLING MILL (RE-ROLLED PRODUCT) PATRA/STRUCTURAL STEELS/WIRE
ROAD) OF CAPACITY- 1,50,000 TONNES / YEAR OF
MR. VASHANI INDUSTRIES LIMITED**

I. Statutory Compliance:

- i. The project proponent shall obtain Consent to Establish / Operate under the provisions of the Air (Protection & Control of Pollution) Act, 1986 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB).
- ii. The project proponent shall obtain all necessary permission from the Central Ground Water Authority, in case of draw of ground water / from the competent authority concerned in case of draw of surface water required for the project.
- iii. The project proponent shall obtain authorization under the Hazardous and Other Waste Management Rules, 2016 as amended from time to time.

II. Air Quality Monitoring and Preservation:

- i. The project proponent shall install 24x7 continuous emission monitoring system at process stacks to monitor stack emission with respect to standards prescribed in Environment (Protection) Rules, 1986 vide G.S.R 277(E) dated 31st March 2012 as amended from time to time, and connected to SPCB and CPCB online servers and calibrate these system from time to time according to equipment supplier specification through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories.
- ii. The project proponent shall monitor fugitive emissions in the plant premises at least once in every quarter through laboratories recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories.
- iii. The project proponent shall make provision for carryout Ambient Air Quality monitoring for common / criterion parameters relevant to the main pollutant released (e.g. PM₁₀ and PM_{2.5} in reference to PM emission, and SO₂ and NO_x in reference to SO₂ and NO_x emissions) within and outside the plant area (at least at four locations one within and three outside the plant area at an angle of 120° each, covering upwind and downwind directions and connected to SPCB and CPCB online server).
- iv. The project proponent shall provide adequate air pollution control arrangements at all point and non-point sources. Collecting hoods with Fume Extraction System with Bag filters (PTFE) of adequate capacity and high efficiency shall be installed in Induction furnace(s) with minimum 30 meter stack height. Collecting hoods with Fume Extraction System with Bag filters (PTFE) of adequate capacity and high efficiency shall be installed in reheating furnace coal gasifier based rolling mill with minimum stack height 47 meter to ensure that particulate matter emission less than 30 mg/m³ all the time. The project proponent shall provide leakage detection and mechanized bag cleaning facilities for better maintenance of bags. Project proponent shall install suitable & effective air pollution control equipments at all transfer points, junction points etc. etc. Project proponent shall install dust extraction system with bag filters in coal handling plants and coal transfer points. All the conveying system, transfer point, junction point etc. shall be covered. Adequate provision shall be made for spraying of water at strategic locations to ensure dust does not get air borne. For controlling fugitive dust, regular spraying of water in vulnerable areas of the plant shall be ensured. Proper ventilation shall also be provided in Induction furnace plant. All air pollution control systems shall be kept in good running condition all the time and failure (if any), shall be immediately rectified without delay; otherwise, similar alternate arrangement shall be made. In the event of any failure of any pollution control system adopted by the Project proponent, the respective production unit shall not be restarted until the control measures are recycled to achieve the desired efficiency. As per proposal submitted emission of pollutants from any point source shall not exceed the following limit:-

Particulate Matter	30 mg/m ³ (Thirty Milligram per Normal Cubic Meter)
--------------------	---

Project proponent shall provide proper space provision for further retrofitting of air pollution control systems in case of further stringency of particulate matter emission limit. The height of any other stack(s) shall not be less than 30 meters.

- v. The project proponent shall submit monthly summary report of continuous stack emission and air quality monitoring and results of manual stack monitoring and manual monitoring of air quality / fugitive emissions to Regional Office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nager, Zonal office of CPCB and Regional Office of Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) along with six-monthly monitoring report.
- vi. Sufficient number of mobile or stationary vacuum cleaners shall be provided to clean plant roads, shop floors, roofs, regularly.
- vii. Recycle and reuse iron ore fines and such other fines collected in the pollution control devices and vacuum cleaning devices in the process.
- viii. The project proponent shall use mechanically covered leak proof trucks / dumpers vehicles for transportation of raw materials.
- ix. At entry and exit point of plant, wheel wash system shall be provided to control wheel generated dust.
- x. Provision for monitoring of vehicles by installation of closed-circuit cameras (CCTV) at suitable locations i.e. entry gate, weigh bridge, internal parking area etc. shall also be made to ensure the incoming and outgoing vehicles are mechanically covered.
- xi. The project proponent shall provide covered sheds for raw materials like soap and sponge iron etc.

III. Water Quality Monitoring and Preservation

- i. The project proponent shall provide adequate facility for proper treatment of industrial effluent and domestic effluent. Project proponent shall provide adequate facility for proper treatment of effluent (neutralization system) generated from process. The ETP shall have acid proof lining to avoid any chance of under ground water contamination. Sludge generated from effluent treatment plant shall be transferred to sludge drying beds and disposed off as per the Hazardous and Other Waste Management Rules, 2016 as amended from time to time. Sewage Treatment arrangement shall be provided for treatment of domestic effluent to meet the prescribed standards. Project proponent shall ensure the treated effluent quality within standard prescribed by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India under G.S.R. 277(E), dated 31st March 2012 as amended from time to time. No effluent shall be discharged out of plant premises under any circumstances. Any liquid effluent what so ever generated shall not be discharged into the river or any surface water bodies under any circumstances, and it shall be reused wholly in the process / plantation within plant area. Aches to 'Zero Liquid Discharge'.
- ii. Industry shall ensure that phenolic wastewater shall be processed only in rubber lined tanks/HOPP drums in accordance with the provisions stipulated in Hazardous and Other Waste Management Rules, 2016 as amended from time to time.
- iii. Phenolic waste water generated from the coal gasifier shall be incinerated in After Burning Chamber of DRI kiln.
- iv. The project proponent shall monitor regularly ground water quality at least twice a year (pre and post monsoon) at sufficient numbers of piezometers / sampling wells in the plant and adjacent areas through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 and NABL accredited laboratories.
- v. The project proponent shall submit monthly summary report of effluent monitoring and results of manual effluent testing and manual monitoring of ground water quality to Integrated Regional Office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur Abai Nager, Zonal office of CPCB and Regional Office of Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) along with six-monthly monitoring report.
- vi. Gated drains and collection pits shall be provided for each stock pile to arrest the run-off in the event of heavy rains and to check the water pollution due to surface run off.
- vii. The project proponent shall practice rainwater harvesting to maximum possible extent.
- viii. The project proponent shall make efforts to minimize water consumption in the plant by segregation of used water, practicing cascade use and by recycling treated water.
- ix. The project proponent shall use the maximum surface water.

IV. Noise Monitoring and Prevention

- i. Noise level survey shall be carried as per the prescribed guidelines and report in this regard shall be submitted to Regional Office of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur as a part of six-monthly compliance report.
- ii. The ambient noise levels should conform to the standards prescribed under Environment (Protection) Rules, 1986 viz. 75 dB (A) during day time and 70 dB (A) during night time.

V. Energy Conservation Measures

- i. Ensure installation of regenerative type burners on all reheating furnace(s). The project proponent shall not utilize any solid fuel such as coal as fuel directly in the reheating furnace(s). Only gas from producer gas plant shall be used in reheating furnace(s) rolling mill. Industry shall produce re-rolled products through reheating furnace maximum of capacity 22,500 Tonnes per annum.
- ii. Provide solar power generation on roof tops of buildings, for solar light system for all common areas, street lights, parking around project area and maintain the same regularly.
- iii. The project proponent shall ensure use of LED lights in their offices and residential areas.

VI. Waste Management

- i. The project proponent shall take effective steps for safe disposal of solid wastes and sludge. Furnace slag shall be used as sub base material in road construction will be given to brick manufacturer; End cutting shall be used as raw material in open Induction Furnace(s) for steel making. Mill Scales shall be given to nearby ferro alloys manufacturing unit or casting unit. Tar and oily sludge shall be sold to authorized recyclers / re-processors for proper disposal through incineration. Cinder shall be given to cement plant.
- ii. Used refractories shall be recycled as far as possible.
- iii. Zinc dust, Zinc ash generated from the galvanizing plant, waste oil, greases and other hazardous waste shall be disposed off as per the Hazardous & Other Wastes (Management & Transboundary Movement) Rules, 2016.
- iv. The project proponent shall utilize fly ash bricks / blocks etc. in all construction activities.
- v. Kitchen waste (if any) shall be composted or converted to biogas for further use.
- vi. The project proponent shall install filter press for dry disposal of sludge received from ETP and shall used the waste as manure in plantation.

VII. Green Belt

- i. Green belt shall be developed in an area not less than 40-60% of the total plant area with a native tree species in accordance with CPCB guidelines. Greenbelt shall inter alia cover the periphery of the plant. As far as possible maximum area of open spaces shall be utilized for plantation purposes. Project proponent shall ensure that plantation will be done within 1 year.
- ii. The project proponent shall prepare GHG emissions inventory for the plant and shall submit the programme for reduction of the same including carbon sequestration including plantation.

VIII. Public Hearing & Human health issues

- i. Emergency preparedness plan based on the Hazard Identification and Risk Assessment (HIRA) and Disaster Management Plan shall be implemented.
- ii. The project proponent shall carry out heat stress analysis for the workers who work in high temperature work zone and provide Personal Protection Equipment (PPE) as per the norms of Factory Act.
- iii. Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile ETP, safe drinking water, medical health care, creche-etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.
- iv. Occupational health surveillance of the workers shall be done on a regular basis and records maintained as per the Factories Act.

IX. Corporate Environmental Responsibility

- i. The project proponent shall comply with the provisions of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi OM vide F No. 22-65/2017-GUE dated 1st May 2018, as applicable, regarding Corporate Environmental Responsibility. Project proponent shall make CER fund as follows:-

Additional Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
2700	2%	54	Following activities at Village-Brahmadev Eco Park Niranjan Total	54.79 54.79

- iii. Development of "Eco Park Niranjan" at village Brahmadev, Shera no. 2233 (part) area 5 hectare as divine and religious plantation. Estimate cost of this plantation is around Rs. 54.79 Lakhs.
- iv. The project proponent shall submit the Corporate Environmental Responsibility project work completion report issued by the concerned Gram Panchayat of the respective.
- v. The company shall have a well laid down environmental policy duly approved by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions. The company shall have defined system of reporting infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions and shareholders / stakeholders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEMA, Chhattisgarh as a part of six-monthly report.
- vi. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter level, with qualified personnel shall be set up under the control of Senior Executive, who will directly to the head of the organization.
- vii. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur / SEMA, Chhattisgarh along with the Six Monthly Compliance Report.
- viii. Self environmental audit shall be conducted annually. Every three years third party environmental audit shall be carried out.
- ix. All the recommendations made in the Charter on Corporate Responsibility for Environment Protection (CREP) for the plants (if any) shall be implemented.
- x. Environment Clearance will be valid as per the provision of EIA Notification, 2006 (As Amended).

X. Additional Conditions:

- i. This EC shall be granted subject to the conditions that the emission levels shall not exceed the prescribed limit notified by Central Pollution Control Board failing which this EC shall deemed to be cancelled.
- ii. No additional land shall be acquired for this project.
- iii. Local persons shall be given employment during development and operation of the plant. The project proponent shall make public the environmental clearance granted for their project along with the environmental conditions and safeguards at their cost by prominently advertising it at least in two local newspapers of the District or State, of which one shall be in the vernacular language within seven days and in addition this shall also be displayed in the project proponent's website permanently.
- iv. The copies of the environmental clearance shall be submitted by the project proponents to the Heads of Local Bodies, Panchayats and Municipal Bodies in addition to the relevant offices of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.
- v. The project proponent shall upload the status of compliance of the stipulated environment clearance conditions, including results of monitored data on their website and update the same on half-yearly basis.
- vi. The project proponent shall monitor the criteria pollutants level namely, PM₁₀, SO₂, NO_x (ambient levels as well as stack emissions) or critical sectoral parameters (if any) indicated for the projects and display the same at a convenient location for disclosure to the public and put on the website of the company.

- viii. The project proponent shall submit bi-monthly reports on the status of the compliance of the stipulated environmental conditions on the website of the ministry of Environment, Forest and Climate Change at environment-clearance portal.
- ix. The project proponent shall submit the environmental statement for each financial year in Form-V to Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as amended subsequently and put on the website of the company. The project proponent shall inform the Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur as well as SEAA, Chhattisgarh the date of financial closure and final approval of the project by the concerned authorities, commencing the land development work and start of production operation by the project.
- x. The project authorities must strictly adhere to the stipulations made by the Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) and the State Government.
- xi. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA / EMP report and also that during their presentation to the State Expert Appraisal Committee.
- xii. No further expansion or modifications in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEAA, Chhattisgarh.
- xiii. Concealing factual data or submission of false / fabricated data may result in revocation of the environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.
- xiv. SEAA, Chhattisgarh may revoke or suspend the clearance, if implementation of any of the above conditions is not satisfactory.
- xv. SEAA, Chhattisgarh reserves the right to stipulate additional conditions if found necessary. The Company in a time bound manner shall implement these conditions.
- xvi. The Regional Office Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur shall monitor compliance of the stipulated conditions. The project authorities should extend full cooperation to the officer(s) of the Regional Office by furnishing the requisite data / information / monitoring reports.
- xvii. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974; the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981; the Environment (Protection) Act, 1986; Hazardous and Other Wastes Management and Transboundary Movement Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India / High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.
- xviii. Any appeal against this EC shall be with the National Green Tribunal, if preferred, within a period of 30 days as prescribed under Section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.
- xix. Environment clearance will be valid as per the provision of EM Notification, 2009 (as Amended).



Member Secretary, SEAC



Chairman, SEAC